फर्रुखाबाद जनपद में अपराधों का स्थानिक विश्लेषण

(SPATIAL ANALYSIS OF CRIMES IN FARRUKHABAD DISTRICT)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
की
डी. फिल् (भूगोल) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक
डॉ. आर. सी. तिवारी
(आचार्य, भूगोल विभाग)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रस्तुतकर्ता
सविता पाण्डेय
(भूगोल विभाग)

भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2002

विषय सूची

प्राक्कथन

अपराधभूगोल व्यवहारिक भूगोल का अभिन्न अंग है जो सामाजिक भूगोल के अन्तर्गत निहित है क्योकि समाज की समस्याएँ काल और क्षेत्र के सन्दर्भ में भिन्न–भिन्न अनुभव की जाती है। किसी भी क्षेत्र में मनुष्य और वातावरण के परिवर्तनशील सम्बन्धों को ध्यान मे रखकर परिवर्तित दशाओ में जनसंख्या और सम्बन्धित समस्याओ के निराकरण का प्रयास वर्तमान युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं। अपराध भूगोल मे मनुष्य के ऐसे आचरण का अध्ययन किया जाता है जो समाजविरोधी तो होता ही है साथ ही साथ असामान्य आचरण या विचलित व्यवहार माना गया है जिसमें मनुष्य समाज के नियमो से विचलित हो जाता है जिसका कारण प्रतिकूल परिस्थितियाँ एव परिस्थितियो के प्रतिकूल प्रभाव है।

आज समाज में आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय विकास के अथक प्रयास हो रहे है लेकिन शान्ति और सुरक्षा के अभाव मे यह विकास क्या अधिक उपयोगी सिद्ध होगा ? विकास के जितने प्रयास किये गये उन सबसे भ्रष्टाचार का जन्म उभरकर सामने आया। क्या आर्थिक विकास की सार्थकता समाज मे बढते अपराधों की पृष्ठभूमि में सम्भव होगी ? सुरक्षा एव शान्ति समाज की अनिवार्य आवश्यकता है।

अपराध की समस्या के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलू पर शोध अध्ययन तथा साहित्य सृजन करने वाले विद्वानो का भी मत है कि, समस्या का नियंत्रण तथा अपराधियों के सुधार एवं व्यवस्थापन के कार्यक्रमों की सफलता केवल उस ज्ञान पर निर्भर करेगी, जिसके द्वारा अपराधी व्यवहार को प्रेरित करने वाली दशाओं एवं कारको का वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो सकें। इसके लिये हमें सबसे पहले समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन की व्यवस्था में मूल भूत परिवर्तन की अवश्यकता है। क्योंकि अपराधी बिगड़ी हुयी सामाजिक दशाओं का प्रतिफल है।

फर्रुखाबाद जनपद गंगा–यमुना दोआब के भौगोलित क्षेत्र में स्थित है। इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 2288.00 वर्ग किमी. है। जनपद की उत्तरी सीमा पर बदायूँ एवं शाहजहाँपुर जनपद, पूर्व मे हरदोई जनपद, पु. में एटा तथा मैनपुरी जनपद, द. में कन्नौज जनपद इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। ये सभी जनपद उ.प्र. की क्राइमबेल्ट के अन्तर्गत आते है। इसके अतिरिक्त जनपद उन्नाव, फतेहपुर, झाँसी, जालौन, हमीरपुर एवं बाँदा जनपद अपराध पट्टी को सम्पूर्णता प्रदान करते है। फर्रुखाबद जनपद अपनी अवस्थिति के कारण अपराधो से निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये हुए हैं फर्रुखाबाद जनपद की भौतिक संरचना भी अपराधों की उर्वरता को बनाये हुए हैं।

जनपद का सामाजिक स्तर आर्थिक स्तरएवं शैक्षिक स्तर भी अपराधों की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक सिद्ध हुआ है। अपराधियो को मिलने वाला राजनतिक संरक्षण एवं श्वेतवस्त्रापराध जनपद मे अपराधो की सक्रियता को बनाये हुए हैं।

अतः इस ज्वलन्त समस्या के निराकरण के लिए सुधारात्मक एवं दण्डात्मक दोनों स्वरूपों को अपनाये जाने की आवश्यकता है जिससे अपराधिक प्रवृत्तियों का उन्मूलन एवं उपशमन करके सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा मानवीय मूल्यों की पुर्नस्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके।

सविता पाण्डेय

आभार

परमेश्वर, आदिशक्ति मॉ भवानी की असीम अनुकम्पा एवं माता—पिता के आर्शीवाद से आज अपने शोध प्रबन्ध की सम्पूर्णता पर आभार व्यक्त करते हुये मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। सर्वप्रथम प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुवर आचार्य आर.सी. तिवारी भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति श्रद्धावनत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अनवरत प्रोत्साहन, असीम स्नेहयुक्त निर्देशन, में यह शोध प्रबन्ध पूर्ण हुआ है। इसके साथ ही डॉ. सविन्द्र सिह विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति भी श्रद्धावनत एवं आभारी हूँ जिन्होंने समय—समय पर आर्शीवाद एवं शुभसम्मति प्रदान कर शोध—कार्य के लिये निरन्तर मार्गदर्शन किया।

इस शोध कार्य में डॉ. सुधाकर त्रिपाठी प्रवक्ता भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने कार्टोग्राफी एवं सांख्यिकीय गणना में सहयोग प्रदान करते हुये मानचित्रो को पूरा करने मे सहयोग दिया। इसके साथही मैं अपने परम पूज्य फूफा जी डॉ. मोहन अवस्थी (भू.पू.) विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिनके स्नेहयुक्त संरक्षण एवं मार्गदर्शन मे मै अपना शोध कार्य पूरा कर सकी।

इस शोध कार्य में सी.ओ. कायमगंज श्री अरविन्द मौर्या जी का समय—समय पर मिले सहयोग एवं प्रोत्साहन के प्रति मैं आपार आभार व्यक्त करती हूँ जिसके कारण मेरे शोध प्रबन्ध को आधार प्राप्त हुआ है।

ब्रदी विशाल डिग्री कालेज के श्री रामनिवास दुबे एवं डॉ. राधेश्याम मिश्रा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शोध प्रबन्ध की पूर्णता हेतु अमूल्य सुझाव प्रदान किये।

मै माननीया आशाभाभी का सहयेाग पूर्ण एवं आत्मीय व्यवहार के प्रति मै आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मेरी प्राथमिक आवश्यकताओ का निवारण कर शोध–कार्य पूर्ण होने मे सहयोग दिया।

इसके साथ ही मै अपने आदरणीय बडे भाई श्री राजेश, श्री नवनीत पाण्डेय अनुज श्री लक्ष्मी भूषण की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंन शोध सामग्री संकलन, सर्वेक्षण कार्य एवं समय–समय पर उत्साहवर्द्धन सहयोग देकर मेरे शोध कार्य को सरल बनाया। अपने शोध प्रबन्ध की पूर्णता हेतु मैं इनकी अनुग्रहीत हूँ।

मैं अपनी मित्र सीमा के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग से ही मेरे शोध कार्य का श्री गणेश हुआ। उस प्रारम्भिक काल में दिया गया इनका प्रोत्साहन व शोध कार्य के अन्तिम समय में दिया गया इनका सहयोग चिर स्मरणीय रहेगा।

इसके साथ ही वे समस्त भूगोलवेत्ता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, अपराधाशास्त्री जनपद के अधिकारी वर्ग जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे अपने शोध–प्रबन्ध के पूर्ण करने में सहयोग मिला। उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता एवं आभार प्रकट करती हूँ।

इन सबके बाद मैं अपने परम पूज्य 'दादा जी' पं॰ शिव प्रकाश दुबे की हृदय से आभारी हूँ। जिनके स्नेह, प्रोत्साहन, शुभआशीष एवं सुझाव, के कारण मैं अपने शोध–कार्य को साकार रूप दे पायी इस कार्य–क्षेत्र के झझांवात में वे मेरे साथ सदैव दृढ़–स्तम्भ की भाँति खड़े रहे। अतः पुनः मैं उनके प्रति अपना सम्पूर्ण आभार व्यक्त करते हुये अपने इस लघु प्रयास को उनके 'श्री चरणों' में समर्पित करती हूँ।

सविता पाण्डेय

मानचित्र सूची

सारणी सूची

सारणी संख्या विवरण

24. फर्रुखाबाद जनपद में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल हेक्टेयर व प्रतिशत में

25. फर्रुखाबाद जनपद में फसलो के अन्तर्गत सिचित क्षेत्रफल

26. फर्रुखाबाद जनपद में प्रमुख फसलों का विकास खण्डवार सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में

27. फर्रुखाबाद जनपद में प्रमुख फसलों के विकास खण्डवार सिंचत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

28. फर्रुखाबाद जनपद मे विकास खण्डवार उर्वरक वितरण

29. फर्रुखाबाद जनपद में विकास खण्डवार पशु—वितरण

30. फर्रुखाबाद जनपद मे विकास खण्डवार पशुधन

31. फर्रुखाबाद जनपद मे आर्थिक अपराधें मे डकैती

33. फर्रुखाबाद जनपद में लूट

34. फर्रुखाबाद जनपद में गृह भेदन

35. फर्रुखाबाद जनपद में वाहन चारी

36. फर्रुखाबाद जनपद मे तार चोरी

37. फर्रुखाबाद जनपद में अपहरण

38. फर्रुखाबाद जनपद में अन्य चोरी

39. फर्रुखाबाद जनपद में रोड होल्डअप

40. फर्रुखाबाद जनपद में चोरी ट्रान्सफार्मर

41. फर्रुखाबाद जनपद में हत्या

42. फर्रुखाबाद जनपद में धारा 304

43. फर्रुखाबाद जनपद में बालात्कार

44. फर्रुखाबाद जनपद में अन्य हिंसात्मक

45. फर्रुखाबाद जनपद में बलवा

46. फर्रुखाबाद जनपद में दहेज हत्या

47. फर्रुखाबाद जनपद में एम.आर. एक्ट

48. फर्रुखाबाद जनपद में 25 अरेस्ट एक्ट

49. फर्रुखाबाद जनपद में आबकारी एक्ट

अनुक्रमणिका

अध्याय—1

परिचय

LOCATION MAP
N
INDIA
0 400
km
U.P.
UTTAR PRADESH
80 0 80
km
LUCKNOW
79°
15′
30′
45′
80°
DISTRICT FARRUKHABAD
10 0 10
km
45′
30′
15′
27°
N
BUDAUN
SHAHJAHANPUR
ETAH
HARDOI
MAINPURI
Ganga River
Ram Ganga
Kali Nadi
From Kasganj
To Kanpur
Kaimganj
Shamsabad
Rajepur
Nawabganj
FARRUKHABAD
Muhammadabad
Kamalganj
District Boundary
Tahsil
Block
District Headquarters
Tahsil
Block
River
79°E
15′
30′
45′
80°

परिचय

अपराध की संकल्पना

मनुष्य द्वारा किये गये ऐसे कार्य एवं आचरण जो समाज विरोधी हो जिनमें सामाजिक परम्पराओं समाज के नैतिक मूल्यो आदर्शो एवं प्रतिमानों का उल्लघंन होता हो अपराध के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं। ऐसे कार्य समाज में रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोगो को शारीरिक आर्थिक एवं मानसिक क्लेश पहँचाते है। ऐसे कार्यो से समाज मे कलुषता फैलती है। इसीलिये ऐसे कार्य समाज द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाते है। इसीलिये अपराध को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजिक घटना के रूप में स्वीकार किया है। अतः अपराध ऐसा मानव कृत्य है। जो समाज की व्यवस्था को छिन्न—भिन्न कर देता है। एवं समाज के हितों के प्रतिकूल होता है।

मनुष्य जन्म से अपराधी पैदा नहीं होता वह आपराधी कृत्य समाज से ही सीखता है। अतः स्पष्ट है कि, अपराधों के लिये कुछ परिस्थितियां ही उत्तरदायी होती है। यह परिस्थितियां मनुष्य को असामान्य आचरण के लिये प्रेरित करती है। इन्हीं असामान्य आचरणों के परिणाम स्वरूप अपराधों का जन्म होता है। मनुष्य के समान्य आचरण समाज में सौहार्द एवं विकास के लिये आवश्यक होते है। ऐसे कार्यो से समाज की उन्नति होती है, और किसी प्रकार की क्षति नहीं पहँचती है। इसी कारण समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिको, नृतत्वशास्मियो, एवं भूगोलवेत्ताओं सहित अन्य विद्वानों ने अपराध हो समान्य परिस्थितियों में किया जाने वाला आचरण नहीं माना है। समाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य से यह अपेक्षा की जाति है कि वह जिस समाज में जीवन—यापन करता है। उसके विकास के लिये विभिन्न कार्य करें। उस समाज की प्रचलित परम्पराओं निर्धारित मूल्यों एवं सामाजिक मान्यताओं का अनुसरण करें। कभी—कभी मनुष्य इन

सभी की अवहेलना करता है। और समाज मनुष्य के इस व्यवहार से हनि उठाता है। ऐसे आचरण को ही अपराध की सज्ञा दी जा सकती है।

भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का जन्म परमानन्द की प्राप्ति हेतु हुआ है। मनुष्य मात्र भौतिक तत्वो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर का समूह ही नहीं बल्कि एक चेतनसत्ता भी है। इसीकारण मनुष्य के तीन शरीर माने जाते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनो शरीरों का सामांजस्य है। परमानन्द की प्राप्ति की और प्रेरित करता है। किन्तु इन तीनों के असामान्जस्य के कारण ही मनुष्य दुखः प्राप्त करता है। वर्तमान के भौतिकता वादी समाज में मनुष्य अपने स्थूल शरीर तक ही सीमित रह गया है। और इस स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिये विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करने लगा है। इस कारण उपभोक्ता वादी संस्कृति का विकास निरन्तर बड़ रहा है। चूकिं मनुष्य के शरीर की समस्त इच्छाओं की पूर्ति सम्भव नहीं है। जबकि उपभोक्तावाद संस्कृति में उपभोग से ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति करना मनुष्य अपना आदर्श समझता है। इसीलिये व्यक्ति समाज द्वारा स्थापित की गये मूल्यो समाजिक परम्पराओं एवं आदर्शो की उपेक्षा करके ऐसे आचारण करता है। जिससे उसे शारीरिक सुख प्राप्त हो कालान्तर में मानव का यही आचारण अपराध का रूप धारण करता जाता है। मनुष्य अपने चहुओर एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर लेता है। जिससे अर्न्तक्रिया कर वह अपराधी बन जाता है। विभिन्न सामाजशास्त्रियो ने अपराध को अपने ढ़ंग से परिभाषित किया है। हैक्रबॉल अपराध को एक ऐसा व्यवहार मानते है जो मानव समबन्धो की उस व्यवस्था में व्यवधान डालता है। जिन समबन्धों को समाज शक्ति के रूप में अपने अस्तित्व हेतु स्वीकार करता है।[1] (हैक्रबॉल 1996/पी. 20) अपराध एक ऐसा कार्य है। जो उस समूह के स्थायित्व का विरोधी है। जिसे व्यक्ति अपना समझता है।[2] (थॉमस/1927) मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपराध को करुणा, सत्यता और न्यायिकता के मनोभावो का उल्लंघन माना जाता है[3] (ओरोफेलो 1914/ पी. 59) अपराध को समाज शास्त्रीय दृष्टि से केवल असमाजिक

व्यवहार माना जा सकता है।[4] (मांउपेर 1954/ पी. 468) अपराध सामूहिक व्यवस्था को संकटग्रस्त करने तथा उसके किसी भी तत्व को हानि पहुँचाने वाला व्यवहार माना जा सकता है।[5] (जीनॉनकी, 1967/ वी. 12/ पी. 6)

अपराधों की सर्वजनिता

अपराध कालातीत है। यह एक ऐसा सार्वजनीन सत्य है जो किसी क्षेत्र की सीमा को नहीं मानता। यह सर्वत्र व्याप्त है। यह शाश्वत है। आज कोई भी सामज, क्षेत्र, काल अपराध रहित नहीं है। उसमें अपराध का अंश और रूप भिन्न हो सकता है। यह अवधारणा मानव के विचलित व्यवहार एवं उसके प्रतिकूल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभावो के अन्र्तसम्बन्धों पर निर्भर करती है। अपराध की विचार धारा भिन्न–भिन्न समाज में होने वाले मानवीय व्यवहारों के संदर्भ में भिन्न–भिन्न होती है। क्योंकि भिन्न–भिन्न समाजों की अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है। जिनके आधार पर ही अपराध का स्वरूप स्पष्ट होता है। इसीलिये जब किसी समाज में कोई अपराध मानवीकृत अपराध की श्रेणी में आता है वही किसी दूसरे समाज में उचित कार्य समझा जाता है। उदाहरणतः एस्किमों समुदाय में हत्या का बदला हत्या पुनीतकार्य है। किसी भी पत्नी का अपहरण अपराध नहीं माना जाता। अतः मुस्लिम समाज में बहुपत्नी प्रथा है। जिसे अपराध नहीं माना जाता जबकि हिन्दु समाज में अपराध है। अतः स्पष्ट है कि, अपराध की अवधारणा मानव समुदाय की मान्यताओं पर निर्भर करती है।

अपराध की भौगोलिक अवधारणा

भारतीय मनीषियों ने आदिकाल से ही प्रकृति और मानव को एक ही ईश्वरी सत्ता की कृति और एक समग्र संगठन के रूप में देखने पर बल दिया है।[6] (दीक्षित, 2000/ पी. 3)

मानव और प्रकृति के अर्न्तसमबन्ध पर सम–सामायिक दार्शिनिक मान्यताये भौगोलिक चिन्तन मे प्रतिबिम्बित होती रही है। किन्तु प्रत्येक काल में भूगोल मूलतः मानव और प्रकृति के अर्न्तसमबन्धों पर आधारित ज्ञान है। 70 के दशक में मानव और उसके वातावरण के अर्न्तसम्बन्धों की विवेचना के लिये परिदृश्य की परिधि के स्वरूप व्यवहार भूगोल का जन्म हुआ। भौगोलिक व्याख्या में प्रतिबोधन की भूमिका के महात्व पर लम्बे अरसे से समय–समय पर अनेक विद्वान बल देते रहे है। मानवभूगोल में व्यवहार वादी चिन्तन को व्यापकता प्रदान करने में जुहियन ओलपर्ट के डिसीजन पार्सेज इन ए स्पेशियल कन्टेक्सट शीर्षक की महात्वपूर्ण भूमिका है। जो एनाल्स ऑफ द एसोसियोशन जाग्राफर्स 1964 में प्रकाशित हुयी।[7] (बोल्पर्ट, 1964/ पी. 337–358) इस लेख के बाद व्यवहारवादी चिन्तन शीघ्र ही मानव भूगोल के अध्ययन का अभिन्न अंग बन गया। इस चिन्तन में मानव व्यवहार संस्कृति एवं समाज सापेक्ष माना जाने लगा। और उसमें समबद्ध व्यक्तियों और गुटों के वातावरण प्रतिबोधन की भूमिका केन्द्रिय महात्व की हो गयी।[8] (दीक्षित, 2000,/ 57) व्योहारवाद का मुख्य उद्देश्य मानव और प्राकृतिक वातावरण के अर्न्तसमबन्धों की व्याख्या में पूर्ववर्ति कार्य कारण संकल्पना पर केन्द्रित योगिक परिदृष्टि के बदलें मानव प्रतिबोधन की प्रक्रिया पर केन्द्रित है।[9] (रमेशदत्त दीक्षित) इसमें मनुष्य को संवेदनशील और विवेकशील प्राणी माना गया है। अपने परिवेश के सम्बन्ध में उसके निर्णय प्रत्यक्ष कार्य कारण प्रतिक्रिया का परिणाम न होकर, वस्तु स्थिति के मानसिक प्रतिबोधन का परिणाम होते है। इस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन में यह जानना नितांत आवश्यक हो जाता है कि जिस क्षेत्रीय, सामाजिक इकाई का अध्ययन किया जा रहा है। उसमें सदस्यों ने अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन किया है।[10] (दीक्षित, 2000/ पी. 155) व्यवहारिक भूगोल में सामाजिक रोग विज्ञान का अध्ययन किया गया है। इसमें अपराध एवं अपचार को व्याख्याश्रित करने के लिये समाज के नियमों को उत्तरदायी ठहराया गया है। इसमें अध्ययन करने

वाले लोग अपराध को मनुष्य एव उसके वातावरण की अर्न्तक्रिया का प्रतिफल मानते है।

क्वेटलैण्ड एवं ग्लेरी को भौगोलिक अपराधिक विचारधारा का संस्थापक माना जाता है।[11] (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध/ रूहेलखण्ड वि.वि. बरेली/ 2000 पृ. 10) मनुष्य का निर्माण प्रकृति के विभिन्न तत्वों के समिश्रण से होता है। इसीलिए प्राकृतिक पर्यावरण उसके कार्यो उसके नैतिक मूल्यों एवं परम्पराओं को निर्धारित करते है। समाज का संगठन इन्ही आदर्शो, कार्यो एवं नैतिक मूल्यों से संचालित होता है। समाज का निर्धारण समाज के प्राकृतिक वातावरण के द्वारा होता है।[12] (प्रशन कुमार, 2000/ पृ. 10) भौगोलिक कारकों में धरातल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है समतल भूमि में अपराधिक घटनाये कम होती है जबकि ऊबड–खाड़ब स्थान एवं पहाड़ी धरातल एवं खड्डों में अपराधों की संख्या अधिक पायी जाती है।[13] (प्रश्नकुमार, 2000/ पृ. 11) मांटेरक्यू जो कृषि भूगोल वेत्ता एवं दाशर्निक के रूप में जाने जाते है। ने अपराधो के लिये भौगोलिक परिस्थितियों को उत्तरदायी माना। उन्होंने कहा कि गर्म जलवायु, डकैती, चोरी इत्यादि को प्रभावित करती है जबकि, शीत जलवायु प्रजातंत्र एवं स्वतन्त्रता को प्रभावित करती है। उन्होंने यह भी बताया कि, भूमध्य रेखा से दूरी बडने के साथ–साथ अपराध में हास्र होता है।[14] (Krissel, K.M./ 1960/ Monteoquieu) पारिस्थितिक की विचारधारा में भी अपराधों का अध्ययन किया गया है। इसमें टारडे, फोर, बुराती, बैटारिल्या, लैफर, थ्रेसर एवं शाह व लैकेसर प्रमुख है। (प्रशन कुमार, 2000)।

इस संकल्पना में मनुष्य स्वयं व्यापक प्राकृतिक व्यवस्था के अंग के रूप में देखा जाने लगा[16] (दीक्षित, 2000/ पी. 253) डेक्सटर महोदय ने अपराधों का अध्ययन पारिस्थितिकी की विचारधारा के अन्तर्गत करते हुये। यह बताया कि, अपराध पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊबड़–खाबड़ क्षेत्रो में उससे कम एवं समतल मैदानों में सबसे कम होते हैं। बलात्कार पर्वतीय भागों में अधिक व समतल में कम होते हैं। गर्म देशों में मारपीट, एवं शीत

प्रधान देशो में चोरी, डकैती घटनाये अधिक होती है। शीत ऋतु में सम्पत्ति एवं ग्रीष्म में व्यक्ति सम्बन्धी अपराध अधिक देखे जा सकते है। जनवरी, फरवरी मार्च, अप्रैल मे बाल हत्या, जुलाई में आक्रमण एव मनुष्य की हत्या, जनवरी एवं अक्टूबर में माता–पिता की हत्या, मई एवं जून मे बलात्कार की घटनायें अधिक होती हैं[17] (राधेश्याम मिश्रा, 1985/ पी. 6/ अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)।

अपराध की सामाजिक अवधारणा

इस अवधारणा का श्री गणेश अमेरिका और यूरोप के समाज शास्त्रियो के अध्ययनों का परिणाम है 19वीं सदी मे यह विचारधारा अपने अस्तित्व में आयी। इसको जन्म देने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका के समाजशास्त्रियो को दिया जाता है। इस विचारधारा को विशेष प्रोत्साहन 1915 में लोम्ब्रोसो के समाकालीन गैरिंग के अध्ययनों से मिला। कुछ लोग अपराध की सामाजिक अवधारणा के प्रणेता के रूप में क्वेटलैंड को स्वीकार करते हैं। जिसनें 1850 में अपराधी के समाजिक कारणों एवं उनके भौगोलिक विस्तार का अध्ययन किया। विभिन्न मतभेदों के साथ यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि, यह अपराधों की सामाजिक विचारधारा अपराधों की उत्पत्ति के मूल में सामाजिक परिवेश को प्रथम उत्तरदायी कारक ठहराती है। इस विचारधारा के मानने वालों का मत है कि, सामाजिक जीवन के प्रभाव, समाजिक दृष्टिकोण, व्यवहारों के प्रतिमान व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एवं उसकी भूमिका, उसके सामाजिक सम्बन्ध तथा सामाजिक परिस्थितियाँ अपराधों के लिय उत्तरदायी होती हैं। समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं जीवशास्त्रियों के विपरीत अपराधों को पर्यावरण में परिपालन करने वाले समाजिक तत्वों की उपज के संदर्भ में देखते हैं। वे अपराधियो को समाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से पृथक असमान्य व्यक्तियों का समूह न मानकर समाज के सामाजिक सांस्कृतिक एवं विभिन्न तत्व के संगठन से प्रभावित मानते हैं। अपराधों के सम्बन्ध में इस विचार धारा की शुरूआत

भौगोलिक एवं सामाजिक विचारधारा के समन्वय से हुयी। इस विचारधारा का सर्वाधिक प्रचार एवं प्रसार अमेरिकी समाज शास्त्रियो द्वारा किया गया। इस विचारधारा की मान्यता है कि, अपराध सामाजिक पर्यावरण की उपज है। तथा यह सीखा हुआ व्यवहार है इसी उसी प्रकार सीखा जाता है जैसे व्यक्ति अन्य बातों को सीखता हैं।[18] (रूपसोन्ले सी./किमनोलॉजी वी. 2) मावरर ने अपराधों को सामाजिक विघटन मानते हुये कहा कि, यह उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें व्यक्ति समाजिक प्रतिमानों को बिना ध्यान में रखते हुये अपने प्राक्रतिक स्वभाव के आधार पर व्यवहार करने लगता है।[19] (अरनेस्ट आर. मावरर) वैरन ने समाजिक अपराधों को उन इच्छाओ की पूर्ति बताया है जिन्हें व्यक्ति ऐसे व्यवहारो के द्वारा करने लगता हैं। जो समाजिक रूढ़ियों एवं कानूनों के विरूद्ध है।[20] (रोलैण्ड एल वैरने) इस विचारधारा के प्रमुख लैका साने का मानना है कि, अपराधों में प्रमुख तत्व समाजिक पर्यावरण है और यह पर्यावरण वह ऊष्मा हैं जो अपराधिकता को जन्म देती है। इस स्थिति मे लोग वैसा व्यवहार नहीं कर पाते जिसकी उनसे आशा की जाती हैं। विघटित समाज की इस दशा में कथनी और करनी में बड़ा अन्तर हो जाता है[21] (लियोनाई एस. काट्रेल)।

अपराधी एक अणुजीव होता है और वह तब तक महात्वहीन होता है जब तक वह उस तरल पदार्थ से नहीं मिलता जो उसे उभरने योग्य बनाता है। जिस प्रकार अणुजीव जन्म के समय विषहीन होता है किन्तु बाद में अत्यन्तविष की स्थिति होने पर व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार जन्म से व्यक्ति अपराधी नहीं होता किन्तु समाजिक पर्यावरण में धीरे–धीरे विभिन्न प्रकार के लोगों के सम्पर्क से अपराध सीख जाता है। इस प्रकार अपराध सामाजिक उद्विकास की एक स्वभाविक एवं अस्वभाविक घटना है[22] (आहूजा राम/ पृ. 59/1999)।

आगवर्न सामाजशास्त्री मानते है कि, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन अधिक तीव्र होते है किन्तु अभौतिक संस्कृति उस गति से नहीं परिवतित हो पाती यह स्थिति व्यक्ति विघटन का परिणाम होता हैं। अतः कल्चरल

लैग की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं और यह स्थिति स्वय मे विघटन की उत्पत्ति का एक कारण बन जाती है।[23] (विलियम एफ आगवर्न सोशल चेंज)।

निष्कर्षरूप से समस्त समाजशास्त्री चाहें वह किसी भी मत के रहे हों अपराध को समाजिक विचारधारा के परिपेक्ष्य समाजिक पर्यावरण का प्रकार्य मानते है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में कैन्टर (1939) टैफ्ट (1949) कार्ललोबेल (1950) मावेल एवं मैरील (1950) काल्डबैल (1956) लैमर्ट (1958) ऐब्राटेमंसन (1960) इक्लैस (1961) प्रमुख है। यद्यपि सभी समाजशास्त्री इस बात पर सहमत है कि, अपराधो के लिये समाजिक अनुभवों द्वारा प्राप्त धारणायें महात्वपूर्ण हैं। परन्तु इस बात पर मतैक्य नहीं हैं कि, कौन सा सामाजिक तत्व अपराध उत्पन्न करता है।[24] (इ. दुर्खीम) अपराधशास्त्री अपराधों का मूल यदि आधिक मानता है तो मनोवैज्ञानिक मन को, समाजशास्त्री यदि अपराधों का कारण सामाजिक मानता है तो भूगोलवेत्ता भौगोलिक।

एतिहासिक पृष्ठभूमि

फर्रुखाबाद जनपद निसंदेह एक पराकाल का स्थान है किवदन्ती के अनुसार राजा द्रुपद के किले के पास मोहम्मद खॉन का किला था[25] (कालीराय) और जब पाण्डव बनवास के समय अज्ञात वास मे थे, तो उन्होंने इसी के पास पाण्डवेश्वर शिव मन्दिर की स्थापना की जो आज फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे रोड़ पर स्थित है। फर्रुखाबाद जनपद के घनी आबादी के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम दिशामें प्राचीन कुँआ व भवनो के उत्खनन से इस बात की पुष्टि होती है कि, मोहम्मद खान के मकबरे की नींव डालने के समय खुदाई में एक पाँच मन लोहे की गदा प्राप्त हुआ है जिसके सम्बन्ध में लोगो का सामान्य विश्वास है कि यह गदा पाण्डव भीमसेन का है। (Ibid., P. 127) यह गदा आज भी मऊ–गेट के

समीप देखा जा सकता है। जिसकी लोग पूजा करते है। यद्यपि फर्रुखाबाद जनपद का इतिहास महाभारत तक चला जाता है, किन्तु इस का मूल उत्पत्तिकर्त्ता और स्थापक मोहम्मद खॉ वगश या जो फतेहपुर जनपर के खजुहा ग्राम का रहने वाला था। (Distrid Ga/dt. C.P. Gt., P., 136) 1712 ई. में दिल्ली सम्राट फर्रूख्शियर ने मुगल साम्राज्य के सत्तासंघर्ष में अपने चचरे भाई जहाँदार के विरूद्ध सहयोग के लिये उसे बुलाया था। मोहम्मद खॉन बंगश की सेवाओ के फलस्वरूप फरुर्रूख्शियर ने उसको फर्रुखाबाद व बुन्देलखण्ड के कुछ क्षेत्र प्रदान किये। फर्रुखाबाद जनपद में उसने दो शहरो की स्थापना की एक अपने नाम पर मोहम्मदाबाद की दूसरे अपने पुत्र कायमखाँ के नाम पर कायमगज क्षेत्र की स्थापना की। (District Gazelter P. 137) इन क्षेत्र के नामकरण में फर्रूख्शियर का महात्व न देने पर चापलूसों ने सम्राट के कान भरे अतः फर्रूख्शियर नाराज न हो इसलिये मोहम्मद खाँ बंगश ने एक शहर को तुरन्त बसा कर उसका नाम फर्रुखाबाद रखा। इस जनपद के मऊदरबाजा क्षेत्र में पास पढानो की बहुतायत थी। फतेहगढ़ कैण्ट क्षेत्र के पास कासिमबाग नामक स्थान पर जहाँ पहाडा के मोढ़ पर मोहम्मद खाँन बंगश रहता था वहीं 52 गॉवो मे बमटेले नामक जाति रहती थी ये दोनो ही जातियॉ पठान व बमटेले उपद्रवी प्रकृति के थे। मोहम्मद खाँ बंगश ने इस जनपद में स्थित द्रुपद के किले का पुनुरूद्धार कराया। मोहम्मद खाँ बंगरा ने नये किये की नींव 1226 हिज़री (त्दनुसार 6 जनवरी 1714 से 27 दिसम्बर 1714) के मध्य रखी। फर्रुखाबाद के चौथे नवाब अहमद खॉ बंगश न फर्रुखाबाद जनपद का नाम बदल कर अहमद नगर फर्रुखाबाद रखा। किन्तु इसे बाद के नवाबो स्वीकार नहीं किया और फर्रुखाबाद नाम को ही मान्यता प्रदान की। 1751 में जब नवाब अहमद खाँन पर अवध मराठा और जाट की सम्मिलित सनाओं ने आक्रमण किया तो उसने एक किले मं शरण ली। उसने इस किले का नाम फतेहगढ यानि 'फार्ट ऑफ विक्ट्री' रखा। 1887 मे क्षेत्र हुसैनपुर के नाम से जाना जाता था (रायकाली, फतेहगढ़नामा)। आज भी हुसैनपुर का परिवर्तित रूप

कैण्ट क्षेत्र में स्थित है। फर्रुखाबाद जनपद बगश नवाबो की राजधानी रहा है। ईस्ट इण्डिया के विकास के साथ फतेहगढ़ का विकास हुआ और 1802 में फतेहगए किले का महात्व बड़ा।

बंगशकाल (1714-1777 ई.) - ऐतिहासिक लेखो के अनुसार शहर फर्रुखाबाद भीकमपुर और द्वठान क्षेत्र पर विकसित हुआ है। जो किले बन्द दीवार के अन्दर थे। शहर के प्रारम्भिक विकास के समय मोहम्मद खाँ बंगश को बमटेलों की जाति के साथ युद्ध करना पड़ा जो शहर पर रात्रि को आक्रमण करते थे। मोहम्मद खां बंगश ने बमटेलों को निकटवर्ती गॉवो से न केवल निकाल बाहर किया, बल्कि उसके सहयोगियों के साथ भी दुर्वयवहार किया अपने एक अभियान के तहत उसने 1000 बमटेलो की हत्या कर दी। (Rvine, op] sit, p. 278) 1743 में मोहम्मद खां बंगश की मृत्यु तक फर्रुखाबाद एक समृद्ध और बड़ा क्षेत्र था उसके शासन काल में फर्रुखाबाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण काली और कोरा नदियो का दोआब क्षेत्र था। जिसमें सम्पूर्ण फर्रुखाबाद जिला, सम्पूर्ण एटा जिला, पश्चिमी कानपुर क्षेत्र का हिस्सा, शहजहाँपुर जनपद का एक परगना छोड सम्पूर्ण शहजहॉपुर क्षेत्र, बदाँयु जनपद के दो परगना को छोड़ सम्पूर्ण बदाँयु जनपद एवं इटावा एवं अलीगढ़ जिले के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। 1720 में उसके पुत्र कायमखां ने कन्नौज को जीता जो पहले हिन्दू राजाओ के नियन्त्रण में था। (District Gazatteer op cit, p. 138)

कायमखाँ बंगश (1743-1748) - फर्रुखाबाद के द्वितीय नवाब कायम खां के समय जेस्वीर फादर टाइफेन थेटर ने शहर का भ्रमण किया। उनके द्वारा लिखित लेख कायमखां के समय फर्रुखाबाद की जानकारी देते है। उसने लिखा कि, ये क्षेत्र चूना और मिट्टी में दीवार से घिरा था। उसके 12 दरबाजे थे जो आज भी विद्यमान है। ये दरबाजे शहर के मुख्य बिन्दु के संकेतक हैं। शेष घर मिट्टी के थे जिनके छतें खपरैलो की होती थी। यह क्षेत्र अनेक वस्तुओं का वाणिज्य केन्द्र था। जिसमें मुख्य दिल्ली, बंगाल, काश्मीर, सूरत का मुख्य स्थान था। नवाब का किला 1 मील के

क्षेत्र मे फैला था। जनपद की स्थित विकासोन्मुख थी। शहर चारदीवारी पर बनी सुरक्षा मीनारो तथा खाई से घिरा था। (Adkingson, E.T., op. Cit, P- 257-58)

नावाब इमाम खाँ बंगश (1748-1750) - 27 नवम्बर 1748 को इमाम खॉ को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इसके शासन काल मे अनेक शासको के नवाब बनने की महात्वाकांक्षा थी। इस समय आय में गिरावट आयी। उसके समय में सफरदरजंग जो अवध का नवाब एवं दिल्ली का बजीर था फर्रुखाबाद को आधीन करने के उद्देश्य से यहॉ आया। इसी समय नवलराय ने शासक बनी मोहम्म खॉ बंगश की विधवा से 50 लाख रूपये के बदले बगश राज्य इमाम खान को प्रस्ताव किया। भुगतान के बाद सफदरजंग ने 15 लाख रूपयों की और मांग की व साहब बीबी को उसने बंधक बना लिया और फर्रुखाबाद की ओर कूच किया जो पहले ही अवध के डिप्टी गर्वनर नवलराय द्वारा जीत लिया गया था। नया विजित राज्य नवलराय के आधीन हुआ और उसन कन्नौज को अपना केन्द्र बनाया। नवलराय के आक्रमण के समय बंगशो ने फर्रुखाबाद के किले को खाली छोड़ दिया, जिस पर बाद में बमटेलो ने अधिकार कर लिया (Adkingson, E.T., op. Cit, P- 163) । आगे चलकर नवलराय ने किले को जीता व वहीं कुछ समय तक रहा। उस समय के बारे में इरबिन लिखता है कि, इस जनपद में मऊ क्षेत्र के निवासी अपनी सम्पत्ति के साथ नष्ट कर दिये गये। नवलराय ने शहर को जलाकर नष्ट कर देने की आज्ञा विद्रोह को दबाने हेतु मांगी किन्तु पठानों की अधिक संख्या व ताकत के कारण बजीर ने यह आज्ञा नहीं दी (Abid. P. 54)। इस स्थित में फर्रुखाबाद व मऊ क्षेत्र के चारो ओर रहने वाले लोग शहर में आतंक मचाने लगे यद्यपि उनका कोई नेता नहीं था।

अहमद खाँ बंगश (1750-1777) - मोहम्मद खाँ बंगश का द्वितीय पुत्र अहमद खाँ विद्रोहियों का नेता बन कर उभरा। उसने नवलराय के पद और अधिकार पर कब्जा कर लिया। इस बात को सुन नवलराय ने

फर्रुखाबाद की ओर कूच कर दिया किन्तु वह युद्ध मे पराजित हुआ व मारा गया। सफादरजंग जो इस समय दिल्ली में था। इस समाचार को सुनकर एक सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर फर्रुखाबाद की ओर बडा किन्तु वह भी (13 सि. 1750) पराजित कर दिया गया।

अहम्मद खां के समय फर्रुखाबाद का सितारा फिर चमका और वह बंगश नवाबों की राजधानी बना। पुनः 1757 मं सफदरजंग ने फर्रुखाबाद पर अधिकार करने के उद्देश्य से जयप्पा सिंछिया, मल्हारराव गायकवाड, जाट सूरजमल व भरतपुर के राजा की सेनाओं के साथ फर्रुखाबाद पर आक्रमण किया यह खबर सुन अहमद शाह इलाहाबाद से वापस लाटा और फतेहगढ़ के किले में अपने को सुरक्षित किया कुछ महीनो की घेराबंदी के बाद अहमदशाह को वहॉ से भाग कर आंवला (बरेली जनपद) के रोहिला जाति की शरण में जाना पड़ा। इस खबर से फर्रुखाबाद जनपद की जनता के मध्य आतंक फैल गया और लोग घोड़ो से नावो से शहर छोड़ कर चले गये शेष बचे झाड़ियों में छिप गये। इस समय जब ताते और बजीर की सेना ने लूट के उद्देश्य से शहर में प्रवश किया तो शासक व जनता के द्वारा शहर छोड दिये जाने के कारण शहर में गरीबी, वीरानगी, घबराहट, भूख, प्यास ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया (Rvine, op. cit., 1879, p. 89.) उन्होंने शहर गांवों व कस्बों आदि में आग लगा दी।

1752 में एक समझौता हुआ जिसके तहत मराठा और सफदरजंग के अभियान का खर्च अहमद खां पर डाल दिया गया फलस्वरूप अहमद खॉं को अपने राज्य का एक भाग मराठों को देना पडा। जो 1761 के पानीपत के युद्ध तक मराठो के अधिकार में रहा। इस सन्धि से फर्रुखाबाद का सौभाग्य उदय हुआ अहमद खॉ शहर वापस आया और निवासियों को बसने हतु आमंत्रित किया। इसी समय कासिम की बिधवा साहब बीबी भी वापस लौट आयी और अमेठी के किले में रहने लगी। मलिया बेगम बीबी साहब 'बुलन्द महल' में आ गयी जो पहले कायम खां के अधिकार में था (Irvine, op. cit. 1879, p. 89)।

फर्रुखाबाद जनपद मे अनेक पर्यटक भी समय–समय पर आते रहे। 23 अक्टूबर 1764 मे सुजाउद्दौला फर्रुखाबाद आया यहॉ से आकर्षित हो उसने फर्रुखाबाद पर आक्रमण किया ओर कन्नौज क्षेत्र तक आ पहुॅचा किन्तु अहमद खां की सशक्त सैन्य तैयारी के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। दुबारा उसने फिर आक्रमण किया और फर्रुखाबाद जनपद के खुदागंज क्षेत्र तक आ पहुँचा तब उसे 6 लाख रुपये एवं साथी ऩफ़जखॉ को 1 लाख रूपये देने पर वह वापस लौटने पर सहमत हुआ।

ब्रिटिश काल (1777-1947) - फर्रूखाबद जनपद से अंग्रेजों के समबद्धता का सूत्रपात 1775 से पूर्व ही हो चुका था जब आशिफ उद्दौला द्वारा फैजाबाद की सन्धि पर हस्ताक्षर किया गया था। जनपद का हेड–क्वार्टर फतेहगढ़ है इसका अग्रेजों के आगमन से पूर्व कोई महात्व नहीं था। इस फैजाबाद की सन्धि के बाद ही बाजार और छावनी (कन्टोमेन्ट) क्षेत्र ने अपना रूप लिया। इस छावनी क्षेत्र में 1777 में बनी बिग्रेड को फतेहगढ़ कन्टोमेन्ट में अस्थाई बिग्रेड क रूप में समाविष्ट किया गया। (Ibid., P. 174)

इस समय फर्रुखाबाद जनपद का नवाब कमजोर और अनुभवहीन था इस कारण सही शासन न कर पाने से फर्रुखाबाद शहर नष्ट हो कर बिखर गया वहाँ कई वर्षो तक कोई स्थाई सरकार नही थी। अत. इसके मामलों में दूसरों के हस्तक्षेप को बढ़ावा मिला। 4 जून 1802 को फर्रुखाबाद के नवाब नासिरजंग और हेनरी वेलेजली के मध्य बरेली में एक सन्धि हुयी जिसके परिणाम स्वरूप नवाब ने अपने क्षेत्र को 108000 रू. वार्षिक व्यक्तिगत भत्ता के बदले सत्तान्तरित कर दिया। इस समय शहर की दशा अत्यन्त बुरी थी। 1803 में इसकी आन्तरिक व्यवस्था के बारे में लार्ड वेलेन्टिया ने लिखा है कि यहाँ जिन्दगी बहुत असुरक्षित थी फर्रुखाबाद जनपद में निर्बाध रूप से हत्यायें होती थी। लोग सूरज छिपने के बाद बाहर जाने का साहस नहीं करते थे और जो काम करन बाहर जाते थे वे दिन रहते ही अपने घरो को वापस आ जाते थे। (Hamilton, W., "East

India Gazetter" London, 1815) नवम्बर 1804 में होल्कर न फर्रुखाबाद पर आक्रमण किया। 1857 में जनपद में बिद्रोह फूट पडा (Wallace, C.L. op cit. p. 2)।

1857 का विद्रोह— मेरठ से विद्रोह का समाचार फर्रुखाबाद मे 4 मई 1857 का पहुँचा और जब जिला सीतापुर एवं अलीगढ के विद्रोहियों ने जनपद फर्रुखाबाद में प्रवेश किया तो कोलोनेल स्मिथ स्थिति को नियन्त्रण करने में असमर्थ हो गये और किले से नाव द्वारा बचायें गये। इस प्रकार विद्रोह पूरे जनपद में फैल गया। विद्रोहियों ने समस्त अंग्रेजो के निवासों को जला दिया जिन अंग्रेजों ने समर्पण कर दिया उन्हें 23 जुलाई को परेड ग्राउण्ट फतेहगढ क्षेत्र में ले जाकर मार दिया गया। 18 जुलाई को फफाजुल हुसैन को नवाब के रूप में कार्यभार सौपा गया किन्तु 2 जनवरी 1858 को सर कोलिन कैम्पबेल जो बिटिश सरकार का कमाण्डर इन चीफ था ने नवाबी सेनाओं को हराने में सफलता प्राप्त की और पुनः 3 जनवरी 1858 को जनपद फर्रुखाबाद में बिटिश शासन स्थापित हो गया। फर्रुखाबाद के नवाबी किले के स्थान पर वर्तमान में टाउनहाल और तहसील की बिल्डिगे उसके ढ़ेर की ऊँचाई पर बनी है। फर्रुखाबाद में भारत के अन्य शहरो और राजधानियों के सड़को और रेलवे मार्ग से जुडनें के कारण नदी परिवहन आपस में बंद ही गया। 1860 में बाद के फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ दो शहर एक में जुड़ गये और म्युनिसपल्टी की स्थिति प्राप्ति हुयी। 1883 में जिलाबोर्ड अस्तित्व में आया। जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है। ए.पी. मिंशन ने 1838 के समय से ही अपनी महात्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के अन्तिम वर्षो में फर्रुखाबाद जनपद का पतन प्रारम्भ हो गया। जिसका मुख्य कारण गंगा नदी था जो जनपद से 3 1/2 मील पूर्व की ओर मुढ़ गयी अतः जनपद का नदी पोर्ट के रूप की महत्ता का ह्रास्र हुआ। दूसरा कारण कानपुर जनपद जो इस जनपद के पूर्व में है का विशेष महात्व बढ़ जाने के कारण यह जनपद पृष्ठ भूमि में चला गया और इसे अपनी राजनीतिक स्थिति खो दी। साथ ही

कानपुर ने इस जनपद के दस्तकारो को आकर्षित कर इसने जनपद को आर्थिक धक्का भी दिया। सुतहट्टी, मदार वाडी, अहातामंगस खाँ, सतवनलाल, दबगरन, इजातखाँ और दरीबाँ इस जनपद के कुटीर उद्योग के प्रमुख स्थान थे जो इस जनपद वासियो की जीविका के प्रमुख साधन थे किन्तु कानपुर में खुली कपड़ा मिल के कारण इस उद्योग का दुखदः अन्त हो गया। सूती–वस्त्र छपाई का प्रमुख केन्द्र होने पर भी यह जनपद विदेशी सस्ती छपाई के कारण पिछड़ गया। निःसन्देह मशीनयुगने शहर की मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का तीव्र विनाश कर दिया। जो कि उसके कुटीर उद्योग पर अवलम्बित था। इस जनपद में अनेक सरकारी शैक्षणिक संस्थाये, मिशनरी, समितियॉ, रामकृष्णमिशन, आर्य समाज आदि उपस्थित थे। इसके साथ ही कुछ आधुनिक अस्पताल, जलापूर्ति, विद्युतापूर्ति, जैसी उपयोगी सेवाऐं भी उपलब्ध थी जिसके प्रमाण लिखित रूप से हम पाते हैं। इस जनपद को सड़के भारत के कई राज्यों की राजधानियों से जोड़ती थी (Furrukhabad in Serve by N.R. and N. E.R.)। फर्रुखाबाद उ रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर लखनऊ और आगरा से जुड़ा है।

शहरीविकास की प्रक्रिया – 1714 में अपनी उत्पत्ति से लेकर अहमद खाँ के शासन (1771) तक फर्रुखाबाद का क्षैतिज विकास मुख्य रूप से किला तथा त्रिपल्लिया के चारों ओर हुआ था। जनपद के शहरी विकास की मुख्य प्रवृत्ति विकेन्द्रियकरण और घनी आबादी की थी किन्तु वर्तमान में अव्यवस्थित फैलाव क़ी मुख्य प्रवृत्ति विकेन्द्रीकरण, विरलीकरण और विस्तारीकरण के रूप में महत्वपूर्ण है। फर्रुखाबाद जनपद के विकास को तीन कालविधियों में बाँट सकते हैं (Sharma, G.P. Farrukhabad Ka Itihash, 1929, p. 26)।

1. बंगस पीरियड
2. बिटिश पीरियड
3. स्वातन्त्र्योत्तर काल

बंगशकाल में शहरी विकास

एक किवदन्ती के अनुसार राजा दुपद की पुत्री द्रोपदी का स्वयवर इसी जनपद में हुआ था। यदि इसे माना जाये तो इस जनपद का उद्भव महाभारत काल (1500 ई. पी.) माना जा सकता है (Rai Kali op. cit. p. 121)। किन्तु इसके प्रारम्भिक विकास के बारे में कुछ भी ज्ञात नही है। और इस पर मिथकों और किंवदन्तियों का परदा पड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टि से फर्रुखाबाद का उदय एवं विकास 1714 ई. से होता है। जब नवाब मोहम्मद खाँ बंगश ने इसका विकास चाहरदीवारी से परे शहर के रूप में किया। यह चाहरदीवारी दो गॉवों भीकमपुर और द्वठान को पूर्णत· घेरती थी (Atkinson, E. T. op. cit, p. 256)। भीकमपुर आज भी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जबकि द्वठान पाण्डवेश्वर मन्दिर के निकट था जिसका विकास मन्दिर के विकास के साथ तेजी से हुआ। मुहम्मद खॉ बंगश ने 22 गढ़ियां एवं 48 मुहल्लों की स्थापना इस जनपद मे की। इसके द्वारा किया अन्तिम निर्माण उसका अपना मकबरा है। जो मऊ दरवजा के पश्चिम में है (Khan, M. A. op. cit., p. 29)। इसके बाद कामम खां का शासन रहा जो कि अपने शासनकाल में कोई भी महात्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका (Irvine op. cit. P. 373)। बंगश नवाबो में सबसे शक्तिशाली अहमद खॉ बंगश के समय फर्रुखाबाद अपने गौरव की सीमा पर जा पहुँचा। आज के नेहरु रोड़ पर स्थित त्रिपल्लियां से घुमना तक महात्वपूर्ण बाजार कटरा अहमदगंज का निर्माण उसी के शासन काल मे हुआ था। इसके बाद नवाब नासिरजंग के समय इमामबाड़ा का नक्कार खाना और नासिर जंग बाजार शहर में जोड़े गयें जो पैनबाग किले को पूर्णतः बदल कर बनाये गये थे। उसने किले के अन्दर एक शाही महल का निर्माण भी कराया था (Sharma G.P. p. 29)।

मोहम्मद खाँ बंगश ने ही भोलेपुर, हुसैनपुर तथा जमालपुर गॉवों का अधिग्रहण कर फतेहगढ़ क्षेत्र का छावनी एवं सिविल लाइन्स क्षेत्र बसाया

था। बमटेला राजपूत जाति ने कासिम खां की जिस स्थान पर हत्या कर दी थी वही उसका मकबरा 1714 मोहम्मद खा बंगश ने बनवा दिया और जमालपुर गॉव का नाम बदलकर कासिम बांग रख दिया (Irvine, op. cit. 1878, p. 276)। 1720 में 'चेला' शेरदिल खा ने गंगा के तट पर एक किले का निर्माण कराया और गंगा तट का नाम किला घाट रखा (Wallace, C. L. op. cit. p. 12)।

इतिहासकार काली राय के अनुसार फतेहगढ़ किले का निर्माता मोहम्मद खाँ था (Rai, Kali op. cit. P. 128) जबकि डब्लू. हेग का विचार है कि अहमद खॉ ने फतेहगढ़ किले का निर्माण कराया (Hage W., Cambriage, History of India Uviversity PRes, 1937, p. 431)। वस्तुतः दोनो ही मत गलत प्रतीत होते है। चेलो और इर्विन के लेखो के विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि, विद्रोह के समय किला और उसके आस–पास की घनी आबादी बमबारी द्वारा ढ़ाहा दी गयी। 1861 मे दौरान मिस्टर लिंडसे के काल में टाऊनहाल, लिडसेगंज, ग्रानगंज जनपद मे जोड़े गये। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे जब जनपद के दक्षिणी भाग मे रेलवे स्टेशन व रेलवे कॉलोनी का विकास हुआ तो महात्वपूर्ण सांस्कृतिक भू–क्षेत्र उभरा। 1777 में जब अंग्रेजी बिग्रेड फतेहगढ़ में स्थापित हुयी तभी से इस जनपद का सार्वभौमिक महात्व बड़ा। (India office records, london, B.W. 1.) इस समय के मानचित्र में फतेहगढ़ का किला नहीं दिलाया गया है। 1802 में फतेहगढ़ जिला मुख्यालय बना एवं कचहरी की इमारते पूर्ण हुयी। 1835 का मानचित्र दर्शाता है। कि, फतेहगढ़ का ज्यादातर म्युनिसपल एरिया सैन्य अधिकारियों एवं जिलाधिकरण के बंगलो तथा मकानों के लिये अधिगृहीत कर लिया गया (Fathgarh camp 1777, P-57)। सदर बाजार का छोटा सा क्षेत्र पश्चिम दिशा का, देशी जनता के निवास के लिये छोड़ा गया। इस प्रकार यह जनपद 1930 तक अपना महात्वपूर्ण विकास कर चुका था।

स्वतान्त्र्योत्तरकाल

इस समय जनपद में के. आर आर. इण्टरमीडियट कालेज बनाया गया। इसी कालेज के पास 1950 के बाद एक कोल्डस्टोरेज का निर्याण किया गया। 1954 के दौरान जनपद की जलापूर्ति योजना तैयार की गयी। इस जनपद का विकास 1930 और 1960 के बीच हुआ। इस जनपद में सर्वाधिक विकास लाल दरवाजा रोड़ पर हुआ। इस प्रकार इस युग में अनेक इमारतों का निर्माण कम बल्कि स्थानान्तरण अधिक हुआ। उदाहरण स्वरूप के. आर. आर. इण्टरकालेज एव क्रिश्चियन इण्टर कालेज की वर्तमान में जो अवस्थिति है वह पूर्व में कहीं और थी।

अपराध भूगोल का साहित्य एवं सर्वेक्षण

यद्यपि अपराधों का अध्ययन अपराधशास्त्र का ही मुख्य विषय रहा है और यही कारण है कि अपराध से सम्बन्धित सम्पूर्ण साहित्य अपराधशास्त्र की परिधि में आ जाता है। भारत में भी वातावरण एवं मानव के व्यवहार को लेकर सत्तर के दशक में 'आचारपरक भूगोल' का प्रारम्भ किया गया। अपराध भूगोल इसी आचारपरक भूगोल का अंग है। जिसकी अवधारणा है कि मानव व्यवहार, मानव और उसके वातावरण की दशाओं की अन्तक्रियाओ या प्रभावो का प्रतिफल है। मानव एवं वातावरण के प्रभावों के परिपेक्ष्य में 1748 ई. में माण्टेस्क्यूं[26] ने एवं 1749 ई. में बफन[27] ने अपराधो का भौगोलिक अध्ययन किया। इन दोनो भूगोल वेत्ताओ का मत था कि वातावरण मानव के व्यवहार के लिये उत्तरदायी होता है और यदि मानव अपराधी प्रवृत्तियां अपनाता है तो उसके पीछे उसके चारो ओर पायी जाने वाली भौगोलिक परिस्थितियां ही जिम्मेदार होती है। अपराध एक सार्वभौमिक स्थिति है। ऐसे कार्य जो समाज विरोधी हो और उन्हे दण्डनीय स्वीकार किया जाये अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आते है। इन आचरणों को नीतिशास्त्र अनैतिक कृत्य मानता है। समाजशास्त्र असमाजिक कृत्य मानता

है। कानून अवैधकृत्य मानता है। धर्मशास्त्र पाप मानता है दर्शनशास्त्र अशुभ मानता है। आदिम समाज में इन कृत्यों को टार्ट (Tort) के नाम से जाना जाता है। अपराध की शाश्वतता पर विचार करते हुये फ्रैंक टेनेनवाम ने लिखा कि अपराध शाश्वत है। ये उसी प्रकार से शाश्वत है जिस प्रकार से समाज। इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा कि अपराध पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं किये जा सकते। मानवीय त्त्रुटियों, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, ईर्ष्या, जिगुप्सा हर व्यक्ति में पायी जाती है। इन्ही त्रुटियो का विकराल रूप अपराधों के रूप मे समाज के समक्ष आता है।[28] (फैंक टेटमवाम/ 1943/पी. 5)

अपराध साहित्य में अपराधो को अलंकारिक भाषा में दपर्ण की उपमा प्रदान की गयी है। अतः लेखक का कथन है कि– "अपराध वह दपर्ण है जिसमें लोगों का चरित्र प्रतिबिंबित होता है। यह एक दुखद वास्तविकता है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते।"[29]

अपराध की समस्या पर विश्व एवं भारतीय स्तर पर अनेक अध्ययन किये गये जिसके लिखित प्रमाण अपराध साहित्य को व्याख्या में आज भी सक्रिय है।

- एच. एल. आदम, दि इंडियन क्रिमिनल में भारतीय अपराधियों की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। उनके द्वारा किस प्रकार के अपराध अधिक किये जा रहे है। इसका वर्णन सर एच. एल. आदम ने इसमें किया है।[30]
- एस. एम. इडवड्र्स द्वारा लिखी क्राइम इन इण्डियां में अपराधों की परिस्थितियों का जो अपराधिक घटनाओं का प्रोत्साहित करती है का वर्णन मिलता है।[31]
- इण्डियन विलेज क्राइम्स एवं क्राइम इन इण्डिया जो कि सर सिसिल वाल्श द्वारा लिखी गयी है में ग्रामीण परिवेश को वे परिस्थितियाँ जो अपराधों के लिये ग्रामीण जनता का प्रेरित करती है का विश्लेषण किया गया है।[32]

आगस्त सोमरवाइल ने अपराध विषय पर क्राइम ऐण्ड रिलीजन विलीफ इन इण्डिया नामक पुस्तक मे बताया[33] कि, अन्ध धार्मिकता, जातिउन्माद एवं सामप्रदायिकता की भावना मनुष्य को किस प्रकार से अपराध करने के लिये प्रेरित करती है। एच हार्वे की कैमियोज आफ इंडियन क्राइम भी अपराध साहित्य की महात्वपूर्ण पुस्तक है। जिसमें अपराध व अपराधी दोनो को पृथक–पृथक रूप से परिभाषित किया गया है।[34] सोशल ऐंड इकोनामिक आसपेक्ट ऑफ क्राइम इन इण्डिया में लेखक हैकरवाल ने असम्मत सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों का विश्लेषण अपराधों के परिपेक्ष्य में किया है।[35] इसी अपराध साहित्य क्रम में विलियम हीली[36] तथा सिरिल वर्ट[37] के अध्ययनों से स्पष्ट होता है अपराधी व्यवहार की विशेषकारणीय व्याख्याये सही नही है। यह अनेक कारकों तथा दशाओं का प्रतिफल है। अपराधों के संदर्भ में भूगोलवेत्ताओ की तुलना मे समाज शास्त्रियों द्वारा विशेष उल्लेखनीय काम किये गये। समस्त पाश्चात्य देशो में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत कार्य सम्पादित किये गयें। अपराधो का वर्गीकरण, प्रकार, कारण एवं निवारण आदि समस्त पक्षो पर विचार प्रकट किये गये। जैसे–जैसे समाज में अपराध बढ़ते गये। वैसे–वैसे अपराधों का गंभीर चिन्तन मनन प्रारम्भ होता गया। इस प्रकार अपराधशास्त्र एक स्वतन्त्र विषय के रूप में सामने आया। जिसके विकास में टाफ्ट, मानहीम, बोगर, टेलर, बघेल आदि विद्वानों ने अपना सहयोग प्रदान किया। अपराध शास्त्र की विकास प्रक्रिया में एक नवीन क्रान्ति का जन्म तब हुआ जब अनेक अपराध शास्त्रियों ने हत्या, डकैती, चोरी आदि अपराधों पर अपने शोध प्रस्तुत किये एवं क्षेत्रीय आधार पर उनका विश्लेषण किया। जिससे इस सम–सामायिक विद्या की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ और उन्होंने इसे समाजशास्त्रीय आधार से भौगोलिक आधार प्रदान किया। जिसमें प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मांटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक दि स्प्रिट ऑफ लॉफ में कहा कि भूमध्य रेखा के जितना ही निकट पहुँचेगें उतना ही ज्यादा वहाँ के स्थानों पर अपराध पाया जायेगा। जिन अन्य

विद्वानों ने अपराधो का भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन किया है। उनमें जोजेफ कोहेन[38], इउविन जे. डेस्सटर[39] एव जरहार्ड जे फाक है।[40]

अपराधों के संदर्भ में वार्नफील्ड ने वोस्टन शहर में अपराधों का अध्ययन किया और स्पष्ट किया कि शहर में उन क्षेत्रों में जहाँ निम्न स्तर की संस्कृति मिलती है वहाँ अपराध घटित होते है।[41] इसी के समान विचार **वेलेन्टाइन** ने दिये जिसने सामाजिक स्तर को अपराधों का कारण माना है।[42] मैनुअल **फास्टिलस** ने सम्पत्ति के असमान वितरण को अपराधों का कारण माना।[43] **न्यूमैन** ने इमारतों की बनावट एवं ऊँचाई को अपराधों से समबन्ध स्थापित किया और स्पष्ट किया कि अधिक ऊँची इमारतों एवं खुली निर्माण व न दिखाई देनी वाली अवस्थित में अपराध अधिक होते है।[44] **जैन मिलर** ने दंगो का विस्तार से अध्ययन किया और इसके कारण के पीछे हताशा, गरीबी एवं असुरक्षा की भावना को कारण माना।[45] **डैक्सटरमहोदय** ने अपराधो पर भौगोलिकता के प्रभाव को अधिक स्पष्ट करते हुये लिखा कि– अपराध पर भौगोलिक अवस्थाओं एव मौसम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मारपीट जैसे अपराध पर्वतीय क्षेत्रो में सबसे अधिक, ऊबड–खाबड़ क्षेत्रों में उससे कम, समतल मैदानों में सबसे कम होते है। बलात्कार पहाड़ी इलाकों में और समतल मैदानों में अधिक होते है। गर्म देशों में मारपीट और शीत प्रधान देशो में चोरी, डकैती, घटनायें अधिक होती है। शीत ऋतु में सम्पत्ति एवं ग्रीष्म ऋतु मे व्यक्ति समबन्धी अपराध अधिक देखे जाते हैं। अपराधों पर भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करने वाले अन्य विद्वानों में मिल्स,[46] डिफ्लूर,[47] हैरीज,[48] टेलर[49] आदि है जिन्होने व्यापक अनुसंधानों से सिद्ध किया कि अपराध और अपराधियों पर वातावरण के तत्वों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शनैः शनैः अपराधशास्त्र भूगोल के अध्ययन का विषय होता गया जिसमे विदेशी विद्वानों का सर्वाधिक योगदान है।

अपराध भूगोल पर अपने शोध–पत्र, विचार, व्याख्यान, जरनल्स, गोष्ठियों आदि के माध्यम से इसके साहित्य को समृद्ध करने वाले भूगोल

वेत्ताओं में कोहेन,[50] ल्वी,[51] फिलिप,[52] हैरिज,[53] पिचेस्टर,[54] पीट[55] हरवर्ट,[56] फिलिप्स[57] आदि प्रमुख है। अपराध भूगोल का प्रारम्भ होने के बाद अनेक विद्वानों ने इस समस्या का क्षेत्रीय अध्ययन किया जिनमें कोर्सी,[58] हार्वे, क्लीनार्ड,[59] हाउन्स,[60] हैसिल, एण्ड ट्रेथान,[61] हेनर,[62] सैन्सपरी,[63] स्काट[64] का योगदान सराहनीय है।

विश्व के अन्य देशों में अपराध को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा गया उस पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव आदि का विश्लेषण भौगोलिक दृष्टिकोण द्वारा किया गया। किन्तु भारत मे इस अपराधशास्त्र को भौगोलिकता के क्षेत्र में लाने में पूर्ण उपेक्षा की गयी बाद में अनेक तर्क–वितर्क, एवं विरोधो के बाद अपराध को भूगोल–विषय के अन्तर्गत लाया गया है और अपराधों का अध्ययन भौगोलिक परिपेक्ष्य मे प्रारम्भ किया गया। जिसमें मि. सेघना,[65] पेरीन सी. केरावाला[66] एवं मि. वीनू गोपालराव[67] हैं।

आँकड़ों का संकलन

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध के आंकड़ों के संकलन में प्रायमिक एवं द्वितीयक दोनों ही स्रोतो का उपयोग किया गया हैं। प्राथमिक स्रोतों के अन्तर्गत शोधकर्त्ता ने क्षेत्रीय कार्य एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण का सहारा लिया है। जनपद के विभिन्न स्थानो पर जाकर, जनपद के भौतिक स्वरूप का भलीभाँति निरीक्षण किया है। थानावार एवं प्रतिदर्शी गांवों के अपराधों के आँकडों तथ्यों एंव सूचनाओं हेतु प्रश्नावली तैयार कर आंकड़े एकत्र किये हैं। जनपद के अपराधों के गहन विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, थाना अधीक्षक, चौकी इंचार्ज, जेल अधीक्षक, नेता, जनपद न्यायाधीष, विधायक, जनगणना अधिकारी, संरव्याधिकारी एवं शहर के अन्य प्रसिद्ध वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों का साक्षात्कार लिया गया है। जिससे नये–नये तथ्य उद्घाटित हुये है। जिससे शोध प्रबन्ध के अध्ययन में

सहायता मिली है। जनपद कारागार के विभिन्न स्तर के कैदियो से भी साक्षात्कार कर उनकी जाति, धर्म एवं शिक्षा, व्यवसाय, स्वभाव में आंकड़े एकत्रित किये गये है। और उन आकड़ो की सहायता से अपराधो का क्षेत्रीय विश्लेषण किया गया है।

द्वितीयक स्रोत

इसमें जनपद के प्रकाशित एवं अप्रकाशित, सरकारी एवं व्यक्तिगत स्रोतो की सहायता ली गयी है। इन स्रोतों मे जनपद का गजेटियर, विभिन्न दशकों की जिला जनगणना पत्रिकायें, जनपद की सांख्यिकीय पत्रिकायें, आर्थिक योजना, अग्रणी बैंक वार्षिक प्रतिवेदन जनपद की उद्योग निर्देशिका पुलिस विभाग की पत्रिकाये, पुलिस अधीक्षक कार्यलय से उपलब्ध अपराधों का थानावार ऑकड़े आदि। इसके अतरिक्त अन्य कार्यालयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, विद्युत विभाग, नगरपालिका, नगर—निगम आदि विभागों से सूचनायें एकत्रित की गयी हैं। अपराध साहिता के अध्ययन हेतु देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों एवं अन्य पुस्तकालयो से भी पढनीय सामग्री एकत्र की गयी है। आंकड़ो के संकलन हेतु स्थलाकृतिमानचित्रों का भी आध्ययन किया गया है।

आँकड़ो का विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में एकत्रित किये गये आकड़ो के विश्लेषण हेतु अपनायी गयी विधियों को मुख्यतः दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है।

1. सांख्यिकीय विधि।
2. मानचित्रीय विधि।

सांख्यिकीय विधि

इस विधि मे आंकड़ों का मापन स्तर ज्ञात करके उनसे समबन्धित संख्यिकी विधियों जैसे माध्य, प्रामाणिक विचलन, स्कोर विधि, सह सम्बन्ध गुणांक, क़ाई वर्ग परीक्षण, स्टूडेन्ट टी टेस्ट, कम्पोजिट स्कोर विधि एवं समाश्रेयण रेखाओं का विश्लेषण आदि एवं अन्य सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया है। मानचित्रीय विधि इसमें में आंकड़ों का परिष्करण एवं सामान्यीकरण करके उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। और पुनः विभिन्न मानचित्रीय। विधि जैसे– समानुपातिक वृत्त, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, बिन्दुविधि एवं बहुलघटक बाले आंकड़ो के लिये विभाजित वृत्तों एवं कम्पोजिट स्कोर के आधार पर मानचित्र तैयार किया गया है।

अध्ययनविधि

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में दोनों अध्ययन विधियों – आगमनात्मक एव निगमनात्मक का उपयोग किया गया हैं। आगमनात्मक विधि में अव्यवस्थित ऑकड़ों को परिभाषित वर्गीकृत एवं मापन निर्धारण कर व्यवस्थित तथ्यों को सामान्यकृत कर नियमों एवं सिद्धान्तों को निर्धारित कर अपराधों के समबन्ध में निष्कर्ष निकाले गये हैं वही पर निगमनात्मक विधि का प्रयोग करते हुये कुछ संकल्पनाओं का निर्धारण किया गया है। संकल्पनाओं की पुष्टि हेतु ऑकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण एवं मापन निर्धारण कर ऑकड़ो से विभिन्न सांख्यिकीय परीक्षणों का प्रयोग कर नियमों व सिद्धान्तों को पुष्टि कर अपराधों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार दोनों विधियों का प्रयोग होने से शोध प्रबन्ध अत्यधिक सारगर्भित हैं।

संकल्पनायें

फर्रुखाबाद जनपद की अवस्थिति तराई क्षेत्र एवं महानगरो (आगरा एवं कानपुर) के मध्य होने के कारण अपराध अधिक मिलते है। क्योंकि यहाँ पर शहरी एवं तराई क्षेत्रों से भाग कर अपराधी शरण लेते है। और यहाँ पर भी अपराध करते है। यहाँ के धरातलीय संरचना का प्रभाव भी अपराध पर पड़ा है। क्योकि यहाँ पर 'कटरी' क्षेत्र जो ऊबड़-खाबड़ व अत्यधिक विषम है। अपराधियों की शरणस्थली बने हुये है। क्योंकि ऊबड-खाबड धरातल होने से ये अविकसित क्षेत्र है। यहाँ यातायात भी अविकासित है। अतः प्रशासन की पहुँच कम होने से यहाँ अपराधिक प्रवृत्ति सदैव से पनपती रही है। जनपद फर्रुखाबाद के उत्तर में तराई क्षेत्र है जहाँ सदैव से अपराधों का वर्चस्व रहा है। अतः तराई से समीपता के कारण इन ठंडे प्रदेशों की अपराधिक प्रवृत्तियों का भी यहाँ के अपराधों पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। फर्रुखाबाद जनपद के जल में अनेक ऐसे रसायन प्राप्त हुये है जो मानव की मानसिक स्थिति को अशान्त एवं उत्तेजना प्रदान करते है अतः यहाँ छोटी सी घटना भी अपराध को जन्म दे सकने में सक्षम है क्योंकि मनुष्य का उत्तेजित व्यवहार शीघ्र ही प्रकट हो जाता है। जनपद फर्रुखाबाद में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि क्षेत्रों पर पुराने जमीदारो का वर्चस्व है किन्तु ये शिक्षित हो जाने के कारण कृषि व्यवसाय को अपनाना नहीं चाहते और अन्य रोजगार भी प्राप्त न होने से बेरोजगार है दूसरे इनके क्षेत्रो पर श्रमिक मजदूर काम करते है उनसे खाद्यान्न अथवा नगद रुपया अधिक लिया जाता है और प्रतिवर्ष उन्हें बदल भी दिया जाता है अतः वे भी बेरोजगार है। इस प्रकार इस बेरोजगारी के कारण यहॉ अपराधों की वृद्धि हुयी है। अशिक्षित क्षेत्रो में अपराधो की अधिकता पायी जाती है। फर्रुखाबाद जनपद में भी शिक्षा का सूचकांक उच्च स्तर का नहीं हैं अतः अशिक्षा का प्रभाव अपराधो पर पड़ा है। जनपद में तम्बाकू का उत्पादन के कारण इस क्षेत्र के अधिकांश व्यक्ति तम्बाकू का अनेक रूपो में सेवन करते है। जिससे निकोटीन का उच्च स्तर प्राप्त कर नशाखोरी जैसे सामाजिक

अपराध होते रहते है। जनपद के कायमगंज क्षेत्र में पढान जाति अत्यन्त समृद्ध है जो फलों एव कृषि कार्य के व्यवसाय मे लगी है। इनकी समृद्ध के कारण इस क्षेत्र में उनकी दंबगई है। इस समृद्धि के कारण भी अपराधों ने वृद्धि हुयी है। इस प्रकार जनपद मे निर्धनता एवं समृद्धि दोनों ने ही अपराधों की वृद्धि में योगदान किया है। जनपद की जातीय संरचना का प्रभाव भी अपराधो पर पड़ा है। नट, जोगिया एवं अहीर जातियो में अपराधों की अधिकता पायी जाती है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मानव कल्याण है फर्रुखाबाद जनपद में अपराधों का स्थानिक विश्लेषण कर उसके समाधान हेतु आयोजन प्रस्तुत करना प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का मूल उद्देश्य है। भूगोल में कल्याणपरक उपागम के अन्तर्गत मनुष्य का अधिकाधिक कल्याण करना ही उद्देश्य बनता है। इसकारण हमने फर्रुखाबाद जनपद के अपराधों के कारण एवं उसके नियन्त्रण के सुभाव प्रस्तुत किये हैं ताकि फर्रुखाबाद जनपद के लोग तनावमुक्त होकर शन्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। एवं जीवन में अत्यधिक आनन्द प्राप्त करें। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मानव कल्याण के लिये जनपद फर्रुखाबाद के अपराधों का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत कर उसके नियन्त्रण हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के साथ–साथ ही अन्य उद्देश्य भी सम्मिलित हैं जो निम्नवत है।

1. फर्रुखाबाद जनपद में अपराध एवं अपराध भूगोल की संकल्पना प्रस्तुत करना एवं अपराध का भौगोलिक पर्यावरण के साथ अर्न्तसम्बन्ध स्पष्ट करना।

2. फर्रुखाबाद जनपद के भौगोलिक (भौतिक एवं सांस्कृतिक) स्वरूप को स्पष्ट करना एवं उसका अपराध के साथ अर्न्तसम्बन्ध स्पष्ट करना।

3. फर्रुखाबाद जनपद अपने मण्डल का एक विशिष्ट जनपद है जहॉ अपराधो की सख्या एव स्वरूप तुलनात्मक दृष्टि से मण्डल के अन्य जनपदो से भिन्न है। अन्तः इस जनपद के अपराधों का वर्गीकरण एवं उनका क्षेत्रीय वितरण प्रस्तुत करना है।

4. अपराधों के सामाजिक वर्ग एवं अर्थिक वर्ग, दोनों वर्गो का अध्ययन किया गया है। सामाजिक अपराधों मे हत्या, बलात्कार, गुण्डागर्दी, दंगा, बलवा एवं आर्थिक अपराधों में चोरी, डकैती, लूट, अपहरण एवं सम्पत्ति कब्जा जैसे– अपराधों का क्षेत्रीय वितरण प्रस्तुत करना उद्देश्य है।

5. भिन्न–भिन्न अपराधो के लिये भिन्न–भिन्न कारण उत्तरदायी होते है। भौगोलिक कारको एवं अपराधों के मध्य कार्य–कारण सम्बन्ध की व्याख्या करना भी प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का उद्देश्य है।

6. अपराधो के फलस्वरूप क्षेत्रीय लोगो के सामाजिक आर्थिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। अतः इस जनपद के विभिन्न समुदाय के सामाजिक, आर्थिक जीवन पर अपराधों के कुप्रभावों का विश्लेषण करना भी प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का एक उद्देश्य है।

7. इस शोध प्रबन्ध का एक महात्वपूर्ण उद्देश्य फर्रुखाबाद जनपद के लिये एक ऐसा नियोजन प्रस्तुत करना है। जिससे अपराधों को रोका जा सकें।

सन्दर्भ

1. हैकर बॉल – अपराध शास्त्र एव दण्डशास्त्र, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 1996, पृ. 20

2. थॉमस डब्ल्यू. आई. – दि पोलिस इन यूरोप एण्ड अमेरिका, नौक, न्यूयार्क, 1927

3. गोरोफेलो आर. – क्रिमिनोलॉजी लिटिल ब्राउन, बोस्टन, 1914, पृ 59

4. माउवरे इर्नेस्ट आर. – अमेरिकन सोसियोलॉजिकल रिविवि, अगस्त 1954, पृ. 468 (एव दिस आर्गेनाइजेशन पर्सनल एण्ड सोशल लिपिकाट कम्प फिटनार्डौल, 1942

5 फ्लोरियन जिनानिकी – दि सोसल क्रान्ध, 1967, वी. 12, पृ. 6

6. रमेश दत्त दीक्षित – भौगोलिक चिन्तन का विकास, प्रेन्टिस–हाल ऑफ इण्डिया, प्रा लि. नयी दिल्ली, 2000, पृ. 3

7. जुलियन बोलपर्ट – दि उसीजन पार्सेज इन ए स्पेशियल कन्टेन, 1964, पृ. 337–358

8. रमेश दत्त दीक्षित – वही, पृ. 6

9. रमेश दत्त – प्रेन्टिग हाल ऑफ इण्डिया, प्रा. लि. नयी दिल्ली 2000, एक नयी अध्ययन पद्धति

10. वही, पृ. 155

11. प्रश्न कुमार – अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, रूहेलखण्ड वि. वि. बरेली, 2000, पृ. 10

12. वही

13. वही

14. के.एम. क्रेसी एण्ड मांटेस्क्यू – पासीपिलिस्ट ऑफ पालिटिकल ज्योगाफर्स एशोसियेशन एण्ड अमेरिकन ज्योजग्राफर्स, 58, पृ. 357–574

15. प्रश्न कुमार – वही, 13 पृष्ठ, 158

16. रमेश दत्त दीक्षित – वही, 6, पृ. 253

17. डॉ. राधेश्याम मिश्र – अप्रकाशित शोध प्रबंध, 1985, पृ 6

18. सीरूथसोन्ले – निमिनोलॉजी, वी–2, थीमस क्रोवेल क., न्यूयार्क, 1955

19. अरनेस्ट आर. मावरर – पूर्वोलिखित, पृ. 24

20. रोलैण्ड एल. वैरेन – पूर्वोलिखित, पृ. 84

21. लियोनाई एस. काट्रेल – दि एडजेस्टमेंट ऑफ दि इनडिवीजुअल टु हिज ऐज एण्ड सेम्सरोल्स, अमेरिका सोशियोलॉजिकल रिव्यू, पृ. 618, अक्टूबर 1942

22. राम आहूजा – पृ. 59, 1999

23. एफ विलिय आगवर्न – सोशल चेंज, न्यूयार्क, 1922, पृ. 199–280

24. इ. दुर्खीम – स्यूसाइड, अनु. जे. ए. स्पैम्डिंग एवं जार्ज सिम्पसन, दि फ्री प्रेस, ग्लेकोइलीनायस, 1951, पृ. 111

25. काली राय – फतेहगढ़ नाथ, 1843, पृ. 121

26. मान्टेस्क्यू – दि स्प्रिट ऑफ लॉज, 1748

27. बफन – नैचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन, 1749

28. फैंक टेटमवाम – टु न्यू होराइजेंस इन क्रिमिलोलॉजी (इंगिल वुड क्लिफ) न्यूजर्सी, 1943, पृ. 5

29. रमले क्लार्क – क्राइम इन अमेरिका, न्यूयार्क, 1970, पृ. 3

30. एच.एल. आदम – दि इंडियन क्रिमिनल, लंदन, 1909

31. एस.एम. इडवड्र्स – क्राइम इन इण्डिया, लंदन, 1924

32. सर सिसिल बल्स – वही, 1929

33 आगस्त सोमरवाइल – क्राइम एण्ड रिलीजिस विलीफ इन इण्डिया, कलकत्ता, 1931

34. एच. हार्वे – केमियोज ऑफ इण्डिया क्राइम, 1939

35. वी.एस. हैकरवॉल – सोशल एण्ड इकोनॉमिक आसपेक्टस ऑफ क्राइम इन इण्डिया, लंदन, 1934

36. विलियम हीली – दि इनडिवीजुअल डेलिक्वेंट, बोस्टन, 1915

37. शिरिल वर्ट – दि यंग डेलिक्वेंट, न्यूयार्क, 1925

38. जोसेफ कोहेन – दि ज्योग्राफी आफ क्राइम इन दि अनाल्स ऑफ दि अकेडेमी ऑफ पोलिटिकल एण्ड सोशल साइंस, सितम्बर 1941

39. इडविन जी. डेक्सटर – वेदर इंफ्ल्यूंसेज, न्यूयार्क, 1904

40 जरहार्ड जे. फाक – वेदर इंफ्ल्यूसेंज ऑफ सीजन आन क्राइम रेट दि जरनल ऑफ क्रिमिनल लॉ क्रिमिनालॉजी एण्ड पुलिस साइंस, जु. अ., 1952

41. वार्नफील्ड एडवर्ड – दि अनविनिली सिटी रीविजिटेड, वोस्टन, लिटिल ब्राउन, 1974

42. वेलेन्टाइन वेटीलाऊ – हसलिंग एण्ड अदर हार्ट वर्क, न्यूयार्क फ्री प्रेस, 1977

43. फास्टिल्स मैनुअल – दि अरबन कुवस्चन कैम्ब्रिज मास, एमाइटी प्रेस, 1977

44. न्यूमैन आस्कर – डिफेन्सबुल स्पेस, न्ययार्क, मैकलियन, 1972

45. मिलर जैन एल. – दि ब्लैक एक्सपरियेन्स इन द मार्डन अमेरिकन सिटी इन एफ. ए. मोल एण्ड जे. एफ. रिचर्डसन

(सटीटेड) द अरबन एम्सपिरेयेन्स वैलयोन्ट

46 सी. ए. मिल्स – क्लाइमेट मेक्स द मैन, न्यूयार्क, 1942

47. एल.बी.डी. फ्लूर – फोलोजीकल वेरियेवल्स इन द क्रॉस कल्चर स्टडी ऑफ डेलन्क्यूरेसी, सोशल फॉर केश, 1967, 45, 556–70

48. के.डी. हैरीज – क्राइम एण्ड द इनवायरमेन्ट, चार्लेस सी. थॉमस, स्प्रींगफील्ड, 1980

49. टेलर – द मेकिंग ऑफ इनवायरमेन्ट, अध्याय–2, पृ. 54–63 इन सी. वार्ड (ऑडिट) लंदन, 1973

50 मिकोहेन – द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम एण्ड सोशल साइंस, 1941

51 वाई.ली. एण्ड एफ. जे. ईगन – द ज्योग्राफी अरबन क्राइम एशोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स, 4, 1972, पृ. 86–91

52. पी.डी. फिलिप – ए पेरोलॉजी टु द जोग्राफी ऑफ क्राइम ऐशोएिकशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स, 4, 1972

53. के. डी. हैरिस – द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम एण्ड जास्टिस मी ग्रो हील, न्यूयार्क, 1974

54. एस.डब्ल्यू. विचेस्टर – टु सजेशन्स फार डेवेलेपिंग द ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ क्राइम एरिया, 1978, 10, 116–20

55. आर. पीट – द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम : ए पॉलिटीकल क्राइम, 1975, 27, 277–80

56. डी. टी. हरवर्ट – अरबन क्राइम, ए ज्योग्राफीकल प्रॉस्पेक्टीव, अध्याय इन हरबर्ट एण्ड स्मीथ, पृ. 117–38, 1979

57. पी. डी. फिलिप्स – ए प्रोलूग्य टु द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम प्रोसिडिंग ऑफ द ऐशोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स, 1972, 4, 59–69

58. टी. डब्ल्यू. क्रोसी एण्ड हार्वे – द सोशिओ–इकोनॉमिक डेटरमिनेट्स ऑफ क्राइम इन द सिटी ऑफ कैल्विलैण्ड, सोशाइडर ज्योग्राफिक, 66, 323–36

59. एम.बी. क्लानाई – क्लाइस वीदआउट क्राइम द केश स्वीटजरलैण्ड कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय प्रेस, 1978

60. डी.एम. डाउन्स – द डेलीक्यून्ट सोल्युसन, रोटलिस्ट एण्ड किगेन्स पॉल, लंदन, 1966

61. सी. हैलिस एण्ड डब्ल्यू. एच टैंथान – सुसाइड इन बरमिंघम ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, 1, 1972, 717–18

62. एन.एस. हेनर – क्रिमनोलिक जोन्स इन मैक्सिको सिटी, अमेरिकन सोशोलॉजिकल रिव्यू, 1946, वा. 11, 428–38

63. पी. सैन्सवरी – सुसाइड इन लंदन : एन इकालॉजिकल स्टडी, लंदन, 1955

64. पी. स्काट – डेलीक्यून्ट सिटी, माबीलिटी एण्ड ब्रोपेन होम्स इन हरब्रर्ट ओस्टेरेन्ट जर्नल ऑफ सोशीएल इस्यू, 1965, 2, 10–22

65 एम.जे. सेथना – सोसायिटी एण्ड क्रिमिनल, बम्बई, 1952

66. पेरीन सी. करोवाला – ए स्टडी न इण्डियन क्राइम, बम्बई 1959

67. बीनू गोपाल राव – फेसेट्स ऑफ क्राइम इन इण्डिया, दिल्ली, 1961

अध्याय—2

क्षेत्रीय आयाम

क्षेत्रीय आयाम

किसी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन में भौतिक पक्षों का सम्यक् ज्ञान विशेष आवश्यक है। प्रस्तुत अध्याय में जनपद फर्रुखाबाद की स्थिति से विस्तार, संरचना उच्चावच, अपवाह, प्राकृतिक भाग, जलवायु, मिट्टी आदि के भौगोलिक पृष्ठभूमि की संक्षेप में विवेचना की गयी है। मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष भौगोलिक पक्षों से बिना प्रभावित हुये नही रह सकता अतः इस अध्याय के माध्यम से जनपद के अपराधो का विश्लेषण करने मे पर्याप्त सहायता प्राप्त होगी।

स्थिति तथा विस्तार

जनपद फर्रुखाबाद उ.प्र. राज्य के अन्तर्गत गंगा–यमुना दोआब के मध्य अपराधी जनपदों में से एक है। इसका अक्षांशीय विस्तार 26^0–46′ उ. से 27^0–44′ उ. तक तथा देशान्तरीय विस्तार 79^0–07′ पू. से 80^0–0 पू. तक है।[1] उत्तर पश्चिम से दक्षिण 120 किमी. की अधिकतम लम्बाई एवं पूर्व से पश्चिम तक 70 किमी. की अधिकतम चौड़ाई में विस्तृत इस जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2288.3 वर्ग किमी है।[2]

जनपद फर्रुखाबाद के उत्तर में बदायूँ, शाहजहॉपुर, पूर्व में हरदोई, पश्चिम में एटा तथा मैनपुरी, दक्षिण में कन्नौज इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। जनपद में गंगा नदियॉ अपने प्रवाह मार्ग द्वारा उत्तर पश्चिम की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है।

प्रस्तुत जनपद प्रशासकीय दृष्टि से तीन तहसीलों – 1. कायमगंज, 2. फर्रुखाबाद, 3. अमृतपुर एवं सात विकासखण्डों – 1. कायमगंज,

DISTRICT FARRUKHABAD
RELIEF & PHYSICAL UNITS
N
147
149
120
123
118
115
113
(1)
1A
1B
140
1C
162.
167
161
111
168.
140
164
160
112
110
108
112
108
105
106
107
(1) KHADAR LOW LAND
(1A) GANGA KATRI
(1B) RAM GANGA KATRI
(1C) TARAI
10 0 10
km
DISTRICT FARRUKHABAD
RELIEF REGIONS
N
H in Me.
160 & Above
153 - 160
146 - 152
118 - 145
117 & Below
10 0 10
km

2. शम्शाबाद, 3. राजेपुर, 4. नवाबगंज, 5. मोहम्मदाबाद, 6 कमालगंज, 7. बढ़पुर में विभक्त है। जनपद में 87 न्याय पंचायत, 511 ग्राम सभायें, 2 नगरपालिकायें – कायमगंज, फर्रुखाबाद कम फतेहगढ़ है।[3]

2001 की जनगणना के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद की कुल जनसंख्या के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद की कुल जनसंख्या 1577237 है। जिसमें 848088 पुरुष एवं 729149 महिलायें है। दशकीय परिवर्तन 292818 एवं दशकीय वृद्धि 18.56 प्रतिशत है। जनपद में जनसंख्या घनत्व 689 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है।[4] जनपद फर्रुखाबाद में उ.प. क्षेत्र की ओर 1 छवनी क्षेत्र है। कृषि दृष्टिकोण से जनपद में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 153178 है एवं कुल प्रतिवेदित भूमि 218979 है। सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक निजी नलकूपो का उपयेाग 89.4 प्रतिशत हुआ है। वर्षा सामान्य 810 मि.मी. एवं वास्तविक वर्षा 796 मि.मी. है।[5]

संरचना

जनपद फर्रुखाबाद का निर्माण अभिनूतन एवं अभिनव युग में नदियों द्वारा लाये गये निक्षेप से हुआ है। इस मैदान की उत्पत्ति के समय सब कारक में कोई निश्चित मत नहीं मिलता। स्वेस इसे हिमालय की नदियों के निक्षेप का प्रतिफल मानता है।[6] तो सर बर्नाड इसे गहरे बिभ्रश का कारण मानता है[7] इस प्रकार जनपद फर्रुखाबाद पूर्णतः मैदानी समतल भाग है। जो गंगा युमना के दोआब में स्थित है। इसकी तलीय संरचना भी समतल नहीं है। इस मैदान की मोटाई के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न विचार मिलते है। इस मैदान के उत्तर भाग के अवसाद की मोटाई 4000 से 6000 मीटर परिक्षलित की गयी[8] जबकि 1000 से 2000 मीटर के मध्य आवसाद की मोटाई भू–कम्पीय लहरों के परीक्षणों के आधार पर नापी गयी है। जनपद की धरातलीय संरचना नूतन एवं पुरातन जलोढ़ों के माध्यम से हुयी है किन्तु इन दोनों के मध्य कोई स्पष्ट विभाक रेखा खींचना कठिन है।

उच्चावचन

फर्रूखाबाद जनपद की भूमि का सामान्य–ढाल उत्तर–पश्चिमी से दक्षिण–पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र की ढाल प्रवणता के सम्बन्ध में अनेक परिवर्तन दिखाई देते है (उत्तर में बहबलपुर से अमृतपुर, मध्य में नीम करोरी से घटियाघाट एव दक्षिण में विशुनगढ से कुसुम सौर स्थानों में हुये परिवर्तन से स्पष्ट है कि फर्रूखाबाद जनपद की औसत ढाल–प्रवणता 69 सेमी. प्रति किमी. है। ऊपरी गंगा के मैदान का वह भाग जो फर्रूखाबाद जनपद के अन्तर्गत आता है। उसकी औसत–ढाल–प्रवणता 24 सेमी. प्रति किमी. है। जो औसत ढाल प्रवणता का लगभग तीन गुना है। फर्रूखाबाद जनपद में गंगा के दाहिने किनारे का क्षेत्र उच्च भूमि का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को यहाँ की स्थानीय भाषा में 'पहाडा' कहते हैं। इस क्षेत्र का जल–तल भी नीचा है जो मानचित्र द्वारा स्पष्ट है। फर्रुखाबाद जनपद का मध्यवर्ती पश्चिमी भाग इस जिले का सर्वाधिक ऊँचा भाग है। इसमें नींव करोरी 168 मी. व मोहम्मदाबाद 167 मी. ऊँचाई का क्षेत्र है। इस जनपद का दक्षिण–पूर्व भाग निम्नतम ऊँचाई का क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत घटियाघाट 137 मीटर एवं कुसुमऐ 133 मीटर ऊँचे स्थान है। इस जनपद का समस्त क्षेत्र सामान्यतया एक समतल मैदान है। किन्तु गंगा–रामगंगा, काली व ईसन नदी का बांगर की उच्च भूमि का क्षेत्र विविधता लिये हुये है यह विविधता इसकी मूढ रेतीले टीले एवं गर्तों के रूप में है। इसका प्रमुख कारण भू–क्षरण है। इस क्षेत्र की विकृतियों के कारण यहाँ का परिवहन एवं कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुये हैं। वहीं दूसरी ओर ये क्षेत्र अपराधियों के छिपने के अस्थायी स्थान बन गये हैं।

1. यह जनपद के 117 मीटर से नीचे का क्षेत्र है। जहाँ से काली गंगा नदी कन्नौज जनपद में प्रवेश करती है। यह जनपद के दक्षिण से द. पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। फर्रुखाबाद जनपद को उच्चावचन के आधार पर पाँच विभागों मे बाँटा जा सकता है

जिसे चित्र सख्या 2.1 मे प्रदर्शित किया गया है।

2. 145 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्र ये क्षेत्र गंगा व राम गंगा के मध्य व निकट के क्षेत्र हैं। जो उत्तर—पश्चिमी से दक्षिण—पूर्व तक गंगा घाटी के सहारे—सहारे विकसित हैं। यही जनपद की खादर—भूमि भी है। इसे दो उपविभागों में बांटा जा सकता है।

1. कटरी, 2. तराई भाग

2—1. कटरी

इस क्षेत्र में कटरी क्षेत्र स्थानी नाम है इस क्षेत्र में परिवहन विकास नगण्य है अतः मानव आवागमन कम हो पाता है। इस कारण यह पिछडा हुआ क्षेत्र है इसकी स्थित फर्रुखाबाद जनपद में गंगा के दाये किनारे की ओर है। यह एक वीरान क्षेत्र है। किन्तु यहॉ घनी झाड़ियों, कटीली वनस्पतियों एवं गड्डेदार जमीन की प्रचुरता है। इस प्रकार अपनी इन्हीं भौगोलिक विशेषताओ के कारण यह क्षेत्र अपराधियों की शरण स्थली बना हुआ है। यह क्षेत्र अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र है जो गंगा के तराई क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र ने प्रारम्भ से स्थानीय अपराधिक तत्वो को प्रभावित किया है।

2—2. तराई

यह क्षेत्र अपनी आर्द्रता हेतु प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में भूमि उपजाऊ है यह नदियों का निम्न क्षेत्र है जो गंगा रामगंगा नदियों में मध्य स्थित है। इस क्षेत्र से अनेक अपराधिक तत्व इसकी भौगोलिक विशेषता के कारण जुड़े हुये हैं। इस क्षेत्र से अनेक जनपदों का मार्ग जुड़ा होने के कारण अपराधियों को भागकर अपने को बचाने में सुविधा रहती है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अपराधिक तत्वों को आकर्षित करता रहा है। यह

N
DISTRICT FARRUKHABAD
DRAINAGE
ISAt Nadi
Ganga River
Ram Ganga
Kali Nadi
10 0 10
km

क्षेत्र गंगा के दायें एवं कटरी के पूर्व उत्तर से दक्षिण पट्टी के रूप में 136 से 145 मीटर ऊँचाई के मध्य स्थित हैं।

3. 146 से 152 मीटर की ऊँचाई का क्षेत्र यह क्षेत्र कायमगंज तहसील के दक्षिण—पश्चिम स्थित है।

4. 153 से 160 मीटर की ऊँचाई तक का क्षेत्र इसका विस्तार 160 मीटर से अधिक ऊँचाई के क्षेत्र के समीप है जो उसके उत्तर दिशा में स्थित यह भूमि उपजाँऊ हैं।

5. 160 मीटर से अधिक ऊँचाई के क्षेत्र यह मध्य पश्चिम में स्थित हैं। जो मैनपुरी जनपद की सीमा से लगा है। फर्रुखाबाद जनपद का लगभग 10 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

अपवाह

फर्रुखाबाद जनपद गंगा—प्रवाहतंत्र के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र में गंगा की मुख्य सहायक नदी काली—नदी इसी जनपद में कन्नौज के पास गंगा नदी से मिल जाती हैं। गंगा नदी की दूसरी मुख्य सहायक नदी राम गंगा गंगा का सामान्तर अनुसरण करती हैं। और इस जिले को पार करने के बाद गंगा में मिलती हैं। इन नदी क्षेत्रों में ढाल—प्रवणता सामान्य है अतः नदियां धीरे—धीरे चलकर धनुषाकार—मोढ़ बनाती हुयी बहती है।

गंगा व रामगंगा नदी की धारायें ढाल—क्षेत्रों में कई विभागों में वितरित होकर बहने लगती है। इनके मध्य अस्थायी रेत के टीले व द्वीपाकार आकृतियां बनती रहती हैं। जो अस्थायी मानव—बसाव के कारण बने हैं। गंगा और रामगंगा का उद्गम हिमालय से होने के कारण इनमें वर्ष पर्यन्त जल—प्रवाहित होता है।

इस क्षेत्र की अन्य पाँच नदियॉ – काली, अरिन्द, ईसन, बूढी गंगा, पाण्डु नदी बागर क्षेत्र में स्थित जलाशयों से निकलती हैं। अतः ये ग्रीमष्म

काल मे जल विहीन हो जाती है। इन नदियों की सम्पूर्ण प्रवाह व्यवस्था पदपाकार प्रणाली का लघु–रूप है। (जल प्रवाह का वितरण प्रतिरूप चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

फर्रुखाबाद जनपद की अपवाह प्रणाली की प्रमुख नदियों का विवरण निम्नलिखित हैं –

गंगा – यह नदी एटा जनपद से होती हुयी उत्तर–पश्चिम में बहती है जो उत्तर व उत्तर–पूर्व सीमा का निर्धारण करती है। जनपद में इसके प्रवाह मार्ग की कुल लम्बाई 100 किमी0 है। गंगा का दायां किनारा अपेक्षाकृत खड़े–ढाल वाला है। तथा बांया किनारा सपाट मैदान रूप मे है। अतः बाढ के समय भूक्षरण से प्रभावित रहता है। अतः पिछड़ापन व आर्थिक विपन्नता से युक्त है; परिणामतः अपराधिक प्रवृत्तियों का जन्म व शरणदाता क्षेत्र बना हुआ है।

रामगंगा : यह नदी शाहजहॉपुर जनपद से होकर फर्रुखाबाद में प्रवेश करती हैं। फर्रुखाबाद जनपद में इस नदी के प्रवाह मार्ग की लम्बाई कुल 33 किमी0 है। किन्तु यह बाढ़ ग्रस्त रहने से अपने आस–पास के क्षेत्रों में धन–जन की क्षति करती रहती हैं। गंगा नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों के समान यह नदी भी अपराधिक तत्वों को बढावा देती है।

यह नदी तीन अपराधिक जनपदों की सीमा निर्धारित करती है। अतः ये क्षेत्र अपराधों की शरण–स्थली बने हुये हैं।

काली नदी : यह गंगा–यमुना के ऊपरी दोआब क्षेत्र से निकल कर मैनपुरी जनपद से होती हुयी फर्रुखाबाद जनपद में प्रवेश करती हैं। यह विसर्पाकार मोड़ बनाती है। यह कन्नौज जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी में जल वर्ष पर्यन्त बना रहता है।

ईसन नदी : जनपद के उत्तर पूर्व भाग में शहजहाँपुर जनपद की सीमा बनाती हुई यह नदी प्रवाहित होती है। इसमें दोनों जनपदों के

अपराधी तत्वों का मिलना–जुलना लगा रहता है क्योंकि यह क्षेत्र कटरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जो अपनी विषम धरातलीय संरचना हेतु प्रसिद्ध है।

चम्बल घाटी के समान इस नदी की घाटी में भी राज्य स्तर के दस्यु–गिरोहों की स्थिति बनी रहती है। इस जनपद की अन्य नदियों में बूढ़ी गंगा, अरिन्द, व पाण्डु नदी भी प्रवाहित होती थी किन्तु फर्रुखाबाद से कन्नौज पृथक जनपद बन जाने के कारण इन नदियों का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र दूसरे जनपद में चला गया है। फर्रुखाबाद जनपद में अपवाह क्षेत्रों में नदियों के अतिरिक्त अनेक ताल, झील, नाला आदि का भी स्थान है। इनमे मुख्य है। बहोसी झील, सकरावा झील, पुठिला झील, (अमृतपुर निकट) नालाबघार, सम्बाद झील (सकलपुर के समीप)।

ये झीले व नाले प्रायः मौसमी हैं वर्षा का पर्याप्त जल संचय होने के कारण इसका सिंचाई कार्य में उपयोग होता है।

प्राकृतिक विभाग

जनपद फर्रुखाबाद को संरचना, उच्चावचन, जल–प्रवाह वनस्पति और मिट्टी जैसे प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता।

1. गंगा रामगंगा दोआब,
2. उत्तरी पश्चिमी उच्च्य भूमि,
3. काली–ईसन दोआब,
4. ईसन नदी के दक्षिण का भाग।

1. गंगा – रामगंगा दोआब : यह क्षेत्र जनपद के उत्तर–पूर्व भाग में स्थित है। इस संकीर्ण क्षेत्र की औसत ऊचाई समुद्र–तल से 140 मीटर है। यह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ ऊपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है।

2. उत्तरी पश्चिमी उच्च–भूमि : इस क्षेत्र के अन्तर्गत इस जनपद की लगभग 40 प्रतिशत भूमि आती है। यह क्षेत्र एटा व मैनपुरी जनपद के सीमावर्ती भाग से पूर्व में गंगा तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में मुख्यतः बलुई एवं दोमट मिट्टी पाई जाती है।

3. काली–ईसन दोआब : जनपद के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में पूर्व से दक्षिण–पूर्व यह क्षेत्र विस्तृत है। इस जनपद के उत्तर में ईसान नदी एवं दक्षिण में ईसान नदी है। इस क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण पूर्व का है। इस क्षेत्र में नदी कटाव के कारण विषमता उत्पन्न हो चुकी है। इस क्षेत्र के अधिकांश भाग बंजर भूमि एवं नदी के समीपवर्ती खादर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सिंचाई के आधुनिकतम साधनों के साथ–साथ तालाबों की सख्या भी पर्याप्त है। जिसस ये क्षेत्र हरा–भरा बना हुआ है।

ईसन नदी के दक्षिणी भाग

फर्रुखाबाद जनपद के दक्षिण व दक्षिण–पूर्वी भाग के सीमावर्ती भाग में विस्तृत, इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण–पूर्व है।

इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई 145 से 150 मीटर के मध्य है। इसका ढाल मंद है। अतः नदियां अनेक मोढ़ बनाती हुयी बहती हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी पर्याप्त उपजाऊ है। यह क्षेत्र गंगा–नहर द्वारा सिंचित है। किन्तु जल–प्रवाह ठीक न होने से तालाब व झीले अधिक हैं। इसी क्षेत्र में दो अन्य नदियाँ अरिन्द एवं पाण्डु नदीयों हैं। नदियों के निकटवर्ती भागों में बलुई एवं अन्य क्षेत्रों में दोमट मिट्टी की प्रधानता है।

फर्रुखाबाद जनपद के उपर्युक्त प्राकृतिक विभागों में जिस प्रकार विभिन्नता है उसी के अनुसार उन भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में मानव व्यवहार एवं प्रवृत्तियों में भी पर्याप्त विभिन्नता पायी जाती है। यहाँ दोआब के क्षेत्रों मे प्रतिवर्ष बाढ़ आती है एवं जीवन अस्त व्यस्त होता रहता है। अतः अस्थाई

जीवन के कारण आर्थिक विपन्नता पायी जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप यहॉ अपराध हो रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र का उत्तरी भाग सम्पन्न है। किन्तु वहाँ भी अपराध हो रहे है जो आर्थिक विपन्नता वाले अपराधों से भिन्न–प्रकृति के हैं। जिसका कारण मुख्य रूप से भौगोलिक संरचना है।

जलवायु

जलवायु एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मनुष्य के आचार विचार, धर्म, राजनीति तथा उसके आर्थिक क्रिया कलापों को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। फ्रांस के क्वेटलेट और श्वेरी ने Thermic Law of Crime की परिकल्पना प्रस्तुत की और सिद्ध किया कि **गर्मियों के मौसम में अपराध व्यक्ति के विरूद्ध अधिक होते हैं और सर्दियों में सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध अधिक होते हैं।**[13]

इस प्रकार फर्रुखाबाद में मुख्यतः तीन ऋतुयें पायी जाती हैं।

1. शीत ऋतु
2. ग्रीष्म ऋतु
3. वर्षा ऋतु

शीत ऋतु : सामान्यतः यह ऋतु नवम्बर से फरवरी तक रहती है। जनवरी सर्वाधिक शीत माह होता है। जनवरी में औसत न्यूनतम तापमान 7.6 सेमी. हो जाता है। और फरवरी माह में पुनः तापमान में वृद्धि होने लगती है। फरवरी में औसत तापमान बढ़कर 17.8 सेमी हो जाता है। स्वच्छ आकाश निम्नताप, औसत आर्द्रता, सुखद मौसम एवं मंद हवायें इस क्षेत्र की शीत ऋतु की विशेषतायें हैं

ग्रीष्म ऋतु : यहॉ उष्ण एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। जिसका समय मार्च के मध्य जून तक माना जाता है। मार्च से मई तक तापमान में

निरन्तर वृद्धि होती जाती है। मई मे तापमान उच्चतम होता है। इस माह का औसत तापमान 34°सेग्रे0 हो जाता है। जबकि औसत उच्चतम तापमान 41.2° सेग्रे0 एवं कभी—कभी दिन का अधिकतम तापमान 46° सेग्रे. तक हो जाता है। इस ऋतु में यह क्षेत्र निम्न दाब के अन्तर्गत आ जाता है। इस समय यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से गर्म एवं शुष्क मौसम से मुक्त रहता है। कमजोर हवायें एवं शुष्कता इस मौसम की विशेषता होती है। दिन के समय पछुआ हवायें तीव्र गति से चलती है। ये अत्यन्त उष्ण एवं शुष्क होती है। इन हवाओ को स्थानीय भाषा में 'लू' कहते हैं। जब इन गर्म व शुष्क हवाओं में आर्द्र हवायें मिलती हैं तो भीषण तूफान तथा आंधियॉ आती है। इनका वेग कभी—कभी 100 से 125 किमी0 प्रति घण्टा तक होता है। वर्षा भी हो जाती है। जिसका औसत 9.8 सेमी है। जो निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 2.2

फर्रुखाबाद का ऋतुवत औसत तापमान एवं वर्षा

क्रमांक	ऋतुएं	औसत तापमान	औसत वर्षा	कुल वर्षा का
1.	ग्रीष्म	30.2	9.8	12.7
2.	वर्षा	28.4	63.9	82.6
3.	शीत	17.1	3.6	04.7
			77.33	100.00

स्रोत : सेतुवेधशाला मैनपुरी (उ0प्र0)

सारणी 2.1

फर्रुखाबाद का मासिक औसत तापमान एवं वर्षा

(तापमान अंश से. में)

माह	अधिकतम	न्यूनतम	औसत	वर्षा सेमी0 में
जनवरी	22.2	7.7	14.9	1.23
फरवरी	25.0	10.7	17.8	1.29
मार्च	31.9	15.6	23.7	1.07
अप्रैल	37.4	21.4	29.4	0.61
मई	41.2	26.9	34.1	0.75
जून	39.2	38.3	33.7	7.39
जुलाई	33.6	26.6	30.1	24.41
अगस्त	32.2	25.9	29 0	21.59
सितम्बर	32.7	24.6	28.6	16.02
अक्टूबर	32.9	18.9	25 9	01.88
नवम्बर	28.2	12.2	20.2	00.41
दिसम्बर	23.3	8.1	15.7	00.68
औसत वार्षिक	31.6	18.9	25.2	77.33

स्रोत : सेतुवेधशाला : मैनपुरी उ0प्र0

वर्षा ऋतु : फर्रुखाबाद जनपद में वर्षा ऋतु का प्रारम्भ जून के अन्तिम सप्ताह से होता है। इस समय समस्त जनपद में वर्षा अधिक नहीं होती है। मानसून में अनियमितता पायी जाती है। किन्तु दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ मौसम पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। और इस जनपद में मानसून हवायें सक्रिय हो जाती है। ये हवायें इस जनपद में बंगाल की खाड़ी की ओर से आती हैं। इन्हें पूरवी हवायें भी कहते हैं। जनपद में वार्षिक वर्षा का औसत 77.3 सेमी0 है। जिसमें से 63.9 सेमी0 या 82.6 प्रतिशत वर्षा इसी ऋतु में होती है। जुलाई–अगस्त के महीनों में सापेक्षिक

आर्द्रता बढकर 80 प्रतिशत तक हो जाती है। सितम्बर माह मे वर्षा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इस जनपद में प्रतिवर्ष वर्षा के मे परिवर्तनशीलता पायी जाती है। इस प्रकार यह अनिश्चितता वर्षा समय एव वर्षा की मात्रा में पाया जाता है। कभी वर्षा समय से पहले एवं अधिक मात्रा में होती है। अतः परिणाम स्वरूप बाढ़ का माहौल उपस्थित हो जाता है। जिसका नकारात्मक प्रभाव धन–जन एवं कृषि पर पडता है। उदाहरण स्वरूप 1985 में 119 सेमी. वर्षा अंकित की गयी जिस समय फर्रुखाबाद जनपद सामान्यतः बाढ़ का वर्ष घोषित किया गया। इस जनपद में वर्षा ऋतु मे अनिश्चितता का दूसरा स्वरूप तब उपस्थित होता है जब आर्द्र हवाये काफी समय तक जनपद में प्रवेश नहीं करती और आने पर भी मात्र 34 सेमी. 35 सेमी. तक ही वर्षा करती हैं। उस समय जनपद में सूखा पड़ जाता है। उदाहरणस्वरूप सन् 1929 एव 1987 में मात्र 32 सेमी0 से 34 सेमी0 के मध्य ही वर्षा हुयी अतः यह वर्ष सूखे का वर्ष घोषित किया गया।

अतः जलवायु के तथ्यों की विवेचना से स्पष्ट है कि फर्रुखाबाद जनपद में जलवायु का प्रभाव अपराध–भूगोल पर पड़ा है।

1. इस जनपद का शीत ऋतु का न्यूनतम औसत तापमान 7.7 से0 तथा ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम औसत तापमान 41.2^{0} से0 के मध्य रहता है। इस प्रकार 33.5^{0} से तापान्तर क्षेत्रीय निवासियों के शारीरिक एवं मानसिक कार्यों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तापक्रम की न्यूनतम में निर्धन व्यक्ति शीत–रक्षा के उत्तम प्रबंध न कर पाने के कारण अपराध के लिये प्रेरित होते हैं। तापक्रम की अधिकता के कारण आलस्य से व्यक्ति प्रभावित रहते हैं। और उनका तन और मन परिश्रम के अयोग्य रहता हैं। जिससे अपराधियों के मनोबल में वृद्धि होती है।
2. जनपद में वार्षिक वर्षा के आंकड़ों में 119 सेमी0 से 32 सेमी0 वर्षा जैसी परिस्थितियां भी यह स्पष्ट करती हैं कि कभी बाढ और

SPEED AND WIND DIRECTION

कभी सूखा की भयानकता का प्रभाव मकानो पर, कृषि पर, जमीन पर, सम्पर्क मार्गो पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। अतः मानव आर्थिक तत्वो से प्रभावित हो अपराधिक प्रवृत्तियों को अपना लेता है।

वायु दिशा व गति

फर्रुखाबाद जनपद की वायु प्रवाह एवं गति के सम्बन्ध में सारणी नं. 2 द्वारा स्पष्ट है कि सर्वाधिक वायु की गति मई एवं जून माह में पाया जाता है और अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर माह में वायु गति मे ह्रास पाया जाता है। अन्य महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में वायु की गति लगभग समान पायी जाती हैं।

वायु की दिशा एवं गति

माह	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Mean wind speed in Km. Per hr.
जनवरी	2	1	2	1	1	2	5	4	13	2.3
फरवरी	1	1	2	2	1	2	6	4	9	2.7
मार्च	1	1	2	2	1	4	7	6	7	3.9
अप्रैल	2	1	2	2	2	4	6	6	5	3.7
मई	1	1	3	5	2	2	6	4	7	4.3
जून	1	1	6	5	2	2	6	3	4	4.5
जुलाई	2	2	6	4	1	2	6	2	6	3.5
अगस्त	1	2	7	4	1	2	6	3	5	3.1
सितम्बर	2	1	4	3	1	2	6	5	6	2.7
अक्टूबर	2	1	2	2	1	2	5	4	12	1.8
नवम्बर	2	1	1	1	1	2	4	4	14	1.4
दिसम्बर	2	1	1	1	1	2	6	3	14	1.8
वार्षिक	19	14	38	32	15	28	69	48	102	

स्रोत : सतुवेधशाला – मैनपुरी (उ0प्र0) सारणी क्रमांक 2

DISTRICT FARRUKHABAD
SOILS
N
SANDY SOIL
SANDY LOAM
CLAY LOAM
LOAMY CLAY
10 0 10
km
DISTRICT FARRUKHABAD
SOIL FERTILITY STATUS
N
High
Medium
Low
10 0 10
km

मिट्टी

फर्रुखाबाद नगर में स्थित "मृदा परीक्षणशाला" जनपद की मिट्टियो का वैज्ञानिक अध्ययन में लगा हुआ है। भू–आकृतिक स्थिति के कारण इस जनपद में मिट्टी की संरचना में स्थानिक अन्तर मिलता है। इस क्षेत्र के उच्च–भागों में दोमट, बलुई, व चीका मिट्टियो की प्रधानता है। जबकि निचले क्षेत्रों में बलुई मिट्टी पायी जाती है। कहीं–कहीं पर ऊसर मिट्टी या भूड मिट्टी भी पायी जाती है। इस क्षेत्र में उच्च क्षेत्र की मिट्टियॉ बांगर कहीं जाती हैं, एवं निम्नभागों की मिट्टियां खादर कहलाती है।

स्थानीय वितरण : इस जनपद की मिट्टियों को प्रमुख चार भागों में बाटा जा सकता है।

1. दोमट मिट्टी, 2. बलुई, 3. भूड़, 4. क्षारीय मिट्टी

1. दोमट : यह मिट्टी बांगर क्षेत्र की मिट्टी है। यह उन भागों में पाई जाती है जहाँ वर्षा के पानी का भराव हो जाता है। मटियार दोमट वहाँ पायी जाती है। जहॉ रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलें उगायी जाती हैं। किन्तु यह गेहूँ, आलू, मक्का, गन्ना के लिये अधिक उपयुक्त हैं।

2. बलुई मिट्टी : यह मिट्टी जनपद की गंगा, रामगंगा नदियों के कछारी क्षेत्रों में पायी जाती हैं। गंगा क्षेत्र में इस मिट्टी का रंग सफेद है जबकि रामगंगा क्षेत्र में यह मिट्टी हल्का पीला पन लिये हुये है। यह मिट्टी दोमट की अपेक्षा कम उपजाऊ है। इसकी प्रमुख उपज मूँगफली, चना, अरहर आदि है।

3. मूड़ मिट्टी : इस मिट्टी का क्षेत्र नदियों के क्षेत्र से हटकर है। प्रमुखतः गंगा, रामगंगा के बीहड़ क्षेत्रों में उसका विस्तार है। यह मिट्टी बलुई एवं दोमट का प्रायः मिश्रण है। इसकी प्रमुख फसल मूँगफली, ज्वार व बाजरा है।

4. क्षारीय : फर्रुखाबाद जनपद के पश्चिमी भागों में उत्तर से दक्षिण तक नवाबगज, मोहम्मदाबाद, के पश्चिम–उत्तर यह एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत क्षेत्र है।

स्थानीय भाषा में इस मिट्टी को रेगुर या रेह कहते हैं। इस मिट्टी में उर्वरक तत्वों एवं नमी की विशेष कमी है।

उर्वरता स्तर

मिट्टियों की उर्वरता का सम्बन्ध उत्पादन क्षमता से आंका जाता है।

जनपद की भूमि परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त आकड़ों के आधार पर स्पष्ट है कि 98 प्रतिशत मिट्टियां सामान्य स्तर की हैं। तथा मात्र दो प्रतिशत मिट्टियॉ अम्लीय व क्षारीय हैं।

शमशाबाद, राजेपुर, कमालगंज, जहानगंज, मोहम्दाबाद, कायमगंज, की मिट्टियों में उच्च उर्वरता स्तर पाया जाता है। जबकि कम्पिल व क्षेत्रों की मिट्टियाँ मध्यम स्तर की है।

जनपद की मिट्टियों का उर्वरता स्तर नाइट्रोजन में मध्यम तथा फास्फोरस एवं पोटाश में निम्न हैं

खनिज पदार्थ

फर्रुखाबाद जनपद में खनिज पदार्थों का अभाव पाया जाता है। कुछ स्थानीय स्तर के खनिज यहाँ प्राप्त होते हैं जिनमें भूरा कंकड़, कच्चा शोरा आदि प्रमुख हैं।

नीला कंकड़ – इस जनपद में कायमगंज थाना के मंझोला, पैथान और मेई, में नीला कंकड़ मिलता है।

कच्चा शोरा — नवाबगज एव मोहम्दाबाद में कच्चा शोरा प्राप्त होता है।

भूराकंकड़ — नवाबगंज थाने के नरौरा, मऊदरवाजा के करनपुर मोहम्दाबाद के कराधिया ग्राम मे मिलता है।

इन खनिजों का उत्पादन व्यावसायिक ढंग से नहीं किया जाता अतः इनका कोई विशेष आर्थिक महत्व नहीं है।

वनस्पति

फर्रुखाबाद जनपद में उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में कृषि कार्यो की प्रधानता है। अतः यहाँ प्रायः वन—क्षेत्रो का अभाव है।

जनपद में कुल वन भूमि 8800 हेक्टेयर है यानि जनपद के कुल क्षेत्रफल का 2 प्रतिशत है। जिसमे झाडियॉ एवं ऐसी कटीली वनस्पतियॉ उगती हैं जिनकों पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से मझोले कद के पौधे, बेले एवं नागफनी जाति के पौधें पाये जाते हैं।

थाना मऊदरवाजा, नवाबगंज, मोहम्दाबाद, कमालगंज आदि ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहाँ वनों का लगभग अभाव है।

जंगली फलों के छोटे छोटे क्षेत्र व बिखरी हुयी वनस्पति यहॉ मिलती हैं। इन बिखरी वनस्पति में आम, बबूल, महुआ, जामुन, शीशम, ढाक, इमली, नीम व कृषि क्षेत्र की मेढ़ों एवं लघु क्षेत्रों पर यूकेलिप्टस के वृक्ष पाये जाते हैं। इन यूकेपिप्टस के पौधों ने जमीनी—जल को बहुत सोखा है अतः भूमि की नमी का ह्रास हुआ है जससे जनपद की वनस्पतियों में कमी आयी है।

इस जनपद में गंगा, रामगंगा आदि नदियों के बलुई मिट्टी के किनारे के क्षेत्रों में प्रायः कटीली झाडियां एवं लम्बे रेशे की घासे पायी जाती हैं। जिनसे डलिया, डोल्ची, मजूषा, चटाई, आसन, बेग आदि घरेलू उपयोग की वस्तुयें बनायी जाती है।

इस जनपद के तराई क्षेत्रों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का प्राचुर्य है। जिनमें धमरा, काला-धमरा, मकोई, अड़ूसा, गूलर, लटजीरा, गरमपत्ता, बेशर्मबेल, अमरबेल, सर्वगंधा, अर्शपौध आदि प्रमुख है। इसका उपयोग ग्रामीण जनता कर रही है एवं जनपद के अनयुर्वेद अस्पताल में इन औषधीय पौधों से अर्क निकालने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार जनपद में वनस्पति झाडियों, औषधिय पौधों एव बिखरे जंगली पौधो के रूप में पायी जाती है। अन्य वनस्पति प्रकारों की दृष्टि से जनपद समृद्ध नहीं है।

संदर्भ

1. ट्रोपोग्राफिक्ल शीट न. 54 एम.एन., सर्वे ऑफ इण्डिया, देहरादून, 1977
2. सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद, 1996–97
3. तहसील कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद एवं सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद
4. सेन्सस ऑफ इण्डिया, 2001
5. उपर्युक्त, 2
6. एडवर्ड स्वेश – लैण्ड यूटीलाइजेशन इन वैस्टर्न उत्तर प्रदेश अलीगढ 1960, पृ. 1
7. एस.जी. बर्नाड – ऑन दि ओरीजन ऑफ हिमालय माउन्टेन, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, प्रोफेशनल पेपर न. 12, 1912, कलकत्ता, पृ0 11
8. बी. डी. ओल्डहेम – दि स्टेक्चर ऑफ हिमालय एण्ड गंगेटिक प्लेयस पार्ट – 2, 1917, पृ. 82
9. मोहम्मद शफी – लैण्ड यूटीलाइजेशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ 1960, पृ. 1
10. डॉ. हरी हरन – एअर वार्न मैगनेटिक सर्वे, 1965, पृ. 119
11. आर.एल. सिंह – इण्डिया ए रीजनल ज्येग्राफी, एन.जी.एस.आई, वाराणसी, 1971, पृ. 131
12. आर.पी. अग्रवाल – प्रासेज ऑफ प्रजेन्ट रिसर्च इन द एक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कैमिस्ट्री, कानपुर, 1953, पृ. 131
13. गुप्ता एण्ड शर्मा – समाजशास्त्र, कानपुर, 1988, पृ. 181

अध्याय—3

मानव संसाधन

मानव संसाधन

जनसख्या वह संदर्भ बिन्दु है। जहॉ से सभी अन्य तत्वों का आवलोकन किया जाता है जिससे वे (तत्व) एकांकी या सामूहिक रूप से सार्थकता तथा अर्थवत्ता प्राप्त करते है।[1] किसी क्षेत्र की जनसख्या मे एक निश्चित अवधि में होने वाले नकारात्मक एवं सकारात्मक परिवर्तन को जनसख्या वृद्धि कहते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि उस क्षेत्र के आर्थिक—विकास, सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक आधार, एतिहासिक घटनाओं एवं राजनैतिक विचारधाराओं की सूचक होती है।[2] जनसंख्या वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनाकिकी तथ्यों का वर्णन करता है तथा इसके कारणों, मूलभूत विशेषताओं तथा सम्भाव्य परिणामों की व्याख्या करता है।[3] किसी क्षेत्र की जनसंख्या की जानकारी हेतु जनगणनायें महत्वपूर्ण स्रोत है। जिसमें आंकडों के संकलन से गुणात्मक सुधार आता है। तथा उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।[4] अतः किसी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन में वहॉं की जनसंख्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का ज्ञान आवश्यक है। इस अध्याय में जनपद की जनसंख्या का विकास घनत्व, आयु—वर्ग संरचना, साक्षरता, लिंगानुपात, व्यवसायिक संरचना, जाति एवं धर्म आदि तथ्यों का विस्तार से विवेचन किया गया है।

वृद्धि एवं विकास

फर्रुखाबाद जनपद की 1901 से 2001 बीच में जनसंख्या वृद्धि का अवलोंकन करने से ज्ञात होता है कि, 1901 से 1921 के मध्य जनसंख्या परिवर्तन में समरूपता आयी है। इन बीस वर्षों में इस जनपद

में दशकीय वृद्धि—दर अत्यन्त निम्न रही है। यह दशकीय—वृद्धि दर 1901 से 1911 के बीच 2.75 प्रतिशत रही। जो 1911—21 के मध्य बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गयी। 1921—31 के बीच जनपद की जनसंख्या वृद्धि 4.50 रही।[5] सारणी क्रमांक—3.1 एवं रेखाचित्र 3.1 को देखने पर स्पष्ट होता है कि इस जनपद की जनसंख्या वृद्धि—दर 1931 से 1981 तक अत्यन्त तीव्र—गति से बढ़ी है। यह वृद्धि दर 1931 से 1941 के मध्य 8.80 प्रतिशत रही जो क्रमशः 1941—51 के बीच बढ़कर 14.34 प्रतिशत हो गयी। 1951—61 के मध्य यह पुनः बढकर 18.54 प्रतिशत हुयी जो 1961—71 मध्य बढकर 20.18 प्रतिशत हो गयी। यह वृद्धि दर 1871—81 के मध्य 25.0 प्रतिशत रही। 1981 से 91 के मध्य जनपद की जनसंख्या वृद्धि मे ह्रास हुआ जिससे यहाँ की जनसंख्या वृद्धि—34.10 प्रतिशत रह गयी है। जनसंख्या में यह गिरावट जनपद के विभाजन के कारण अंकित की गयी। 1991—2001 मे पुनः जनसंख्या में पुनः वृद्धि देखी गयी जो 18.56 प्रतिशत रही है।

सारणी क्रमांक 3.1

जनपद फर्रुखाबाद की जनसंख्या का विकास एवं दशकीय—परिवर्तन

वर्ष	कुलजनसंख्या	दशकीय परिवर्तन	दशकीय वृद्धि प्रतिशत में,	पु.—स्त्री
1901	908143	—	—	491269—41687
1911	882965	—25178	—2.75	484390—39857
1921	840410	—42555	—4.82	460088—38032
1931	878205	+37795	+4.50	480622—39758
1941	955505	+77300	+8.80	511345—444160
1951	1092563	+137058	+14.34	594499—498064
1961	1295071	+202508	+18.54	704587—590684
1971	1556930	+261859	+20.18	856075—700205
1981	1949137	+392207	+25.0	107996—881141
1991	1284419	—664718	—34.10	701102—583317
2001	1577237	+292818	18.56	848088—729149

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद

POPULATION GROWTH
1991

वितरण

फर्रुखाबाद जनपद मे नगरीय एवं ग्रामीण दोनों प्रकार की जनसंख्या मिलती है। इस जनपद में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 1284419 जनसंख्या मिलती है। जिसमें 1011583 जनसंख्या ग्राम मे निवास करती है जो कि कुल जनसंख्या का 78 प्रतिशत है। जबकि 272836 जनसंख्या शहरी है जो कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। सारणी 3—2 देखने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसख्या मोहम्दाबाद विकासखण्ड में पाया जाता है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या बढ़पुर विकासखण्ड में रहती है। अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण क्रमशः अवरोही क्रम में कमालगंज, कायमगंज, शम्शाबाद, राजेपुर, नवाबगंज, विकासखण्डों में पाया जाता है। जनपद में पुरुष एवं महिला वितरण की दृष्टि से (सारणी 3.2) से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिलायें— मोहम्दाबागद, फिर क्रमशः कमालगंज, कायमगंज, शम्शाबाद, राजेपुर, नवाबगंज, एवं सबसे कम बढ़पुर विकासखण्ड में मिलती है। जनपद में पुरुषों का वितरण भी इसी क्रम में पाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या में शत दशक में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि 26.60 कायमगंज क्षेत्र में सबसे कम बढ़पुर क्षेत्र में हुयी।

जनपद में क्षेत्रफल की दृष्टि से कायमगंज सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहम्दाबाद, शम्शाबाद, कमालगंज, राजेपुर, नवाबगंज तथा बढ़पुर विकासखण्ड का स्थान है।

N
DISTRICT FARRUKHABAD
RURAL DENSITY OF POPULATION
1991
Persons Per Sq. Kilometre
592 - 712
473 - 592
352 - 473
233 - 352
10
0
10
km

N
DISTRICT FARRUKHABAD
RURAL AND URBAN POPULATION
1991 - 2000
Kaimganj
Shamsabad
Rajepur
Nawabganj
FARRUKHABAD
Muhammadabad
Kamalganj
• Represent 500 Rural Person
Urban Persons
150000
60000
20000
10
0
10
km

सारणी—क्रमांक 3.2

जनपद फर्रुखाबाद की जनसंख्या का वितरण

क्र.	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या	कुल पुरुष	कुल स्त्री	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	गत दशक में प्रति. वृद्धि
1	कायमगंज	152459	84185	68274	502 6	26 60
2	नवाबगज	112099	61354	50745	229 8	24 90
3	शम्शाबाद	135414	74725	60689	349.7	20.30
4	राजेपुर	121090	67637	53453	320.0	19.10
5	बढपुर	95337	52709	42628	137 9	17 00
6	मोहम्दाबाद	204424	111135	93283	404.2	23 80
7	कमालगज	190760	103145	87615	344.1	26 00
	कुल जनसंख्या	**1011583**	**554890**	**4566.93**	**2208.3**	**22.53**

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद

जनपद का जनसंख्या घनत्व

जनपद फर्रुखाबाद में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल 2208.3 वर्ग मी है और कुल ग्रामीण जनसंख्या 10115.83 है।

जनपद के जनसंख्या घनत्व (देखिये सारणी 3.3) एवं चित्र संख्या तीन के स्थानिक वितरण को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें जनसंख्या घनत्व का परास (479 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.) अधिक है। जनसंख्या घनत्व के विश्लेषण हेतु जनपद के सातों विकासखण्डों का औसत, जनसंख्या घनत्व एवं प्रमाणिक विचलन निकाला गया है और इसके आधार पर चार वर्ग बनाये गये हैं। प्रथम न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र (233 से 352 प्रतिवर्ग किमी.) इसमें जनपद कायमगंज विकासखण्ड सम्मिलित है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 303 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। यहाँ की जमीन कम

उपजाऊ है। अतः जनसंख्या का बसाव कम है। द्वितीय–मध्यम घनत्व के क्षेत्र यहाँ का जनसंख्या (352 से 473 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.) इसमें शम्शाबाद और राजेपुर विकासखण्ड सम्मिलित है। जिनका जनसंख्या घनत्व क्रमशः 388 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. एवं 378 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। यहॉ की भूमि फसलोत्पादन हेतु उपजाऊ है किन्तु कछारी क्षेत्र होने के कारण बाढ़ग्रसित रहती है इसकारण ग्रामीण अधिवास दूर–दूर बसे मिलते हैं। तृतीय उच्च घनत्व के क्षेत्र (473 से 592 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी) इसमें नवाबगंज, मोहम्दाबाद एवं कमालगंज क्षेत्र सम्मिलित है। इनका जनघनत्व क्रमशः 488, 506, 554 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। इस वर्ग में सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र कमालगंज विकासखण्ड है। इसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक मिलता है। कमालगंज क्षेत्र में दुग्ध उत्पाद का व्यवसाय एवं चॉदी, गुढ इत्यादि का व्यवसाय होने से जनसंख्या का भरण–पोषण आसानी से होता है। अतः यहाँ जनघनत्व अधिक है।

उच्च घनत्व का क्षेत्र (592–712 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.) इसमें बढ़पुर विकासखण्ड सम्मिलित है। इस जिले का सर्वाधिक जनघनत्व यहीं मिलता है। यहाँ पर प्रतिवर्ग किमी. 691 व्यक्ति निवास करते हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व के अधिक होने का मुख्य कारण रोजगार के अवसरों का आसानी से प्राप्त हो जाना हैं। यहॉ पर अनेक लघु उद्योग कपड़ों की छपाई, सिल्क डुप्लीकेट साडियाँ, ईट भट्टा आदि मिलते हैं। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ है। यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है जिनमें निजी नलकूपों की अधिकता है।

जनपद फर्रुखाबाद में विकाखण्डवार जनसंख्या घनत्त्व (सारणी 3.3) को देखने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक घनत्व जनपद के बढ़पुर विकासखण्ड में 691 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. हैं कायमगंज विकासखण्ड में घनत्व सबसे कम 303 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। इसका कारण बढ़पुर विकासखण्ड फर्रुखाबाद जनपद का नगरीय आबादी का क्षेत्र है। अतः

इसके लघु क्षेत्र पर ही ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अतः घनत्व अधिक पाया जाता है जबकि इसका ग्रामीण क्षेत्रफल सबसे कम है। जनपद में कायमगंज विकासखण्ड का ग्रामीण क्षेत्रफल सर्वाधिक होते हुये भी उसमें ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कम ही है इसका कारण उसकी ऊसर और बंजर भूमि है। जनपद में सर्वाधिक घनत्व बढ़पुर एवं सबसे कम घनत्व कायमगंज विकासखण्ड में पाया जाता है जिसके बाद क्रमशः अन्य विकासखण्ड का घनत्व अवरोही क्रम में कमालगंज, मोहम्दाबाद, नवाबगंज, शम्शाबाद, राजेपुर विकासखण्डों का है। *(स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका एवं जनगणना कार्यालय)* फर्रुखाबाद जनपद में मानचित्र संख्या 3.2 से स्पष्ट होता है कि मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र नवाबगंज, मोहम्दाबाद एवं कमालगंज विकासखण्ड है। जहॉ 473 प्रतिवर्ग किलोमीटर से 592 प्रतिवर्ग किलोमीटर के मध्य सख्या है। न्यून जनसख्या घनत्व के क्षेत्र शम्शाबाद व राजेपुर क्षेत्र है जहॉ 352 से 473 प्रतिवर्ग किलोमीटर के मध्य जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। फर्रुखाबाद जनपद में नगरीय जनसंख्या कुल 272836 है। और इसके नगरीय क्षेत्रो का जनसंख्या घनत्व 31004 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है।

सारणी क्रमांक 3.3

जनपद फर्रुखाबाद का जनसंख्या घनत्व

क्र.	विकासखण्ड	घनत्व	क्षेत्रफल	जनसंख्या
1.	कायमगंज	303	502.6	152459
2.	नवाबगंज	488	229.8	112099
3.	शम्शाबाद	388	349.7	135414
4.	राजेपुर	378	320.0	121090
5.	बढ़पुर	691	137.9	95337
6.	मोहम्दाबाद	506	404.2	204424
7.	कमालगंज	554	344.1	90760
	कुल	**330.8**	**2208.3**	**1011583**

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद जनपद

DISTRICT FARRUKHABAD
SEX RATIO
1991
N
Female Per Thousand Male
838 – 856
819 – 838
800 – 819
781 – 800
10
0
10
km

लिंगानुपात

फर्रुखाबाद जनपद में 1991 में कुल 1000 पुरुषों पर महिलाओ की संख्या 832 है। सारणी क्रमांक 3.4 को देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद में विकासखण्डों के अनुसार लिंगानुपात मोहम्दाबाद एवं कमालगंज क्षेत्रों के अतिरिक्त समस्त क्षेत्रों में जनपद के लिंगानुपात से कम रही है। जनपद में सबसे अधिक लिंगानुपात कमालगंज विकासखण्ड का 849 है उसके बाद क्रमशः मोहम्दाबाद नवाबगंज, शम्शाबाद, कायमगंज, बढपुर एव राजेपुर विकासखण्ड का है। जनपद में विकासखण्ड के अनुसार सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 56.85 राजेपुर क्षेत्र में है जबकि सबसे कम 54.07 प्रतिशत कमालगंज क्षेत्र में है। जनपद में महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिशत 46.92 कमालगंज क्षेत्र में है। फिर क्रमशः प्रतिशत मोहम्दाबाद, नवाबगंज, शम्शाबाद, कायमगंज, बढ़पुर एवं राजेपुर विकासखण्डो में निहित है। *(स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद।)*

सारणी क्रमांक 3.4

जनपद में लिंगानुपात व महिला/पुरुष प्रतिशत में

क्रमांक	विकासखण्ड	लिंगानुपात (1000 पु. पर)	पुरुष जनसंख्या प्रतिशत में	महिला जनसंख्या (प्रति. में)
1.	कायमगंज	810	55.21	44.78
2.	नवाबगंज	827	54.75	45.26
3.	शम्शाबाद	812	55.18	44.81
4.	राजेपुर	790	56.85	44.00
5.	बढपुर	808	55.28	44.7
6.	मोहम्दाबाद	839	54.36	45.63
7.	कमालगंज	849	54.07	46.92

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद जनपद

DISTRICT FARRUKHABAD
LITERACY
1991
N
Male
Female
10
0
10
km

फर्रुखाबाद जनपद में महिला—पुरुष अनुपात हेतु मानचित्र संख्या 3.3 देखने पर स्पष्ट होता है जनपद मे लिंगानुपात के चार वर्ग प्राप्त होते है। प्रथम वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात है जिसमें राजेपुर विकासखण्ड आता है जिसमें क्रमश 781 से 800 तक का लिंगानुपात पाया जाता है। दूसरे वर्ग में कायमगज, शम्शाबाद एवं बढ़पुर विकासखण्ड निहित हैं जिनका लिंगानुपात क्रमशः 800 से 819 पाया जाता है। जो औसत लिंगानुपात से कम है। तृतीय वर्ग में मोहम्मदाबाद एवं नवाबगंज विकासखण्ड आते हैं जिसमें क्रमशः 819 से 838 लिंगानुपात पाया जाता है जो औसत से अधिक है। चतुर्थ वर्ग में जनपद का कमालगंज विकासखण्ड आता हैं जिसमें 838 से 856 लिंगानुपात मिलता है। जनपद के लिंगानुपात का उपरोक्त विश्लेषण द्वारा स्पष्ट होता है कि, राजेपुर, कायमगंज, शम्शाबाद एवं बढपुर विकासखण्डों में लिंगानुपात औसत से कम है। सबसे कम लिंगानुपात का क्षेत्र राजेपुर है एवं सबसे अधिक लिंगानुपात कमालगंज विकासखण्ड में पाया जाता है।

साक्षरता

फर्रुखाबाद जनपद में साक्षरता दर का विकास मध्यम गति से हुआ है। सन् 1971 में यहाँ साक्षरता दर 25.1 प्रतिशत था जो 1981 में बढ़कर 32.0 प्रतिशत हो गयी वर्ष 1991 में साक्षरता दर 45.9 प्रतिशत हो गया सन् 2001 में साक्षरता दर 62.27 प्रतिशत रही है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या अधिक साक्षर है जबकि ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर कम है। 1991 की नगरीय जनसंख्या की साक्षरता दर 58.7 प्रतिशत है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 66.4 प्रतिशत एवं महिला की साक्षरता दर 49.8 प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या की कुल साक्षरता दर 1991 में 42.5 प्रतिशत है। जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 55.9 प्रतिशत है। और महिलाओं की 25.8 प्रतिशत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि, यहाँ पर ग्रामीण

और नगरीय दोनों स्थानो में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से कम है। इसका मुख्य कारण समाज में स्त्रियों की दशा शोचनीय एवं पुरुषों का वर्चस्व है। महिलाओं की शिक्षा अनुपयोगी मानी जाती है। समाज मे उनको द्वितीय श्रेणी का ही नागरिक माना जाता है। अतः उसकी शिक्षा पर किया गया खर्च अनुत्पादक है।

जनपद में साक्षरता दर की क्षेत्रीय स्थिति सारणी नं. 3.5 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक साक्षर व्यक्ति मोहम्दाबाद क्षेत्र मे स्थित है जबकि अन्य साक्षर व्यक्तियों का स्थान क्रमशः अवरोही क्रम से कमालगंज, शम्शाबाद, कायमगंज, राजेपुर, नवाबगंज, एवं सर्वाधिक कम साक्षर व्यक्ति बढ़पुर विकास खण्ड में है। जनपद मे पुरुष साक्षरता सर्वाधिक मोहम्दाबाद क्षेत्र में पायी जाती है। और सबसे कम पुरुष साक्षर बढपुर विकासखण्ड में है। महिला साक्षरता सर्वाधिक मोहम्दाबाद क्षेत्र में है। जबकि सबसे कम महिला साक्षरता राजेपुर क्षेत्र में है।

सारणी क्रमांक 3.5

जनपद में विकास खण्डवार साक्षर व्यक्ति

क्रमांक	विकासखण्ड	कुल साक्षर	पुरुष साक्षर	महिला साक्षर
1.	कायमगंज	39724	30158	9566
2.	नवाबगंज	36716	27612	9104
3.	शम्शाबाद	44457	32359	12098
4.	राजेपुर	37370	28832	8538
5.	बढ़पुर	33175	23581	9594
6.	मोहम्दाबाद	85633	60527	25106
7.	कमालगंज	65255	46868	18387

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद जनपद

N
DISTRICT FARRUKHABAD
MALE LITERACY
1991
Percent of Total
Male' Population
61.58 – 68.16
55.00 – 61.58
48.42 – 55.00
41.84 – 48.42
10
0
10
km

जनपद में साक्षरता के स्थानिक वितरण के अध्ययन हेतु हम पुरुषो महिलाओं एवं कुल का पृथक–पृथक विश्लेषण कर सकते है

पुरुष साक्षरता

(सारणी नं. 3.6) में देखने से स्पष्ट होता है कि, पुरुषों की साक्षरता दर में 1971 से 2001 तक निरन्तर वृद्धि हुयी है। 1971 में साक्षरता दर 34.3, 1981 से 42.7, 1991 में 58, एव 2001 मे 63.17 प्रतिशत रही है। ग्रामीण साक्षरता दर 55.8 प्रतिशत और नगरीय साक्षरता दर 66.4 प्रतिशत रही है। पुरुषों की साक्षरता दर के स्थानिक विश्लेषण (मानचित्र संख्या 3.4 एवं सारणी संख्या 3.6) हेतु साक्षरता प्रतिशत के दर का माध्य एवं प्रामाणिक विचलन का संगठन करके उसके आधार पर विश्लेषण किया गया है। और इस क्षेत्र मे साक्षरता दर का माध्य 55 एवं प्रमाणिक विचलन 6.5 प्रतिशत है। पूरे मानचित्र सख्या 3.4 को चार भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम वर्ग में 41.84 से लेकर 48.4 प्रतिशत के मध्य की साक्षरता दर को लिया गया है। इस वर्ग में साक्षरता दर की निम्न माध्य दी प्रमाणिक से माध्य–2 प्रमाणिक विचलन है। इस वर्ग में जिले का कायमगंज विकासखण्ड आता है। पुरुषों की साक्षरता के दूसरे वर्ग मे 48.42 से 55 प्रतिशत साक्षरता–दर रखी गयी है इसमें दो विकासखण्ड शम्शाबाद एवं राजेपुर सम्मिलित हैं। इस प्रकार कायमगंज शम्शाबाद एवं राजेपुर की साक्षरता दर क्षेत्रीय औसत से कम है। पुरुषो की साक्षरता के वर्ग तीन में नवाबगंज, कमालगंज, बढ़पुर विकासखण्ड सम्मिलित है। यहाँ साक्षरता दर 55 से 61.58 प्रतिशत के मध्य है। मोहम्मदाबाद विकासखण्ड में पुरुषों की साक्षरता दर 68.1 प्रतिशत है जो मानचित्र में सबसे अधिक साक्षरता–दर को प्रदर्शित करता है। जिले के चार विकासखण्ड नवाबगंज, कमालगंज, बढ़पुर एवं मोहम्दाबाद में पुरुषों की साक्षरता–दर औसत से अधिक है। पुरुषों की नगरीय साक्षरता–दर

N
DISTRICT FARRUKHABAD
FEMALE LITERACY
1991
Percent of Total
Female Population
30.7 – 35.9
25.8 – 30.7
20.9 – 25.8
16.0 – 20.9
10
0
10
km

66.4 प्रतिशत है। जो ग्रामीण साक्षरता—दर की औसत से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय पुरुषो की साक्षरता दर 58 प्रतिशत से अधिक है।

महिला साक्षरता दर

जनपद में महिला साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम है किन्तु साक्षरता दर में कालिक—वृद्धि अधिक हुयी है। जो 13.1 (1971) में, 19.1 प्रतिशत (1981) में, 31.1 प्रतिशत (1991) में एवं (2001) में है। इन 40 वर्षो में साक्षरता दर के प्रतिशत में 40 अंको की वृद्धि दर्ज की गयी है। जिले के विभिन्न विकासखण्डों में 1991 की साक्षरता—दर का विश्लेषण करने के लिये सभी खण्डों की साक्षरता विकासखण्डों की साक्षरता दर के प्रतिशत का माध्य एवं प्रामाणिक विचलन निकाला गया है। महिलाओं की ग्रामीण साक्षरता—दर का औसत 25.8 प्रतिशत है एवं प्रमाणिक विचलन 4.9 प्रतिशत है। औसत एवं प्रामाणिक विचलन के आधार पर सम्पूर्ण जिले की महिला साक्षरता दर को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग की सीमायें माध्य—2विचलन, माध्य—1विचलन, माध्य+1विचलन एवं माध्य+2विचलन रखी गयी है। प्रथम—वर्ग में क्षेत्र कायमगंज एवं राजेपुर विकासखण्ड सम्मिलित है जिनकी साक्षरता—दर 16.0 से 20.9 प्रतिशत के मध्य है। दूसरे वर्ग में नवाबगंज एवं शम्शाबाद विकासखण्ड आते हैं जिनकी साक्षरता दर क्रमशः 20.9 से 25.8 प्रतिशत के मध्य हैं जो औसत महिला साक्षरता दर से कम है। अतः स्पष्ट है कि कायमगंज, राजेपुर, नवाबगंज एवं शम्शाबाद विकासखण्डों में महिला साक्षरता औसत से कम पायी जाती है। महिला साक्षरता के तृतीय वर्ग में कमालगंज एवं बढपुर विकासखण्ड आते हैं जिनमें सारक्षता दर 25.8 से 30.7 प्रतिशत के मध्य है। जो औसत महिला साक्षरता से अधिक है। महिला साक्षरता के चतुर्थ वर्ग में मोहम्मदाबाद विकासखण्ड आता है जिसकी साक्षरता दर 30.7 से

DISTRICT FARRUKHABAD
GROWTH IN LITERACY
1991
N
Percent of Total Population
48.13 - 53.76
42.5 - 48.13
36.87 - 42.5
31.24 - 36.87
10
0
10
km

35.9 प्रतिशत के मध्य है जो जनपद में सर्वाधिक है। अतः मानचित्र संख्या 3.5 के द्वारा स्पष्ट है कि मोहम्मदाबाद विकासखण्ड में सर्वाधिक महिला साक्षरता पायी जाती है।

सारणी क्रमांक 3.6

जनपद फर्रुखाबाद में साक्षरता व साक्षरता प्रतिशत 1971 से 2001

			कुल साक्षरता का प्रतिशत	
वर्ष	**पुरुष**	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**
1971	293972	96994	34.3	13 0
1981	456005	168130	42.7	19.1
1991	328907	143299	58.0	31.1
2001	509831	301631		

विकासखण्ड	**साक्षर व्यक्ति**		**साक्षरता का प्रतिशत**	
1996—97	**पुरुष**	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**
1. कायमगंज	30158	9566	44.3	18.0
2. नबाबगंज	27612	9104	55.9	22.8
3. शम्शाबाद	32359	12099	53.3	25.3
4. राजेपुर	28832	8538	52.2	20.2
5. बढपुर	23581	9594	55.3	28.9
6. मोहम्दाबाद	60527	25106	68.1	34.2
7. कमालगंज	468	18387	56.5	36.8
योग ग्रामीण	46868	18387	56.5	36.8
योग नगरीय	78970	50906	66.4	49.8
योग जनपद	328907	143299	58.0	31.1

स्रोत : जनगणना कार्यालय फर्रुखाबाद जनपद

DISTRICT FARRUKHABAD

AGE AND SEX STRUCTURE OF TOTAL POPULATION

जनपद की कुल साक्षरता दर

जनपद की कुल साक्षरता दर के प्रतिशत का अवलोकन द्वारा मानचित्र संख्या 3.6 से स्पष्ट होता है कि से कि ग्रामणी साक्षरता दर के क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु जनपद को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग मे कायमगंज विकासखण्ड सम्मिलित है। इसकी ग्रामीण साक्षरता दर औसत से कम हैं जो कि 32.84 है। दूसरे वर्ग में नबाबगंज एवं शम्शाबाद सम्मिलित है जिनके ग्रामीण साक्षरता दर क्रमशः 36.87 से 42.50 के मध्य है जो औसत से कम है। तृतीय–वर्ग मे बढ़पुर एवं कमालगंज क्षेत्र शामिल है जिनकी साक्षरता दर क्रमशः 42.5 से 48.13 प्रतिशत के मध्य है, के औसत से अधिक है। चतुर्थ वर्ग मे मोहम्मदाबाद विकासखण्ड आता है जिसकी साक्षरता 48.13 से 53.76 प्रतिशत है जो औसत से अधिक है। नगरीय साक्षरता दर 58.7 प्रतिशत है। यहाँ की कुल साक्षरता दर का औसत भारत की साक्षरता–दर से औसत से कम है। इससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र कम विकसित है यह भारत के मध्यम साक्षरता के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

आयुवर्ग संरचना

जनपद की आयु सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण हेतु आयु–पिरामिड की रचना की गयी है (मानचित्र संख्या 3.7, 3.8 एवं 3.9) इसमें ग्रामीण नगरीय एवं कुल आयु वर्ग संरचना का विश्लेषण किया गया है।

ग्रामीण आयु वर्ग संरचना

मानचित्र संख्या 3.7 से स्पष्ट होता है कि 0 से 9 एवं 10 से 19 आयु वर्ग के बीच पुरुषों की संख्या क्रमशः 27.38 एवं 23.02 प्रतिशत है।

DISTRICT FARRUKHABAD
AGE AND SEX STRUCTURE OF
RURAL POPULATION
Age Groups
> 60
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29
10 - 19
0 - 9
Male
Female
35 30 25 20 15 10 5 0
0 5 10 15 20 25 30 35
Percent of Total Male Population
Percent of Total Female Population

DISTRICT FARRUKHABAD
AGE AND SEX STRUCTURE OF
URBAN POPULATION
Age Groups
> 60
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29
10 - 19
0 - 9
Male
Female
35 30 25 20 15 10 5 0
0 5 10 15 20 25 30 35
Percent of Total Male Population
Percent of Total Female Population

अर्थात् पूरी जनसंख्या का आधा, 0–19 वर्ग के मध्य मिलते हैं। जो अनुत्पादक आयु वर्ग के माने जाते है। 20 से 29 एवं 30–39 आयु वर्ग के बीच 15.76 एवं 11.62 प्रतिशत जनसंख्या मिलती है। जो कुल मिलाकर लगभग 27 प्रतिशत होती है। जनसंख्या का यह आयु–वर्ग विभिन्न कार्यो द्वारा उत्पादन करता है। 40 से 49 एवं 50–55 के आयु वर्ग में पुरुषों की 15 प्रतिशत जनसंख्या मिलती है। यह उत्पादक जनसंख्या के रूप में है 60 से ऊपर की जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 7.06 मिलता है। यह भी अनुत्पादक आयुवर्ग है। इस प्रकार पुरुषों की अनुत्पादक जनसंख्या मे 57 प्रतिशत अनुत्पादक जनसंख्या का है।

ग्रामीण महिला जनसंख्या का 0'9 प्रतिशत के मध्य 16.66 प्रतिशत जनसंख्या पायी जाती है जबकि 10–19 के मध्य 25.54 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार लगभग 38 प्रतिशत महिला जनसंख्या 0 से 19 प्रतिशत के मध्य मिलती है। यह जनसंख्या अनुत्पादक जनसंख्या के रूप में है। 20 से 29 के मध्य 16.28, 30–39 के बीच 12.06, 40–49 के बीच में 9 प्रतिशत, 50–59 के मध्य 6–13 प्रतिशत ग्रामीण महिला जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार 30 से 59 के आयु–वर्ग के बीच में कुल लगभग 27.19 प्रतिशत महिला जनसंख्या मिलती है। 60 वर्ष से ऊपर के आयु–वर्ग के केवल 6.29 प्रतिशत जनसंख्या मिलती है। इस प्रकार कुल अकार्यशील महिला जनसंख्या का 43.43 प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या के आयु–वर्ग पिरामिड के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पुरुष एवं स्त्री जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था अल्प–विकसित है।

नगरीय आयु वर्ग संरचना

मानचित्र संख्या 3.8 से स्पष्ट होता है कि 0 से 19 एवं 10 से 19 आयु वर्ग के बीच पुरुषों की जनसंख्या क्रमशः 27.41 एवं 22.35 प्रतिशत

है। अर्थात् पूरी जनसंख्या का आधा 0 से 19 वर्ग के मध्य मिलते है। जो अनुत्पादक आयु–वर्ग के माने जाते हैं। 20 से 29 एवं 30–39 आयु–वर्ग के बीच 15.0 एवं 13.45 जनसंख्या मिलती है। जो कुल मिलाकर लगभग 28 प्रतिशत होती है। जनसंख्या का यह आयु–वर्ग विभिन्न कार्यों द्वारा उत्पादन करता है 40 से 49 एवं 50 से 59 के आयु–वर्ग मे पुरुषों की 14 प्रतिशत जनसंख्या मिलती है। यह उत्पादक जनसंख्या के रूप में है 60 से ऊपर की जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 6.18 मिलता है। यह भी अनुत्पादक आयु वर्ग है। इस प्रकार पुरुषों की अनुत्पादक जनसंख्या में 55 प्रतिशत अनुत्पादक जनसंख्या है। नगरीय महिला जनसख्या मे 0 से 9 प्रतिशत के मध्य 28.49 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जबकि 10 से 19 आयु–वर्ग के मध्य 22.97 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार महिलाओं की लगभग 51 प्रतिशत जनसंख्या 0 से 19 प्रति के मध्य निवास करती है। यह जनसंख्या अनुत्पादक जनसख्या के रूप में है। 20 से 29 के मध्य 15.92 प्रतिशत 30–39 के मध्य 12.91 प्रतिशत महिला जनसंख्या निवास करती है। 40 से 49 आयु–वर्ग के बीच 8.4 प्रतिशत महिला जनसंख्या निवास करती है। 50 से 59 के बीच 5.1 प्रतिशत महिला जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार 30 से 50 आयु वर्ग के बीच में कुल 26.41 प्रतिशत नगरीय महिला जनसंख्या मिलती है। 60 वर्ष से ऊपर के आयु–वर्ग में भाग 60 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार कुल अकार्यशील नगरीय महिला जनसंख्या का 50 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या के आयु वर्ग पिरामिड के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि, पुरुष एवं महिला दोनों की जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। जबकि कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कम। अतः स्पष्ट होता है कि फर्रुखाबाद जनपद की आर्थिक व्यवस्था अभी विकसित नहीं है।

फर्रुखाबद जनपद में आयु–वर्ग संरचना सम्बन्धी समस्त आँकड़ों की सम्मिलित रूप से विश्लेषण कर आयु–पिरामिड की रचना की गयी है।

(मानचित्र सख्या 3) जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों की आयु वर्ग संरचना का अंकन किया गया है।

जनपद की समस्त आयु वर्ग संरचना

(मानचित्र संख्या 3.9) से स्पष्ट होता है कि 0 से 9 एंव 10 से 19 आयु वर्ग के बीच पुरुषों की संख्या क्रमशः 27.39 एव 22.90 प्रतिशत अर्थात पूरी जनसंख्या का आधा भाग है जो अनुत्पादक आयु—वर्ग के माने जाते है। 20 से 29 एवं 30 से 39 आयु वर्ग के बीच क्रमशः 15.77 एवं 11.96 प्रतिशत पुरुष जनसंख्या मिलती है। जो कुल मिलकार लगभग 27 प्रतिशत होती है। जनसंख्या का यह आयु वर्ग विभिन्न कार्यों द्वारा उत्पादन करता है। 40 से 49 एवं 50 से 59 के आयु वर्ग मे पुरुषों की 15 प्रतिशत जनसंख्या मिलती है। यह जनसंख्या उत्पादक वर्ग के रूप में है। 60 आयु वर्ग से ऊपर की पुरुष जनसंख्या में 6.90 प्रतिशत जनसंख्या यह भी अनुत्पादक आयुवर्ग है। इस प्रकार जनपद में पुरुषों की कुल जनसंख्या में 72 प्रतिशत अनुत्पादक जनसंख्या है। जनपद में महिला जनसंख्या का 0 से 9 प्रतिशत के मध्य 29.52 जनसंख्या पायी जाती है। जबकि 10 से 19 के मध्य 20.92 जनसंख्या पायी जाती है। इस प्रकार लगभग 0 से 19 आयु वर्ग के मध्य महिला जनसंख्या का 50 प्रतिशत पाया जाता है। यह जनसंख्या अनुत्पादक जनसंख्या के रूप में है। 20 से 29 आयुवर्ग के मध्य 16.21 प्रतिशत महिला जनसंख्या एवं 30 से 39 आयु वर्ग के अन्तर्गत 12.22 प्रतिशत महिला जनसंख्या पायी जाती है।

40 से 49 आयु—वर्ग के मध्य 8.90 प्रतिशत, 50 से 59 आयु वर्ग के मध्य 5.94 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार 30 से 59 आयु—वर्ग के बीच में लगभग 27 प्रतिशत महिला जनसंख्या पायी जाती है। 60 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग में मात्र 6.26 प्रतिशत महिलायें पायी जाती है। इस प्रकार जनपद में कुल अकार्यशील महिला जनसंख्या का

N
DISTRICT FARRUKHABAD
OCCUPATIONAL STRUCTURE
1991
Cultivators
Agricultural Labourers
Others
Household Industry
10
0
10
km

56.7 प्रतिशत है। जनपद के आयु–वर्ग पिरामिड के अनुसार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पुरुष एवं महिला जनसंख्या दोनो ही वर्गों मे अकार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनपद फर्रुखाबाद का विकास स्तर सूचकांक निम्न स्तर का है। अतः अर्थव्यवस्था भी अल्पविकसित है।

सारणी क्रमांक 3.7

जनपद की आयु वर्गानुसार स्त्री/पुरुष जनसंख्या प्रतिशत

आयु–वर्ग	पुरुष	महिला
0–9	27.39	29.52
10–19	22.90	20.92
20–29	15.77	16.21
30–39	11.96	12.22
40–49	8.78	8.90
50–59	6.27	5.94
60 से ऊपर	6.90	6.26

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

व्यावसायिक संरचना

किसी क्षेत्र की व्यवसायिक संरचना संसाधनों का उपयोग करने वाली कार्यशील जनशक्ति का प्रतीक समझी जाती है।[11] किसी क्षेत्र की जनसंख्या का कार्मिक प्रतिरूपों का विश्लेषण उस क्षेत्र के विभिन्न आर्थिक जनांकिकी तथा सांस्कृतिक गुणों को स्पष्ट करता है तथा भविष्य में उस क्षेत्र के लिये सामाजिक आर्थिक योजना के निर्माण हेतु पृष्ठभूमि तैयार करता है। आर्थिक कार्यों में संलग्न मानवशक्ति व जनसंख्या है जो वास्तव

में उत्पादन कार्यों या सेवाओं में सलग्न है। तथा जिसमे व्यक्तियों के दोनों लिंग सम्मिलित हैं– आर्थिक कार्यो में संलग्न जनसंख्या को श्रम–शक्ति या कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है।[12] किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का व्यावसायिक स्वरूप ही आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। जब कोई क्षेत्र आर्थिक रूप से विकास की ओर अग्रसर होता है तो उस क्षेत्र की क्रियाशील जनसंख्या की सफलता द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओ में बदलने लगती है। कार्यशील जनसंख्या के तात्पर्य ऐसी जनसंख्या से होता है जो आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं की सहभागिता प्रदर्शित करती हैं।[13] (मल्टी लेम्गुअल डेमोग्राजिक डिक्शनरी) जनपद फर्रुखाबाद में 1991 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 29 प्रतिशत है। जनपद की कुल जनसंख्या 1284419 है जिनमें कुल कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या 373568 है। शेष 910851 व्यक्ति अर्थात कुल जनसंख्या का 70.91 प्रतिशत भाग अकार्यशील है। सारणी क्रम 3.8 एवं मानचित्र संख्या 3.10 जनपद में विकासखण्डवार ग्रामीण जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण द्वारा स्पष्ट होता है कि जनपद में कार्यशील जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत कृषक वर्ग का है। इसका प्रमुख कारण फर्रुखाबाद जनपद की अर्थव्यवस्था का कृषि आधारित होना है। इसके बाद कृषक श्रमिकों का स्थान है। पारिवारिक उद्योग में लगी जनसंख्या अन्य कार्यों में लगी जनसंख्या से कम है। जनपद में विकासखण्डवार व्यवसायिक संरचना को देखने से स्पष्ट होता है कि, सर्वाधिक कृषि कार्य में लगी जनसंख्या मोहम्दाबाद क्षेत्र में है जबकि क्रमशः ज्यादा से कम मात्रा में कमालगंज, शम्शाबाद, कायमगंज, राजेपुर, नवाबगंज, बढ़पुर क्षेत्रों में कृषि कार्य में जनसंख्या लगी है। बढ़पुर विकास खण्ड में कृषि कार्य में सबसे कम जनसंख्या लगी होने का प्रमुख कारण इसका नगरीय क्षेत्रों के समीप होना व जनसंख्या का नगरीय कार्यों में लगे होना है।

जनपद में सर्वाधिक कृषि श्रमिक कमालगज क्षेत्र हैं। यहॉ जमीनदारों की जमीन अधिक है साथ ही जमीन वाले लोग शहरों की ओर आ चुके हैं अतः अपनी कृषि श्रमिकों द्वारा करवाते हैं अन्य क्षेत्रों में कृषक श्रमिक का क्रमशः स्थान अवरोही क्रम मे कायमगज, शम्शाबाद, बढपुर, मोहम्दाबाद, राजेपुर, नवाबगंज क्षेत्रों में है– जनपद मे पारिवारिक उद्योग मे लगी जनसंख्या सर्वाधिक कमालगंज क्षेत्र में है इसके बाद क्रमशः बढ़पुर, कायमगंज, शमशाबाद, मोहम्दाबाद, नवाबगंज एवं सबसे कम राजेपुर क्षेत्र मे पारिवारिक उद्योग में जनसंख्या लगी हुयी है। जनपद में कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अन्य कार्यो में लगा हुआ है। जिसमें प्रमुख रूप से पशुपालन, वृक्षारोपण, खनन कार्य, निर्माण कार्य, व्यापार एवं वाणिज्य, यातायात संग्रहण एवं संचार कार्य है। इन अन्य कार्यो मे लगी जनसंख्या को सारणी क्रमांक 3.8 से देखने से ज्ञात होता है कि क्षेत्रीय कार्मिक वर्गीकरण में अन्य उद्योग एवं कार्यो में लगी जनसंख्या सर्वाधिक मोहम्दाबाद क्षेत्र में है क्रमशः अन्य क्षेत्रों का स्थान अवरोही क्रम में कमालगंज, कायमगंज, बढपुर, शम्शाबाद, राजेपुर एवं नवाबगंज क्षेत्रों का है। ***(स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद जनपद।)*** जनपद में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में क्रमशः 27.74 एवं 26.26 प्रतिशत है। जनपद के नगरीय क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 272836 में कुल 75711 व्यक्ति कार्यशील है एवं 197125 व्यक्ति अकार्यशील है। इस प्रकार नगरीय जनसंख्या का 27.74 प्रतिशत भाग कार्यशील है। शेष 72.25 प्रतिशत भाग अकार्यशील है। ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसख्या 1011583 व्यक्ति है जिसमें कुल 265670 व्यक्ति कार्यशील है एवं 74 5913 व्यक्ति अकार्यशील है। इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या का 26.26 प्रतिशत भाग कार्यशील है। शेष 73.73 प्रतिशत भाग अकार्यशील है। ***(स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका एवं जनगणना कार्यालय।)***

सारणी क्रमांक 3.8

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीरण

क्र.	विकासखण्ड	कृषक	कृषक श्रमिक	पारिवारिक उद्योग	अन्य
1	कायमगज	31219	18431	286	6011
2	नवाबगज	25531	3448	152	2530
3.	शम्शाबाद	31585	6574	226	3327
4	राजेपुर	29982	4570	73	2823
5	बढपुर	16327	6563	449	5356
6	मोहम्दाबाद	43647	5879	181	6920
7	कमालगज	38795	9272	652	6309

स्रोत : *जनगणना कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद सांख्यिकीय पत्रिका*

जाति एवं धर्म

फर्रुखाबाद जनपद में विभिन्न जाति एवं धर्मों के लोग निवास करते है। सवर्णो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं कायस्थ आदि जातियां जनपद में निवास करती है पिछड़े वर्गों में अहीर, कुर्मी, लोधी, गड़रिया, कहार, काछी, नाई, लुहार, बढ़ई आदि जातियां निवास करती है। अनुसूचित जातियों में चमार, धानुक, धोबी, बाल्मीकि आदि जातियां इस जनपद में निवास करती है। सारणी क्रमांक 3.9 से स्पष्ट होता है कि जनपद में हिन्दू धर्म को मानने वाली जाति सर्वाधिक है। जनपद की कुल जनसंख्या का 85.55 प्रतिशत भाग हिन्दू धर्म में विश्वास करता है। जबकि मुस्लिम कुल आबादी के 14.17 प्रतिशत है। यहाँ बौद्ध और जैन धर्मों के मानने वाले भी रहते हैं। इनके मन्दिरों का क्षेत्र जनपद में कम्पिल एवं संकिसा क्षेत्र है। जहाँ ये तीर्थ यात्रियों के रूप में सदैव आते रहते हैं। किन्तु इनमें निवास

करने वालों मे कुल जनसख्या में बौद्धो का .08 प्रतिशत एव जैनों .04 प्रतिशत भाग ही निवास करता है। इस प्रकार जनपद मे जातियों का अध्ययन करने के पश्चात इनका अपराधों पर इनका प्रभाव भी सामने आता है।

सारणी क्रमांक 3.9

जनपद में धर्मानुसार जनसंख्या

क्रमांक	धर्म	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या (प्रतिशत में)
1.	हिन्दू	109882	85.55
2.	मुस्लिम	182002	14.17
3.	ईसाई	771	.06
4.	सिख	11515	.09
5.	बौद्ध	1028	.08
6.	जैन	513	.04
7.	अन्य	129	.01
		1284419	**100.00**

स्रोत : *सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

संदर्भ

1. जी.टी. टिवार्था – द केस, फॉर पापुलेशन ज्योग्राफी, 1953, वॉलूम–43, पृ. 71–97
2. हीरालाल – जनसंख्या भूगोल, 1985, पृ. 128
3. मदाम गर्नियर – 1870 संस्करण, वाराणसी, पृ. 128
4. वी.पी. पंडा – जनसंख्या भूगोल, 1991, पृ. 13
5. सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद, 1996–97
6. सेन्सस ऑफ इण्डिया 2001, भारत सरकार, गृहमंत्रालय, जनगणना प्रभाग
7. जनगणना कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद
8. अर्थ एवं संख्याधिकारी जनपद फर्रुखाबाद
9. एस. चन्द्रशेखर – भारत की जनसंख्या, मेरठ, 1968, पृ. 3
10. स्टेटिकल बुलेटन ऑफ फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक, 1991, पृ. 30
11. जे. बाल्डनिब एण्ड बॉटम – दि अरबन क्रमिनल, 1976, पृ. 28
12. यूनाइटेड नेशन्स, 1968, पृ. 3
13. मल्टी लेम्गुअल डेमोग्राफिक डिक्शनरी

अध्याय—4

कृषि एवं पशु संसाधन

कृषि एवं पशु संसाधन

कृषि भूदृश्यावली

भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृषि के अन्तर्गत भूमि से जुडे सभी मानवीय कार्य—खेत निर्माण, जुताई, बुआई, फसल उगाना, सिंचाई करना, पशु पालन, मत्स्य—पालन व अन्य जीवों का पालन आदि सम्मिलित हैं।[1]

कृषि मृदा—कर्षण एवं खेतीबारी का विज्ञान है। इसमें विभिन्न क्रियायें जैसे सग्रहण, पशुपालन, जुताई, आदि सम्मिलित की जाती है।[2]

इस प्रकार कृषि का अर्थ व्यापक है। इसके अन्तर्गत मानव की समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जिनकी सहायता से खाद्य और कच्चे माल की प्राप्ति के लिये मिट्टी का उपयोग होता है।[3]

जनपद फर्रुखाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कुल कार्यशैल जनसंख्या का भाग 80 प्रतिशत सीधे कृषक एवं कृषक—मजदूरों के रूप में कृषि से जुड़ा है। विगत वर्षों में जनपद के कृषि क्षेत्र में विभिन्न मदों में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुये हैं। इन परिवर्तनों के लिये जनपद के कृषकों द्वारा कृषि में मशीनीकरण के प्रयोग, खादें, अधिक उत्पादन देने वाले बीजों, कीटनाश दवाइयों के प्रयोग के साथ—साथ सिंचाई की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाना रहा है। उपरोक्त घटक जहाँ जनपद के कृषि विकास में सहायक सिद्ध हुये है वहीं उन्होने मानव समाज के परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। कृषि से सम्बन्धित नवीन विचार जो समय और क्षेत्र में घटित होते हैं के प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कृषि विकास के साथ—साथ मानवीय समाज को सुनिश्चित करती है।[4]

DISTRICT FARRUKHABAD
LAND-USE PATTERN
1991
N
10
0
10
km
Net Sown Area
Non Agricultural Use
Cultivable Waste Land
Fallow Land
Forest, Pasture & Other Grazing Land

सामान्य भूमि उपयोग

भूमि उपयोग एक ऐसा आर्थिक प्रक्रम है जिसके द्वारा भूमि को यथाशक्ति रूप में, तथाभूमि की प्रकृति के अनुरूप दशाओं का अनुगमन करते हुये विभिन्न प्रकार के उत्पादनों के लिये प्रयुक्त किया जाता है। "भूमि उपयोग का सम्बन्ध ससाधनों के अध्ययन मात्र से नही है। इसका अर्थ व्यापक है। क्योंकि यात्रिक क्रान्ति के कारण भूमि एक त्रिआयामीय प्रत्यय के रूप में विकसित हो गयी है।[5] भूमि उपयोग भूमि के स्वभाविक लक्षणें के अनुसार भू. धरातल का यथार्थ तथा विशिष्ट उपयोग है।[6] उपयोग का अध्ययन मूलतः वनस्पति आच्छादन या उसकी कमी से सम्बन्धित है। भूगोल के क्षेत्र में यह एक औपचारिक संकल्पना है।[7] पुष्टि करते हैं कि– "भूमि उपयोग प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों ही उपादानो के संयोग का प्रतिफल है।

सारणी क्रमांक 4.1

जनपद फर्रुखाबाद में सामान्य भूमि–उपयोग

क्रमांक	विवरण	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	क्षेत्रफल प्रतिशत में
1.	कुल प्रति वेदित भूमि	218979	100.00
2	वन	483	0.22
3.	कृषि योग्य बजर भूमि	6969	3 18
4	वर्तमान मे परती–भूमि	9062	4.13
5.	अन्य परती–भूमि	12889	5.88
6.	ऊसर व कृषि अयोग्य भूमि	9008	4.11
7.	कृषि अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	23476	10.72
8.	चारागाह	563	0.25
9.	उद्यान, वृक्ष व झाडियों का क्षेत्र	3351	1.53
10.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	153178	69 98

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

सामान्य भूमि—उपयोग सारणी 4.1 से स्पष्ट है कि कोई भी कृषि जन्य विकास यकायक परिवर्तित नहीं होता, बल्कि धीरे—धीरे कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के आन्तरिक उपवर्गों में परिवर्तन से होता रहता है। कृषि नियोजन में भूमि—उपयोग के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि जनपद फर्रुखाबाद में भूमि—उपयोग का विश्लेषण करे तो स्पष्ट होता है कि 1996—97 के आंकडों के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 69.98 प्रतिशत भाग कृषि के अन्तर्गत शुद्ध रूप से बोया गया है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग मे लायी गयी भूमि 10.72 प्रतिशत है। जनपद में चारागाह का क्षेत्रफल भूमि उपयोग के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण नही है क्योंकि यहाँ कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का मात्र 0.25 प्रतिशत भाग ही चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता है। कुल क्षेत्र का 0.22 प्रतिशत वनों के अन्तर्गत है जो राष्ट्र के औसत से कम है। कुल क्षेत्र में 3.18 प्रतिशत बंजर भूमि तथा 4.13 प्रतिशत वर्तमान परती तथा 5.88 प्रतिशत अन्य परती भूमि अन्तर्गत है। कुल क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत भाग ऊसर व कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत निहित है, जबकि उद्यान, वृक्ष व झाड़ियों के अन्तर्गत 1.53 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है। जनपद के भूमि उपयोग को तालिका 4.1 में दर्शाया गया है। *(स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद 1996—97)*

जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों में अन्तर देखने को मिलता है। नगरीय क्षेत्रों में वनों एवं चारागाहों का पूर्णरूपेण अभाव पाया गया है। नगरीय क्षेत्र में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र की 294 हेक्टेयर भूमि शुद्ध रूप से बोयी जाती है, जबकि 583 हेक्टेयर भूमि का उपयोग आवासीय कार्यों के लिये किया जाता है।

सारणी क्रमांक 4.2

फर्रुखाबाद जनपद का भूमि उपयोग (प्रतिशत में)

क्र.	विकासखण्ड	वन+उद्यान चारागाह	बजर + ऊसर	कुल परती	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग	शुद्ध बोया गया क्षेत्र
1	मोहम्दाबाद	2.65	8.2	12 89	6 05	70 17
2.	कायमगज	1.14	5 31	12.45	13 24	67 84
3	राजेपुर	0 81	10 95	10 9	12.79	64.16
4.	शम्शाबाद	2.18	7.67	6.62	15 68	66 68
5	कमालगज	3.18	2 69	7 72	5.75	79.03
6	नवाबगज	2 11	7.72	10.6	5.70	73.8
7	बढपुर	3.14	4 21	7 78	12.83	72 02

***स्रोत** : सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद 1996–97*

जनपद फर्रुखाबाद में विकासखण्डवार प्रतिवेदित भूमि का मोहम्दाबाद में 18.72 प्रतिशत क्षेत्र हैं कायमगंज मं 16.65 प्रतिशत क्षेत्र है। राजेपुर में 16.14 प्रतिशत क्षेत्र आता है। शम्शाबाद में कुल भूमि का 16.00 प्रतिशत क्षेत्र है। कमालगंज में कुल प्रतिवेदित भूमि का 15.04 प्रतिशत नवाबगंत में कुल प्रतिवदित भूमि का 10.54 प्रतिशत एवं बढ़पुर में 6.47 प्रतिशत कुल प्रतिवेदित भूमि पायी जाती है। *(स्रोत – सांख्यिकी पत्रिका)* इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि फर्रुखाबाद जनपद में कुल प्रतिवेदित भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत मोहम्दाबाद विकासखण्ड के क्षेत्र में है जबकि सबसे न्यून–प्रतिशत भूमि का बढ़पुर विकासखण्ड के क्षेत्र में है। जनपद में वन क्षेत्र का सर्वाधिक 1.12 प्रतिशत बढ़पुर विकासखण्ड में है जबकि राजेपुर व शम्शाबाद विकासखण्ड में वनो का प्रतिशत शून्य है। जनपद में भूमि उपयोग तालिका 4.2 से स्पष्ट होता है कि, जनपद में वन, उद्यान एवं चारागाह की सम्मिलित भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक बढ़पुर विकासखण्ड में 3.14 प्रतिशत है। जबकि सर्वाधिक न्यून प्रतिशत राजेपुर क्षेत्र में

0.81 प्रतिशत है जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में बंजर एवं ऊसर भूमि का सर्वाधिक भाग 10.95 प्रतिशत राजेपुर विकासखण्ड में है। जबकि सर्वाधिक न्यून प्रतिशत 2.69 कमालगंज विकासखण्ड में है। इस प्रकार विदित होता है कि राजेपुर क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के विकास की सम्भावनायें निहित हैं। जनपद फर्रुखाबाद में कुल परती भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत 12.89 मोहम्दाबाद में है। जबकि सर्वाधिक न्यून प्रतिशत 6.62 शम्शाबाद में है। जनपद में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि का सर्वाधिक 15.68 प्रतिशत भाग शम्शाबाद में है, जबकि सर्वाधिक न्यून प्रतिशत 5.75 कमालगंज क्षेत्र में है। विकासखण्ड के अनुसार कुल प्रतिवेदित भूमि के शुद्ध बोय गये क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत 79.03 कमालगंज क्षेत्र में है। जबकि सबसे कम 64.16 प्रतिशत राजेपुर में निहित है। तालिका क्रमांक 4–2 से स्पष्ट है कि कुल प्रतिवेदित भूमि का कमालगंज में पाचवां स्थान होने पर भी शुद्ध बोये गये क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कमालगंज मे है। जबकि राजेपुर में कुल प्रतिवेदित भूमि का तीसरा स्थान होने पर भी शुद्ध बोय गये क्षेत्र का सर्वाधिक न्यून भाग है। अतः राजेपुर क्षेत्र में ऊसर एवं बंजर क्षेत्रों को कृषि के योग्य बनाये जाने की सम्भावनायें उपस्थित है।

सारणी क्रमांक 4.3

जनपद में बोये गये क्षेत्र का विवरण

	फसल	क्षेत्र बोया गया (हेक्टेयर में)	बोया गया क्षेत्र प्रतिशत में
1.	रवी के अन्तर्गत	127465	56.78
2.	खरीफ के अन्तर्गत	83920	37.38
3.	जायद के अन्तर्गत	13087	5.83
	कुल बोया गया क्षेत्र	**224472**	**100.00**

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका 1996–97

यदि जनपद में सकल बोये गये क्षेत्रफल की व्याख्या करें तो तालिका क्रमांक – 4.3 से स्पष्ट है कि जनपद मे सकल बोया गया क्षेत्रफल 224472 हेक्टेयर है जिसमे रबी, खरीफ, जायद मे क्रमशः 127465, 83920, एव 13087 हेक्टेयर क्षेत्रफल सम्मिलित है। जनपद में गन्ने के लिये तैयार की गयी भूमि का ह्रास हुआ है। जो पहले 169 हेक्टेयर थी, किन्तु बाद में मिलों में घाटा, संग्रहण क्षमता का ह्रास, यात्रिक अभियांत्रिकी मे कुशलता की कमी आदि के कारण अब फर्रुखाबाद जनपद मे गन्ने की कृषि समाप्त प्रायः हो चुकी है इससे फर्रुखाबाद जनपद में स्थित चीनी उद्योग को सर्वाधिक हानि हुयी है।

इस जनपद मं सकल बोये गये क्षेत्रफल रबी, खरीफ और जायद फसलों के अतिरिक्त गन्ने के लिये अलग से कोई भूमि निहित नहीं है। जनपद में रबी फसल के अन्तर्गत सकल बोयी गयी भूमि का 56.78 प्रतिशत क्षेत्र निहित है। खरीफ फसल के अन्तर्गत 37.38 प्रतिशत भूमि और जायद फसल के अनतर्गत सकल बोयी गयी भूमि का 5.83 प्रतिशत भूमि निहित है।

विकासखण्ड स्तर पर सकल बोयी गयी भूमि का सर्वाधिक हेक्टेयर मोहम्मदाबाद क्षेत्र विकासखण्ड में पाया जाता है। जो सम्पूर्ण जनपद में सकल बोयी गयी भूमि का 18.50 प्रतिशत तथा न्यूनतम हेक्टेयर 15461 बढ़पुर विकास खण्ड में है जो सम्पूर्ण जनपद की सकल बोयी गयी भूमि का 6.88 प्रतिशत है। *(स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका 1996–97)*

कृषि भूमि उपयोग

सामान्य भूमि उपयोग एवं कृषि–भूमि उपयोग में अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर है। सामान्य–भूमि उपयोग क अन्तर्गत जहाँ प्रकृति द्वारा प्रदत्त भूमि की स्थितियाँ सम्मिलित है वहीं कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत मानवीय प्रयासों द्वारा कृषि के अन्तर्गत भूमि के उपयोग में सम्मिलित किया जाता है।

जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1996–97 मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 69.95 प्रतिशत भाग कृषि के अन्तर्गत शुद्ध रूप से बोया गया है। जनपद मे सकल बोया गया क्षेत्रफल 224472 हेक्टेयर है। जनपद में कृषि योग्य बंजर भूमि व कुल परतीभूमि प्रतिवेदित भूमि का 13.20 प्रतिशत है। जो एकदम बेकार पडी हुयी है इसे कृषि कार्य में उपयेाग किया जा सकता है। इस प्रकार जनपद में बोयी गयी भूमि में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। बढती जनसंख्या की आवश्यकताओं हेतु अत्यन्त आवश्यक है कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाये।

जनपद मे उद्यान व वृक्षो का प्रतिशत 1.53 है जो अत्यन्त कम है। अतः परिस्थितिक संतुलन बनाये रखने के लिये वन और उद्यानों की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः उद्यान भूमि को बढ़ाने की आवश्यकता है।

सारणी क्रमांक 4.4ए

फसल प्रारूप

क्रम	फसल	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	क्षेत्रफल प्रतिशत में
1.	गेहूँ	74318	30.20
2.	चावल	9246	4.11
3.	मक्का	42432	18.92

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

फसल प्रारूप

फर्रुखाबाद क्षेत्र में सकल बोये गये क्षेत्रफल के सन्दर्भ में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र का विश्लेषण करें तो सारणी 4.4ए से स्पष्ट होता है कि जनपद फर्रुखाबाद में रवी की फसल सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। जिसमें मुख्य रूप से गेहूँ व चावल की उपज होती है। गेहूँ के अन्तर्गत सकल बोये जाने वाले क्षेत्रफल का का 30.20 प्रतिशत भाग प्रयोग

मे लाया जाता है। जिसके अन्तर्गत कुल 74318 हेक्टेयर क्षेत्र बोया जाता है। चावल के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का 9246 हेक्टेयर क्षेत्र बोया जाता है जा सकल बोये गये क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जनपद में कुल मक्का 42432 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर यानि कुल बोयी गयी भूमि का 18.92 प्रतिशत भाग है। इस प्रकार सारणी क्रमांक 4.4बी से स्पष्ट है कि, फर्रुखाबाद जनपद में कुल खाद्यान्न के अन्तर्गत 149208 हेक्टेयर क्षेत्रफल निहित है जो, बोयी गयी कुल भूमि का 65.46 प्रतिशत है जबकि तिलहन के अन्तर्गत 2072.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल है जो बोयी गयी कुल भूमि का 9.21 प्रतिशत है। जबकि दलहन कुल बोये क्षेत्र का 11151 हेक्टेयर मे बोया जाता है जो सकल बोयी भूमि का 4.94 भाग में उपजाया जाता है।

फर्रुखाबाद जनपद में अन्य फसलों के रूप में आलू महत्त्वपूर्ण फसल है। जो सकल बोयी गयी भूमि का 12.17 प्रतिशत भाग पर बोयी जाती है। जबकि तम्बाकू 2.25 प्रतिशत भाग पर और गन्ना कुल बोयी गयी भूमि के 3.76 प्रतिशत भाग पर बोया जाता है। और कुल शेष 2.30 प्रतिशत पर चारा बोया जाता है।

क्रमांक सारणी 4.4बी

फर्रुखाबाद जनपद में फसल प्रारूप (प्रतिशत में)

	मुख्य फसलें	बोया गया क्षेत्र प्रतिशत में
1.	खाद्यान्न	65.46
2.	तिलहन	9.21
3.	दलहन	4.94
अन्य फसले		
1.	आलू	12.17
2.	गन्ना	3.76
3.	चारा	2.30
4.	तम्बाकू	2.25
	कुल	**100.00**

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

उत्पादन प्रारूप

सारणी क्रमांक 4.5 से स्पष्ट है कि, जनपद फर्रुखाबाद में 1996–97 के नवीन आंकड़ों के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 365923.00 मीट्रिक टन रहा जिसमे गेहूँ कुल 237743.00 मी.ट. एवं चावल 19333 मीट्रिक टन रहा। सारणी नं. 4.6 से स्पष्ट है कि, कुल दलहन उत्पादन 11390.00 मीट्रिक टन रहा जिसमें क्रमशः चना 3889.00 मीट्रिक टन मटर 2528.00 मीट्रिक टन एवं अरहर 2418 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। सारणी क्रमांक 4.7 से स्पष्ट है कि, जनपद मे तिलहन उत्पादन कुल 25982.00 मीट्रिक टन हुआ जिसमें प्रमुख उत्पादन सरसो 13674.00 मीट्रिक टन एवं दूसरे स्थान पर उत्पादन सूरजमुखी 11302.00 मीट्रिक टन हुआ। गन्ने का उत्पादन 494230.00 मीट्रिक टन हुआ आलू का उत्पादन 761285.00 मीट्रिक टन हुआ तम्बाकू का उत्पादन 31174.00 मीट्रिक टन हुआ।

जनपद फर्रुखाबाद में प्रतिहेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक 583.92 कुन्तल प्रति हेक्टेयर गन्ने का रहा। आलू का दूसरे स्थान पर 279.40 कुन्तल प्रति हेक्टेयर रहा। धान्य फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूँ का 31.99 कुन्तल प्रति हेक्टेयर रहा। जबकि चावल का 20.91 कुन्तल प्रति हेक्टेयर व मक्का का 21.72 कुन्तल प्रति हेक्टेयर रहा। इस प्रकार औसत उपज खाद्यान्न की कुन्तल प्रति हेक्टेयर 24.85 रही। *(स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका)*

सारणी क्रमांक 4.6 से स्पष्ट है कि, जनपद में दालों की औसत उपज प्रति हेक्टेयर 10.29 कुन्तल रहा जिसमें सर्वाधिक मटर 20.06 कुन्तल प्रति हेक्टर व 11.23 कुन्तल प्रति हेक्टेयर चना व 9.07 कुन्तल प्रतिहेक्टेयर औसत उपज अरहर की रही। जनपद में तिलहन की औसत उपज कुन्तल प्रति हेक्टेयर 11.90 रही जिसमें 16.01 कुन्तल प्र.हे सूरजमुखी व 12.45 कुन्तल प्रति हे. औसत उपज सरसो की रही है जो निम्न तालिका 4.7 से स्पष्ट है।

क्रमांक सारणी 4.5

खाद्यान्न उत्पादन प्रारूप

प्रमुख खाद्यान्न

क्र.सं.	फसले	उत्पादन मीट्रिक टन में	औसत उत्पादन
1.	गेहूँ	237743.00	31.99
2.	चावल	19333 00	20.91
3.	मक्का	92133.00	21.72
4.	बाजरा	.8196.00	12.96
5.	ज्वार	.3034.00	8.82
6.	जौ	.5483.00	23.88

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद 1996—97

सारणी क्रमांक 4.6

दलहन उत्पादन प्रारूप

प्रमुख दलहन

क्र.सं.	फसलें	उत्पादन मीट्रिक टन में	औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर (कुन्तल में)
1.	उर्द	1323.00	6.10
2.	मूँग	600.00	7.17
3.	मसूर	633.00	8.11
4.	अरहर	2410.00	9.07
5.	चना	3889.00	11.23
6.	मटर	2529.00	20.06

***स्रोत :** पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

क्रमांक सारणी 4.7

तिलहन उत्पादन प्रारूप व अन्य फसलें

तिलहन

क्र.सं.	फसल	उत्पादन मीट्रिक टन में	औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर (कुन्तल में)
1.	सरसो	13674.00	12.45
2.	तिल	201.00	1.11
3.	मूंगफली	805.00	9.22
4.	सूरजमुखी	1,302.00	16.01

अन्य फसले

क्र.सं.	फसल	उत्पादन मीट्रिक टन में	औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर (कुन्तल में)
1.	गन्ना	494230.00	583.92
2.	आलू	761285.00	278.40
3.	तम्बाकू	31174.00	61.50

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

सारणी क्रमांक 4.8

फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र.	विकासखण्ड	खाद्यान्न	दलहन	तिलहन	आलू	तम्बाकू	गन्ना
1.	कायमगंज	21571	1433	2585	1103	2098	2945
2.	नवाबगज	17509	1319	1732	2321	989	1576
3.	शम्शाबाद	21384	1323	2119	2784	1548	2813
4.	राजेपुर	240671	1508	3257	1976	17	770
5.	बढ़पुर	8676	620	1501	3543	171	151
6.	मोहम्दाबाद	30029	2786	4136	6316	136	197
7.	कमालगंज	25469	2146	5392	9208	93	12

स्रोत : सांख्यकीय पत्रिका फर्रुखाबाद

सारणी क्रमांक 4.8 के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद मे फसलों के अन्तर्गत पाये जाने वाले क्षेत्रफल को दर्शाया गया है। इस सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में खाद्यान्न के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रफल है। जबकि अन्य फसलों का खाद्यान्न के बाद स्थान आता है। क्षेत्रीय वितरण के अनुसार मोहम्दाबाद में खाद्यान्न के अन्तर्गत अधिक एवं बढ़पुर में कम क्षेत्रफल है। दलहन का सर्वाधिक क्षेत्रफल मोहम्दाबाद मे एव सबसे कम क्षेत्रफल बढ़पुर क्षेत्र में है। तिलहन का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला विकासखण्ड कमालगंज है व सबसे कम क्षेत्रफल बढपुर में है। नकदी फसलों में आलू के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल मोहम्दाबाद क्षेत्र में 6316 हेक्टेयर है। और कायमगंज मे सबसे कम क्षेत्रफल 1103 हेक्टेयर में बोया जाता है। तम्बाकू का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र कायमगंज में है। जबकि राजेपुर ब्लाक मे सबसे कम मात्र 17 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही तम्बाबू उगाया जाता है। गन्ना का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल 2945 कायमगंज में है और सबसे कम 12 हेक्टेयर कमालगंज क्षेत्र में है। इस प्रकार फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्दाबाद क्षेत्र में खाद्यान्न, दलहन एवं आलू सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है। कायमगंज क्षेत्र में तम्बाकू और गन्ना सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है। फर्रुखाबाद जनपद में सर्वाधिक क्षेत्रफल खाद्यान्न के अन्तर्गत है जबकि इसके बाद क्रमशः आलू, तिलहन, दलहन, गन्ना, तम्बाकू का स्थान आता है।

सारणी क्रमांक 4.9

जनपद में फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (प्रतिशत में)

क्र.	विकासखण्ड	खाद्यान्न	दलहन	तिलहन	आलू	तम्बाकू	गन्ना
1	कायमगंज	14.45	12.85	12.77	4.03	41.38	34 79
2.	नवाबगंज	11.73	11.82	8.35	8.98	19 51	18.62
3.	शम्शाबाद	14.33	11.86	10.22	10.18	30.53	33.23
4.	राजेपुर	16.12	13.52	15.71	7.22	0.33	9.09
5.	बढ़पुर	5.81	5.56	7.24	12.96	3.37	1.78
6.	मोहम्दाबाद	20.12	24.98	19.95	23.09	2.68	2 32
7.	कमालगंज	17.06	19.24	26.01	33.67	1 83	0.14

स्रोत : सांख्यकीय पत्रिका 1998 जनपद फर्रुखाबाद

N
DISTRICT FARRUKHABAD
IRRIGATED AREA BY
DEFFERENT SOURCES
1991
SOURCES
Private Tube well
Govt. Tube well
Well
Pond
Canal
10
0
10
km

सिंचाई

सारणी क्रमांक 4.10 से स्पष्ट है कि, जनपद फर्रुखाबाद मे कुल प्रतिवेदन भूमि का 55.6 प्रतिशत भाग सिंचित है। लेकिन सिंचित क्षेत्र को वितरण असमान मिलता है। जनपद के मध्यवर्ती भाग मे 80.0 प्रतिशत से अधिक भाग सिंचित है। जनपद में कुल सिंचित क्षेत्रफल 121847 हेक्टेयर है। जो नहरों राजकीय एवं निजी नलकूपों तालाब झील पोखर और अन्य साधनों द्वारा सिंचित है। जनपद में कुल सिचित क्षेत्रफल का 3.0 प्रतिशत नहरों द्वारा सींचा जाता है। राजकीय नहरों द्वारा सोचा जाता है। निजी नलकूपों द्वारा 89.4 प्रतिशत भाग की सिंचाई होती है। कुयें द्वारा 2.00 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई होती है, जबकि तालाबों द्वारा 0.30 प्रतिशत क्षेत्र को सींचा जाता है। अन्य साधनो के द्वारा मात्र 0.31 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है।

सारणी क्रमांक 4.10

विभिन्न साधनों द्वारा सिंचिंत क्षेत्रफल हेक्टेयर व प्रतिशत में

क्र.सं.	सिंचित साधन	वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
1.	नहरे	3776	3.0
2.	नलकूप राजकीय	5901	4.8
3.	नलकूप निजी	108979	89.4
4.	कुयें	2437	2.0
5.	तालाब	366	0.30
6.	अन्य	388	0.31
	कुल सिंचित क्षेत्रफल	**121847**	**100.00**

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबाद/ व सिंचाई विभाग

सिंचाई के साधन

जनपद मे सिंचाई का प्रमुख साधन निजी नलकूप है जो आंकडे द्वारा स्पष्ट है। जनपद में सर्वाधिक सिचाई निजी नलकूपो द्वारा होती है। जबकि सबसे कम तालाब व अन्य साधनों द्वारा सिंचाई होती है। जनपद के नहरो द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कायमगंज विकास खण्ड में होती है। राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक मोहम्दाबाद विकासखण्ड में जबकि निजी नलकूपों का सिंचाई में उपयोग सर्वाधिक कमालगंज में एवं तालाबों द्वारा भी सर्वाधिक सिंचाई कमालगंज विकासखण्ड मे ही होती है। कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक राजेपुर विकास खण्ड में है। जनपद में सबसे कम सिंचिंत भूमि बढपुर विकासखण्ड में कुल प्रतिवेदन भूमि का 4.16 प्रतिशत सिंचित है। एवं सबसे अधिक सिंचिंत भूमि कुल मोहम्मदाबाद विकासखण्ड भूमि की 10.8 प्रतिशत कुल प्रतिवेदित भूमि का पाया जाती है। *(स्रोत : साख्यिकीय पत्रिका)*

विभिन्न फसलों का सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में

फर्रुखाबाद जनपद में कुल बोये गये खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 62.5 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित है। जिसमें गेहूँ कुल के क्षेत्रफल का 97.2 प्रतिशत भाग सिंचित है। जबकि चावल का सिंचित क्षेत्रफल कुल बोये गये चावल के क्षेत्रफल का 53.3 प्रतिशत है। दलहन का कुल सिंचित क्षेत्रफल 38.04 प्रतिशत हेक्टेयर है। जबकि तिलहन का 78.9 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित है। आलू का 99.9 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित है। तम्बाकू का 100 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित है। गन्ना का 93.9 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित है। *(स्रोत : साख्यिकीय पत्रिका)*

सारणी क्रमांक 4.11

जनपद में फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल

	फसल	सिंचित क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
1.	खाद्यान्न	62.5
2.	तिलहन	78.9
3.	दलहन	38.04
4.	आलू	99.9,
5.	तम्बाकू	100
6.	गन्ना	93.9

स्रोत : *सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

सारणी क्रमांक 4.12 से स्पष्ट है कि, खाद्यान्न का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल 74.4 प्रतिशत कुल हेक्टेयर क्षेत्रफल का शम्शाबाद विकास खण्ड में पाया जाता है। तिलहन का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 85.4 प्रतिशत कमालगंज विकासखण्ड है। दलह न का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र मोहम्मदाबाद में कुल बोये गये क्षेत्रफल 33.0 प्रतिशत पाया जाता है। गन्ने की फसल की सर्वाधिक सिंचाई का क्षेत्र कायमगंज विकासखण्ड 93.6 प्रतिशत पाया जाता है। आलू का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 100 प्रतिशत कमालगंज विकासखण्ड में पाया जाता है। जबकि तम्बाकू का सर्वाधिक सिंचित 100 प्रतिशत क्षेत्र कायमगंज विकासखण्ड में है।

DISTRICT FARRUKHABAD

CROPS IRRIGATED AREA (in Hect)

1991

सारणी क्रमांक 4.13

विकासखण्डवार फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

क्र.सं.	फसल	विकासखण्ड	सिंचित क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
1.	खाद्यान्न	शम्शाबाद	74 4
2.	तिलहन	कमालगंज	85.4
3.	दलहन	मोहम्मदाबाद	33.0
4.	आलू	कमालगंज	100
5.	तम्बाकू	कायमगज	100
6.	गन्ना	कायमगंज	93.6

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

सारणी क्रमांक 4.13

सिंचित क्षेत्रफल प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, तिलहन एवं नगदी फसल का (हेक्टेयर में)

क्र.	विकासखण्ड	गेहूँ	चावल	मक्का	बाजरा	दलहन	तिलहन	नगदी फसलें
1.	कायमगज	11233	1317	4514	2288	685	1742	5958
2.	नवाबगज	9009	1527	4836	407	607	1549	4886
3.	शम्शाबाद	11523	1258	5443	1013	515	1471	7054
4	राजेपुर	14153	2025	4674	289	324	2043	2572
5.	बढ़पुर	4178	472	3100	238	375	1336	3850
6.	मोहम्दाबाद	12507	1619	10738	1041	921	3623	5632
7.	कमालगंज	11617	1022	8942	1048	804	4606	9319

स्रोत : अर्थ एवं संख्याधिकारी फर्रुखाबाद

फसलों के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल

उपरोक्त सारणी क्रमांक 4.13 से स्पष्ट होता है कि जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में गेहूँ के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है जबकि क्रमशः स्थान नगदीफसलों, मक्का, बाजरा, तिलहन, चावल और दलहन का आता है। नवाबगंज क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गेहूँ का है जबकि क्रमशः स्थान नगदी फसलों, मक्का, तिलहन, चावल, दलहन एवं बाजरा का है। शम्शाबाद क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गेहूँ का है और क्रमशः नगदी फसलों, मक्का, तिलहन, चावल, बाजरा एवं दलहन का है। राजेपुर विकासखण्ड में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गेहूँ का है जबकि क्रमशः स्थान मक्का, नकदी फसलो, तिलहन, चावल, दलहन एवं बाजरा का है। बढपुर विकासखण्ड में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गेहूँ का है जबकि क्रमशः स्थान नगदीफसल, मक्का, तिलहन, चावल, दलहन एवं बाजरा का है। मोहम्दाबाद क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गेहूँ का है और क्रमशः स्थान मक्का, नगदीफसलें, तिलहन, चावल, बाजरा एवं दलहन का है कमालगंज क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गेहूँ का है जबकि अन्य फसलों का क्रमशः स्थान नकदीफसल मक्का, तिलहन, बाजरा, चावल एवं दलहन का है।

सारणी क्रमांक 4.14

जनपद में विकासखण्डवार उर्वरक वितरक (मीटरी टन में)

क्रमांक	विकासखण्ड	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटास
1.	कायमगंज	2742	580	185
2.	नवाबगंज	1740	485	90
3.	शम्शाबाद	2740	565	120
4.	राजेपुर	1693	490	50
5.	बढ़पुर	3564	1870	295
6.	मोहम्दाबाद	3280	650	300
7.	कमालगंज	3185	505	1490

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद एवं कृषि एवं पशुपालन विभाग

उर्वरक वितरण

जनपद फर्रुखाबाद में सारणी क्रमांक 4.14 देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद में तीनो प्रकार के उर्वरकों का उपयोग होता है। जिसमें सर्वाधिक उपयोग नाइट्रोजन प्रधान उर्वरकों का है द्वितीय फास्फोरस युक्त उर्वरक एवं सबसे कम पोटाश युक्त उर्वरक प्रयुक्त किये जाते हैं। यदि जनपद में उर्वकर वितरण का विकासखण्ड के अनुसार विश्लेषण करे तो स्पष्ट होता है कि नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग बढपुर क्षेत्र में होता है। इसके पश्चात क्रमशः मोहम्दाबाद, कमालगंज, कायमगंज, शम्शाबाद नवाबगंज एव सर्वाधिक कम नाइट्रोजनयुक्त उर्वरको का उपयोग राजेपुर क्षेत्र में होता है। इस प्रकार सारणी क्रमांक 4.14 से स्पष्ट है कि फास्फोरस युक्त उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग बढपुर क्षेत्र में एवं क्रमशः मोहम्मदाबाद, कायमगंज, शम्शाबाद, कमालगंज, राजेपुर एवं सबसे कम नवाबगंज क्षेत्र में हुआ है। पोटास युक्त उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग मोहम्दाबाद क्षेत्र में फिर क्रमशः अवरोही क्रम में बढ़पुर, कमालगंज, कायमगंज, शम्शाबाद, नवाबगंज एवं राजेपुर क्षेत्रों में हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के मध्य है उनमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त उर्वरकों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ कि मिट्टी में जीवाश्म उर्वरक एवं नाइट्रोजन की कमी पायी जाती है।

पशुपालन

फर्रुखाबाद जनपद एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। अतः यहाँ कृषि के साथ–साथ पशुपालन का आर्थिक दृष्टि से महत्त्व है। रायल–कमीशन[6] के अनुसार संसार के अधिकतर हिस्सों में पशुओं का उपयोग भोजन एवं दूध के लिये होता है। पशु हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। इस जिले में पशु आधारित कृषि व्यवस्था के कारण पशु चोरी एक आम

अपराध है। अतः पशुधन भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराधो के वृद्धि में योगदान देता आया है। पशुधन की गुणवत्ता एवं संख्या कृषकों के सामाजिक आर्थिक स्तर को निर्धारित करती है वहीं कृषकों को सुदृढ आर्थिक आधार प्रदान करती है। जनपद फर्रुखाबाद कृषि प्रधान जनपद है इसलिए जनपद की अर्थव्यवस्था में पशु सहयोगी बनकर व्यवसायिक रूप से अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जनपद की जलवायु भी पशुपालन के लिये अनुकूल है। इस जनपद में पशु आज भी अनेक निर्धन परिवारों की आय का मुख्य साधन है। जनपद में प्रमुख रूप से पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों मे किया जाता है। जनपद में मुख्यतः दुधारू पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, बोझा ढोने में घोड़ा, बैल, गधा, खच्चर, भैसा, एवं गोश्त प्राप्ति के उद्देश्य से बकरी, बकरा, मुर्गा, सुअर आदि पाले जाते हैं। जनपद में दुधारू एवं बोझा ढोने वाले जानवरों के वृद्ध हो जाने पर उनसे मांस एवं मृत्यु के पश्चात खाल, चर्बी, सींग हड्डियां आदि अंगों का उपयोग विभिन्न सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा है।

जनपद फर्रुखाबाद में कुल पशुओं का 97.59 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 2.40 प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्रों में मिलता है। जनपद के कुल पशुधन में 35.70 प्रतिशत महिषवंशीय, 24.12 प्रतिशत गोवंशीय, 22.22 प्रतिशत बकरा/बकरी जाति, 5.16 प्रतिशत सुअर, 0.32 प्रतिशत घोडे एवं ट्टटू जाति के पशु, 2.74 प्रतिशत भेड़े, शेष अन्य पशुओं का प्रतिशत 9.73 है। जनपद में सबसे अधिक पशु राजेपुर विकासखण्ड में 20.32 प्रतिशत पाये जाते हैं। सबसे कम पशुओं का प्रतिशत 7.88 प्रतिशत बढपुर ब्लाक में है।

N
DISTRICT FARRUKHABAD
CATTLE
1991
TYPES OF CATTLE
Buffalos
Cows
Goat
Sheeps
Pig
Horses
Other Cattle
10
0
10
km

सारणी क्रमांक 4.15

विकासखण्डवार पशु वितरण

	विकासखण्ड	कुल पशु	प्रतिशत पशु
1.	कायमगंज	72015	10.14
2.	नवाबगंज	82341	11.59
3.	शम्शाबाद	81165	11.42
4.	राजेपुर	144365	20.32
5.	बढ़पुर	55981	7.88
6.	मोहम्मदाबाद	139935	19.70
7.	कमालगंज	134318	18.91
	कुल	**710125**	**100.00**

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

सारणी क्रमांक 4.16

जनपद में पशुधन प्रतिशत में

विकासखण्ड	महिषवंश	गोपेश	बकरा/बकरी	भेंड़	सुअर	घोड़ा	अन्य
कायमगज	39.54	29.86	10.70	3 56	3.37	0.30	12 63
नवाबगज	34.90	31.03	22.82	1.97	3.99	0 00	5.19
शम्शाबाद	36.79	19.98	17.90	2.94	10.36	0.25	11.75
राजेपुर	28.72	33.77	21.37	1.55	5.44	0.77	9.35
बढपुर	35.32	21.35	25.76	1.58	6.82	0.09	9.06
मोहम्दाबाद	33.33	27.27	22.18	3.59	4.02	0.25	9.31
कमालगंज	44.99	8.71	28.33	3.71	3.78	0.10	10.34

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद जनपद पशु संसाधन विश्लेषण पत्रिका

पशु वितरण

जनपद मे विकासखण्डवार पशु महिषवंशीय सर्वाधिक कमालगंज क्षेत्र मे 44.99 प्रतिशत जबकि सबसे कम राजेपुर विकासखण्ड मे 28.72 प्रतिशत है। जनपद में कुल गोवंश 'जातीय पशुओं की संख्या राजेपुर विकासखण्ड में 33.77 प्रतिशत मिलती है। जनपद में बकरा/बकरी समुदाय सर्वाधिक कमालगंज विकासखण्ड में जबकि सबसे कम कायमगंज में 10.70 प्रतिशत मिलती है। भेडों की सर्वाधिक संख्या कमालगंज विकासखण्ड में 3.71 प्रतिशत मिलती है। जबकि सबसे कम भेड़ों की सख्या राजेपुर में 1.55 प्रतिशत पायी जाती है। जनपद मे सुअरों का सर्वाधिक प्रतिशत शम्शाबाद विकासखण्ड में है और सर्वाधिक न्यून प्रतिशत कायमगंज विकासखण्ड मे पाया जाता है। घोडे एवं ट्टटू प्रजाति के पशुओ का सर्वाधिक प्रतिशत राजेपुर विकासखण्ड में पाया जाता है। जबकि नवाबगंज विकासखण्ड में इसका 0 प्रतिशत है। जनपद फर्रुखाबाद मे कुक्कुट किस्म की प्रजाति की सर्वाधिक संख्या 21847 कमालगंज विकासखण्ड में है जबकि सबसे कम संख्या मात्र 9277 नवाबगज क्षेत्र में पायी जाती है। फर्रुखाबाद जनपद के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी पशु—पालन को उद्योग के रूप नहीं लिया गया है अतः पशु पालन को ग्रामीण क्षेत्रों मे भी उद्योग के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाना आवश्यक है। इस फर्रुखाबाद जनपद में कुम्कुट पालन की भी पर्याप्त संभावनायें उपलब्ध है। जनपद फर्रुखाबाद में कुल प्रतिवेदन भूमि का मात्र 0.25 प्रतिशत भाग ही चारागाहों में प्रयुक्त हुआ है। अतः चारागाहों की कमी होने के कारण जनपद में पशुओं की संख्या संतोषप्रद नहीं है। साथ ही कम पशु होने के पश्चात भी पशु चोरी के आकड़े थानों में प्राप्त हुये हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष के अनुसार यह तथ्य स्पष्ट होता है कि इस जनपद में पशुधन चारागाहों के समानुपाती नहीं है। सर्वाधिक चारागाह हेतु भूमि का उपयोग मोहम्दाबाद विकासखण्ड में होता है और पशुओं की

सर्वाधिक सख्या राजेपुर विकासखण्डो में पायी जाती है। इस प्रकार प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि जनपद में पशु संसाधन को विकसित करने की पर्याप्त संभावनायें उपलब्ध हैं।

अधिवास

विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियों में मानव अधिवास भी विभिन्न प्रकार के होते है। इसी आधार पर जनपद फर्रुखाबाद के अधिवासो को दो वर्गों मे विभाजित किया गया है। जिसका विवेचन निम्नवत् है।

ग्राम्य अधिवास

जनपद फर्रुखाबाद कृषि—प्रधान जनपद होने के कारण यहॉ पर ग्राम्य अधिवासों की अधिकता पायी जाती है। सारणी 4—17 से स्पष्ट होता है कि 1991 के आंकड़ों के आधार पर जनपद मे कुल ग्राम्य बस्तियॉ बस्तियॉ 1146 है। जिनके आकार के अनुसार चार भागों में बाँटा गया है।

सारणी क्रमांक 4.17

ग्राम्य अधिवास

गाँव का आकार	आबाद ग्रामों की संख्या	कुल ग्रामों की संख्या
लघु आकार	616	53.75
मध्यम लघु आकार	400	34.90
मध्यम वृहत आकार	116	10.12
वृहत आकार	14	1.22
योग	1146	100.00

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

N
DISTRICT FARRUKHABAD
RAIL AND ROAD NETWORK
To Kasganj
To Kasganj
Kampil
Kaimganj
Shamsabad
To Bareilly
Rajepur
Nawabganj
FATEHGARH
Muhammadabad
To Mainpuri
Kamalganj
From Etawah
To Kanpur
Railway Line Broad Gauge
Railway Line Metre Gauge
Road Metalled
Road Unmetalled
Thana Headquarters
10
0
10
km

वृहत आकार के अधिवासो मे उन ग्रामों का सम्मिलित किया गया है। जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। जनपद में इस वर्ग के अन्तर्गत 4 ग्राम्य अधिवास आते हैं।

मध्यम वृहत आकार में उन ग्राम्य अधिवासो को सम्मिलित किया गया है जिनकी जनसंख्या 2000 से 4999 के मध्य है। जनपद में ऐसे ग्रामों की संख्या 116 है। वृहत एवं मध्यम आकार के ग्राम्य आन्तरिक भागों मे उच्च भूमि क्षेत्र पर मिलते हैं। बाढ से जो क्षेत्र प्रभावित हैं, उनमे ये इस प्रकार के ग्राम्य अधिवास नहीं पाये जाते। मध्यम लघु आकार में वे ग्राम्य अधिवास सम्मिलित किये गये हैं जिनकी जनसंख्या 500 से 1999 के मध्य है। इस वर्ग के अन्तर्गत 400 ग्राम्य–अधिवास आते है।

जनपद में लघु आकर के ग्राम्य अधिवासों में 500 से कम जनसंख्या वाले ग्राम्य अधिवास सम्मिलित किये गये है। जनपद में इनकी संख्या 616 है। अर्थात कुल अधिवास का 53.75 प्रतिशत इसी वर्ग के अन्तर्गत आता है।

नगरीय अधिवास

जनपद फर्रुखाबाद में 1991 की जनगणना क अनुसार कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत भाग नगरीय है। इस प्रकार जनपद फर्रुखाबाद में सर्वाधिक नगरीय अधिवासों का घनत्व बढपुर विकास खण्ड में मिलता है। इसके बाद क्रमशः स्थान कमालगंज, मोहम्दाबाद, नवाबगंज, शम्शाबाद, राजेपुर एवं सर्वाधिक न्यून नगरीय घनत्व कायमगंज विकास खण्ड में पाया जाता है। *(स्रोत : जनगणना कार्यालय सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद)*

परिवहन एवं संचार

परिवहन के विकसित साधन किसी भी क्षेत्र के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के सूचक हैं। यातायात एवं संचार सुविधायें किसी क्षेत्र के सामाजिक विकास के न केवल सूचक होते हैं बल्कि आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण

निर्धारक तत्व भी होते हैं। इन दोनो ही सुविधाओ के बिना आधारभूत आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति नही की जा सकती।[9] जनपद फर्रुखाबाद, कृषि अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। अतः इस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास यातायात एवं संचार व्यवस्था से जुडा हुआ है। लेकिन आज भी क्षेत्र की माग के अनुसार इन सुविधाओं की पूर्ति यहॉ नही हो पायी है। यातायात एव संचार सुविधाओं को अलग–अलग वर्गो में रखा गया है।

सड़क यातायात सुविधायें

जनपद में जहाँ रेलमार्ग नहीं है वहाँ सड़के ही परिवहन का प्रमुख साधन हैं। स्पष्ट होता है कि,

1. जनपद मे पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 832 किलोमीटर है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 721 किमी सडकें नगरीय क्षेत्र में मिलती है एव 111 किमी. सड़के इन सडकों का लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी कुल सडक की लम्बाई 6.99 किमी. है जिसमे से ग्रामीण क्षेत्रों में 676 किमी. सडके बिछी एवं नगरीय क्षेत्रों में 18 किमी. सड़के हैं।

सारणी क्रमांक 4.18

जनपद में पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी.) में

विकास खण्ड	पक्की सड़कों की	लो.नि.वि. द्वारा निर्मित
कायमगंज	127	113
नबावगंज	79	75
शम्शाबाद	83	80
राजेपुर	86	79
बढ़पुर	84	74
मोहम्दाबाद	143	140
कमालगंज	119	115
योग	721	676
योग नगरीय	111	18
योग जनपद	832	694

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद लो.नि. विभाग जनपद फर्रुखाबाद

मुख्य सड़कें

इस जनपद में जी.टी. रोड जो एक राष्ट्रीय—राजमार्ग है। के पश्चिम से एक सडक मैनपुरी जनपद से मोहम्दाबाद होती हुयी फतेहगढ एव फर्रुखाबाद क्षेत्रों को मिलाती है। आगे यह सडक उत्तर में बरेली एवं शाहजहॉपुर के ओर चली जाती है।

जी.टी. रोड से एक सडक मीटर—गेज रेलवे लाइन के किनारे कमालगंज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, कायमगंज एवं कम्पिल होती हुयी उत्तर—पश्चिम दिशा मे एटा जनपद में प्रवेश कर जाती है। इन मुख्य सडकों के अतिरिक्त कुछ जनपद स्तर की भी सड़के है जिनमें राजेपुर— अमृतपुर मार्ग, फतेहगढ— फर्रुखाबाद मार्ग, मोहम्दाबाद— शम्शाबाद मार्ग फर्रुखाबाद — कम्पिलमार्ग प्रमुख हैं। इस प्रकार इस जनपद की मुख्य एवं गौड़ सडको के द्वारा प्रत्येक थाना केन्द्र जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। जिससे अपराधियों की धड़—पकड़ में सुविधा बनी रहती है। अन्य अनेक कच्ची सड़कों के द्वारा अनेक गांव पक्की सडकों से जुड़े हैं। जिन पर टैक्टर बैलगाड़ी एवं तांगा, घोड़ा गाड़ी, इक्कों द्वारा यातायात सम्पन्न होता है।

रेल—यातायात

जनपद में रेल लाइनों की कुल लम्बाई 102 किमी. है। जिसमें 27 किमी. ब्राडगेज रेल लाइन है तथा 75 किमी. मीटर गेज रेल लाइन है। यह रेल सुविधा जनपद के एक सीमित क्षेत्र मे ही है। मानचित्र संख्या से स्पष्ट होता है कि ब्राडगेज रेल लाइन फर्रुखाबाद जंक्शन से प्रारम्भ होकर शिकोहाबाद जंक्शन को जोड़ती है। यह उत्तर रेलवे लाइन की है जो दिल्ली, हाबड़ा प्रमुख लाइन से मिल जाती है। इस रेल लाइन पर जनपद के ऊगरपुर, नीमकरोरी, एवं पखना स्टेशन स्थित है। मीटर रेल लाइन जो पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आती है। कानपुर से फर्रुखाबाद होती हुयी कासगंज को जाती है। इस लाइन से फर्रुखाबाद का सीधा सम्बन्ध है।

जनपद के आर्थिक विकास मे इस रेल लाइन का महत्वपूर्ण योगदान है। इस लाइन पर कमालगंज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, शम्शाबाद, कायमगंज एवं कम्पिल आदि प्रमुख रेलवे स्टेशन है।

संचार के साधन

क्षेत्रीय अध्ययन में सचार के साधन के रूप में डाकघर, तारघर एवं पी.सी.ओ. एवं टेलीफोन संख्या को ही सम्मिलित किया गया है।

सारणी 4.19 से स्पष्ट है कि, जनपद मे कुल 151 डाकघर हैं। जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 118 है एवं 33 डाकघर नगरीय क्षेत्रों मे है। तारघरों की कुल संख्या 3 है जो तीनो ही नगरीय क्षेत्र में है। गामीण क्षेत्र में तारघर की सुविधा अभी तक नहीं पहुँची है। जनपद में पी.सी.ओ. सुविधा में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है। यहाँ कुल 717 पी.सी.ओ है जिनमें से 478 पी.सी.ओं गामीण क्षेत्रों में है। एवं 239 पी.सी.ओ. नगरीय क्षेत्रों मे है। जनपद में टेलीफोन सुविधा संख्या की दृष्टि से 11465 है जिसमें से 1505 टेलीफोन ग्रामीण क्षेत्रों मे है एवं 9960 टेलीफोन नगरीय क्षेत्रों में लगे है। सारणी नं. 4.19 से स्पष्ट होता है कि, फर्रुखाबाद जनपद में सचार—सविधाओं की दृष्टि से डाकघर सुविधा सर्वाधिक मोहम्मदाबाद एवं कमालगंज विकासखण्ड में है जबकि पी.सी.ओ. की सुविधाओं में कायमंगज क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। जनपद में टेलीफोन सुविधा सर्वाधिक कायमगंज क्षेत्र में है। परिवहन एवं संचार के साधनों का अपराधों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जनपद में किये गये सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि जो थाना क्षेत्र आन्तरिक भागों मे है एवं जहाँ संचार एवं यातायात साधनों की कमी है। वहाँ अपराधी तत्व निडरता से अपनी गतिविधियों को चलाने का प्रयास करते है। अतः इस प्रकार इन संचार एवं यातायात मार्गों का प्रभावी न होना अथवा उनकी कमी होना भी अपराधियों में भय को समाप्त कर अपराधों की वृद्धि में सहायक सिद्ध होता है।

सारणी क्रमांक 4.19

जनपद में संचार सुविधायें

क्र.सं.	विकासखण्ड	डाकघर	तारघर	पी.सी.ओ.	टेलीफोन
1.	कायमगज	14	—	152	564
2.	नवाबगंज	15	—	55	92
3.	शम्शाबाद	17	—	65	74
4.	राजेपुर	16	—	9	164
5.	बढ़पुर	10	—	98	80
6.	मोहम्दाबद	23	—	53	187
7.	कमालगंज	23	—	46	344
	योग गामीण	118	—	478	1505
	योग नगरीय	33	3	239	9960
	योग जनपद	151	3	717	11465

***स्रोत** — सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद*

कृषि का अपराधों पर प्रभाव

फर्रुखाबाद जनपद में अपराधों का प्रभाव कृषि पर एवं कृषि का प्रभाव अपराधों पर पड़ा स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। जनपद के कमालगंज, नवाबगंज एवं बढ़पुर क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्र बोया गया है। किन्तु अपराधों की सर्वाधिकता इन क्षेत्रों में नहीं पायी जाती है। जनपद में नगदी फसलों की अधिकता क्रमशः कायमगंज, शम्शाबाद, नवाबगंज में पायी जाती है किन्तु अपराधो का बाहुल्य इन क्षेत्रों में नहीं है। अतः इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि, फर्रुखाबाद जनपद के जिन क्षेत्रों में कृषि सम्पन्न अवस्था में है वहाँ अपराधों का बाहुल्य प्रायः नहीं पाया जाता है। किन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे है जहाँ कृषि की समपन्नता के साथ–साथ अपराधों के स्तर में भी वृद्धि

देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कायमगंज क्षेत्र का स्थान है जहॉ पठान जाति की बहुतायत है। ये सभी खाद्यान्न, नकदी फसल एव फलो की कृषि से जुड़े हुये हैं और अति समृद्धिशाली व्यक्ति हैं। अपनी इसी सम्पन्नता के कारण इन क्षेत्रों मे इस जाति का वर्चस्व है एवं अन्य लोग इनकी दबंगई से प्रभावित रहते है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहॉ कृषि स्तर निम्न हैं अतः आर्थिक विपन्नता के कारण भी अपराधो में वृद्धि इन क्षेत्रों मे देखी जा सकी है। जैसे मोहम्मदाबाद क्षेत्र में अपराधों की चरम सीमा पायी जाती है। और इसी क्षेत्र मे ऊसर–बंजर भूमि की भी अधिकता पायी जाती है। ***(स्रोत** – सांख्यिकीय पत्रिका फर्रुखाबद जनपद एवं पुलिस कार्यालय रिकार्ड)*

इस प्रकार अति सम्पन्नता एवं अति निर्धनता दोनों ही क्षेत्रों में अपराधों का वर्चस्व पाया जाता है। इन सम्पन्नता एवं निर्धनता दोनों का ही समाज पर नकारात्मक प्रभाव फर्रुखाबाद जनपद में दिखाई देता है।

सन्दर्भ

1. ई. डब्ल्यू. जिम्मर मैन – वर्ल्ड रिसोर्सेज एण्ड इण्डस्ट्रीज

2. आर.सी. तिवारी एव बी. एन. सिंह – कृषि भूगोल, 2001, प्रयग पुस्तक भवन, पृ. 3

3. वही, 2, पृ. 1

4. आर.पी. मिश्रा – डिफ्यूज ऑफ एग्रीकल्चर इन्नोवेशन्स ए थ्योरिटिकल एण्ड इम्पीरियल स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, 1968, पृ. 3

5. प्रो. आर. सी. तिवारी एवं डॉ. बी. एन. सिंह – कृषि भूगोल, 2001, प्रयाग पुस्तक भवन, पृ. 75

6. जे. फाक्समैन – सेन्टर ऑफ लैण्डयूज, 1962, पृ. 76

7. सी. बैनजेटी – ज्योग्राफी जनरल्स, 1972, पृ. 134

8. रॉयल कमीशन – एनीमल लाइफ, 1982, पृ. 17

9. वी. पी. ए. भदौरिया एवं ए.सी. दुआ – रूरल डबलपमेंट स्ट्रेटेजी एण्डपर्सपैक्टिव, अनमोल पब्लिकेशन, दिल्ली, 1986, पृ. 184–85

10. पुलिस कार्यालय रिकार्ड

11. फर्रुखाबाद गजेटियर

12. अर्थ एव सांख्याधिकारी जिला फर्रुखाबाद

13. फतेहगढ़ कैम्प हिन्दी अनुवाद डॉ. हाटा एण्ड सोनी

14. सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

15. जनगणना कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद

अध्याय—5

अपराधों का सामान्य अध्ययन

अपराधों का सामान्य अध्ययन

प्रस्तुत अध्याय अपराधो का सामान्य अध्ययन के अन्तर्गत अपराधों से जुडे उने सभी मूलतथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है जिनसे अपराध के प्रत्यक्ष क्षेत्र पर प्रकाश पड़ता हैं। अपराध से आशय एवं अपराधी से तात्पर्य अपराधशास्त्र का आधार हैं अतः इसमें अपराधिक प्रवृत्तियों, अपराधी व्यक्तियों, एवं अपराध सम्बन्धी प्रचलित व गैर—प्रचलित सिद्धांत, अपराध का भौगोलिक सिद्धांत, का विवेचन किया गयाहै जिसमें बताया गया है कि इन सिद्धांतों की कसौटी पर अपराध व अपराधी कितने सही उतरे हैं। सदैव से अपराधों के पनपने के लिए आवश्यक दशायें रही है अतः जनपद फर्रुखाबाद मे कौन से सामान्य कारण है जो अपराधों की वृद्धि में सहायक सिद्ध हुये है। जिसके अन्तर्गत भौतिक पक्ष एवं संस्कृतिक पक्षों का विशद विवेचन किया गया है। इसके साथ ही अपराधों का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव किस सीमा तक नकारात्मक हो सकता है इसका विवेचन करने का प्रयास किया गया है। जिससे जनपद में अपराधों का उपशमन एवं उन्मूलन यथा संभव हो सकें।

5.1 अपराध व अपराधी

सामाजिक नियमों के विरूद्ध एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा असामान्य व्यवहार अपराध कहा जाता है। समाजशास्त्र में अपराधों का अध्ययन व्यवहार के नियमों के परिपेक्ष्य में करते हैं।

जब व्यक्ति अपनी शारीरिक विषमताओं मानसिक असमानताओं तथा समाजिक—आर्थिक परिस्थितियों में फंसकर कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें समाज अनैतिक असमाजिक या अवैधानिक मानता है और जिसके करने वालो के लिये दण्ड की अपेक्षा करता हो। इस प्रकार सामाजिक परिपेक्ष्य में

अपराध से आशय ऐसे कार्य, जिससे समाज के व्यवहार नियामक आदर्शों एवं आदेशों का उल्लंघन होता है और जिससे सामाजिक संगठन तथा व्यवस्थ को क्षति पहुँचती है, अपराध कहे जाते है।[1] समाजशास्त्र में अपराध का आशय असमाजिक कृत्यों से है। मनोविज्ञान मे अपराध का तात्पर्य असामान्य कृत्यों से है, नीतिशास्त्र में अपराध का तात्पर्य अनैतिक कृत्यों से है, धर्मशास्त्र में अपराध का तात्पर्य पाप से है, एव विधि शास्त्र में अपराध का तात्पर्य अवैध–कृत्यों से है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपराध से आशय उन व्यवहारो की व्याख्या से है जो समाज को क्षति पहुँचाते हैं।[2] किन्तु सामाजिक दृष्टि के अपराध कानूनी दृष्टि से भिन्न हो सकते है। कानूनी दृष्टि से वे सारे कार्य जो किसी समय विशेष में विशेष क्षेत्र एवं राज्य में संविधान या अपराध संहिता के नियमों के विपरीत हो अपराध कहलायेगें अपराध वह अवैध कार्य है जिसे सरकार जनता के लिये अहितकर मानती है[3] और उसके लिये राज्य ने यथोचित न्यायिक कार्यवाही तथा दण्ड की व्यवस्था की है।[4] इस प्रकार दोष निर्धारण की वैधानिक प्रक्रिया ही अपराध के अर्थ को स्पष्ट करती है।[5] शोध कार्यों में अपराध की वैधानिक व्याख्या ही स्वीकार की गयी है।

मानव व्यवहार विज्ञानों के अनुसार अपराध को अपराधी से अलग रखकर देखा जा सकता है। इस प्रकार अपराध की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले समस्त कृत्यों में से किसी एक या एक से अधिक कृत्यों को सम्पादित करने वाला व्यक्ति अपराधी वर्ग के अन्तर्गत आताहै। जिसे कानून दण्ड देने का अधिकार रखता है। ये अपराधी राजनैतिक, स्वाभाविक या व्यवसायिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।[6]

5.2 अपराध सम्बन्धी सिद्धांत

जिन सिद्धांतों के आधार पर अपराधात्मक व्यवहार की व्याख्या की जाती है उनका इतिहास पुराना है। आदिकाल से ही अनैतिक, असामाजिक

तथा अवैधानिक व्यवहार की व्याख्या अपराधशास्त्र विशेषज्ञ उस युग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ एवं उस युग के उपलब्ध ज्ञान के आधार पर करने आये है अपराध के कारणों के विवचेन से पूर्व ऐसे कुछ सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक है जो अपराध के कारणों को जानने के लिये अपराधशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित किये गये। इन सिद्धांतो में प्रेतवादी सिद्धांत मे यह मान्यता है कि व्यक्ति शैतान के भड़काने पर अपराध करता है। वर्तमान में अवैज्ञानिक होने के कारण इस सिद्धांत की मान्यता समाप्त हो चुकी है।

शास्त्रीय सिद्धांत – इसके अन्तर्गत अपराध का मुख्य कारण मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को माना गया है। इसमें मनुष्य अपने कृत्यों के लिये स्वयं उत्तरदायी है। वह सिद्धांत तार्किकता पर आधारित है।[7]

सुखवाद का सिद्धांत – इस सिद्धांत के अन्तर्गत मानव व्यवहार को सुख एवं दुखः की अनुभूति के आधार पर आँका गया है। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का मत है कि, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले यह सोचता है कि, उस कार्य से होने वाला सुख उस कार्य से होने वाले दुखः से कम है या अधिक यदि सुख प्राप्ति की संभावना अधिक है तो वह व्यक्ति उस कार्य को करेगा चाहे वह कार्य असामाजिक या अवैधानिक हो।[8]

सकारात्मक सिद्धांत – अपराध के कारणों की व्याख्या का यह सम्प्रदाय अपराध के कारणों की खोज अपराधी में निहित अच्छाई तथा बुराई चुनने की बौद्धिक क्षमता से हटकर उन शक्तियों पर है जो मानव नियंत्रण से परे है और उनकी व्याख्या की पद्धति वैज्ञानिक है।

न्यू क्लासिकल सिद्धांत – इसके अनुसार तीन तथ्यों को महात्व दिया जाता है –

1. व्यक्ति की इच्छा उसकी आयु, बुद्धि, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था पर्यावरण द्वारा प्रभावित हो सकता है।
2. अपराधी को दण्ड देने से पूर्व न्यायालय को अपराधी की मानसिक अवस्था जानना आवश्यक हो जाता है।

3. सही और गलत में विभेद न कर पाने वाले अपराधियों से उदार व्यवहार करना चाहये।

जैविकीय सिद्धांत — यह प्रमाणवाद पर आधारित है। जिसमें सामाजिक घटना के लिये अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान की कार्य पद्धति अपनाने पर बल दिया जाता है। लोमब्रासों ने इस बात पर बल दिया कि सभी अपराधों में अपराध का कारण प्रतिकूल वातावरण न होकर व्यक्तियों की अपराधिक जैविक प्रवृत्ति होती है। जो उसके शरीरिक दोषों द्वारा बाह्यरूपों से प्रकट होती है।[9]

हूट्टन के अनुसर अपराध की प्रेरण सामाजिक परिस्थितियों से नहीं बल्कि अनुवांशिक गुण से होती है।[10] शेल्डन ने अपराधी व्यावहार शीररिक गठन पर आधारित माना है। उन्होंने स्पष्ट किया लम्बे शारीरिक संरचना वालों में अपराध की भावना अधिक मिलती है।[11] अन्य सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिसमें मानसिक दुर्बलता को अपराधों का प्रमुख कारण माना गया है। हीले ने मनोविकार—विश्लेषण सम्बन्धी सिद्धांत का वश्लेषण करते हुये बताया कि, अपराध के कारणों में शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों के स्थान पर संवेगात्मक व्याकुलता को महत्वपूर्ण है। वह निराशा को मनुष्य में संवेगात्मक व्याकुलता उत्पन्न करने का कारण मानता है। उनके अनुसार अपराध एक प्रक्रिया है। जिसमें निराशा → संवेगात्तमक व्याकुलता → पीड़ा को दूर करना → प्रतिस्थापन व्यावहार → अपराध की कडियॉ होती हैं।

मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत — में फ्रायड का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि जैसे—जैसे व्यक्ति का बाह्य सांसारिक समाज से व्यवहार बढ़ता जाता है। वैसे—वैसे उसको 'इगो' का विकास होता जता है। और फिर 'इगो से सुपर इगो' विकसित होता जाता है। इस प्रकार जब इगों और 'सुपरइगो' के मध्य संघर्ष होता है तब सुपर+इगो सहज—प्रेरणात्मक पशुवत प्रवृत्ति (इड़) को नियंत्रित नहीं कर पाता और तभी व्यक्ति अपराधी व्यावहार करने लगता है।

समाजशास्त्रीय सिद्धांत – इस सिद्धांत के अन्तर्गत मुक्त इच्छा सिद्धांत का खण्डन किया गया। इसमें अपराधी व अपराध की व्याख्या व्यक्ति के शारीरिक गठन, मनोवैज्ञानिक रूप, आर्थिक व सामाजिक पर्यावरण के आधार पर की गयी है। ये शक्त्यॉ उसके सम्पूर्ण व्यवहार को न केवल प्रभावित करती है। वरन् उनका निर्धारण करती है।

विभेदक सहचर्य का सिद्धांत – अपराध क्षेत्र मे समाज शास्त्रीय सिद्धांत की लोकप्रियता घटने के बाद अपराध की व्याख्या हेतु विभदेक सहचर्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अन्तर्गत बताया गया कि अपराधी व्यवहार व्यक्तियो के मध्य होने वाली उस अंतःक्रिया का फल है जिसे वे एक दूसरे के प्रभाव में आकर सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपराधी तब बनता है जब उसमें कानून के उल्लंघन की प्रवृत्तिया कानून के पालन की प्रवृत्तियों से अधिक बढ जाती है। इस प्रकार इस सिद्धांत की मान्यतानुसार अपराधी व्यवहार एक सीखा हुआ व्यवहार है। जो अंतः प्रक्रिया के माध्यम से घनिष्ठ संबंधों के निजी समूहों से सीखा जाता है।[12]

सामूहिक संघर्ष का सिद्धांत – इस सिद्धांत के अन्तर्गत व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार की भूमिका निभाते हैं जिसमें उनकी क्रियायें सामूहिक हितो की प्राप्ति के विपरीत निजी हितो की प्राप्ति के लक्ष्य से निर्धारित होती है। इस प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया के फलस्वरूप समाज में ऐसे समूह विकसित हो जाते है जो अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं। ये अपना हित पूरा करने के लिये दूसरे का अहित करने में थोड़ा भी हिचकते नहीं है।[13]

सामूहिक क्रिया का सिद्धांत – इस सिद्धांत के अन्तर्गत व्यक्ति का व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में निहित होता है। उनके समस्त कृत्य दूसरे के हितों में सहयोगी एवं पूरक होते हैं।

बहुकारकीय सिद्धांत – अपराधी व्यावहार की जटिलता एवं अन्य समस्त सिद्धांतों में त्रुटियों के कारण वर्तमान अपराधशास्त्री अपराधी व्यवहार की व्याख्या बहुकारकीय उपागम द्वारा ही संभव मानते हैं। इस सिद्धांत के

अन्तर्गत अपराध ऐसे अनेक कारणों का परिणाम है। जो एक दूसरे से संबद्ध होते है। जिन्हे वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा ही जाना जा सकता है।[14] इस सिद्धांत की पर्याप्ता के बारे मे शेल्डन एण्ड ग्लुका ने टिप्पणी की कि, हमारे उपलब्ध ज्ञान को ध्यान मे रखते हुये अपराध का विभिन्न दर्शनग्राही या बहुकारकीय सिद्धांत ही सही प्रतीत होता है।[15]

अपराध वर्तमान युग की एक जटिलतम समस्या है। इस समस्या की जटिलता और गंभीरता के कारण संसार के अनेक राष्ट्र व्यथित है। विश्व मे आर्थिक विकास के साथ–साथ अपराधो की मात्रा एवं जटिलता में विस्तार हो रहा है। आज का सभ्य समाज इस निरंकुश दानव से जुझने मे असमर्थ है। यह अपराध संसार की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर देता है। अपराध मानव आचरण है। किन्तु सभी मानवीय आचरण अपराध की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। जो मानव आचरण समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं वही अपराध माने जाते है। समाज के सही संचालन हेतु कुछ नियम बनाये जाते हैं जिससे समाज का समग्र विकास संभव होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कारण से इन समाज स्वीकृत नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अपराध की संज्ञा दी जाती है। भारतीय धर्मशास्त्र इसे पाप की संज्ञा देता है। अपराध को अंग्रेजी में क्राइम कहते हैं। अंग्रेजी का क्राइम शब्द लैटिन भाषा के 'क्रीमेन्स' शब्द से बना है। जिसका अर्थ है 'अलगाव' अतः सामान्य व्यवहार में अपराध एक ऐसा कार्य है। जो व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है। अपराध एक सर्वजनीन शब्द है किन्तु इसकी व्याख्या में समानता नहीं मिलती क्योंकि अपराध देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिभाषित होते हैं। जैसे मद्यपान भारत में अपराध है। जबकि पाश्चात्य देशों में यह उच्च्व जीवन स्तर का प्रतीत है। भारत में सती–प्रथा गौरव के रूप में व्यापत थी जो अब अपराध की श्रेणी में आती है। प्राचीन काल में बहुविवाह प्रथा थी किन्तु वर्तमान में हिन्दु अधिनियम के अनुसार यह अपराध है किन्तु मुस्लिम शरीयत के अनुसार चार पत्नियाँ जायज है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपराध की अवधारणा परिवर्तनशील है। अपराधिक घटनायें सामाजिक

नियम एवं मूल्यो के द्वारा तय की जाती हैं। मानवीय मूल्य एव नियम समय सापेक्ष होते हैं। इसी कारण आज की वैज्ञानिक प्रगति में कुछ प्राचीन मान्यतायें जो अपराध मानी जाती थी – अब रूढियाँ बन कर रह गयी है।

कोई सार्वजनिक कानून जो किसी व्यावहार के करने पर प्रतिबन्ध लगाता है। इसके उल्लघन स्वरूप किया गया व्यावहार अपराध है।[16] अपराध वह क्रिया है कि जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिये हानिकर घोषित किया है। एव जिसके लिये राज्य दण्ड देने की शक्ति रखता है। अपराध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। कानून का उल्लंघन करने वाला व्यवहार ही अपराधी व्यवहार है।[17] अपराध वह एच्छिक कार्य है जो सामाजिक हितों के लिये हानिकर है। जिसमें अपराधी उद्देश्य है। जो विधिक दृष्टि से प्रतिबन्धित है। जिसके लिये कानून में दण्ड का विधान है।[18] जो अपराध करता है वह अपराधी है किन्तु जनतंत्र में वह व्यक्ति जिसने अपराध को स्वीकार कर लिया है। तब तक अपराधी नहीं है। जब तक कि उसका अपराध न्यायालय द्वारा सिद्ध नहीं हो जाता है।[19]

अपराध के भौगोलिक सिद्धांत

अपराध सम्बन्धी सिद्धांत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपराध का कोई एक विशिष्ट कारण नहीं होता बल्कि अनेक कारण एक साथ मिलकर अपराध का कारण बनते है। जिसमें अन्धविश्वास, सामाजिक वातावरण, व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक विशेषतायें, आनुवांशिकता इत्यादि जिम्मेदार होते हैं। अपराध के विश्लेषण, हेतु व्यक्ति विशेष की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सास्कृतिक परिस्थितियाँ ही उत्तरदायी है। इन समस्त तत्वों को हम भौगोलिक परीस्थिति कहते हैं। इसी कारण इस विचारधारा को भौगोलिक साम्प्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस सम्प्रदाय के लोग अपराधों का विश्लेषण भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर करते हैं। अपराधों के अध्ययन में भौगोलिक सिद्धांत का प्रचलन 18वीं शताब्दी से ही हो रहा है। किन्तु 20वीं

शताब्दी के प्रारम्भ में इसकी उपयोगिता पर विशेष बल दिया जाने लगा। ऐसे अनुयायियों में मान्टेस्क्यू,[20] क्वेटलेट,[21] ग्वेली के अतरिक्त डेक्सटर क्रोपोटकिम,[22] एण्ड जोसेफ कॉन[23] के नाम प्रमुख है।

प्राचीन मान्यतानुसार अपराध के कारणो में जर (धन) जोरू (औरत) जमीन (भूमि) प्रमुख होते है। सूक्ष्म रूप से विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि तीनो ही भौगोलिक कारक है। 'धन' आर्थिक परिस्थितियो का द्योतक है। 'जोरू' यौन इच्छा व जलवायविक, दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमे जन–समूह की प्रवृत्ति भी उत्तरदायी है। 'जमीन' धरातलीय स्वरूप को बताता है। इसमें भूमि का उर्वरापन, धरातलीय प्रकृति सम्मिलित है। उपर्युक्त तीनों प्रमुख कारण अन्य गौड भौगोलिक तथ्यों के साथ मिश्रित होकर अपराधों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अतः अपराधों के कारणों की व्याख्या हेतु इन तथ्यों का विश्लेषण आवश्यक है। अपराधी व्यवहार भौतिक पर्यावरण के तत्व, सांस्कृतिक तत्व, सामाजिक तत्व, आर्थिक तत्य राजनैतिक तत्वो के प्रभावों का प्रतिफल माना जा सकता है। अतः अपराध भूगोल के विश्लेषण मे इनके भौतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को विशद् वर्णन आपेक्षित है। जिस प्रकार भौतिक पर्यावरण मानव के क्रिया कलापों, व्यवहारों, आदतों एवं स्वभाव को बिना प्रभावित किये नहीं रहता उसी प्रकार सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्य जनसंख्या, जनघनत्व, लिंगानुपात साक्षरता, कृषि, अधिवास, व्यवसायिक संरचना, जाति एवं धर्म व्यवस्था भी मानव व्यवहार पर अपना अमिट प्रभाव डालते हैं इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अपराधों पर इनके प्रभावों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन किया गया है।

अपराध के सामान्य कारण

19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों से ही अपराध के कारणों के प्रति विद्वानों, अपराधशात्रियों, मनोवैज्ञानिकों की तीव्र जिज्ञासा रही है। इस के सम्बन्ध में सर्वेक्षण एवं विभिन्न शोधों का सहारा लिया गया। जिसके निष्कर्ष

स्वरूप सभी ने स्वीकार किया कि अपराध किसी एक कारक या घटना का परिणाम नही, बल्कि अपराध ऐसे अनेको कारणो का परिणाम है जो एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इन कारकों में व्यक्तिगत कारक, मानवशास्त्रीय कारक, भौतिक कारक, प्राकृतिक कारक तथा सामाजिक स्तर के कारक, व्यवसाय सम्बन्धी कारक, जन्म स्थान, शिक्षा, शारीरिक बनावट, प्रजाति, जलवायु, भूमि उर्वरता, दिन रात की लम्बाई और छोटाई, मौसम, जलवायु, भूमि उर्वरता, दिन रात की लम्बाई और छोटाई, मौसम, जलवायु सम्बन्धी दशायें, तापमान, जनसंख्या घनत्व, जनमत, लोकरीतियॉ, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक दशायें, कृषि उत्पादन, लोक प्रशासन, रक्षा, सामान्य शिक्षा, सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक एवं वैधानिक कानून आदि सभी सम्बन्धी कारक सम्मिलित हैं। जिनके मिश्रित प्रभाववश व्यक्ति अपराधी बनता है।[24] अपराधी व्यवहार के कारणों की व्याख्या का एक उपागम इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा करता है कि, अपराधी अपने शारी़रिक दोषों के आधार पर हीन भावना से ग्रस्त रहता है और उसी भावना के प्रतिपाल स्वरूप वह अपराधी व्यवहार करता है। इस शरीर विज्ञान को अपराधी व्यवहार का कारण मानते हुये[25] कपाल विज्ञान एवं चेहरे की संरचना को प्रमुख कारण माना गया[26] कुछ विद्वानों ने सम्पूर्ण शरीर की बनावट को अपराध का कारण माना है। शरीर की बनावट को आधार मानने वालों ने अपराधी प्रवृत्तियों को जन्मजात माना और बताया कि उनमें सुधार नहीं किया जा सकता।[27] अन्य अपराधी कारकों के आधार पर निम्नवत तथ्यों की विवेचना की गयी है।

भौतिक पक्ष व अपराध

धरातलीय संरचना व अपराध

भौतिक कारकों में भूमि, जलवायु, अपवाह तंत्र आदि सम्मिलित किये जाते हैं जिनका विवरण निम्नवत् है। खाद्यान्न मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक तत्व है एवं खाद्यान्न का उत्पादन भूमि पर किया जाता है। जहाँ तक

भूमि और अपराधों के अर्न्तसम्बन्ध की बात है तो यह भूमि की प्रकृति पर निर्भर करती है। भूमि की प्रवृत के अन्तर्गत दो तथ्य महत्वपूर्ण है। प्रथम धरातलीय बनावट द्वितीय भूमि की उर्वरता प्रथम के अन्तर्गत जहॉ भूमि समतल नहीं है वहॉ पर अच्छी कृषि न होने के कारण खाद्यान्न की कमी होती है। जिससे भोजन की कमी के कारण अपराधिक प्रवृत्तियों में वृद्धि होती है। उदाहरण जनपद के गगा के खादर क्षेत्र (कटरी) मे धरातल ऊबड़–खाबड होने के कारण फसलों का उत्पादन नही हो पाता है जिसके कारण जनसंख्या बिरल मिलती है। एवं अधिवासों में अधिक दूरी पायी जाती है। इसलिये अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति समीपवर्ती क्षेत्रों में अपराध करके इन्ही क्षेत्रों में शरण लेते हैं। अपहरण की घटनायें भी यहाँ अधिक होती है जिन्हें स्थानिक भाषा में 'पकड' कहते है।

भूमि के उपजाऊपन का भी अपराध से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपजाऊ–भूमि में खाद्यान्न अधिक होता है जिससे स्थानिक निवासियों को जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त सुविधायें मिलती है। जिससे वे लोग अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर लेते हैं। दूसरी ओर अनुपाजाऊ क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को भोजन के लिये भी कठिन संघर्ष करना पड़ता है। अतः अपराधिक कार्यो को सहारा लेते हैं। इस प्रकार उपजाऊ भूमि अपराधों को पनपने में सहयता नही देती है।

भूमि की समतलत्व एवं उपजाऊपन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकारअसमान धरातल एवं अनुपजाऊ भूमि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जनपद के गंगा कटरी क्षेत्र में खाद्यान्न का उत्पादन न हो पाने के कारण पशु–पालन होता है। चरवाहे पशु के चारे हेतु या पुश चराने हेतु इसी कटरी मे जाते हैं। पशु–पालन में माध्यम वर्गीय एवं निम्नवर्गीय समाज के लोग होते हैं। इनके यहाँ का महिला वर्ग पशु चारे हेतु इन क्षेत्रों में आता रहताहैं। जिससे यहाँ महिला सम्बन्धी अपराधों में भी वृद्धि हुयी है।

THE WORLD
ZONAL DISTRIBUTION OF CRIMES

N. POLAR REGION

66 1/2°

N. FRIGID ZONE

23 1/2°

CANCER

TORRID ZONE

CAPRICORNUS

23 1/2°

S

S. FRIGID ZONE

S. POLAR REGION

66 1/2°

AVERAGE CRIME

जलवायु व अपराध

वायुमण्डलीय घटनाओ एव अपराध में घनात्मक सह सम्बन्ध पाया जाता है आर्द्रता मे बढ़ोत्तरी के साथ हिसात्मक घटनाये बढती हैं। वायु नण्डलीय दबाव की घटना हिसांत्मक अपराध को बड़ाता है। अत्यधिक तापमान व्यक्ति को झगडे हेतु प्रेरित करता है। वर्षा–ऋतु में अपराधों की सख्या कम हो जाती है।[28]

प्रिंस पीटर क्रोपोटकिन ने तापमान व आर्द्रता के आधार पर अपराधों की भविष्यवाणी की, उन्होंने महीने के अपराध के औसत को 7 से गुणा कर उस महीने की औसत आर्द्रता को जोडकर उपलब्ध संख्या मे 2 का गुणा करने से अगले माह की औसत हत्या की मात्रा ज्ञात की जा सकती ऐसा माना है।[28] जनपद के अनुकूल वर्षा वाले स्थानो एवं वर्षों में अपराध कम होते हैं क्योंकि अच्छी वर्षा होने से फसलों की उपज अच्छी होती है। अतः अपराध कम होते हैं जबकि कम वर्षा होने से फसल उत्पादन भी कम होता है। अतः अकाल में अपराध अधिक होता है।[30] तापमान का भी अपराध से धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है। जनपद के ग्रीष्म–ऋतु में (मार्च से अगस्त) यौन–अपराधों की संख्या अधिक घटित होती है। जबकि सितम्बर से फरवरी तक इन अपराधों में कमी देखी गयी है।

फ्रांसिसी विचारक मान्टेक्यू ने जलवायु एवं अपराध के सह सम्बन्ध को बताने के लिये एक प्रतिमान का निर्माण किया है। जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों का जाने पर अपराधों की संख्या मे कमी होती जाती है। चित्र नं. देखें 5.1

अपराधों का विश्लेषण करने के लिये महीनों के अनुसार अपराधिक कलेंडर का निर्माण किया गया है।[31] जलवायु मानव निवारा को प्रभावित करता है, मानव के जीविकोपार्जन के लिये उद्योग, कृषि के लिये फसलों का चुनाव, भोजन एवं दस्त्र का निर्धारण और यहाँ तक कि बीमारियों पर भी जलवायु का

प्रभाव पड़ता है।[32] मानव के व्यवसाय, उद्योग, व्यापार स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता आदि सभी पर जलवायु का प्रभाव पडता है।[33]

अपवाह तंत्र व अपराध पर प्रभाव

अपराध पर अपवाह तंत्र का प्रभाव पडता है नदियो के किनारे के अधिवासों में अधिक अपराध देखे जाते हैं क्योंकि नदियो के समीपवर्ती भूमि का कटाव करके उबड खाबड़ बना देती है जिससे फसलोत्पादन कम हो जाता है और इस धरातलीय विषमता के कारण अपराधियो को छिपने में भी सहायता मिलती है। ये हत्याएँ करने के बाद शव को नदियो में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसे वातावरण में अपराधी आसानी से छिपे रहते हैं और पुलिस की पहुँच से दूर हो जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र गंगा प्रवाह—तंत्र के अन्तर्गत आता है। इसमें रामगंगा, गंगा, बूढी गंगा, काली नदी ईसन नदी, अरिन्द नदी, आदि नदियों प्रवाहित होती है जो वर्षा के समय जलाप्लावन की स्थिति उत्पन्न करती हैं जिससे भूमि कटाव अत्यधिक होता है। इस विषम परिस्थितियों से प्रभावित क्षेत्रों में राजेपुर, शम्शाबाद, अमृतपुर, गंगापार गाँवों आदि के क्षेत्रों में आर्थिक विपन्नता उत्पन्न हो जाती है। चोरी, डकैती, यौन—अपराध पनपते हैं। कुछ अपराध सामाजिक लोक—लाज के कारण अभर कर सामने तो नहीं आ पाते। किन्तु पूरे जनपद मे अपराधों की वृद्धि में और अधिक योगदान देते हैं।

प्राकृतिक वनस्पति के अपराध

अध्ययन क्षेत्र पर प्राकृतिक वनस्पति का प्रभाव अपराधों पर उन क्षेत्रों पर बड़ा है जहाँ नदियों द्वारा गहरे कटाव किये गये हैं और वहॉ जंगल हो गये हैं। अपराधी गिरोह दिन में इन्हीं क्षेत्रों में छिप कर समीपवर्ती क्षेत्रों में रात्रि को अपराध करते हैं।

सांस्कृतिक पक्ष व अपराध

जनसंख्य और अपराध

सांस्कृतिक पर्यावरण के निर्माण मे मनुष्य की भूमिका सर्वोपरि है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन के आधार पर मानव अपने क्रिया–कलापो द्वारा सांस्कृतिक भू–दृश्य का निर्माण करता है।[34] यहीं सांस्कृतिक भू–दृश्य सास्कृतिक पर्यावरण के तत्व होते हैं। अतः स्पष्ट है कि अपराध के विश्लेषण मे जनसंख्या की भूमिका महात्वपूर्ण होती है यदि समस्त परिस्थितियाँ अगर अनुकूल है तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अपराधो की संख्या अधिक होती है। इसमे अपवाद भी पाये जाते हैं। किन्तु उनके कारण अन्य होते हैं उदाहरण स्वरूप काश्मीर, आसाम क्षेत्रों में जनअधिक्य न होने पर भी अपराधों कावर्चस्व है।

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक जनघनत्व बढ़पुर विकासखण्ड में है। सबसे कम जनघनत्व कायमगंज क्षेत्र में है। अपराधों के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रो में अपराध अधिक होते हैं क्योंकि, जनाधिक्य के कारण अनेक समस्यायें जैसे भुखमरी, बेरोजगारी, खाद्य समस्या, निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, अपराधीय समस्यायें मिलती हैं जो परोक्ष रूप से अपराधों को जन्म देती है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व एवं अपराधों में धनात्मक सह सम्बन्ध मिलता है।

आयुसंरचना एवं अपराध

क्षेत्र का आयु–पिरामिड चित्र (अध्याय तीन) के देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर आधी से अधिक जनसंख्या अकार्यशील जनसंख्या है और इनकी आयु भी लगभग 20 वर्ष से कम है। अपराधिक अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि 25 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति अनेक प्रकार के अपराधों से जुड़े हैं। डकैती, गवन, जाल–साजी, बलात्कार आदि अपराध 20 से 29 वर्ष की आयु में होते हैं।[35] जबकि मद्य–पान, जुआ आदि 35 से 39 वर्ष की आयु में होते हैं।

लिंगानुपात एवं अपराध

समाज में पुरुष, स्त्री के यौनानुपात का प्रभाव अपराधों पर पडता है। जिन क्षेत्रों में पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य लिगानुपात सम पाया जाता है वहाँ पर अपराधों की संख्या कम है। जहॉ पर लिंगानुपात में अव्यन्त असमानता मिलती है वहाँ पर महिलाओं के प्रति यौन–अपराधो की मात्रा अधिक मिलती है।[36]

अध्ययन क्षेत्र में भी यौन–अनुपात व अपराधों में धनात्मक सह सम्बन्ध देखा गया है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश अपराध पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं द्वारा किये गये अपराधों की संख्या नगण्य है।

साक्षरता एवं अपराध

अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता एवं अपराध में ऋणात्मक सम्बन्ध देखने को मिलता है। अध्ययन क्षेत्र के जिन विकास खण्डों में साक्षरता दर कम है। वहाँ पर अपराधों की संख्या अधिक है। जबकि अधिक साक्षरता दर वाले विकास खण्डों में अपराधों की संख्या कम मिलती है। जेल के कैदियों से किये गये साक्षात्कारों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि अशिक्षित व्यक्ति अधिक अपराध करते हैं। जबकि शिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम अपराध किये जाते हैं। (***स्रोत*** – स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर)

कार्यकारी जनसंख्या और अपराध

अध्ययन क्षेत्र के कार्यकारी जनसंख्या पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्र में कार्यकारी जनसंख्या कम है। वहाँ अपराधों की संख्या अधिक है। कार्यकारी जनसंख्या की अधिकता वाले क्षेत्रों में व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जिससे उनका झुकाव अपराधों की ओर नहीं होता। जबकि बेरोजगार व्यक्ति अपराधिक कार्यों में लग जाते है। बेरोजगारी एक ऐसी

समस्या है। जिसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से परिपूर्ण हाते हुये भी जीवकोपार्जन न मिलने के कारण समाज के निर्माण कार्यों में न लगकर उसके विनाशात्मक कार्यों में लग जाते है और अपराधी बन जाते हैं।

धार्मिक व्यवस्था एवं अपराध

अध्ययन क्षेत्र में जाति व्यवस्था की (सारणी अध्याय–3) देखने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक लोग हिन्दू–धर्म को मानने वाले है जो समस्त जनसंख्या का 85.55 प्रतिशत है। फिर 4.17 प्रतिशत मुस्लिम धर्म के लोग है। इस क्षेत्र में जहॉ मुस्लिम अधिक है वहॉ दंगा अत्यधिक होते हैं क्योंकि मुस्लिम लोग असिहष्णु होते हैं। राम जन्म भूमि विवाद के समय इस क्षेत्र में भी साम्प्रादायिक घटनायें सामने आयी जो प्रायः मुस्लिम बहुत क्षेत्रो में अधिक थी। ध्यातव्य है एक ओर जहाँ प्रत्येक धर्म अपराधों को कम करने में सहायक होते है। एवं शान्तिमय जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। वहीं धार्मिक उन्माद रूढ़िवाद, पाखण्ड, आडम्बर, कठमुल्लापन एव अंधिविश्वासों के कारण धर्म की आड़ में अनेक अपराध होते रहते है।

जाति व्यवस्था एवं अपराध

क्षेत्र के सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न जातियों को पर्याप्त समिश्रण है। इसमें मुख्यतः तीन वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। सवर्ण वर्ग, पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, एवं जनजाति। पहले सवर्ण वर्ग गंभीर किस्म के अपराध करते थे। वही अब पिछड़ी जाति के लोग गंभीर अपराध करने लगे हैं। सवर्णों एवं पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जातियों के लोगों का शोषण करते हैं अनुसूचित जाति की महिलाओं के प्रति यौन अत्याचार करते हैं। जिनके कारण विभिन्न अपराधों का जन्म होता है। क्षेत्र की विभिन्न जनजातियों बंजारे, कंजड़, नट, बहेलिये आदि जिनका जीवन अस्थाई एवं संघर्षमय होता है। झगड़ा–फसाद करने में अत्यन्त प्रवीण होते हैं। जिसके कारण ये अनेक अपराधों में संलग्न रहते हैं।

पशु—संसाधन और अपराध

भारतीय अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत में अधिकांश संख्या छोटे एवं सीमान्त कृषकों की है जो पशु (गाय, बैल, भैंस) के द्वारा कृषि कार्य करते हैं। एवं पशुपालन द्वारा दुग्ध उत्पादन, माँस उत्पादन, ऊन उत्पादन आदि विभिन्न कार्य भी करते हैं। अध्ययन क्षेत्र मे, पशु—पालन गंगा के कटरी क्षेत्रों में बहुतायत में होता है क्योंकि यहाँ पर कृषि नही की जा सकती इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग के मध्य पशुओं की चोरी करने से पशुचारा एकत्रित करने से या पशुओं द्वारा दूसरे की फसल चरने के कारण प्रायः झगडे का कारण बनते हैं जो बाद में अपराध का रूप धारण कर लेते हैं। अध्ययन क्षेत्र में पशु—संसाधन से सम्बन्धित अनेक अपराध किये जाते हैं।

सामाजिक अपराध

सामाजिक पर्यावरण मनुष्य को अपराधी बनाने में सहायक होते है। जनसंख्या की विशेषतायें जिसमें जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या संरचना, व्यवसायिक संरचना आदि आते हैं, जिसके द्वारा अपराधों की संख्या में बहुलता एवं विरलता देखी जाती हैं। अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अपराधों की संख्या अधिक होती है। जबकि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अपराध कम मिलते हैं।[37] शहरों में जहाँ अधिक जनसंख्या मिलती है वहाँ अपराध एक व्यवसाय के रूप में पनपता है। शहरों में अपराध की नवीन तकनीक विकसित होती रहती हैं। जिससे अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती है।[38]

नगरीय जनसंख्या एवं अपराध

नगरीय अधिवासों में सामाजिक विषमता अधिक देखने को मिलती है। वैसे तो इनमें विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों एवं जातियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। किन्तु उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना नहीं होती है।[39] अध्ययन

क्षेत्र के अधिक नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों मे धनधान्य की वृद्धि एवं अधिक आर्थिक समृद्धि के साथ–साथ भीड़–भाड, कोलाहल, मलिनबस्तियों का प्रार्दुभाव, नैतिकता का पतन–शोषण युक्त समाज, मानवीय गुणों का अभाव पर्यावरण का ह्रास आदि नकारात्मक वातावरण उपस्थित करते है जो परोक्ष रूप से अपराध की वृद्धि में सहायक हैं।

अपराध के अन्य कारक

इन कारकों के अतरिक्त अपराधी प्रवृत्तियों के अन्य कारणो में राजनीति, नौकरशाही, मनोरंजन का बदलता स्वरूप, परिवारिक विघटन, आर्थिक विपन्नता, चारित्रिक पतन, उग्रस्वभाव, गृह–कलह, मद्य–पान, निरन्तर तनाव, संयुक्त परिवारों का विघटन, जीवन शैली, पारिवारिक परिस्थितियाँ, औद्योगिक व्यवसाय, शिक्षाप्रणाली, न्याय पुलिस एवं दण्ड व्यवस्था है।[40]

अपराधी व्यवहार मनुष्य में व्याप्त विशिष्ट वैयक्तिक मनोभावों जैसे अवैध पैत्रता, सौतेली संतान, अनाथ होने का अनुभव, बुरा पड़ोंस एवं बहुमुखी बाह्य–शक्तियों के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होता है।[41]

इस प्रकार अपराध के कारको के सम्बन्ध में विभिनन तथ्यों, विवेचनों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि अपराध मानवशास्त्रीय, भौतिक तथा सामाजिक कारकों के अनेक संमिश्रणों का फल है।

अपराध का प्रभाव

अपराध के भिन्न–भिन्न कारणों के अनुसार ही उनका प्रभाव भी भिन्न रूप से पाया जाता है। जिस प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, भौतिक, आर्थिक, मानवशास्त्रीय पक्षों का प्रभाव अपराधों पर पड़ता है वैसे ही इन्हीं अपराधों का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग व क्षेत्र पर पड़ता है।

अपराधों का समाज पर प्रभाव सदैव नकारात्मक .रूप से ही पडा है जब मनुष्य जनबूझकर अज्ञानवश या पारिस्थिति के दबाव मे आकर ऐसा अपराधी व्यवहार करता है तो समाज की व्यवस्था, मान्य नियमो तथा वाछित व्यवहार के प्रतिमानों पर न कवेल विपरीत प्रभाव पड़ता है वरन् यह सामाजिक हितों की पूर्ति के लिये भी घातक सिद्ध होता है। इन अपराधों का प्रभाव जब समाज के किसी संगठनात्मक या व्यवस्थात्मक ढॉचे पर पडता है तो असमायोजन की अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जाती है और उनका व्यापक स्वरूप समाजों को रूग्ण बनाता है। अपराधों की समस्या मानवयी सम्बन्धो की वह समस्या है जो समाज के लिये गंभीर रूप से हानिकारक सिद्ध होती है। जिसके कारण अनेक लोगों की महत्वपूर्ण इच्छायें पूरी नहीं हो पाती।[41] अपराध एक सामाजिक समस्या है। जो समाज मे तनाव, संघर्ष एवं निराशा उत्पन्न करती है। जो सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति से उत्पन्न सतोष के मार्ग में रोड़ा बन जाती है। अपराध के प्रभाव की व्याख्या करते हुये मुख्य तथ्य उभर कर सामने आते हैं इससे समाज में संतुलन की शक्तियों में परितर्वन होता है। सामाजिक संरचना भंग हो जाती है। व्यवहार नियामक प्रतिमान लागू नहीं हो पाते और नियंत्रण के स्वीकृत स्वरूप प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं।[42]

अपराध का प्रभाव जब वैयक्तिक विघटन के रूप में सामने आता है तो समाज में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण में होने वाले उन परिवर्तनों की आखिरी अवस्था है। जिसमें अपराधी तत्वों के भय के कारण जीवन के प्रति असीम मोह की भावना घृणा में बदल जाती है। इसके मूल में निराशा, हताशा एवं पलायनवादिता होती है जिसके उत्पन्न होने का कारण अपराधी वयवहार ही होता है। आज अनेक अपराधी सरगने अपहरण जैसे कुकृत्यों के माध्यम से या तो धन उगाही कर रहे हैं या उनसे भिक्षावृत्ति अथवा उन अपहृत बच्चों को अपराधों में लगा रहे हैं जिससे समाज मे भिक्षावृत्ति, बाल—अपराध जैसी समस्यायें बनी हुयी है। इन समस्याओं का भयानक रूप सामाजिक रूग्णता के रूप में एवं मानसिक पंगुता के रूप में उभर कर सामने आता है। मद्यपान जैसे अपराध स्नायुविकार परिवारिक विघटन, चरित्रिक पतन के रूप में समाज पर अपना प्रभाव डालते हैं।

सन्दर्भ

1. डॉ. एस.पी. श्रीवास्तव – सामाजिक समस्यायें, सामाजिक कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, 1978, पृ. 170
2. धासिंटन सेलिन – कल्चर कार्नाफ्लक्ट एण्ड क्राइम, न्यूयार्क, 1938, पृ. 20–21
3. भारतीय दण्ड संहिता, 1998
4. ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ, 1956
5. डॉ. एस.पी. श्रीवास्तव, वही (1)
6. हैवलक इलिश – दि क्रिमिनल, लंदन, 1901, पृ. 1–24
7. बैकरिया – स्रोत : प्रश्न कुमार अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, 2000 अपराधिक विश्लेषण बदायुँ जनपद, पृ. 127
8. डॉ. एस.पी. श्रीवास्तव, वही (1)
9. लोम्ब्रोसो सी. – दि क्रिमिनल मैन, पांचवा संस्करण, जी.पी. पुटानिस संस, न्यूयार्क, 1911, पृ. 1–20
10. हूटन ई. – क्राइम एण्ड मैन, 1931 : दि अमेरिकन क्रिमिनल एन एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडी (1939) हारवर्ड यूनी. प्रेस, कैम्ब्रिज
11. शेल्डन डब्ल्यू.एच. – पैराइटीज ऑफ डेलीक्वेट यूथं, ह्वारपर एण्ड ब्रादर्स, न्यूयार्क, 1949
12. इडविन एच. सदर लैण्ड एण्ड डोनाल्ड आर. क्रेसी – प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिक्रमिनोलॉजी, फिला डेल्फिया, 1955
13. जार्ज सिमूल – क्रिमेनोलॉजी, न्यूयार्क, 1956, यूथ स्टडी सर्किल।
14. इनरिकों फेरी – स्टडीज आन क्रिमिनैलिटी इन फ्रांस फ्राम, 1826–1878, रोम, 1881

15. शेल्डन ग्लुक एण्ड इलनियर ग्लुक – अनरेबेलिग जुबेंनाइल डेलिक्वेंसी, न्यूयार्क, 1950, पृ. 70

16. ब्लैकस्टोन डब्ल्यू – कॉमेन्ट्री, 6–4, पृ. 5

17. ई. एच. सदलैण्ड एण्ड डी. आर क्रेसी – प्रिसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बाम्बे, 1968, पृ. 4

18. एम.एम. लबानियां – क्रिमिनोलॉजी, दिल्ली, 1981–82, पृ. 50

19. ई.एच. सदरलैण्ड एण्ड क्रेसी – प्रिसिंपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बाम्बे, 1968, पृ. 18

20. मॉण्टेस्क्यू – स्प्रिट ऑफ, को टेड बाई वार्न्स, एच.ई. एण्ड टीटर्स एन.के, पृ. 143

21. क्वेटलेट – थर्मिक लॉ ऑफ क्राइम कोटेड बाई वार्न्स एण्ड टीटर्स इन न्यू हैराइजन्स इन क्रिमिनोलॉजी, चतुर्थ संस्करण, प्रिटिंस हाल, इगलवुड, 1959

22. क्रोपोटकिन पी.पी. – मार्डन थ्योरीज ऑफ क्रिमिनलिटी, कोटेड बाई बर्नाल्डो, लिटिल ब्राउन वोस्टन, 1911

23. जोसेफ कॉन – यूनीफार्म क्राइम रिपोर्ट, फ्रेण्डस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन्स, न्यू एस.ए. इन उेसलर्स बुक, रीडिंग्स इन क्रिमिनोलॉजी एण्ड पेनोलॉजी कोलम्बिया यूनी. प्रेस, न्ययार्क, 1964, पृ. 22

24. इनरिको फेरी – स्टडीज ऑन क्रिमिनैलिटी इन फ्रांस फ्राम, 1826, रोम 1881

25. जोहान कॉस्पर लेपाटर – फिजियोनोमिकल फ्रैगमेंट्स, 1975

26. चार्ल्स काल्डवेल – इसीमेंट्स ऑफ क्रेनालॉजी, 1824

27. सिजारे लांब्रोसो – ए मार्डन मैन ऑफ सांइस, लंदन, 1911, पृ. 18

28. ई. जी. वेक्सरर – वेदर इन्फ्लूएन्स मैनिलॉन, न्यूयार्क, 1904

29. प्रश्न कुमार – जनपद बदायुँ में अपराधों का विश्लेषण, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, 2000, पृ. 135

30. डी. एस. बघेल – क्रिमिनोलॉजी, 1985, पृ. 127–28

31. वही 29, पृ. 132

32. एस.एस. विशर – जलवायु और उसके प्रभाव, 1954, पृ. 196

33. सी.टी. व्हाइट एण्ड रेनर – ह्यूमन ज्योग्राफी, 1998, पृ. 23–37

34. डी. हॉसन– ओरीजन ऑु द एकेडेमिक ज्योग्राफी इन दि यूनाइटेड स्टेट, हैम्बर्ग, 1981, पृ. 165–174

35. ई. एच. सदरलैण्ड – प्रिसिंपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बाम्बे, 1968, पृ. 108

36. वही, पृ. 111

37. डी. एस. बघेल – क्रिमिनोलॉजी, 1985, पृ. 127–128

38. वही 34, पृ. 130

39. डॉ. आर. सी. तिवारी – अधिवास भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद, पृ. 31

40. इनरिको फेरी – क्रिमिनल सोश्योलॉजी, न्यूयार्क, 1966, पृ. 530

41. हैंसवॉन हेटिंग – क्राइम काजेज एण्ड कंडीशंस, न्यूयार्क, 1947, पृ. 203

42. अर्लराव एण्ड गरट्यूट जे. सेल्जनिक – मेजर सोशल प्राबल्म्स, न्यूयार्क, 196, पृ. 4

43. डब्ल्यू. बैलेज वीवर – सोशल प्राबल्म्स, न्यूयार्क, 1951, पृ. 3

44. मेबेल ए. इलिएट एण्ड फ्रासिस ई. मेरिल – सोशल डिसआर्गनाइजेशन, न्यूयार्क, 1950, पृ. 20

अध्याय—6

प्रतिदार्शी ग्रामों के संदर्भ में अपराधों का विशिष्ट अध्ययन

प्रतिदर्शी ग्रामों के संदर्भ में अपराधों का विशिष्ट अध्ययन

भूमिका

विगत अध्यायों मे फर्रुखाबाद जनपद के अपराधों की मासिक एवं स्थानिक प्रतिरूप पर विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया गया है विस्तृत क्षेत्र में अपराधों पर पर्यावरण के प्रभाव का सामान्य विश्लेषण ही किया जा सकता है। इस जनपद के अपराधों का विशिष्ट अध्ययन करने हेतु कुछ प्रतिदर्श गॉवों का चयन किया गया है जिससे प्रतिदर्शी गॉवों के अपराधों पर पर्यावरण के प्रभाव का गहन अध्ययन किया जा सके। वर्तमान समय में भूगोल सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण की ओर अग्रसर ही रहा है। उत्तर—आधुनिकता का स्पष्ट प्रभाव भूगोल के अययन पर भी पड़ा है। प्रत्येक क्षेत्र अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखता है और उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान उसी क्षेत्र के पर्यावरण के संदर्भ में किया जा सकता है। अपराध विश्लेषण में इस प्रकार के अध्ययन की उपयोगिता निम्न कारणों से और अधिक स्पष्ट होती है।

उपयोगिता के कारण

1. इस प्रकार के अध्ययन से स्थानीय पर्यावरण के विभिन्न कारकों का प्रभाव अपराधियों, पुलिस प्रशासन एवं उत्पीड़ित व्यक्तियों के संदर्भ में अधिक सुगमता से जाना जा सकता है।
2. प्रतिदर्शी क्षेत्रों के अध्ययन से क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में अपराधों के सूक्ष्म औरगहन अध्ययन का विवरण प्राप्त होता है।

3. लघु क्षेत्रीय स्तर पर किये गये अध्ययन मे लोगों से साक्षात्कार द्वारा सांख्यकीय आँकडों की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जा सकता है।

4. अपराध और अपराधियों की वर्तमान दशाओ का यथार्थ अवलोकन एवं गतिविधियो से सम्बन्धित प्रत्यक्ष कारको को अधिक सामीप्य से समझा जा सकता है।

5. अपराधों के संदर्भ में स्थानीय पर्यावरण की दशाये, उत्पीडित व्यक्तियों की भूमिका, अपराध की यातना झेलने के पश्चात प्रतिक्रिया की यथार्थता प्रतिदर्शी ग्रामों के अध्ययन से अधिक स्पष्ट की जा सकती है।

6. इस प्रकार के अध्ययनों के द्वारा अति संवेदनशील अपराध क्षेत्रों में स्थानीय पर्यावरण की दशाओं के अन्तर्गत अपराधों के निवारण समझाने का प्रयत्न किया जाता है।

7. इस प्रकार का अध्ययन भविष्य में अपराधों उन्मूलन एवं पीड़ित पक्ष को संरक्षण देने में प्रयुक्त किया जा सकता है।

अपराध नियंत्रण में स्थानीय पर्यावरण की दशाओं और अपराधों के अन्तर्सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त करना सदैव सार्थक रहता है। ऐसे विभिन्न पक्षों संयुक्त अध्ययन शोध कार्य का परिपूरक हैं साथ में इसके अतिरिक्त यह जानना भी आवश्यक है। विभिन्न नगरीय और ग्रामीण पर्यावरण में विशिष्ट अपराधिक दशायें क्यों प्रगट होती है। एवं उनकों किस प्रकार से व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाय जिससे अपराधों में कमी आ सके। अपराधों के विश्लेषण में अवस्थिति का विषय महत्वपूर्ण है। अतः भूगोलवेत्ता उन स्थानिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने में विशेष उत्सुक रहता हैं। जिन परिस्थितियों के कारण अपराध घटित होते हैं। यह विषयवस्तु परम्परागत तकनीक से अधिक व्यापक और उपयोगी है। तक्षा क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार के अध्ययन का विशेष महत्व है।

शोध की दृष्टि से अपराध घटित होने की दशाओं का अध्ययन दो रूपों में किया जा सकता है —

1. यह कि अपराधों का लक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध करके उसकी गहनता का क्षेत्रीय स्तर पर आंकलन किया जाय।
2. यह कि वास्तविक रूप से अपराधियों के आचरण को प्रेरणा एवं विवशता प्रदान करने वाले स्थानीय पर्यावरण के पक्षों का अध्ययन किया जाय।

उपरोक्त प्रथम पक्ष व्यवहारिक और तकनीकिक पक्ष है जो अपराधों का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। द्वितीय पक्ष अपराध के महत्वपूर्ण कारकों के सूक्ष्म विवेचन की अपेक्षा करता है।

प्रस्तुत अध्याय में द्वितीय पक्ष का ध्यान रखते हुये फर्रुखाबाद जनपद के अन्तर्गत अपराध और स्थानीय पर्यावरण की दशाओं की व्याख्या के लिये दो माध्यम अपनाये गये हैं —

1. विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय पर्यावरण और अपराध की दशायें तथा सामान्य व्यक्तियों के विचार सारणी क्रमांक की प्रश्नावली।
2. अपराधी व्यक्तियों पर विचार सारणी क्रमांक की प्रश्नावली।

प्रतिदर्शी ग्राम एवं उनके चयन का आधार

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति में लिये जनपद के प्रतिदर्शी ग्रामों का चयन किया गया जिनके द्वारा क्षेत्रीय पर्यावरण और अपराध की दशाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन से अपराधियों द्वारा उत्पीड़ित व्यक्तियों की वस्तुस्थिति का ज्ञान तथा पर्यावरण के प्रभावों की जानकारी प्राप्त होती है।

अपराधिक व्यक्तियों पर विचार करने के उद्देश्य से जिला कारागार, फतेहगढ़ में विभिन्न प्रकार के अपराधों के अन्तर्गत सभी वर्गो। मे चयन किये

DISTRICT FARRUKHABAD
SAMPLE VILLAGES
N
RUDAYAN
BILSADI
AMRITPUR
KARANPUR
NARAYANPUR
0
10
20
km

RUDAYAN
PAHARPUR
RUDAYAN
BILCHAR
DISTRIC ETAH RAIL LINE
LEVELING GANGA CANAL
BILASAD

AMRITPUR
RAMGANGA
KARANPUR
BANARISEPUR
AMRITPUR
GANGA
BHABANIPUR
JAITPUR

NARAYANPUR
GANGA
FARRUKHABAD
NARAYANPUR
CANT
AERA
CANTER
JAIL

KARANPUR
PARTAPUR
PURRLA
KARANPUR
NAGALA
BHUJAHA

BILSADI

गये अपराधियों से साक्षात्कार कर अपराध की दशाओं और उन कारणों को जानने का प्रयास किया गया है। जिनमे वे अपराध करने के लिये विवश हुये।

प्रतिदर्शी गॉव का चयन करते समय बहुतात्विक पक्षें को ध्यान में रखा गया है। जिससे स्थानीय पर्यावरण की भिन्नताओं के प्रभाव का आकंलन अपराध के संदर्भ में किया जा सके। इन ग्रामों के चयन में अपराध को प्रभावित करने वाले विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों की विविधता को आधार माना गया है —

1. प्रतिदर्शी ग्राम्य अध्ययन में मात्र पाँच गॉवों का चयन किया गया है। किन्तु मानचित्र में इनकी स्थिति यह स्पष्ट करती है कि इन गाँवों में पर्याप्त दूरी होने से लगभग सम्पूर्ण जनपद का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा हो जाता है।

प्रमुख चयनित ग्राम्य

ग्राम नरायणपुर

ग्राम नरायणपुर जनपद के उत्तरी—पूर्वी भाग में $27^{0}22'$ उत्तर तथा $79^{0}36$ पूर्व पर स्थित है।[1] यह गाँव फतेहगढ़ एवं फर्रुखाबाद जुड़वा नगरों के लगभग मध्य में स्थित है। यह गाँव जनपद मुख्यालय से 3 किमी. की दूरी पर एवं तहसील मुख्यालय से 4 किमी. की दूरी पर स्थित है। यह गाँव फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन से 2 किमी. की दूरी पर स्थित है। जनपद में किये गये नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत यह क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया हैं। इसके दक्षिणी भाग में जेल है एवं उत्तरी—पूर्वी भाग में फतेहगढ़ का छावनी क्षेत्र स्थित है।

भौतिक दृष्टि से इस गाँव की जमीन प्रायः समतल है। यहीं दोमट मिट्टी की प्रधानता है। जिसमे बलुई मिट्टी मिली हुयी है। यह मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से मध्यम स्तर की हैं इस गाँव में मुख्य रूप से गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। दूसरे स्थान पर बाजरा उगाया जाता है। सिंचाई के साधन के

रूप में किये एवं निजी नलकूपों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस गॉव में आम के बाग एवं यूकेलिप्टिस के पेड़ बहुतायत से पाये जाते है। पशु–संसाधन के रूप में गाय, भैंस एवं बैल की प्रधानता है। जिन पशुओं से दूध प्राप्त किया जाता है। वह यहॉ बहुतायत से पाले जाते है एवं उनका दूध फतेहगढ़ एवं फर्रुखाबाद शहर मे बिक्री हेतु भेज दिया जाता है।

यह गाँव नगर क्षेत्र के समीप होने के कारण विकसित ग्राम है जिसमें कुल 2001 की जनगणनानुसार 583 जनसंख्या निवास करती है। जिसमे 261 पुरुष एवं 322 महिलायें हैं। गाँव में हिन्दू–मन्दिरों एंव मढियों की प्रधानता है। मस्जिद भी कहीं–कहीं देखने को मिलती है।

इस गाँव के निवासी अधिकतर हिन्दू–धर्म के अनुयायी है। इसके अतरिक्त अन्य जाति के लोग भी इस गॉव मे निवास करते हैं इस गांव में हिन्दू–धर्म को मानने वाली कटियार (कुर्मी) जाति अधिक संख्या में पायी जाती है।

यह जाति सम्पन्न अवस्था में है। इसका प्रमुख व्यासाय निजी बस एवं ट्रकों को किराये पर चलाना हैं इस गाँव में 3 पी.सी.ओ. भी है। गाँव में विद्युत व्यवस्थासंतोषप्रद है। आवागमन के रूपमें लोग मोटरसाइकिल का अधिक उपयोग करते हैं। मनोरंजन के रूप में प्रायःलोग घरों में टी.वी., रेडियों आदि का उपयोग कर रहे हैं। इस गाँव के लोग नगर क्षेत्र पास होने से नगर के अन्तर्गत स्थित व्यवसायों में संलगन है। इस गाँव में शिक्षा की व्यवस्था संतोषजनक है।

इस गाँव में बन्दूक लाइसेंस धराकों की संख्या 16 है। जो सम्पन्न परिवारों में है। अवैध हथियारों की संभावना गाँव बनी हुयी है।

अपराधिक दशाएँ

1. इस गॉव में अधिकतर अपराध अवैध अस्त्र–शस्त्र के द्वारा किये गये हैं। लाइसेन्सी हथियारां का अपराधों में कम प्रयोग किया गया है।

2. यहाँ पर अपराधियों को धनाढ्य लोगों का संरक्षण प्राप्त है।

3. यहाँ पर होली, दीपावली जैसे त्यौहारों पर अपराधिक घटनाएँ अधिक घटित होती है।

4. यहॉ कृषकों द्वारा अपराध कम किये गए है।

5. यहॉ पर जुआ–शराब आदि की अपराधिक घनाऍ अधिक पाई गई हैं।

6. यहाँ पर शिक्षित एवम् युवा–बेराजगारों का अपराधों मे अधिक योगदान रहा है।

ग्राम्य रूदायन

जनपद फर्रुखाबाद में तहसील कायमगंज में थाना कम्पिल क्षेत्र के उत्तरी–पश्चिमी किनारे पर ग्राम रुदायन $27^{0}36$ उत्तर एवं $79^{0}12$ पूर्व में स्थित है। रुदायन रेलवे स्टोशन से 2 किमी. दूर कम्पिल रोड पर स्थित है। यह गाँव जनपद एटा के निकट स्थित है। रुदायन गाँव जनपद फर्रुखाबाद के मुख्यालय से 50 किमी. दूर, तहसील मुख्यालय कायमगंज से 20 किमी. दूर एवं थाना काम्पिल से 10 किमी. दूर स्थित है। ग्राम से पुलिस चौकी 2 किमी. दूर है। इस गाँव के उत्तरी ओर रेत के टीले एवं भूड़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। देखें – मानयित्र नं. 6.2। इस गाँव की जल निकास प्राणाली व्यवस्थित है। किन्तु गाँव का उत्तरी भाग में प्रायः जल भराव की दशायें उपस्थित हो जाती है। यह जलाशयों में कुण्डा एवं सरदीप ताल पाये जाते हैं। जो समस्त गाँव की जल व्यवस्था की पूर्ति में सहायक है। वर्षा ऋतु में प्रायः इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में जल भराव हो जाता है। इस गाँव की मिट्टी दोमट प्रधान है। उर्वरता का स्तर संतोषप्रद हैं इस गाँव में उत्तरी भाग जल भराव का आर्द्र क्षेत्र है। अतः यह क्षेत्र ऊसर क्षेत्र बन गया है। इस गाँव में मुख्यरुप से गेहूँ मक्का, गन्ना, तम्बाकू आदि फसलें उगायी जाती है। यहाँ कृषि उत्पादन का आधुनिक तरीका

अपनाया जाता है। इस गॉव की प्रति हेक्टेयर उपज संतोषप्रद है। सिंचाई का मुख्य साधन निजी नलकूप है।

सिमित मात्रा मे नहरो द्वारा भी सिंचाई की जाती है। गॉव मे अनेक फलों के वृक्ष है जिनमें आम, अमरूद, मौसम्मी, नीबू, संतरा के वृक्ष है। अन्य वृक्षों में नीम, पीपल प्रमुख है। पशु ससाधन दृष्टि से गाय, भेड, सुअर की प्रधानता है। अधिवास की दृष्टि से यह गाँव सामान्य कोटि का है। अधिकांश मकान पक्की ईटों के बने है। घर झुरमुठों के रूप में बनायें जाते है। यहाँ की जनसंख्या सन् 2001 के अनुसार 4019 है जिसमें पुरुष 1930 एव महिलायें 2089 है अतः मालिाये पुरुषो की अपेक्षा अधिक हैं। इस गॉव मे हिन्दू मुसलमान दोनों जाति के लोग रहते हैं। जिनमें साम्प्रदायिक सौहार्द्ध बना हुआ है। हिन्दुओं की प्रधानता है। यहॉ का मुस्लिम समुदाय सम्पन है। इस क्षेत्र के लोगों का शिक्षा का स्तर मध्यम है।

यहाँ डाकघर, ग्रामीण बैंक है। बाजार की सुविधा यहॉ सप्ताह में दो दिन है। अन्य दिनों में खरीदारी हेतु कायमगंज जाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन से दूरी कम होने के कारण यहाँ चिकित्सा आदि सुविधाओं में अधिक असुविधा नही होती है। इस ग्रामवासियों को चिकित्सा सुविधा हेतु कायमगंज अथवा एटा जनपद में जाना पड़ता है। यहॉ के लोग व्यवसाय के रूप में कृषिकार्यो, आटा–चक्की, आरा–मशीन, बढ़ईगीरी आदि कार्यों को अपनायें हुये हैं। विद्युत सुविधा, जल सुविधा एवं शिक्षा सुविधा गाँव में उपलब्ध है। गाँव में लाइसेंसी शस्त्र धारकों की संख्या 68 है। अवैध–शस्त्र–अस्त्र की प्राप्ति की सम्भावना बनी हुयी है। इस क्षेत्र में अपराधी अधिकतर पुलिस या सेना क्षेत्र से जुड़े लोग हैं।

अपराध की दशायें

1. ग्राम रुदायन अपराधिक बट्टी से जुड़े जनपद एटा के समीपवर्ती क्षेत्र में होने के कारण अधिकांश अपराधी दूसरे क्षेत्रों से आकर अपराध करते हैं। सीमावर्ती गाँव होने के कारण अपराधी कुकृत्य

करने के पश्चात दूसरे जनपद मे जाकर छिप जाते है।

2. यह गॉव फर्रुखाबाद जनपद की सीमा पर ही बसा है। जिसके पास ही कटरी एवं खादर क्षेत्र स्थित है जो जनपद के अपराधों में सक्रिय भूमिका निभाते है।

3. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण चोरी की छुटपुट घटनायें सदैव ही होती रहती हैं।

4. इस गॉव में जुआ खेलना, शराब पीना, हरे पेड काटना, किसी दूसरे के पेड़ या सरकारी पेड काट कर बेंच या जला लेना विद्युत चोरी, दूसरे की फसल की चोरी यहाँ प्रमुख अपराधी कृत्य हैं।

5. यहाँ के समपन्न परिवार आज भी शिकार के शौकीन है। उनके घरों में हिरन एवं खरगोश आदि की खालों की बनी सामग्री उपलब्ध होती है।

6. यहाँ प्रायः अवैध अस्त्र–शस्त्रों की खरीद, फरोख्त की घटनायें प्राप्त होती हैं।

7. इस जनपद में पुलिस चौकी हो जाने से इसकी अपराधी घटनाओं में भारी कमी आयी है।

करनपुर घाट

जनपद फर्रुखाबाद के तहसील अमृतपुर क्षेत्र में विकासखण्ड राजेपुर एवं थाना अमृतपुर में ग्राम करनपुर घाट स्थित है। यह गाँव लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र के सेक्टर नं.–3 में आता है। यह गाँव भौगोलिक दृष्टि से 29°30 उत्तर एवं 82°32 पूर्व में स्थित है। यह क्षेत्र गंगा एवं रामगंगा दो नदियों से घिरा हुआ है। इस गाँव से मुख्य नदी गंगा मात्र 800 मीटर की दूरी पर बहती है। अतः गाँव के लोग प्रायः स्नान हेतु गंगा जाया करते हैं। इस गाँव के समीप जनपद हरदोई स्थित है। जिसकी सीमा गाँव से 6 किमी. दूर है।

गाँव करनपुर घाट समतल भमि का गाँव है। यह क्षेत्र खादर—भूमि के अन्तर्गत आता हैं यहॅा की मिट्टी दोमट मटियार प्रधान है। जिसका उर्वरता—सूचकांक उच्च—स्तर का है। अतः कृषि उत्पादन की स्थित अच्छी है। यहॅा के श्रमिक—कृषक खेतो मे गेहूँ, चावल, आलू, तम्बाकू एवं पोस्ता की खेती करते हैं। कृषि उत्पादन प्रति हेक्टेयर संतोषप्रद है। यहॅा उत्तर—पूर्व की कुछ भूमि ऊसर के रूप में बेकार पड़ी हुयी है। जिसे कृषि योग्य बनाने की संभावनायें है। यहाँ सिंचाई में गंगा एवं रामगंगा नदियो का पानी उपयोग में लाया जता है। इसके अतरिक्त सिंचाई के साधन के रूप में नलकूपों एवं नहरों का उपयोग किया जाता है। पशु—संसाधन की दृष्टि से यह गाँव गाय, भैंस, बैल, घोड़े, सुअर एवं कुक्कुट आदि जानवरों से सम्पन्न है। लोग जानवरों से प्राप्त सामग्रियों की क्रय—बिक्री कर के भी अपनी जीविका चलाते है।

2001 की जनगणना के अनुसार इस गाँव की कुल जनसंख्या मात्र 363 है। जिसमें पुरुषों की संख्या 228 है एवं महिलाओं की संख्या 135 है। इस गाँव की जनसंख्या कृषि में लगी हुयी है कुछ युवा वर्ग के लड़कें गाँव से शहर की ओर प्रस्थान कर चुकें हैं। इस गाँव के निवासियों का रहन—सहन मध्यम—स्तर का है। फ्रिज, टी.वी., आदि का उपयोग मात्र 18 घरों में ही हो रहा है। शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय गॅाव में ही है अन्य उच्च—शिक्षा हेतु गाँव के लोगों को शहर आना पड़ता है। यहाँ संचार व्यवस्था में तार घर एवं पी.सी.ओ. उपलब्ध है। गाँव में छोटे—स्तर की बाजार की सुविधायें उपलब्ध है। गाँव वालों का चिकित्सा सुविधाओं हेतु राजेपुर क्षेत्र में जाना पड़ता है। जो गाँव से मात्र 7 किमी. दूर है। विद्युत सुविधा यहाँ संतोष जनक है।

अधिवास की दृष्टि से यह गाँव उन्नत अवस्था में नहीं है। यहॅा कच्ची दीवारों पर छप्पर रखकर मकान बनाये जाते हैं। जिनमें दो या तीन कमरे पीछे की ओर होते हैं आगे खुली जगह में बैठने एवं पशु बाधंने के लिये छप्पर पड़ा होता है। घर के एकदम पीछे शौच आदि की व्यवस्था पायी जाती है।

इस क्षेत्र में लाइसेंस धारकों की संख्या 6 है। किन्तु हथियारों का प्रयोग अपराधों में अधिक किया जाता है।

अपराधिक दशायें

1. इस गॉव में अपराध प्रायः स्थानीय लोगों द्वारा किये जाते है किन्तु वे अब गॉव में निवास करना छोड चुके हैं।

2. गाँव मे अपराध चुनावो के समय बढ जाते हैं जिसका कारण जातीय है। अतः यहॉ लोधी एवं ठाकुर वर्ग के लोगों में प्रायः झगड़े की स्थिति बनी रहती है।

3. अपराधी वर्गों में प्रायः 24 से 45 वर्ष के पुरुष शामिल रहते हैं ये प्रायः बेरोजगार एवं निर्धन है।

4. यहाँ राजनीति से प्रेरित अपराधो की अधिकता रहती है जो प्रायः दबंग लोगों द्वारा पिछडे वर्ग से प्रलोभन देकर कराये जाते है।

5. इस गाँव के समीप ही (कटरी) है जो तराई को स्थानीय भाषा मे कहते है। यहाँ सदैव से अपराधी प्रवृत्ति के लोग डेरा डाले रहते हैं। जब उन्हें अन्य स्थानों पर अपराध करने में बाधा दिखाई देती है तो ये इसी गाँव के लोगों को धमकाकर खाना, कपड़ा एव चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाते हैं।

6. यहाँ का समीपवर्ती जिला हरदोई है। अतः इस जिले के अपराधी अपराध करके यहाँ छिप जाते हैं। एवं यहाँ के अपराधी छिपने हेतु इस जनपद में चले जाते हैं जिससे पुलिस प्रशासन को इन्हें पकड़ने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

ग्राम्य अमृतपुर

फर्रूखाबद जनपद के पूर्वीभाग में सेक्टर तीन में ग्राम अमृतपुर स्थित है। यह गाँव राजेपुर विकासखण्ड एवं थाना अमृतपुर के अन्तर्गत आता है। यह $27^{0}32$ उत्तर तथा $79^{0}36$ पूर्व में स्थित है। यह गाँव गंगा एवं रामगंगा दोआब

में स्थित है। इस गॉव से मुख्य नदी गंगा 2 किमी. एवं रामगंगा 6 किमी. दूर है। इसके निकटवर्ती जनपद शहजहॉपुर है। जिसकी सीमा इस गाँव से 7 किमी. दूर है। इस गाँव में पुलिस चौकी स्थित है। यह गॉव अवस्थित की दृष्टि सेजनपद मुख्यालय फतेहगढ़ से 25 किमी दूर, तहसील मुख्यालय से 26 किमी. दूर स्थित है।

यह गाँव भौतिक संरचना की दृष्टि से समतल मैदान है जो दो नदियों के मध्य स्थित है। अतः क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ–प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत रहता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ आर्थिक विकास एवं कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ की मिट्टी दोमट प्रधान है। जिसमें मटियार मिट्टी का भी समिश्रण पाया जाता है जो उर्वरता की दृष्टि से मध्यम स्तर की होती है। यहॉ के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में ऊसर भूमि का विस्तार मिलताहै। कृषि उपजों में मुख्यरूप से गेहूँ एवं मक्का उगाया जाता है। अन्य फसलों में रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों में चावल उगाया जाता है साथ ही बाजरा भी उगाया जाता है। यहॉ सिंचाई के साधन के रूप मे मुख्य रूप से निजी नलकूपों का उपयोग किया जाता है। किन्तु साथ ही कुऐ, तालाबों का उपयोग भी सिंचाई में किया जाता है। पशुसंसाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र गाय, बैल, भैस, बकरा/बकरी, एवं घोड़ों आदि पशुओं को बहुतायत से पालता है।

अमृतपुर गाँव के समीप ही कटरी अमृतपुर क्षेत्र है जो पूर्णतः गैर–आबाद क्षेत्र है। इसके समीप ही प्रतिदर्शी ग्राम्य अमृतपुर है। जिसमें 2001 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 1339 अंकित की गयी है। जिसमें कुल 738 पुरुष एवं 601 महिलायें है। इस गाँव का जीवन–स्तर मध्यम–स्तर का है। लोग घरों में भौतिक–सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इस गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि के साथ–साथ क्रय–विक्रय भी है। पशुओं का उपयोग यातायात के रूप में किया जाता है। गाँव में डाकघर, पी.सी.ओ. आदि की संचार की व्यवस्थायें उपलब्ध है। गाँव में छोटे–स्तर के बाजार स्थित है। चिकित्सा–सुविधा राजेपुर क्षेत्र में स्थित है जो इस गाँव से मात्र 10 किमी. दूर है। शिक्षण सुविधा हेतु यहाँ इण्टरमीडिएट–स्तर के बालक एवं बालिकाओं के कालेज है। विद्युत सुविधा यहाँ संतोषजनक है।

इस गॉव का मुख्य बसाब नदी के निकट एवं राजेपुर जाने वाली सड़क के दोनो किनारों पर मिलता है, किन्तु पश्चिम दिशा में इसका बसाब अधिक सघन है। यहाँ कच्चे एव पक्के दोनों प्रकार के मकान पाये जाते है किन्तु कच्चे मकानों की अधिकता है।

इस क्षेत्र में लाइसेस धारको की संख्या 100 से ऊपर है। अन्य अवैध अस्त्र–शस्त्रों की प्राप्ति की पूर्ण सम्भावना है।

अपराध की दशायें

1. यहाँ अपराध प्रायः स्थानीय लोगो के द्वारा ही किये जाते है जिसका कारण निर्धनता बिल्कुल नही वरन् आपसी रंजिश है। इस गॉव में झगड़े का मुख्य कारण ईर्ष्या, प्रतिस्पर्द्धा एवम् प्रलोभन है।
2. अधिकतर अपराध राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति द्वारा किये जाते हैं।
3. अपराधियों में अधिकांशतः पुरुष वर्ग है, जो कि बीस से चालीस आयु वर्ग के हैं। ये अपराधी अधिकतर निर्धनएवं बेरोजगार हैं। इस गाँव में अपराधों की बहुलता ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है क्योंकि इस अवधि में कृषि कार्य कम होता है। अतः अधिकांश व्यक्ति निष्क्रिय रहते हैं एवं भयानक गर्मी के कारण गॉव सुनसान रहता है।
4. इस गाँव के लोग बाढग्रस्त क्षेत्र होने के कारण चोरी जैसी अपराधिक घटनाओं में अधिक सक्रिय है।
5. इस गॉव में मवेशियों की चोरी से सम्बन्धित अनेक घटनाएं पाई गई हैं।
6. इस गाँव का अपराधी वर्ग अधिकतर शिक्षित एवं सम्पन्न परिवारों से है जो निर्धन वर्ग को प्रलोभन देकर अपराध करवा रहा है।

7. यहाँ शारीरिक क्षति से सम्बन्धित जितने अपराध हैं, वे सभी बदले की भावना से प्रेरित होकर किये गए हैं।

ग्राम बिलसड़ी

जनपद फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज में ग्राम बिलसडी स्थित है। यह ग्राम 28°35 उत्तर एवं 80°10 पूर्व में स्थित है। यहा गॉव रेलवे स्टोशन से मात्र 1 किमी. की दूरी पर स्थित है। इस गॉव के समीप ही एटा जनपद है। यह फर्रुखाबाद मुख्यालय से 45 किमी. दूर, तहसील मुख्यालय कायमगंज से 22 किमी. दूर स्थित एवं थाना कम्पिल से 13 किमी. दूर स्थित है। यह गाँव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सेक्टर नं. 6 मे स्थित है। इस गाँव के उत्तरी भाग को छोड़कर अन्य भागों में जमीन समतल है।

इस गाँव में दोमट एवं रेतीली मिट्‌टी का समिश्रण पाया जाता है। जिसका उर्वरता—स्तर संतोषप्रद है। कृषि योग्य भूमि ने यहाँ के व्यक्ति गेहूँ एवं मक्का की फसल उगाते हैं। कहीं—कहीं अमरूद के बगीचे दिखाई देते हैं। जिनमें निम्न कोटि के अमरूद उगते है इसी गॉव से फर्रुखाबाद से एटा जाने वाली रेलवे लाइन (नेरों—गेज) गुजरती है। अतः कृषि उत्पादों के माँग—पूर्ति मे सहायता मिलती है। इस गाँव के उत्तर मे एक तालाब है प्रायः गाँव के चरवाहा बच्चे गर्मियों में इससे राहत पाने हेतु नहाते एवं तैरते हैं। पास ही पुराने खण्डहरों का जमाव है जिसमें से प्रायः पुराने समय के वर्तन, शीशी एवं अन्य छोटी सामग्रियाँ प्राप्त होती रहती हैं।

इस क्षेत्र में जल—निकास व्यवस्था सही है अतः जल भराव की स्थित अधिक उत्पन्न नहीं हो पाती है। इस गाँव में कृषि उत्पादन में अधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अतः प्रति हेक्टेयर उपज संतोषप्रद है। सिंचाई की आवश्यकता प्रायः नलकूपों एवं तालाब द्वारा पूरी की जाती है। पशु संसाधन दृष्टि से यह गाँव सम्पन्न है। जिसमें प्रायः बैल, गाय एवं भैंसों को ज्यादा पाला जाता है। अन्य पशुओं का स्थान इनके बाद है। कुछ पुराने रईस लोग आज भी घोड़े पाले हुये हैं।

इस गाँव में सभी जातियों के व्यक्ति रहते हैं किन्तु हिन्दुओं में ब्राह्मणों की अधिकता पायी जाती है। इस गॉव मे 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 2420 जनसंख्या पायी जाती है। जिसमें पुरुष 1238 हैं एवं महिलाये 1182 है। अतः इस गाँव में लिंग संतुलन बना हुआ है। लोगों का जीवन स्तर—मध्यम वर्ग स्तर का है इस गॉव में बाजार की सुविधा है। अधिक खरीदारी हेतु कायमगंज जाना पडता है।

इस गाँव मे ग्रामीण अधिवास प्रायः झुरमुठों में पाये जाते है। जिनके आस—पास कृषि क्षेत्र स्थित होते हैं। इनके मकान प्रायः पक्की ईटों के किन्तु कच्ची जुड़ाई के होते है। लेन्टरो के स्थान पर खप्परैल एवं फूस का छप्पर पाया जाता है। घर प्रायः बड़े हैं।

इस क्षेत्र के लोगों की शिक्षा का स्तर संतोषप्रद है। लडके एवं लड़कियों दानों को ही शिक्षा की सुविधायें दी जाती हैं। 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई हेतु कायमगंज आना पड़ता है। डाकघर, एवं पी.सी.ओ. की सुविधा है। गाँव विद्युत सुविधायुक्त है। लोग व्यवसाय के रूप में कृषि को अपनाये हुये हैं। चिकित्सा सुविधा हेतु लोग कायमगंज, एटा एवं फर्रुखाबाद में जाते हैं। गाँव में आटा चक्की, एवं तेल—पेराई की सुविधायें उपलब्ध हैं। इस गाँव में लाइसेंसी शस्त्र धारकों की संख्या 30 है। अतः इतने कम शस्त्र होने पर भी इस गाँव मे सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों की अधिकता पायी जाती है।

अपराधों की दशायें

1. गाँव बिलसड़ी में अपराधों की प्रवृत्ति सम्पति के विरूद्ध अधिक पायी जाती है।
2. इस गाँव में स्थानीय लोगों के मध्य बाहरी लोगों द्वारा भी अपराधिक गतिविधियों को चलाया जाता है।
3. जनपद एटा जो अपराध पट्टी में स्थित है इस गाँव के समीप ही स्थित है। अतः प्रायः वहाँ के अपराधी तत्व यहाँ अपनी शरण स्थली बनाये रहते हैं।

4. इस गाँव में फर्रुखाबाद से एटा जाने वाली छोटी रेलवे लाइन गुजरती है। जिससे अपराधी आसानी से गाँव में वारदात करके भागने में सफल हो जाते हैं।
5. गाँव में इस रेलवे यातायात सुविधा के कारण यहॉ अपराधो की क्षेत्र विस्तृत हो चुका है।
6. यहॉ लूट—पाट की घटनायें अधिक होती है। जो यहॉ के लोगों की निर्धनता का परिचायक है क्योंकि लोग थोड़े से ही पैसे के लिये खून—खराबा करते पर उतारू हो जाते हैं।
7. यहॉ हत्या एवं बलात्कार जैसी घटनायें लगभग नहीं ही होती है। जबकि अपहरण एवं लूट जैसे अपराध अधिक होते हैं।

निष्कर्ष

अन्त में निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि जनपद फर्रुखाबाद में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यम स्तर का है। किन्तु इस जनपद मे पजीकृत अपराधों पर यदि दृष्टि डाले तो विदित होता हैं कि यहाँ प्रतिवर्ष हत्या के 118 मामले, प्रकाश में आयें। दहेज हत्या के 33 मामले प्रकाश में आये, बलात्कार के 3 मामले प्रतिवर्ष की दर से प्रकश में आयें हैं। आर्थिक अपराध के दृष्टि से प्रतिवर्ष 325 अपराध की घटनायें सामने आयी हैं। किन्तु समाचार पत्र अन्य सूचना माध्यमों से प्राप्त घटनाओं एवं मौखिक साक्ष्यों पर विश्वास करे तो स्पष्ट होता है कि जनपद में प्रतिवर्ष 1100 हत्यायें, 3400 दहेज हत्याओं, 4000 बलात्कार, एवं 330800 चोरी की घटनायें सामने आयी हैं इन बड़ी हुयी घटनाओं के पंजीृत न होने का कारण या तो पुलिस द्वारापंजीकृत नहीं करने या कमजोर एवं गरीब वर्ग मं पुलिस भय होने के कारण, या रिश्वतखोरी या दबंगई के कारण होना स्पष्ट होता है।

सर्वेक्षणों द्वारा जनपद के अपराधों के सम्बन्ध में कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आये हैं कि अपराधों के लये जनपद की सामाजिक, आर्थिक एवं

राजनीतिक परिस्थितियों से कही बढकर पुलिस की कार्य प्रणाली ज्यादा जिम्मेदार है। पुलिस का व्यवहार अपराधियों से नरम एवं सभ्य व्यक्तियो से सख्त रहता है। दूसरें धनाढ्य वर्ग से भी पुलिस का व्यवहार नरम रहता है जबकि मध्यम वर्ग अपराधियों के विषय में अधिक जानकारी देने में समर्थ है किन्तु मध्यमवर्ग में पुलिस के प्रति विश्वास मे कमी के कारण पुलिस जनपद के नागरिकों का सहयोग अपराध उन्मूलन हेतु प्राप्त कर पा रही है इस प्रकार पुलिस व्यवस्था अपने उद्देश्य से अभी कोसो दूर है। दूसरे वे अपराधी जो बडी मुश्किल से आम नागरिक के सहयोग से पुलिस की गिरफ्त में आते हैं परन्तु उन्हें तुरन्त जमानत दे देना, बाइज्जत बरी कर देना आदि कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ाने सें सहायक सिद्ध हुये हैं।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जनपद की भौगोलिकता सम्बन्धी हैं जिसके कारण आज भी अपराध निर्बाध रूप से पनप रहा है। फर्रुखाबाद जनपद की चारों ओर की सीमायें अन्य अपराधी जनपदों से मिली हुयी है। अतः समस्त अपराधी वर्ग आपस में एक संगठन सा बनाये हुये हैं जिसे तोड़ना पुलिस के लिये अत्यन्त दुरूह कार्य है। यातायात के साधनों ने अपराधियों के अपराध क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। अतः एक जनपद में अपराधी का दूसरे जनपद मे प्रवेश करना पुलिस विभाग के कार्य को पेचीदा बना देता हैं जिससे अपराध उन्मूलन में सफलता नहीं मिल पा रही है।

अतः निष्कर्ष रूप से सामाजिक मानसिकता, राजनैतिक हस्तक्षेप, पुलिस कार्य प्राणाली एवं न्यायिक प्रक्रिय ऐसी व्यवस्थायें है जो भौगोलिक वातावरण के साथ–साथ अपराधों की पृष्ठभूमि तैयार करने में आज भी संलग्न है।

संदर्भ

1. डिस्ट्रक सेन्सस हैड् बुक ऑफ इण्डिया

2. जनगणना कार्यालय से प्राप्त ऑकड़े

3. सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद

4. जनगणना कार्यालय मानचित्र प्रभाग फर्रुखाबाद

5. चुनाव कार्यालय जनपद फर्रुखाबाद

6. जनपदीय पुस्तकालय कचहरी फतेहगढ

अध्याय—7

अपराधों का स्थानिक विश्लेषण

फर्रुखाबाद जनपद का अपराधों का स्थानिक विश्लेषण

वर्तमान समय में देश में बढते हुए अपराध अच्छे मानव जीवन एवं क्षेत्रीय शाँति के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे है। पश्चात्य देशों के सांस्कृतिक आक्रमण से हमारे शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ है। पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति में मनुष्य का समूचाध्यान केवल अधिकाधिक धनोपार्जन, तीव्र प्रतिस्पर्धा, भोगविलास एवं वैभवपूर्ण जीवन पर ही केन्द्रित है। मानवी मूल्यों का निरन्तर ह्रास होने लगता है।[1] फलस्वरूप अपराधों का जन्म होता है। जहाँ समाज का एक वर्ग अपनी उत्तर—जीविता के लिए अपराध करता है जबकि दूसरा वर्ग आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक दबदबा बनाये रखने के लिये इन्हें प्रोत्साहित करता है।[2] प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के हिंसात्मक, आर्थिक एवं व्यवस्था (सामाजिक एवं प्रशासनिक) के विरुद्ध अपराधों का कालिक एवं क्षेत्रीय विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। जनपद के हिंसात्मक अपराध के अन्तर्गत बलात्कार, हत्या, अपहरण, आर्थिक अपराधों के अन्तर्गत डकैती, चोरी, लूट, छली, विश्वासघात, सम्पत्ति कब्जा एवं व्यवस्था के विरुद्ध अपराधों के अन्तर्गत सामाजिक मूल्यों का हनन एवं राज्य के नियमों का उल्लंघन को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के अपराधों के स्थानिक विश्लेषण के पूर्व अपराधशास्त्र के अनुसार अपराधों के वर्गीकरण पर दृष्टिपात करना आवश्यक एवं तर्कसंगत है। इसलिये इस अध्याय के प्रारम्भ में अपराधों का संक्षिप्त वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपराध वर्गीकरण के आधार

अनेक अपराधशास्त्रियों ने कुछ वर्षो में अपराध के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिये अपराध, अपराध के प्रकार, क्रिया पद्धतियों पर अध्ययन किया हैं। अपराधों की प्रवृत्ति मानव समाज क विभिन्न समूहों में काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है अतः अपराध का सर्वसम्मति वर्गीकरण प्रस्तुत करना दुष्कर कार्य है। सामान्यतया प्रकृति के आधार पर अपराध का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जा सकता है प्रथम सामान्य अपराध एवं द्वितीय जघन्य अपराध[3] उपर्युक्त विभाजन कभी–कभी भ्रामक एवं अवक्रमणकारी हो जाता है क्योंकि समय एवं काल के अनुसार अपराध विशेष एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चले जाते हैं[4] अपराधों के वर्गीकरण का यह आधार अवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें बिना तकनीकी श्रम के यह कल्पना कर ली जाती है जघन्य अपराध भयानक होता है उसका पुर्नस्थापना सम्भव नहीं है। उद्देश्य के आधार पर अपराधों के चार वर्ग किये जा सकते हैं। प्रथम आर्थिक अपराध— इसमें अपराध करने का उद्देश्य ध ान की प्राप्ति होती है। (2) यौन अपराध— इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक तुष्टि होती है। (3) राजनैतिक अपराध— इसका मुख्य उद्देश्य राजनतिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना होता है। (4) विविध अपराध इसमें अपराध के उद्देश्य में बदले की भावना होती है।[5] अपराध परिस्थितिमूलक एवं नियमित व सुव्यवस्थित भी हो सकते हैं। वर्ग प्रथम में किये गये अपराध जानबूझकर नहीं किये जाते हैं बल्कि तत्कालीन परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती है जबकि दूसरे प्रकार के अपराध नियमित एवं पूर्व निश्चित होते[6] वर्गीकरण के ये आधार अपराधियों के सुधार में सहायक होते हैं अपराध पद्धति के आधार पर आठ प्रकार के अपराध होते हैं हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध, सम्पत्ति सम्बन्धी आकस्मिक अपराध, व्यावसायिक अपराध, राजनीतिक अपराध, सार्वजनिक व्यवस्था सम्बन्धी अपराध, परम्परागत अपराध, संगठित अपराध तथा पेशेवर अपराध।[7] अपराधी जन्मजात पागल, कामुक एवं आकस्मिक भी हो सकते हैं।[8] कुछ लोग अपराधों को दो ही वर्गों में रखते हैं प्रथम हिंसात्मक अपराध— जिसमें बलात्कार, हत्या, अपहरण एवं डकैती सम्मिति है जबकि दूसर वर्ग आर्थिक अपराध में चोरी, छली, विश्वासघात

को सम्मिलित करते हैं।[9] अपराधों को शरीर सम्बन्धी, राजनीति सम्बन्धी एवं आर्थिक सम्बन्धी अपराधो में वर्गीकृत किया जा सकता है।[10] कुछ अपराध शास्त्रियों ने सांख्यिकीय आधार पर अपराधों का वर्गीकरण किया है और इनको चार प्रकारों में विभाजित किया है प्रथम व्यक्ति विरूद्ध– इसमें हत्या, मारपीट एवं बलात्कार शामिल है द्वितीय सम्पत्ति विरूद्ध अपराध में चारी, लूट इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। तीसरे वर्ग में सार्वजनिक न्याय एवं सत्ता विरूद्ध जैसे– गबन और धोखा आदि को सम्मिलित किया गया है चौथे वर्ग में सार्वजनिक व्यवस्था, सभ्यता व सदाचरण के विरूद्ध जैसे मदिरापान, जुआ, मादक पदार्थो का सेवन आदि को सम्मिलित किया गया है।[11]

उपर्युक्त वर्गीकरण में समाजशास्त्री, अपराधशास्त्री, पुलिस न्यायाधीष का मुख्य योगदान है। भूगोल एक अन्तरानुशासिक शास्त्र के अन्तर्गत आता है अतः भौगोलिक परिस्थितियों एवं पर्यावरण के सन्दर्भ में अपराधों का सम्यक अध्ययन किया जा सकता है। अपराध पर्यावरण जनित होने के कारण भूगोल वेत्ताओं ने भी अब अपराधों के कारण प्रकार एवं निवारण में अपनी भूमिका तलाशनी शुरू कर दी है। एतदर्थ भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में अपराधों के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु शोधार्थीयों ने ध्यान दिया है।

शोधकर्ती ने फर्रुखाबाद जनपद के कुल 13 थानों से 10 वर्षो (1991–2000 तक के) में हुए कुल अपराधों की संख्या को एकत्रित करके भारतीय दण्ड संहिता एवं विधिवेत्ताओं से परामर्श लिया है। अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण अपराधों के लगभग 175 प्रकार है जिनका अलग–अलग अध्ययन क्षेत्रीय संदर्भ में एक दुरूह कार्य है क्योंकि अपराधों की बहुलता, जटिलता एवं प्रवृत्तियों को एक साथ समायोजित कर विश्लेषित करने में सांख्यिकीय विधियां भी उपयुक्त सिद्ध नहीं हो पा रही है। अतएव अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिये अध्ययन क्षेत्र के अपराधों को तीन मुख्य वर्गों एवं 9 उपवर्गों में विभाजित किया गया है।

(अ) व्यक्ति के विरूद्ध अपराध

इसको दो वर्गो में बॉटा गया है प्रथम हत्या सम्बन्धी अपराध एवं द्वितीय शारीरिक क्षति सम्बधी अपराध।

(ब) सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध

इसमें 3 उपवर्ग सम्मिलित हैं। प्रथम—डकैती, लूट, राहजनी, (2) चोरी, (3) सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अपराध।

(स) व्यवस्था के विरूद्ध अपराध

इसके भी तीन उपवर्ग हैं प्रथम समाज सम्बन्धी अपराध एवं द्वितीय राज्य सम्बन्धी अपराध एवं तृतीय अन्य अपराध।

प्रशन कुमार[12] (2000) ने जनपद बदायूँ के विभिन्न प्रकार के अपराधों को दो वर्गों एवं कई उपवर्गों में सम्मिलित किया है।

(अ) सामाजिक अपराध— इसमें हत्या, बलात्कार, गुंडागर्दी।

(ब) आर्थिक अपराध — चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा।

आंकलन विधि व रूपरेखा

शोधकर्त्ता ने जनपद के अपराधों को निम्न लिखित रूपों में वर्गीकृत किया है।

1. आर्थिक अपराध — इसमें सम्पत्ति अपहरण सम्बन्धी अपराध सम्मिलित किये गये हैं।

2. हिंसात्मक अपराध — इसमें शारीरिक क्षति सम्बन्धी अपराध सम्मिलित किये गये हैं।

3. व्यवस्था के विरूद्ध अपराध – इसमें सामाजिक, राज्य सम्बन्धी एवं अन्य अपराध सम्मिलित किये गये है।

जनपद फर्रुखाबाद के अपराधों के विश्लेषण हेतु जनपद के अपराधों को उपर्युक्त तीनों वर्गों में अलग–अलग जोड़कर विश्लेषित किया गया है फिर पुनः समस्त को एक साथ जोड़कर उसमें से प्रत्येक वर्ग के उपवर्ग के लिये प्रतिशत का आंकलन कर विश्लेषण किया गया है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त अपराध के आंकड़ो में आर्थिक अपराधों के अन्तर्गत डकैती, लूट, गृहभेदन, रोडहोल्डप, चोरी, शस्त्र, चोरी वाहन, चोरी तार, चोरी ट्रान्सफार्मर, अन्य चोरी, अपहरण फिरौती आदि को सम्मिलित किया गया है।

अपराधों के प्रकार

1. हिंसात्मक अपराध में हत्या 304 भा.द.सं., 307 भा.द.सं. 302 भा.द.सं, बलवा, गंभीर चोट, 363/366, 364, बलात्कार एवं अन्य हिंसात्मक अपराध सम्मिलित हैं।
2. व्यवस्था के विरूद्ध में 109Crpc, 110 Crpc शस्त्र अधिनियम, जुवा अधिनियम, नारकोटिस अधिनियम, विस्फोटक, गैंगेस्टर अधिनियम, अन्य अधिनियम, सम्मिलित किये गये हैं।
3. आर्थिक अपराध इसमें अध्ययन क्षेत्र के डकैती, लूट, गृहभेदन, रोडहोल्डप, चोरीशस्त्र, चोरी वाहन, चोरी तार, ट्रान्सफार्मर अन्य चोरी, अपहरण फिरौती आदि को सम्मिलित किया गया है। इनके कालिक विश्लेषण हेतु सन् 1991 से लेकर सन् 2000 के आँकड़ों को सम्मिलित किया गया है।

डकैती

जब पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति सयुक्त होकर लूट करते है या करने का प्रयास करते हैं या लूट करने में सहायता करते है तब उस क्रिया को डकैती की सज्ञा दी जाती है।[13] इस प्रकार डकैती लूट का एक वृहद् रूप है। सामान्यतः लूट का अपराध करने वाले व्यक्ति मे भय एवं आशंका की मनः स्थिति बनी रहती है। जबकि डकैती मे अपराधी के दिमाग मे डर एवं शंका की जगह आतंक पैदा करने की मनःस्थिति रहती है। इसीकारण डकैती में अपराधी संयुक्त रूप से अपराध करते हें। इसमें अपराधी शारीरिक क्षति भी पहुँचाते हैं।

सारणी 7.1

वर्ष	कुल आर्थिक अपराध	डकैती की संख्या	10 वर्ष में कुल समूह का प्रतिशत	प्रतिवर्ष कुल आर्थिक अपराध में डकैती का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991	559	14	19.17	2.50
1992	427	12	16.43	2.81
1993	460	6	8.21	1.3
1994	398	7	9.58	1.75
1995	274	4	5.47	1.45
1996	220	6	8.21	2.72
1997	183	5	6.84	2.73
1998	274	7	9.58	2.55
1999	267	5	6.84	1.87
2000	217	7	9.58	3.22
योग	**3279**	**73**		**2.22**

10 वर्ष

स्रोत : पुलिस अधीक्षक कार्यालय फतेहगढ़ 2000

1991 से 2000 के बीच कुल आर्थिक अपराध 3279 है जिसमें डकैती की कुल संख्या 73 है इस प्रकार प्रतिवर्ष औसत डकैती की संख्या 7.3 है। सारणी 7.1 के 5वें वर्ग में प्रतिवर्ष के आर्थिक अपराधों में प्रतिवर्ष का प्रतिशत निकाला गया है। सबसे अधिक प्रतिशत सन् 2000 में है जो 3.22 है। और सबसे कम प्रतिशत 1993 का है जो 1993 के कुल आर्थिक अपराध का 1.3 प्रतिशत है। दस वर्ष के कुल आर्थिक अपराध में कुल डकैती का प्रतिशत 2.22 है। इस प्रकार 1993 (1.3 प्रतिशत), 1994 (17.5 प्रतिशत) 1995 (1.45 प्रतिशत) 1999 (1.87 प्रतिशत) में 2.22 प्रतिशत से कम है जबकि 1991, 1992, 1996, 1997, 1998 एवं 2000 से 2.22 प्रतिशत से अधिक, क्रमशः 2.50 प्रतिशत, 2.81 प्रतिशत, 2.72 प्रतिशत, 2.73 प्रतिशत, 2.55 प्रतिशत एवं 3.22 प्रतिशत है।

10 वर्षों के सम्पूर्ण डकैती में प्रति वर्ष का प्रतिशत (सा. 7.1 स्तम्भ 4) देखने से स्पष्ट होता है कि केवल 1991 एवं 1992 का योग 35 प्रतिशत है जबकि 1993 से 2000 तक 8 वर्ष में कुल 10 वर्षो का 65 प्रतिशत डकैती हुई है। डकैती का कम प्रतिशत 1995 में दर्ज किया गया है। 1994, 1998 एवं 2000 में बराबर लगभग 9.58 प्रतिशत डकैती हुई है।

सारणी 7.1 के स्तम्भ 3 को देखने से स्पष्ट होता है कि 1991 से 1993 तक डकैती की संख्या में कमी का संकेत है किन्तु 1993 से 2000 के बीच डकैती की संख्या में अनिश्चितता दर्ज की गयी है। अर्थात् एक वर्ष कमी एवं अगले वर्ष बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है। प्रतिवर्ष औसत डकैती की संख्या (7.3) से 1991 एवं 1992 में 200 प्रतिशत एवं 175 प्रतिशत की वृद्धि है। शेष अन्य आठ वर्षो में प्रतिवर्ष औसत डकैती से कम डकैती हुई है। 1991 एवं 1992 के बाद डकैती की संख्या में कमी का मुख्य कारण सड़कों का विकास एवं इसके पूर्व डाकुओं के विरूद्ध चलाये गये अभियान के कारण डकैती की संख्या में कमी दर्ज की गयी है। सड़कों के विकास के कारण अधिवासों का वसाव अपराध क्षेत्रों की ओर होने से डकैतों की संख्या धीरे–धीरे कम होती गयी है।

सारणी संख्या 7.2

वर्ष	कुल आर्थिक अपराध	लूट की संख्या	10 वर्ष में कुल समूह का प्रतिशत	प्रतिवर्ष कुल आर्थिक अपराध की सं. प्रतिशत
1991	559	50	16.66	8.94
1992	427	29	9.66	6.79
1993	460	31	10.33	6.73
1994	398	37	12.33	9.29
1995	274	23	7.66	8.39
1996	220	25	8.33	11.36
1997	183	18	9.6	9.83
1998	274	33	11	12.04
1999	267	27	9	10.11
2000	217	27	9	12.11
योग	**3279**	**300**		**9.14**

10 वर्ष

स्रोत : पुलिस अधीक्षक कार्यालय फतेहगढ़ 2000 (जनपद फर्रुखाबाद)

लूट

सामान्य अर्थ में लूट चोरी का वृहद् रूप है। चोरी और लूट में अपराधियों की संख्या, उद्देश्य प्राप्त करने के ढंग में भिन्नता मिलती है। लूट में सापेक्षतया अपराधियों की संख्या अधिक होती है। लूट का उद्देश्य अधिक धन प्राप्त करना होता है इसी कारण इसमें अपनाये गये तरीके वृहद होते हैं। इसमें हथियारों का प्रयोग भी किया जाता है। लूट में धन की प्राप्ति के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को मृत्यु का भय या चोट का भय दिखाया जाता है। भूगोल वेत्ता लूट को आर्थिक विषमता का परिणाम स्वीकार करते हैं। सब प्रकार की लूट में चोरी का उद्दापन होता है चोरी लूट कब होती है ? चोरी "लूट" है, यदि

उस चोरी को करने के लिये या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है वह लूट कहलाता है।[14]

सारणी 7.2 से फर्रुखाबाद जनपद के 10 वर्षो के लूट का प्रतिवर्ष विवरण दिया गया है। प्रतिदर्श के 10 वर्षो में लूट की संख्या 300 है प्रतिवर्ष औसत लूट की संख्या 30 है। कुल आर्थिक अपराधों में 10 (1991 से 2000 तक) वर्ष के कुल लूट की संख्या का प्रतिशत 9.14 है। प्रतिवर्ष के कुल आर्थिक अपराध में सम्बन्धित वर्ष के लूट के प्रतिशत को सारणी 7.2 के पॉचवें स्तम्भ में दिखाया गया है। इसमें सबसे अधिक प्रतिशत 2000 का है जो 12.11 प्रतिशत है। इसके बाद 1998 में 12.05 प्रतिशत है। आर्थिक अपराध में लूट का सबसे कम प्रतिशत 1993 का है। जो 6.73 प्रतिशत है। प्रतिदशक दस वर्ष के कुल आर्थिक अपराध में उक्त दस वर्ष के कुल लूट का प्रतिशत 9.14 है। 1991 (8. 94 प्रतिशत), 1992 (6.79 प्रतिशत), 1993 (6.73 प्रतिशत), 1995(8.39 प्रतिशत) में 9.14 प्रतिशत से कम है। जबकि 1994(9.29 प्रतिशत), 1996(11.36 प्रतिशत), 1998(12.04 प्रतिशत), 1999(10.11) एवं 2000(12.11 प्रतिशत) आर्थिक अपराध में लूट का प्रतिशत 9.14 से अधिक है।

सारणी 7.2 के स्तम्भ चार में 10 वर्ष के कुल लूट की संख्या में प्रतिवर्ष की लूट की संख्या का प्रतिशत दिखाया गया है। 1991 में सबसे अधिक लूट की घटनाएं घटी हैं जो 16.66 प्रतिशत है। 1991 से 1994 के बीच (कुल चार वर्षो में) लगभग 50 प्रतिशत लूट की घटनाऐं घटी है जबकि शेष 50 प्रतिशत लूट की घटनाऐं शेष छः वर्षों में घटी हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विकास एवं शिक्षा के विकास के साथ लूट की घटनाओं में कमी दर्ज की गयी है।

सारणी 7.2 के स्तम्भ तीन एवं चित्र 7.2 के देखने से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 1991 में सबसे अधिक लूट की घटनाएॅ हुई हैं। जबकि

सबस कम लूट की घटनाएँ 1997 में हुई है। ग्राफ को देखने से स्पष्ट होता है। लूट की घटनाओं प्रतिवर्ष अस्थिरता देखी गयी है इसमें न तो वृद्धि दिखायी देता है और न तो ह्रास दिखायी देता है। इससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक सुधार न होने के कारण लूट की प्रवृत्ति मे असामान्य परिवर्तन दिखायी देता है किन्तु 1999 एवं 2000 में लूट की संख्या में समानता दिखायी देता है।

गृहभेदन

गृहभेदन में एक साथ तीन या चार व्यक्ति गृहस्वामी के गृह के दीवार में सुरंग या छिद्र बनाकर रात्रि के समय सुरंग के रास्ते घर में प्रवेश करके सम्पत्ति या धन की चोरी करते हैं उसे गृहभेदन कहा जाता है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहभेदन बहुत होते हैं क्योंकि गृहभेदन पक्के दीवार मे सम्भव नहीं हो पाता है इसीलिए नगरीय क्षेत्रों में गृहभेदन नहीं के बराबर होते हैं। स्थानीय भाषा में इसे 'नकब' वा आड़ा भी कहते हैं।

जनपद में 1991 से 2000 क दशकीय अन्तराल में कुल 914 गृह भेदन की घटनाएं हुई हैं (सारणी 7.3) जा कुल आर्थिक

सारणी 7.3

वर्ष	गृहभेदन संख्या	प्रतिवर्ष कुल गृह भेद का प्रतिशत	आर्थिक अपराधों में गृहभेदन का प्रतिशत	कुल आर्थिक अपराध
1	2	3	4	5
1991	172	18.81	30.76	559
1992	129	14.11	30.21	427
1993	117	12.80	25.43	460
1994	105	11.48	26.38	398
1995	81	8.86	29.56	274
1996	49	5.36	22.27	220
1997	47	5.14	25.68	183
1998	60	6.56	21.89	274
1999	80	8.75	29.16	267
2000	74	8.09	34.10	217
	914		27.87	3279

अपराध का 27.87 प्रतिशत है। कुल आर्थिक अपराधों में गृहभेदन का सबसे अधिक प्रतिशत सन् 2000 में है जो 34.10 है जबकि सबसे कम प्रतिशत 21.89 है जो सन् 1995 में है। अध्ययन क्षेत्र 10 वर्षों के सम्पूर्ण आर्थिक अपराधों में कुल गृहभेदन के प्रतिशत 27.87 से कम प्रतिशत 1993 (25.43 प्रतिशत), 1994(26.38 प्रतिशत), 1996(22.27 प्रतिशत), 1997(25.68 प्रतिशत), 1998(21.89 प्रतिशत) है जबकि 1991(30.76 प्रतिशत), 1992 (30.21 प्रतिशत), 1995(29.56 प्रतिशत), 1999(29.96 प्रतिशत) एवं 2000 (34.10 प्रतिशत) से है जिसमें दशकीय औसत से अधिक गृहभेदन हुआ है।

सारणी 7.3 के स्तम्भ 3 का देखने से स्पष्ट होता है गृहभेदन की घटनाएं 1991 से 1994 के बीच अधिक हुई है क्योंकि इन चार वर्षों में कुल 10 वर्षो को 57 प्रतिशत गृहभेदन हुआ है। शेष 43 प्रतिशत गृहभेदन शेष 6 वर्षो में हुआ है।

अतः देखने से स्पष्ट होता है। 1991 से 1997 के बीच गृहभेदन मे ह्रास हुआ है। 1998–2000 के बीच गृहभेदन की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गयी है।

चोरी वाहन

जनपद फर्रुखाबाद में सन् 1991 से 2000 के बीच कुल 150 वाहनों की चोरी हुई है। 1991 से 2000 के बीच सबसे अधिक वाहन की

सारणी 7.4

वर्ष	कुल वाहन चोरी	कुल आर्थिक अपराधों में वाहन चोरी का प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत	कुल आर्थिक अपराध
1991	15	2.68	10	559
1992	6	1.40	4	427
1993	16	3.47	10.66	460
1994	18	4.52	12	398
1995	10	3.64	6.66	274
1996	14	6.36	9.33	220
1997	13	7.10	8.66	183
1998	28	10.21	18.66	274
1999	12	4.49	8	267
2000	18	8.29	12	217
योग	**150**	**4.57**		**3279**

चोरी 1998 में हुआ है जो 10 वर्षों के कुल वाहन का 18.66 है। सबसे कम वाहन की चोरी 1992 में 4 प्रतिशत हुई है। अतः स्पष्ट होता है कि वाहन की चोरी में न तो निरन्तर ह्रास दर्ज किया गया है और न तो निरन्तर वृद्धि ही दर्ज की गयी है। सारणी 7.4 के स्तम्भ पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 एवं 1999 में कुल आर्थिक अपराधों में वाहन चोरी के दशकीय प्रतिशत से कम वाहन चोरी हुई है जबकि 1996, 1997, 1998 एवं 2000 में यह प्रतिशत अधिक है।

चोरी तार

जनपद फर्रुखाबाद में 1991—2000 के बीच के दस वर्षों में तार की चोरी की कुल 134 घटनाएँ दर्ज की गयी है। (देखिये सारणी 7.5) जिसमें

सबसे अधिक घटनाएँ 1992 में दर्ज की गयी है जो कुल का 17.91 प्रतिशत है। इसके बाद 1999 में 14.17 प्रतिशत घटनाएं हुई है। 1995 का 13.43 प्रतिशत घटनाएं हुई है। सबसे अधिक घटनायें 1991 में दर्ज की गयी हैं। जो कुल का 2.22 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि तार की चोरी की घटनाओ में न तो बृद्धि हुई है और न तो ह्रास हुआ है। 1992 में सबसे अधिक वृद्धि दर हुई है। इसके बाद पुनः 1995 एवं 1999 में तार–चोरी की घटनाओं में वृद्धि देखी जा सकती है।

सारणी 7.5

वर्ष	कुल आर्थिक अपराध	कुल आर्थिक अपराधों में तार चोरी की घटना का प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत	तार चोरी की कुल घटनायें
1991	559	0.53	2.23	3
1992	427	5.62	17.91	24
1993	460	3.47	11.94	16
1994	398	2.76	8.20	11
1995	274	6.56	13.43	18
1996	220	5.45	8.95	12
1997	183	4.91	6.71	9
1998	274	3.64	7.46	10
1999	267	7.11	14.17	19
2000	217	5.52	8.95	12
योग	**3279**	**4.08**		**134**

अपहरण फिरौती

इसमें व्यक्ति/बच्चों आदि का अपहरण अर्थ प्राप्ति के लिये किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से

ले जाने के लिये बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचना पूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है वे उसे व्यक्ति का अपहरण करते हैं, ऐसा कहा जाता है।[15]

सारणी 7.6

वर्ष	अपहरण की घटनाएँ	आर्थिक अपराध में अपहरण की घटना का प्रतिशत	कुल में प्रतिवर्ष का प्रतिशत	आर्थिक अपराध
1991	12	2.14	24	559
1992	5	1.17	10	427
1993	7	1.52	14	460
1994	6	1.50	12	398
1995	3	1.09	6	274
1996	2	0.90	4	220
1997	2	0.90	4	183
1998	9	3.28	18	274
1999	4	1.49	8	267
2000	0	0	0	217
योग	**50**	**1.52**		**3279**

सारणी 7.6 से स्पष्ट है कि सबसे अधिक अपहरण की घटनाएं 1991 में घटी है। एवं सन् 2000 में अपहरण की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई है। 1998 में अपहरण की कुल 9 घटनाएं घटी है जो 10 वर्षों के सम्पूर्ण अपहरण फिरौती का 18 प्रतिशत है। 1993 में यह प्रतिशत 14 है। 1994 में कुल का 12 प्रतिशत अपहरण फिरौती हुई है। इस प्रकार 1991, 1992, 1993, 1994 एवं 1998 में कुल मिलाकर 78 प्रतिशत अपहरण फिरौती की घटनाएं हुई है। शेष 22 प्रतिशत घटनाएं अन्य पाँच वर्षों में हुई है। 1998 की वृद्धि को छोड़कर अपहरण फिरौती की घटनाओं में ह्रास हुआ है।

अन्य चोरी

इसमें शेष अन्य चोरी की घटनायें को रखा गया है। सारणी 7.7 से स्पष्ट होता है।

सारणी 7.7

वर्ष	कुल आर्थिक अपराध	अन्य चोरी	आर्थिक अपराध में अन्य चोरी का प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	559	286	51.16	17.6
1992	427	219	51.28	13.47
1993	460	263	57.17	16.18
1994	398	210	52.76	12.92
1995	274	132	48.17	8 12
1996	220	110	50	6.76
1997	183	83	45.35	5.10
1998	274	126	45.98	7.75
1999	267	117	43.82	7.2
2000	217	79	36.40	4.86
योग	**3279**	**1625**	**49.55**	

है कि कुल आर्थिक अपराधों का लगभग 50 प्रतिशत (49.55) भाग अन्य चोरी के घटनाओं में आता है। आर्थिक अपराधों के प्रत्येक वर्ष में चोरी की घटनाओं का प्रतिवर्ष प्रतिशत देखने पर स्पष्ट होता है। आर्थिक अपराधों में अन्य चोरी का सबसे अधिक प्रतिशत 1993 में है। जबकि 1991 एवं 1992 में आर्थिक अपराधों में चोरी का प्रतिशत लगभग बराबर है। सबसे कम प्रतिशत 2000 में है जो 36.40 प्रतिशत है। 1995, 1997, 1998, 1999 में यह प्रतिशत 50 से कम है। जबकि 1996 में 50 प्रतिशत अन्य चोरी की घटनाएं हुई है।

सारणी 7.7 के स्तम्भ पॉच को देखने से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक अन्य चोरी की घटनाओं का वार्षिक प्रतिशत 1991 में आया है। 1991 से 1994 तक लगभग 60 प्रतिशत अन्य चोरी की घटनाएं हुई हैं। अन्य में 40 प्रतिशत घटनाएं कुल 6 वर्षो में घटी है।

सारणी 7.7 को देखने से स्पष्ट होता है कि 1993, 1998 एवं 1999 को छोड़कर अन्य चोरी की घटनाओं के ग्राफ मे ह्रास हुआ है। 1993, 1998, 1999 में वृद्धि नगण्य ही है।

अन्य आर्थिक अपराधों में रोड हेल्डअप, चोरी ,शस्त्र चोरी, ट्रान्सफार्मर को सारणी 7.8 में दिखाया गया है। रोडहेल्डप की घटनाएं 1994, 1995, 1996 एवं 1997 में हुई है। शेष वर्षो में ये घटनाऐं नही हुई हैं। चोरी शस्त्र की घटनाएं 1993, 1994, 1995, 1997 एवं 1999 में घटी हैं। शेष में ये घटनायें नहीं घटी हैं। चोरी ट्रान्सफार्मर की घटनाएं 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 में घटी हैं शेष चार वर्षो में ट्रान्सफार्मर की चोरी की घटनायें नहीं घटी हैं।

सारीण 7.8

रोड होल्डअप

सन्	कुल आर्थिक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	559	—	—	—
1992	427	—	—	—
1993	460	—	—	—
1994	368	2	.50	28.57
1995	274	5	.72	28.57
1996	220	1	.45	14.28
1997	183	2	1.09	28.57
1998	274	—	—	
1999	267	—	—	
2000	217	—	—	
योग	**3279**	**7**	**.21**	

चोरी शस्त्र

सन्	कुल आर्थिक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	559	—	—	—
1992	427	—	—	—
1993	460	1	0.21	16.66
1994	368	1	0.25	16.66
1995	274	1	0.36	16.66
1996	220	—	—	—
1997	183	1	0.54	16.66
1998	274	—	—	—
1999	267	2	0.74	33.33
2000	217	—	—	
योग	**3279**	**6**	**.18**	

चोरी ट्रांसफार्मर

सन्	कुल आर्थिक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	559	7	1.25	38.88
1992	427	3	0.70	16.66
1993	460	1	0.21	5.55
1994	368	—	—	—
1995	274	—	—	—
1996	220	3	1.36	16.66
1997	183	3	1.63	16.66
1998	274	1	0.36	5.55
1999	267	2	—	—
2000	217	—	—	
योग	**3279**	**18**	**0.54**	

हिंसात्मक अपराध

अध्ययन क्षेत्र के हिंसात्मक अपराध मे हत्या (302), आई.पी.सी. 304, आई.पी.सी. 307, बलबा, गंभीर चोट, आई.पी.सी. 363/366, आई.पी.सी. 364, दहेज हत्या, बलात्कार, एवं आई.पी.सी. की अन्य धाराएँ सम्मिलित की गयी हैं। इनके विश्लेषण के लिये 10 वर्षीय आँकड़ों की (1991 से 2000 तक) सहायता ली गयी है। इन दस वर्षो। में हिंसात्मक अपराधो की कुल संख्या 14574 है। इनमें 115 हत्याएँ, 131 भा.द.सं. की धारा 304 के अन्तर्गत हुई हत्याऍ, भा.द.स. 307 की 1213 घटनाएँ, बलवा के अन्तर्गत 739 घटनाएँ, 2488 गंभीर चोट की घटनाएँ 251, 363/366 की घटनाएँ, भा.द.स. 364 की 214 घटनाएँ, दहेज हत्या की 330 घटनाऍ, बलात्कार की 123 घटनाएँ, अन्य घटनाओं मे 7503 घटनाऍ शामिल हैं।

वर्ष के अनुसार 1991 में सबसे अधिक हिंसात्मक अपराध हुए है। सारणी 7.9 से स्पष्ट है कि 1998 से 1997 तक हिसात्मक अपराध की घटनाओं में कमी आयी है पुनः 1998, 1999 एवं 2000 में हिंसात्मक अपराध में बढोत्तरी हुई है। प्रत्येक अपराधों का अलग—अलग विवरण नीचे दिया जा रहा है।

हत्या

जब समाज के एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा एक या अनेक व्यक्तियों के किसी भी परिस्थिति में अस्त्रों, शस्त्रों शरीरिक छल—बल, कपट वा जहरीले पेय पदार्थों को प्रयोग से जीवन का अन्त कर दिया जाताहै तो उसे हत्या कहते हैं। मानव का यह कार्य भूगोल के कल्याण परक उपागम के विपरीत कार्य के अन्तर्गत आता है इससे मानव समाज का अहित होता है समाज की शाँति भंग होती है। यह सामाजिक विघटन से सम्बन्धित कार्य है। जब स्वस्थ, स्मरण शक्तिवान तथा वयस्क व्यक्ति, विधि विरूद्ध किसी युक्तिमान मानव प्राणी का परिशांति के अन्तर्गत कल्पित विद्वेष से वध करता है और उसकी मृत्यु वर्ष अथवा एक दिन के अंदर हो जाती है तो वह हत्या का दोषी है।[16]

सारणी 7.9 में अध्ययन क्षेत्र के हत्या भा.द.सं. 304 एवं दहेज हत्या को एक साथ सम्मिलित किया गया है इन तीनो को हमने हत्या के अंतर्गत ही शामिल किया है। इन सबमें सबसे अधिक घटनाएँ हत्या (आई.पी.सी. 302) की है पुनः द्वितीय स्थान पर दहेज हत्या का स्थान है एवं तृतीय स्थान भा.द.सं. की धारा 304 की है।

जनपद फर्रुखाबाद में कुल हत्याओं की संख्या 1155 है। हिंसात्मक अपराध में हत्या का प्रतिशत सबसे अधिक 1997 में है क्योंकि इस वर्ष हिसात्मक अपराध में कमी आयी है जबकि हत्या की संख्या में अपेक्षाकृत कम ह्रास देखा गया है। 1992 में हिंसात्मक अपराधों में हत्या का प्रतिशत सबसे कम है किन्तु हत्या की संख्या की दृष्टि से वर्ष 1992 का स्थान एवं 1991 के बाद तीसरा है। दस वर्षो कें कुल हिसांत्मक अपराध मे कुल हत्या के अपराध का प्रतिशत 7.92 है। वर्ष 1991, 1992, 1993, 1999 एवं 2000 में हिंसात्मक अपराध में हत्या का प्रतिशत 7.92 से कम है जबकि शेष पॉच वर्षों 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 में हिंसात्मक अपराध में हत्या का प्रतिशत 7.92 से अधिक है।

हिंसात्मक अपराधों के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है। दस वर्षो में अपवाद स्वरूप 1994, 1998, 1999 को छोड़कर हत्या की कुल संख्या में ह्रास की प्रवृत्ति है।

भा.द.सं. 304

इसके अंतर्गत दस वर्षों में कुल 131 घटनाएँ हुई है। इस प्रकार प्रतिवर्ष का औसत 13.1 होता है। सन् 1991, 1992, 1993, 1996 एवं सन् 2000 में 304 की घटनाओं की संख्या प्रतिवर्ष की औसत घटनाओं की संख्या से कम है। जबकि 1993, 1995, 1997, 1998 एवं 1999 में औसत से अधिक घटनाएँ घटी है।

सारीण 7.9

हत्या

सन्	कुल हिंसात्मक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	1733	132	7.61	11.44
1992	1728	124	7.17	10.73
1993	1599	118	7.37	10.21
1994	1527	137	8.97	11.86
1995	1309	118	9.01	10.21
1996	1134	111	9.78	9.61
1997	928	93	10.0	8.05
1998	1411	117	8.29	10.12
1999	1445	106	7.33	9.17
2000	1346	99	7.35	8.57
योग	**14574**	**1155**	**7.92**	

धारा 304

सन्	कुल हिंसात्मक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	1733	17	0.40	5.34
1992	1728	10	0.57	7.63
1993	1599	16	1.00	12.21
1994	1527	12	0.78	9.16
1995	1309	16	1.22	12.21
1996	1134	9	0.79	6.87
1997	928	24	2.58	18.32
1998	1411	15	1.06	11.45
1999	1445	15	1.03	11.45
2000	1346	7	0.52	5.34
योग	**14574**	**131**	**0.89**	

दहेज हत्या

सन्	कुल हिंसात्मक अपराध	योग	प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1991	1733	42	2.42	12.72
1992	1728	23	1.33	6.96
1993	1599	36	2.25	10.90
1994	1527	30	1.96	9.09
1995	1309	24	1.83	7.27
1996	1134	21	1.85	6.36
1997	928	34	3.66	10.30
1998	1411	42	2.97	12.72
1999	1445	40	2.76	12.12
2000	1346	38	2.82	11.51
योग	**14574**	**330**	**2.26**	

अतः स्पष्ट होता है कि 304 की घटनाओं में वृद्धि या ह्रास की प्रवृत्ति नहीं मिलती है।

जनपद के कुल हिंसात्मक घटनाओ में भा.द.सं. 304 की प्रतिवर्ष प्रतिशत नगण्य है क्योंकि प्रतिवर्ष का प्रतिशत 5 प्रतिशत से भी कम है 1991, 1992, 1994, 1996 में एवं सन् 2000 में यह 1 प्रतिशत से कम हैं केवल 1997 में यह 2 प्रतिशत से अधिक (2.55 प्रतिशत) है। जबकि 1993, 1995, 1998 एवं 1999 में यह 1 प्रतिशत से कुछ अधिक है।

धारा 304 में दस वर्षो की कुल घटनाओं में प्रतिवर्ष का प्रतिशत देखने पर स्पष्ट होता है कि 1997 में यह 18 प्रतिशत से अधिक है जबकि 1993 एवं 1995 में यह 11.45 प्रतिशत है। इस प्रकार 1993, 1195, 1997, 1998, 1999 में कुल पाँच वर्षो में कुल 65 प्रतिशत घटनाएँ घटी है। सन् 2000 में यह प्रतिशत बहुत ही कम है।

दहेज हत्या

दहेज हत्या एक सामाजिक कलंक के रूप में माना जाता है इसमे दहेज के लालच में पति या पति के सम्बन्धियों द्वारा महिला/पत्नी की हत्या की जाती है। 10 वर्षों की कुल दहेज हत्याओं में प्रतिवर्ष के प्रतिशत के विवेचन सारणी 7.9 से स्पष्ट होता है कि, अधिक दहेज हत्याएँ 1991, 1998 एवं 1999 में हुई है। 1993, 1997 एवं 2000 में 10 प्रतिशत से अधिक दहेज हत्याऍ हुई हैं इस प्रकार उक्त छः वर्षों में कुल 69 प्रतिशत हत्याऍ हुई हैं। शेष चार वर्षों में केवल 31 प्रतिशत दहेज हत्याऍ हुई हैं। सबसे कम दहेज हत्या 1996 मे हुयी है।

कुल हिंसात्मक घटनाओं में दहेज हत्या का औसत 2.26 प्रतिशत है। 1991, 1997, 1998, 1999 एवं 2000 में हिंसात्मक घटनाओं मे दहेजहत्या का 2.26 प्रतिशत से अधिक है। जबकि, 1992, 1993, 1994, 1995 एवं 1996 में यह प्रतिशत 2.26 से कम है। सबसे अधिक प्रतिशत 1997 में 3.66 प्रतिशत है और सबसे कम 1992 में 1.33 प्रतिशत है।

कुल दहेज हत्या के 10 वर्षो का औसत 33 है। 1992, 1994, 1995, 1996 में दहेज हत्या की संख्या 33 से कम है। जबकि 1991, 1993, 1997, 1198, 1999 एवं 2000 में 33 से अधिक दहेज हत्याएँ हुई हैं। मानचित्र से स्पष्ट है कि 1991 से 2000 के बीच दहेज हत्याओं के परिवर्तन की प्रकृति में अन्तर है पहले यह घटनाएँ अधिक थी बीच में कम हुई है, और पुनः इनमें वृद्धि दर्ज की गयी है।

बलात्कार

किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ स्त्री की इच्छा के विरूद्ध बल पूर्वक शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना बलात्कार माना जाता है। कभी–कभी ऐसे बलात्कार भय, बदनामी के कारण हत्या व आत्महत्या के रूप में परिवर्तित

हो जाता है। मनोवैज्ञानिक बलात्कार को एक प्रकार की शारीरिक हिसां का रूप मानते हैं। बलात्कार एक ऐसी वीभत्स एवं डरावनी प्रक्रिया है जो स्त्री को मानसिक रूप से पंगु बना देती है। तार्किक दृष्टि से अवैध शरीरिक सम्बन्ध बनाना या उसकी माँग करना, गदी टिप्पणी करना, अभद्र चित्र दिखाना, यौन सम्बन्ध बनाने के लिये शारीरिक या मौखिक दुर्व्यव्यवहार करना, आदि सभी कृत्य यौन उत्पीडन के अपराध माने जाते हैं। जो परोक्ष रूप से बलात्कार के सूचक हैं[17] जो पुरुष एतस्मिन पश्चात उपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित पाँच भाँति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मथुन करता है, वह पुरुष बालात्संग (बलात्कार) करता है, यह कहा जाता है।[18]

1. उसी स्त्री की इच्छा के विरूद्ध
2. उसी स्त्री की सम्मति के बिना
3. उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसे मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।
4. उस स्त्री के सम्मति से जबकि वह पुरुष पहचानता है कि वह स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिये दी है कि वह विश्वास करती है वह पुरुष जिससे विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।
5. उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

सारीण 7.10

सन्	कुल हिंसात्मक अपराध	बलात्कार की कुल संख्या	कुल हिंसात्मक अपराध में बलात्कार का प्रति.	वार्षिक प्रतिशत (कुल बलात्कार में)
1991	1733	8	0.46	11.90
1992	1728	12	0.69	11.91
1993	1599	12	0.66	10.82
1994	1527	16	1.04	9.40
1995	1309	9	0.68	9.64
1996	1134	13	1.14	8.03
1997	928	14	1.50	6.10
1998	1411	19	1.34	10.59
1999	1445	14	0.96	11.00
2000	1346	6	0.44	10.55
योग	**14574**	**123**	**0.84**	

सारणी 7.10 से स्पष्ट होता है जनपद फर्रुखाबाद में 1991 से 2000 के बीच बलात्कार की कुल 123 घटनाएँ घटी हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष का औसत 12.3 घटनाऍ हैं। सन् 1994, 1996, 1997 1998, 1999 में क्रमशः 16, 13, 14, 19, 14 बलात्कार की घटनाएँ घटी हैं जो औसत (12.3) से अधिक है जबकि सन् 1992, 1993 में लगभग औसत के बराबर हैं केवल तीन वर्षों सन् 1991, 1995 एवं 2000 में औसत से कम बलात्कार की घटनाऍ हुई हैं। सबसे अधिक बलात्कार की घटना 1998 में हुई है जबकि सबसे कम बलात्कार की घटनाएँ 2000 में हुई हैं।

अतः स्पष्ट है कि सन् 1991, 1995 एवं सन् 2000 के ह्रास को छोड़कर बलात्कार की घटनाओं में कम परिवर्तन दृष्टि गोचर होता है।

कुल हिंसात्मक अपराध में बलात्कार के प्रतिशत देखने से स्पष्ट होता है कि इसका प्रतिवर्ष प्रतिशत नगण्य है क्योकि एन् 1991, 1992, 1993, 1995, 1999 एवं सन् 2000 में यह 1 प्रतिशत से अधिक है किन्तु 2 प्रतिशत से कम है। बलात्कार का वार्षिक प्रतिशत भी 1991, 1992, 1993, 1998, 1999 एवं 2000 में 10 से अधिक है जबकि 1994 एवं 1995 में यह लगभग 10 प्रतिशत से कम है जो क्रमशः 8.03 एवं 6.10 प्रतिशत है। इस प्रकार बलात्कार की घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग समरूपता है। (सारणी 7.10)

बलवा

बलवा या दंगा ऐसा अपराध है जिसमें दंगा करने वाले एक दूसरे के साथ शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए भय और आतंक का प्रदर्शन करते हैं तथा समाज को आंशिक या पूर्णतया आर्थिक क्षति पहुँचाते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान मे लड़कर लोकशान्ति में चिन्ह डालते हैं तो कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। दंगा मनुष्य को भयभती करने के लोक अपराध का द्योतक है। दो या अधिक व्यक्तियों का लोकस्थान में लड़ना जिससे प्रजा को भय पैदा हो दंगा कहलाता है। प्राइवेट स्थान में लड़ना दंगा न होना वदन हमला होगा।[19] इस अपराध का मुख्य उद्देश्य जनता को भयभीत करना होता है। क्योंकि यह लोक स्थान में केन्द्रित होता है। दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा झगड़ा पैदा करने वाली बातें या अंग विक्षेप करना दंगा गठित करेगा दंगा या बलवा के लिये झगड़े का प्रमाण होना जारूरी है और वह झगड़ा लोकमार्ग या सड़क के करीब या किसी लोक स्थान में हुआ हो।

सारीण 7.11

सन्	कुल हिंसात्मक अपराध	बलवा की कुल संख्या	कुल हिंसात्मक अपराध में बलवा का प्रति.	वार्षिक प्रतिशत (कुल बलवा में)
1991	1733	146	8.42	19 75
1992	1728	106	6.13	14 34
1993	1599	100	6.25	13.5
1994	1527	86	5.63	11 63
1995	1309	61	4.66	8.25
1996	1134	41	3.61	5.54
1997	928	29	3.12	3.92
1998	1411	49	3.47	6.63
1999	1445	67	4.63	9.06
2000	1346	54	4.01	7.03
योग	**14574**	**739**	**5.07**	

कि फर्रुखाबाद जनपद में सारणी 1 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि फर्रुखाबाद जनपद में कुल हिंसात्मक अपराधों में बलवा का प्रतिशत 1991 में सबसे अधिक (8.42) प्रतिशत है उसका मुख्य कारण अयोध्या में विवादित ढाँचे का ढहाया जाना है। सबसे कम प्रतिशत 1997 में (3.12) है। कुल हिंसात्मक अपराधों में बलवा का प्रतिशत 1991 से 2000 के बीच कम होता गया है। केवल सन् 1999 एवं सन् 2000 में अपवाद मिलता है। इन वर्षों में हिंसात्मक अपराधों में बलवा का प्रतिशत बढकर क्रमशः 4.63 एवं 4.01 हो गया है।

दंगा

दंगों के वार्षिक प्रतिशत के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दंगों का सबसे अधिक प्रतिशत 1991 में हुआ है। जो कुल दंगों का 19.75 प्रतिशत है

सबसे कम दंगा 1997 में हुआ है जो 3.92 प्रतिशत है। 1991 से 1994 के बीच कुल दंगों की संख्या 438 है जो कुल का लगभग 59 प्रतिशत है। 1995 से 2000 के बीच कुल का केवल 41 प्रतिशत दंगा हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु ली गयी अवधि में दंगों की संख्या में ह्रास हुआ है।

अन्य हिंसात्मक अपराध

जनपद फर्रुखाबाद के अन्य हिंसात्मक अपराधों की संख्या 1994 (46. 23 प्रतिशत) एवं 1997 (49.35 प्रतिशत) को छोड़कर लगभग 1991 से लेकर 2000 के बीच में अवधि में अन्य अपराधों का हिंसात्मक अपराधों में प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक रहा। (देखिये सारणी सं. 2)।

सारणह — 2

वर्ष	कुल हिंसात्मक अपराध	अन्य अपराध	अन्य अपराधों का हिंसात्मक अपराधों में प्रतिशत	अन्य अपराधो का वार्षिक प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991	1733	893	51.52	11.90
1992	1728	894	51.73	11.91
1993	1599	812	50.78	10.82
1994	1527	706	46.23	9.40
1995	1309	724	55.30	9.64
1996	1134	603	53.77	8.03
1997	928	458	49.35	6.10
1998	1411	795	56.34	10.59
1999	1445	826	57.16	11.00
2000	1346	792	58.84	11.55
योग	14574	7503	51.47	

हिंसात्मक अपराधों में अन्य अपराधों का प्रतिशत सबसे अधिक सन् 2000 में 58.84 है। जबकि सबसे कम प्रतिशत 1994 में है जो 46.23 प्रतिशत है। 1991 मे यह प्रतिशत 51.52 है। 1991 से 2000 तक के हिसात्मक अपराधों में अन्य अपराधों के प्रतिशत में क्रमशः 'बढ़ोत्तरी देखा जा सकता है। (देखिये सारणी 2)।

1991 से 2000 के बीच के कुल दस वर्षो मे कुल अन्य हिंसात्मक अपराधों का वार्षिक प्रतिशत सबसे अधिक 1992 मे है जो 11.91 है। एवं सबसे कम प्रतिशत 1997 में है जो 6.10 प्रतिशत है। अन्य हिंसात्मक अपराधों के वार्षिक प्रतिशत में 1991 से लेकर सन् 2000 तक अस्थिरता देखी गयी है न तो ह्रास देखा गया है औरतो वृद्धि हॉ 1991 से 2000 के बीच में कमी आयी है और पुनः वृद्धि दर्ज की गयी है। (सारणी–2, स्तम्भ – 5)

व्यवस्था के विरूद्ध अपराध

इसमें प्रशासनिक व्यवस्था के विरूद्ध किये गये अपराधों को सम्मिलित किया गया है।

एम.वी.एक्ट (मो. वै. अधि.)

(.........) व्यवस्था के विरूद्ध अपराधों में सबसे अधिक भाग इसी के अन्तर्गत आता है। (देखिये सारणी 3) इसमें 1991 से 2000 के बीच कुल 14102 घटनाएं हुई हैं। जो व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराध का 40.78 प्रतिशत है।

सारणी 3

एम.वी.एक्ट

वर्ष	व्यवस्था के विरूद्ध अपराध	एम.वी.एक्ट	एम.वी.एक्ट का व्यवस्था के विरूद्ध अपराधों में प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991	2564	1421	55.42	10.07
1992	3425	1678	48.99	11.89
1993	4806	2783	57.90	19.73
1994	2449	878	35.85	6.22
1995	3753	1462	38.95	10.36
1996	3518	1382	39.28	9.80
1997	3189	1117	35.02	7.92
1998	3053	1259	41.23	8.92
1999	4389	1163	26.49	8.24
2000	3433	959	27.92	6.80
योग	**34579**	**14102**	**40.78**	

इसमें सबसे अधिक प्रतिशत 1993 का है जो कुल व्यवस्था के विरूद्ध किये गये अपराधों का 57.90 प्रतिशत है। इसके बाद 1991 में 55.42 प्रतिशत एम.के. एक्ट का प्रतिशत है। सबसे कम 1999 का प्रतिशत है जो 26.49 प्रतिशत है। 1991 से 2000 के बीच इस एक्ट में अपवाद स्वरूप वर्ष 1993 को छोड़कर ह्रास की प्रवृत्ति मिलती है। जबकि प्रतिवर्ष सामान्य वृद्धि एवं ह्रास की प्रवृत्ति पायी जाती है।

एम.वी.एक्ट में कुल घटनाओं के वार्षिक प्रतिशत में सबसे अधिक प्रतिशत 1993 में 19.73 प्रतिशत है। एवं दूसरे स्थान पर 1992 में 11.89 प्रतिशत है। सबसे कम प्रतिशत सन् 2000 में 6.80 प्रतिशत है। इस एक्ट में

प्रतिवर्ष प्रतिशत में सबसे अधिक अस्थिरता देखी गयी है इस प्रकार इसमें न तो वृद्धि की प्रवृत्ति है और न तो ह्रास की प्रवृत्ति है।

25 अरेस्ट एक्ट

इसमें 10 वर्षो में घटी कुल घटनाओं की संख्या 5985 है जो कुल व्यवस्था के विरूद्ध अपराध का 7.30 प्रतिशत है। (देखिये सारणी 4) इसमें सबसे अधिक घटनायें 1996 में घटी हैं। जिसकी संख्या 793 है। इस एक्ट

सारणी 4

25 अरेस्ट एक्ट

वर्ष	व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराध	25 अरेस्ट एक्ट योग	25 अरेस्ट एक्ट का व्यवस्था के विरूद्ध अपराधों में प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991	2564	432	16.84	7.21
1992	3425	549	16.02	9.17
1993	4806	562	11.69	9.39
1994	2449	651	25.58	10.87
1995	3753	726	19.34	12.13
1996	3518	793	22.54	13.24
1997	3189	703	22.04	11.74
1998	3053	559	18.30	9.34
1999	4389	515	11.73	8.60
2000	3433	495	14.41	8.27
योग	**34579**	**5985**	**17.30**	

की सबसे कम घटनाएं 1991 में 432 में घटी हैं। इसमें 1991 से 2000 के बीच के समय घटनाओं में पहले तो वृद्धि देखी गयी है किन्तु पुनः ह्रास देखा गया है। सबसे अधिक वृद्धि 1996 में है इसके बाद पुनः ह्रास हुआ है।

व्यवस्था के विरूद्ध अपराधो में अरेस्ट एक्ट के प्रतिशत का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि इसका सबसे अधिक प्रतिशत 1994 में 25.58 है इसके बाद व्यवस्था के विरूद्ध हुए अपराधों में गिरावट है। सबसे कम सन् 1993 का है जो 11.69 प्रतिशत है। अरेस्ट एक्ट की व्यवस्था के विरूद्ध अपराधों में प्रतिशत से स्पष्ट है कि इसमें न तो अधिक वृद्धि है और न ही अधिक ह्रास है बल्कि अस्थिरता की प्रवृत्ति दिखायी देती है।

वार्षिक प्रतिशत में सबसे अधिक प्रतिशत सन् 1996 का है जो 13.24 प्रतिशत है जबकि सबसे कम प्रतिशत 1991 का है जो 7.21 प्रतिशत है। सन् 2000 में यह प्रतिशत 8.27 है। 1994 से 1998 के बीच के प्रतिशत का कुल योग लगभग 57 प्रतिशत है शेष पॉच वर्षों में कुल 43 प्रतिशत घटनायें इस एक्ट के अन्तर्गत घटी हैं।

60 आबकारी एक्ट

इसमें 10 वर्षों में कुल 2495 घटनाएँ घटी हैं सबसे अधिक 329 सन् 1997 में घटी हैं और सबसे कम 1991 में 4.96 प्रतिशत है। जिसकी वास्तविक संख्या 124 है। इसमें 1991 से 2000 के बीच के वर्षों में वृद्धि दर्ज की गयी है जबकि बाद के वर्षों में ह्रास देखी गयी है। (देखिये सारणी 5)

सारणी 5

60 अबकारी एक्ट

वर्ष	व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराध	60 आबकारी व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराध में प्रतिशत	कुल संख्या	वार्षिक प्रतिशत
1	2	3	4	5
1991	2564	4.83	124	4.96
1992	3425	7.64	262	10.50
1993	4806	5.76	277	11.10
1994	2449	10.00	245	9.81
1995	3753	7.08	266	10.66
1996	3518	8.92	314	12.58
1997	3189	10.31	329	13.18
1998	3053	6.78	207	8.29
1999	4389	3.35	235	9.41
2000	3433	6.89	236	9.45
योग	**34579**	**7.21**	**2495**	

व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराधों में 60 आबकारी के प्रतिशत के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 1997 में 10.31 है एवं सबसे कम प्रतिशत 1999 3.35 है यह प्रतिशत कम इसलिये है क्योंकि सन् 1999 में व्यवस्था के विरूद्ध अपराधों में अधिक वृद्धि देखी गयी है। (देखिये सारणी 5) व्यवस्था के विरूद्ध अन्य सभी अपराधों में अलग–अलग विश्लेषण न कर यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि इनका व्यवस्था के विरूद्ध कुल अपराधों में प्रतिशत नगण्य है।

अपराधों का स्थानिक विश्लेषण

अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों के अपराधों का विश्लेषण किया गया है जैसा कि पूर्व के अध्यायों से स्पष्ट हो गया है भौगोलिक पर्यावरण का मानव के रहन सहन, शारीरिक बनावट, विकास, चिन्तन, एवं क्रियाकलापो पर प्रभाव पडता है यह प्रभाव वृहद्स्तर से लेकर लघु स्तर तक देखा जा सकता है। जनपद फर्रुखाबाद में धरातलीय बनावट, ग्रामीण, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, क्षेत्रीय जातिगत संरचना, आर्थिक विषमता शिक्षा इत्यादि का अपराधो के स्थानिक वितरण पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इसीकारण प्रत्येक अपराधों में क्षेत्रीय विभिन्नता देखा जाता है। अपराधों के क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु जनपद के समस्त अपराधों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है प्रथम आर्थिक अपराध, द्वितीय हिंसात्मक अपराध और तृतीय व्यवस्था के विरूद्ध अपराध हैं। प्रत्येक वर्ग के अपराधों के क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनायी गयी हैं।

1. प्रत्येक अपराधों के 10 वर्षों का थानानुसार योग।
2. प्रत्येक अपराधों के थानानुसार योग कर समस्त थानों का महायोग ज्ञात करना।
3. प्रत्येक वर्ग अपराध के कुलयोग में समस्त थानों में भाग देकर प्रत्येक वर्ग के अपराधों का एक थाने का औसत ज्ञात करना।
4. प्रत्येक थान के कुल अपराधों से पुनः प्रामाणिक विचलन ज्ञात करना।
5. क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु वर्ग विभाजन के लिये सीमाओं के निर्धारण हेतु माध्य, माध्य + 1 प्रामाणिक विचलन, माध्य + 2×प्रामाणिक विचलन एवं माध्य – 2× प्रामाणिक विचलन का सहारा लिया गया है।
6. वर्गों के लिये निम्न विधि अपनायी गयी है।

DISTRICT FARRUKHABAD
ECONOMICAL CRIMES
1991 -2000
N
No. of Economical Crimes
674 - 887
462 - 674
250 - 462
37 - 250
Mean = 249.5
SD = 212.47
10 0 10
km

अति उच्च – माध्य + 1 प्रामाणिक विचल – मा. + 2× प्रा.वि.

उच्च – माध्य से – माध्य + 1×प्रा.वि.

मध्यम – माध्य – 1 प्रामाणिक वि. – माध्य

निम्न – माध्य – 2×प्रा.वि. – माध्य – 2×प्रा.वि.

7. इन वर्गों में आने वाले थानों का कोरोप्लेथ विधि से मानचित्रण एवं विश्लेषण

जनपद में कुल आर्थिक अपराध

फर्रुखाबाद जनपद के कुल आर्थिक अपराधों के विश्लेषण हेतु दस वर्षों (1991–2000) के मध्य के कुल अपराधों का थानानुसार विश्लेषण किया गया है। देखिये मानचित्र (7.) इसमें सर्वप्रथम जनपद कुल थानों के सम्पूर्ण अपराधों का प्रति थानानुसार औसत अपराध की गणना की गयी है। इसके लिये निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है। $\Sigma\frac{X}{N}$ यहाँ पर ΣX सम्पूर्ण थानों के कुल 10 वर्षों के अपराधों का योग है। 'N' थानों की कुल संख्या है। इस प्रकार एक थानें का कुल अपराध की संख्या निकाली गयी पुनः प्रामाणिक विचलन ज्ञातकर वर्ग बनाये गये हैं। प्रामाणिक विचलन हेतु $\sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$ सूत्र का प्रयोग किया गया है। यहाँ $\frac{\Sigma d^2}{N}$ माध्य से प्रत्येक थानों के 10 वर्षो के कुछ अपराधों से विचलन ज्ञातकर, पुनः उसका वर्ग कर जोड़ दिया गया है तथा उसमें थानों की संख्या (N) से पुनः भाग देकर, उसका वर्गमूल ज्ञात किया गया है। पुनः इसे चार वर्गों में विभाजित करने हेतु वर्ग सीमाओं के निर्धरण हेतु निम्नलिखित विधि का सहारा लिया–

Mean - 2S.D. =

Mean - 1 S.D. =

Mean + 1 S.D. =

Mean + 2 S.P. =

फर्रुखाबाद जनपद के आर्थिक अपराध हेतु चार वर्ग बनाये गये हैं। जिसमें कम से अधिक अपराधों को विश्लेषित किया गया है।

प्रथम वर्ग में — इस में अति निम्न आर्थिक अपराध वाले थाने सम्मिलित किये गये है। इसमें थाना जहानागंज, कमालगंज, मउदरवाजा, राजेपुर, अमृतपुर, शम्शाबाद एवं नवाबगंज, अमृतपुर कम्पिल थाने सम्मिलित है यहाँ पर आर्थिक अपराध औसत से कम है। इन थानों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। अच्छी कृषि होने के कारण यहॉ के लोगों का भरण—पोषण आसानी से हो जाता है। जनसंख्या विरल होने से भी आर्थिक अपराध कम हो जाते हैं।

द्वितीय वर्ग में — इस वर्ग के अन्तर्गत मोहम्मदाबद एवं कायम गंज थाने सम्मिलित है इस वर्ग औसत से अधिक आर्थिक अपराध होते हैं। इसमें 10 वर्षों में (1991—2000) कुल आर्थिक अपराधों की संख्या 249 से 461 के बीच मिलती है। इस मोहम्मदाबाद थाने में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। इसमें शिया सम्प्रदाय के लोग की संख्या सुन्नी सम्प्रदाय के लोगों से अधिक है। धामिकि संरचना इस क्षेत्र में अधिक आर्थिक अपराध को बढावा देते हैं। कायमगंज थाने में पठानों की बहुलता है। बीड़ी बनाना इनका मुख्य व्यवसाय है। इस व्यवसाय का प्रभाव आर्थिक अपराध पर पड़ता है।

तृतीय वर्ग में— इसमें एक मात्र फतेहगढ़ थाना सम्मिलित है। इसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। इसका कारण इस क्षेत्र में आर्थिक अपराधों की संख्या (1991—2000 के बीच) 461—674 के बीच मिलती है जो उच्च आर्थिक अपराधों का सूचक है क्योंकि यहाँ पर आर्थिक अपराध माध्य से अधिक है। इसका स्पष्ट कारण नगरीय क्षेत्र एवं द्वितीय तथा तृतीयक कार्यों की प्रधानता है।

N
DISTRICT FARRUKHABAD
VIOLENT CRIMES
1991-2000
> 1134
692 – 1134
442 – 692
192 – 442
Mean = 992.46
S.D. = 442.14
10
0
10
km

चतुर्थ अति उच्च – इसमें थाना फर्रुखाबाद सम्मिलित है। यह इस जनपद का मुख्य व्यावसायिक केन्द्र है। इसमें दस वर्षो (1991–2000) के बीच कुल 830 आर्थिक अपराध हुए है। इस थाने में क्षेत्र की सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या मिलती है नगरीय क्षेत्र अधिक आर्थिक अपराध के केन्द्र है। क्योंकि नगरीय क्षेत्रों पर मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है।[20] तथा आर्थिक कार्यो की प्रधानता होती है।

हिंसात्मक अपराध – इसमें जनपद के 13 थानों के 10 वर्षो (1991–2000) के बीच के कुल हिंसात्मक अपराधों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। इसके लिये सर्वप्रथम माध्य की गणना की गयी है। माध्य 992. 46 है और प्रामाणिक विचलन 442.14 है। माध्य एवं प्रामाणिक विचलन की सहायता से जनपद फर्रुखाबाद के हिंसात्मक अपराध को चार वर्गो में बाँटा गया है।

प्रथम वर्ग (माध्य – 2 प्रा.वि. से माध्य – 1 प्रा.वि.)– इसमें केवल एक थाना अमृतपुर आता है। यहाँ पर ब्राह्मण जनसंख्या की बहुलता है। ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता है कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस कारण यहाँ पर भरण पोषण की सरलता से हो जाता है और हिंसात्मक अपराध नगण्य है।

द्वितीय वर्ग (माध्य – 1 प्रा.वि. से माध्यमतम)– इसमें मात्र एक थाना जहानगंज आता है। इस क्षेत्र में औसत से कम हिंसात्मक अपराध किन्तु माध्य–1 प्रा.वि. से अधिक हिंसात्मक अपराध होते हैं। इसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक मिलती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या विरल है इस कारण इस क्षेत्र में हिंसात्मक अपराध कम होते हैं।

तृतीय वर्ग – (माध्य से माध्य + 1 प्रा.वि.)– इसमें फर्रुखाबाद, मऊदरवाजा, नवाबगंज, मेरापुर, शम्साबाद, कमालगंज, राजेपुर, कम्पिल थाना क्षेत्र आते हैं। नगरीय जनसंख्या की बहुलता है मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत अधिक मिलता है जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है अतः यहाँ पर हिंसात्मक अपराध अधिक मिलता है। इन क्षेत्रों में औसत से अधिक हिंसात्मक अपराध होते है।

N
DISTRICT FARRUKHABAD
CRIME AGAINST SYSTEM
1991 - 2000
4467 & Above
2606 - 4467
765 - 2606
Mean = 2606.07
S.D. = 1841 92
10
0
10
km

चतुर्थ वर्ग (माध्य + 1 प्रा.वि. – माध्य + 2 प्रा.वि.) – इसमें जिले के 3 थाने आते हैं। इस वर्ग में मऊदरवाजा, मोहम्दाबाद, कायमगंज थाने आते हैं। तीनों थाने मुस्लिम एवं अनुसूचित जाति (खटिक, चमार एवं कोरी) प्रधान क्षेत्र है जातीय संरचना का हिंसात्मक अपराध पर स्पष्ट प्रभाव मिलता है। इन क्षेत्रो में नगरीय जनसंख्या की अधिकता एवं जनसंख्या घनत्व की अधिक होने से हिंसात्मक अपराध अधिकता मिलते हैं। ये क्षेत्र अति उच्च वर्ग के हिंसात्मक अपराधों का प्रतिनिधित्व करते है।

व्यवस्था के विरूद्ध अपराध

इसमें चयनित 10 वर्षो (1991–2000) के थानानुसार व्यवस्था के विरूद्ध अपराधों का योग ज्ञात करके प्रत्येक थाने का औसत एवं प्रामाणिक विचलन ज्ञात किया गया है। पुनः माध्य एवं प्रा.वि. का प्रयोग कर तीन वर्गो में विभाजित किया गया है। माध्य 2606.07 है और प्रा.वि. 18.41.92 है। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत माध्य–1 प्रा.वि. से माध्य द्वितीय वर्ग मे माध्य से माध्य + 1 प्रा.वि. एवं तीसरे वर्ग में माध्य + 1 प्रा.वि. से माध्य + 2 प्रा.वि. मानने वाले जिले सम्मिलित किये गये उनका विवरण निम्नलिखित है।

प्रथम वर्ग (765–2606) – इसमें जहानगंज, नवाबगंज, मेरापुर, राजेपुर, अमृतपुर, शमसाबाद एवं कायमगंज थाने सम्मिलित किये गये हैं। इन थानों में साक्षरता दर निम्न है। व्यवस्था सम्बन्धी नियमों की जानकारी न होने क`कारण इन थानों के लोग अनजाने मे अपराध करते हैं चूँकि ग्रामीण लोग स्वभावतया नगरीय लोगों से कम चालाक होते हैं अतः यह जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं अतः यहाँ पर व्यवस्था के विरूद्ध अपराध कम मिलते हैं। इसीकारण यहाँ से अपराधों की संख्या औसत से कम है।

द्वितीय वर्ग (2606 – 4467) – इसमें फतेहगढ़, मऊदरवाजा, मोहम्मदाबाद, कमालगंज, और कम्पिल थाने सम्मिलित हैं। फतेहगढ़, मऊदरवाजा, मोहम्मदाबाद एवं कमालगंज थानों में नगरीय जनसंख्या अधिक पायी जाती है।

जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। इस कारण इन क्षेत्रो में साक्षर जनसंख्या अधिक है। अतः अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण यहॉ अपराध व्यवस्था के विरूद्ध अधिक मिलता है। कम्पिल थाने की सीमा बदायूँ एवं एटा जनपद की सीमा से मिलता है। चूँकि इन जनपदों में अपराध का स्तर अधिक है अतः कम्पिल थाने में अधिक अपराध मिलते है।

तृतीय वर्ग (4467 एवं ऊपर) — इसमें फर्रुखाबाद जनपद आता है। यह क्षेत्र इस जनपद का केन्द्र है। घनी जनसंख्या राजनीतिक वातावरण, नगरीय परिवेश, आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण इस थाने में सबसे अधिक अपराध होते हैं।

जनपद में अपराधों का संकेन्द्रण

जनपद के समस्त अपराधों के संकेन्द्रण मानचित्र निर्माण के लिये, निम्न प्रक्रियायें अपनायी गयी हैं—

1. प्रत्येक अपराध का थानानुसार योग ज्ञात करके माध्य की गणना की गयी है।
2. पुनः सब थानों के प्रत्येक अपराध हेतु प्रामाणिक विचलन ज्ञात किया गया है।
3. प्रत्येक अपराध का प्रामाणिक स्कोर ज्ञात किया गया है।

   Z Scere = X-X/

   यहाँ X = माध्य

   = प्रामाणिक विचलन
4. समस्त अपराध के प्रामाणिक स्कोर को एक साथ जोड़ा गया है।
5. प्रामाणिक स्कोर के योग का क्रमांकन किया गया है।
6. क्रमसूचक मापक पर प्राप्त समस्त थानों के लिये मध्यिका एवं चतुर्थक विचलन ज्ञात कर चार वर्गों में विभाजित किया गया है।

N
DISTRICT FARRUKHABAD
CONCENTRATION OF CRIMES
1991 - 2000
Z Score
Very High +1.22 to +8.03
High -1.34 to +1.22
Medium -2.14 to -1.34
Low -6.5 to -2.14
Median = -1.34
Quartile = -1.89
Quartile = +1 425
10
0
10
km

7. अन्त में चारो वर्गो के लिये करोप्लेथ विधि का प्रयोग कर मानचित्र बनाया गया है। (देखिये मानचित्र 7.) चारों वर्गो का विवरण निम्नलिखित है।

1. प्रथम वर्ग (निम्नस्तर)

इसमे राजेपुर, जहानगंज एवं अमृतपुर थाने आते हैं। इनका प्रामाणिक स्कोर स्कोर क्रमशः – 6.5, –2.14, –2.78 है। ये ग्रामीण क्षेत्र है। अमृत थानों में सवर्ण बहुल जनसंख्या है इसलिये यहाँ पर अपराध का स्तर कम है। राजेपुर कटरी क्षेत्र में अपराधियों की शरण स्थली है यहाँ पर डकैती की अधिकता है। जनसंख्या विरल होने से अन्य अपराध कम होते है इसलिए यह थाना कम अपराध क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जहानगंज ग्रामीण क्षेत्र है सवर्ण जातियों की अधिकता है। विरल जनसंख्या है अतः कुल अपराध कम होते हैं।

2. द्वितीय वर्ग (मध्यम स्तर) (–2.13 – 1.34)

इसमें शम्शाबाद, नवाबगंज, मेरापुर एवं कम्पिल थाने आते हैं। इन थानों का प्रामाणिक स्कोर क्रमशः 1.34–1.51, –1.85 एवं –1.55 है। मेरापुर में थाना ब्राह्मण जातियों की अधिकता है शिक्षा का स्तर ऊँचा है ग्रामीण जनसंख्या है अतः यहाँ पर अपराध का केन्द्रीकरण कम है। कम्पिल थाने में बौद्ध एवं जैन तीर्थ मिलते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म अनुयायी अहिंसा को परम धर्म मानते हैं अतः ये लोग अपराध कम करते हैं जिससे यहॉ पर अपराध का संकेन्द्रण कम है। नवाबगंज एवं शम्शाबाद में मुस्लिम जनसंख्या की अधिकता है। अतः इन थानों में उपर्युक्त दोनों थानों से अधिक अपराध संकेन्द्रण है।

तृतीय वर्ग (उच्च स्तर) (–1.34 से 1.22)

इसमें कमालगंज, कायमगंज एवं मऊदरवाजा थाने आते हैं। इन थानों के क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या की अधिकता है। जनसंख्या अधिक होने से यहाँ पर अपराध का संकेन्द्रण अधिक है। कमालगंज, कायमगंज एवं मऊदरवाजा थानों का प्रामाणिक स्कोर क्रमशः –0.34, + 1.22 एवं – 0.44 हैं

चतुर्थ वर्ग (अति उच्च स्तर) (1.22 से 8.03)

इसमें नगरीय क्षेत्र के फतेहगढ़, फर्रुखाबाद एवं मोहम्मदाबाद थाने आते हैं। इनका प्रामाणिक स्कोर क्रमशः + 3.42, + 8.03, एवं + 1.63 है। इसमें फर्रुखाबाद नगर, इस जनपद का मुख्यालय है। जनसंख्या की अधिकता है नगरीकरण के प्रभाव के कारण यहाँ पर सबसे अधिक अपराध का संकेन्द्रण मिलता है। दूसरे स्थान पर फतेहगढ़ नगर आता है। फर्रुखाबाद जनपद का दूसरा वर्ग महत्त्वपूर्ण नगर है यहाँ पर इस जनपद की कई प्रशासनिक इकाइयाँ हैं जनसंख्या की अधिकता एवं नगरीय परिवेश के कारण इस थाने में अपराध का संकेन्द्रण अधिक है तीसरा क्षेत्र मोहम्मदाबाद थाने के अन्तर्गत आता है मोहम्मदाबाद इस जनपद का तृतीय बड़ा नगरीय केन्द्र है। इस नगर में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है अतः साक्षरता अधिक है। जनघनत्व भी अधिक है

अतः इसलिय यहाँ अपराधों का संकेन्द्रण अधिक है।

जनपद फर्रुखाबाद में मौसम का अपराध पर प्रभाव

मौसम का अपराध पर प्रभाव ज्ञात करने के लिये थानानुसार अपराधों का मासिक आँकड़े एकत्रित किये गये है। मौसम अपराध पर प्रभाव देखने के लिए मासिक आँकड़ों के विश्लेषण हेतु काई वर्ग परीक्षण का सहारा लिया गया है।

काई वर्ग परीक्षण अप्रचलिक सांख्यिकीय परीक्षण है इसमें नामिक मापन मापक वाले आँकडों के बारंबारता का परीक्षण किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रत्येक महीने (पुनः उसे ऋतु के अनुसार चार भागों में बॉटा गया है।) में विविध अपराधों की संख्या (बारंबारता) की तुलना कर यह ज्ञात किया गया है कि कया मौसम का प्रभाव अपराधों पर पड़ा है अथवा नही । इस हेतु मैंने दो संकल्पनाएँ बनायी है प्रथम शून्य संकल्पना – इसमें मौसम का प्रभाव अपराधों पर नहीं पड़ा है। यह माना गया है, दूसरी संकल्पना – विकल्प संकल्पना मानी गयी है – इसमें मौसम का प्रभाव अपराधो पर पड़ा है, यह माना गया है।

परीक्षण करने हेतु अलग–अलग अपराधों हेतु अलग–अलग काई वर्ग का संगणन किया गया है जिनका विवरण निम्नवत है –

सारणी–1

अपराध	काई वर्ग का संगणित मान
अपराध	3.8
लूट	5.35
गृहभेदन	2.8
हत्या	0
योग आई.पी.सी.	0
योग चोरी	5.16
बलवा	3.98
गंभीर चोट	9.33

उक्त सभी काई वर्ग के संगणित मान का क्रांतिका मान ($\alpha = .05$ एवं $df = 3\pi r$) से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि उक्त समस्त मान क्रान्तिक मान से कम है अतः स्पष्ट होता है शून्य परिकल्पना स्वीकृत हुई है अतः इससे निष्कर्ष निकलाता है कि मौसम का प्रभाव अपराधों की संख्या पर नहीं पड़ा है। अतः फर्रुखाबाद जनपद में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है कि अपराध मौसम (या महीने) के अनुसार कम या अधिक होते रहते हैं। अतः इस जनपद में अपराध का स्वरूप जनपद के स्थायी कारक जैसे, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, जातिगत संरचना, व्यावसायिक संरचना, धार्मिक संरचना से प्रभावित दिखायी पड़ते हैं। अपराधों की संख्या में मासिक परिवर्तन एक सामान्य कार्य है और यह अन्तर भी महत्व हीन है।

संदर्भ

1. तिवारी, रामचन्द्र, 1999 – अधिवास भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ., 320
2. वही 1, पृ. 321
3. सदरलैण्ड ई. एच., क्रेशी डॉ. आर., 1965 – प्रिन्सपुल ऑव क्रिमिनोलोजी, द टाइम्स ऑफ इण्डिया प्रेस, बाम्बे, पृ. 16–17
4. टैपन पाल डल्ब्यू., 1949 – ज्यूबिनाइल डेलीकेवन्सी, मैकग्रानहिस बुक कम्पनी, न्यार्क पृ. 19
5. डब्ल्यू, ए. बोंगर, 1916 – क्रिमिनेलिटी एण्ड इकोनोमिक कंडीशन्स, वोस्टन, पृ 536–537
6. लैंमर्ट एडविन एम., 1953 – सोशल प्रॉब्लम्स, मैक्ग्रेनीहेल, न्यूयार्क, पृ. 141–149
7. क्लिनार्ड, एण्ड क्वीने,, 1967 – क्रिमिलन बिहेवियर, सिस्टम्स ' ए टाइपोलोजी हॉल्ट शीनिहार एण्ड विन्स, न्यूयार्क, पृ. 14–18
8. लोम्ब्रोसो
9. दत्त ए.के. और वेणुगोपाल जी., 1983 – स्पैसियल पैटर्न ऑव क्राइम एमंग इण्डियन सीरीज जियोफोरम भाग–1, सं. 2, पृ. 2237233
10. अहमद नसरीन और वकी मोहम्मद अब्दुल, 1988 – अरबन क्राइम इन बांग्लादेश ओरियन्टल ज्याग्रफर, भाग–32, पृ. 65–72
11. प्रश्न कुमार, 2000 – पृ. 91 (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)
12. प्रश्न कुमार, 2000 – जनपद बदायूँ के अपराधों का भौगोलिक विश्लेषण, (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध), रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, पृ. 93

13. निगम, रामचन्द्र, 1986 — दण्ड विधि (भा.इ.सं. के विनिर्दिष्ट अपराध) विधि साहित्य प्रकाशन, पृ. 31

14. वही 13, पृ. 266

15. वही 13

16. वही 13, पृ. 31

17. प्रश्न कुमार, 2000 — पृ. 98

18. निगम, रामचन्द्र, 1986 — दण्ड विधि, विधि साहित्य प्रकाशन, पृ. 249—250

19. वही 18, पृ. 489

20. तिवारी, रामचन्द्र, 1997 — अधिवास भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, पृ. 20

अध्याय—४

अपराध नियंत्रण योजना व क्षेत्रीय विकास नियोजन

अपराध नियन्त्रण योजना एवं विकास नियोजन प्रारूप

अपराधों की रोक—थाम हेतु सुझावों एवं विकास के नियोजन प्रारूप की आवश्यकता को देखते हुये। इस अध्याय में शोध के निष्कर्षों, समस्याओं को ध्यान में रखते हुये अपराधों की रोक—थाम एवं जनपद के विकास हेतु नियोजित प्रारूप का वर्णन किया गया है।

अध्ययन से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष

जनपद फर्रुखाबाद में थाना स्तर पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं —

1. थाना क्षेत्र मऊदरवाजा, फर्रुखाबाद, नवाबगंज की छोड़कर शेष 10 थाना क्षेत्रों की सीमायें अन्य पड़ोसी जनपदों से जुड़ी है। इन सीमावर्ती जनपदों में मैनपुरी, एटा, बदाँयू शहजहाँपुर, हरदोई, कन्नौज सम्मिलित है। ये समस्त जनपद उत्तर—प्रदेश की अपराध पट्टी में संयुक्त किये गये हैं क्योंकि ये सभी अपराधी जनपद है। अतः थाने की क्षेत्रीय सीमा और अवस्थित का प्रभाव अपराधों पर निश्चित रूप से देखा गया है।

2. नदियों के प्रवाह तथा क्षेत्रीय विभिन्नता ने भी अपराधी गतिविधियों को और अधिक सक्रियता प्रदान की है। इसी कारण से इस जनपद में जो स्थान मानवीय रहन—सहन हेतु व्यर्थ एवं दुरूह है उन स्थानों को अपराधियों ने अपनी गतिविधियों के अड्डे बना लिये है। जनपद के कटरी क्षेत्र जो राजेपुर, अमृतपुर एवं

शम्शाबाद थाना क्षेत्र में पडता है अपराधियों का स्थाई निवास बन चुका है।

3. जनपद में फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़ थाना क्षेत्रों को छोड़कर सामान्यतः वृहत आकार वाले थाना क्षेत्रों में अपराध की गहनता उच्च है।

4. जनपद में साक्षरता का प्रतिशत देखने पर स्पष्ट होता है कि जिन थाना क्षेत्रों में साक्षरता काप्रतिशत अधिक है। उनमें अपराधों की गहनता भी अधिक है। जनपद के थाना मोहम्दाबाद में जनपद की सर्वाधिक साक्षरता पायी जाती है। इसी जनपद में अपराधों की भी सर्वाधिक गहनता पायी जाती है।

5. जनपद के जनसंख्या घनत्व को देखने से स्पष्ट होता है कि अधिक जनघनत्व अधिक समस्याओं एवं अपराधों को जन्म देता है। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र सामान्यतः इस पक्ष को प्रभावित करते हैं। जनपद के फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, मऊदरबाजा, मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्रों में जन—घनत्व अधिक है। इन भागों में अपराध गहनता भी अतिउच्च से उच्च पाई जाती है।

6. थाना क्षेत्र फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, मऊदरवाजा, मोहम्दाबाद में मिट्‌टी की उर्वरता का स्तर उच्च नहीं है किन्तु इन सभी भागों में अपराधों की गहनता उच्च पायी गयी है।

7. फर्रुखाबाद जनपद के अपराधों के मूल कारणों में क्षेत्रीय निर्धनता कम बल्कि सम्पन्नता अधिक उत्तरदायी है। जनपद के थाना क्षेत्र फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, मऊदरवाजा क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या कम है लोग सम्पन्न है किन्तु अपराधों की गहनता पायी गयी है।

8. परिवहन विकास की दशायें पुलिस प्रशासन एवं अपराधी वर्ग दोनों को प्रभावित करती है। फर्रुखाबाद जनपद में थाना फतेहगढ़,

फर्रुखाबाद, मोहम्मदाबाद मे परिवहन विकास और अपराध गहनता में अनुकूल सम्बन्ध है। ये क्षेत्र अपराधी को अपराध कर भागने में परिवहन की सुविधा देते है।

9. इसके विपरीत जनपद में परिवहन की अविकसित दशा भी जहॉ पुलिस प्रशासन के आगे बाधा बनी हुयी है। वही अपराधी वर्ग हेतु वरदान है। जनपद के राजेपुर, अमृतपुर, शम्शाबाद, मेरापुर थाना क्षेत्रों में पविहन का विकास प्रायः नहीं है। ऊसर कटरी क्षेत्र होने से धरातल विषम है अतः इस क्षेत्र को अपराधियों ने अपनी शरणस्थली बना लिया है।

10. जनपद के थाना क्षेत्र फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, मोहम्मदाबाद, कमालगंज, मऊदरवाजा, कायमगंज में बाजार सुविधा संतोषजनक हैं। इन्हीं क्षेत्रों में अपराधों की गहनता भी अतिउच्च से उच्च स्तरीय है। इसका कारण अपराधियों द्वारा व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के प्रति राहजनी, लूट चोरी आदि की घटनाओं की प्रधानता है।

11. प्रतिदर्शी गाँवों के अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश में है कि इन ग्रामीण अंचलों में छीना—झपटी, लूट, राहजनी, चोरी, जेबकतरी आदि अपराधिक घटनायें बाजार की सुविधा वाले दिन अधिक घटती हैं।

12. प्रतिदर्शी ग्रामों के अध्ययन द्वारा स्पष्ट होता है कि, अपराधी अध्कितर उसी गृह से सम्बन्धित हैं जहॉ पहले भी कोई घर का सदस्य अपराधों में लिप्त रहा है।

13. जनपद के जिन थाना क्षेत्रों में कृषि का विकास अधिक हुआ है। उन क्षेत्रों में अपराध की गहनता पायी गयी है।

14. प्रतिदर्शी ग्रामों के अध्ययन द्वारा स्पष्ट रूप से यह तथ्य सामने

आया है कि अपहरण की घटनाये अधिकतर फिरौती के कारण हुयी है। जिनमें रंजिश नाम मात्र का कारण रही है।

15. क्षेत्री अध्ययन द्वारा स्पष्ट है कि जनपद में चुनावी समय में अपराधों की अधिक आवृत्ति रही है। इस समय के अधिकतर अपराध राजनैतिक रहे हैं।

स्थानीय समस्यायें

जनपद के विकास एवं अपराध नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि यहाँ की समस्याओं को समझा जायें जनपद की समस्याओं का पता लगाने के लिये कैदियों के साक्षात्कार, एडवोकेट के साक्षत्कार, नगरनिवासियों के साक्षात्कार, न्यायाधीषों के साक्षात्कार, पुलिस विभाग के अधिकारियों के साक्षात्कार एवं विभिन्न प्रश्नावलियों को माध्यम बनाया गया है। जिससे इस ज्वलंत समस्या के आधार पर अपराधों की वृद्धि के संदर्भ में जनपद की प्रमुख समस्यायें निम्नवत है —

1. यह सम्पूर्ण जनपद अपराध समस्या ग्रस्त है। लेकिन इसके उ. प. एवं पश्चिमी भाग अपराधी जनपद मैनपुरी एवं एटा से मिले हैं जो सदैव असुरक्षित रहते हैं। यहाँ कोई प्राकृतिक सीमा या कृत्रिम सीमा नहीं है। अतः पड़ोसी जनपद के अपराधी भयमुक्त होकर फर्रुखाबाद जनपद में आकर अपराध करते रहते हैं।

2. इस जनपद की सीमायें महानगर कानपुर, आगरा के समीप हैं। अतः अपराधिक गतिविधियों का क्षेत्र वृहत—आकार धारण कर लेता है। फर्रुखाबाद जनपद के अपराधों की घटनाओं में लिप्त व्यक्ति प्रायः आगरा या कानुपर में पकड़े जाते हैं।

3. फर्रुखाबाद जनपद का उ.पू. एवं पूर्वी भाग उच्चावच की दृष्टि से विषम है। यहाँ नदियों के किनारे जन शून्य है। यहाँ का बीहड़

DISTRICT FARRUKHABAD

SPATIAL PLANNING FOR POLICE STATIONS

क्षेत्र एवं कटरी क्षेत्र विषम है जहॉ आसानी से पहुँचना दुष्कर है ये क्षेत्र अपराधियों की शरण स्थली बने हुये हैं।

4. जनपद की उ.पू. सीमा गंगा व रामगंगा नदियों के द्वारा निर्मित है जहाँ का क्षेत्र ऊसर होने से जनशून्य है इन्हीं क्षेत्रों मे नावों द्वारा अवैध वस्तुओं का व्यापार होता है।

5. जनपद फर्रुखाबाद का उ.पू. भाग परिवहन मार्गो। की दृष्टि से पर्याप्त पिछड़ा हुआ है। अतः इन क्षेत्रों में पुलिस सक्रिय कम ही हो पाती है। इस बात का अपराधी वर्ग सदैव से अनुचित लाभ उठा रहा है।

6. इस जनपद में जघन्य अपराधों में वृद्धि प्रायः ग्रीष्म ऋतु में पायी गयी है। जिसमें अधिकतर अपराध व्यक्ति के विरूद्ध हुये हैं।

7. जनपद में पुलिस चौकियों की संख्या संतोषजनक नहीं है एवं थाना मुख्यालय सुदूर आन्तरिक क्षेत्रों से अत्यन्त दूरी पर है। अतः ऐसे क्षेत्रों में अपराध में वृद्धि हुयी है।

8. इस जनपद में थाना क्षेत्रों की सीमाओं में पर्याप्त विकृति पायी गयी है। इससे ग्रामवासी शीघ्र निर्णय ही नहीं ले पाते कि किस थाने में जाकर अपराधी की सूचना देना है।

9. इस जनपद में थाना मुख्यालय की स्थिति अपनी ही सीमा के अन्तर्गत नदी पार के क्षेत्रों में बरसात एवं शीत में अपना नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जाती है। जैसे – कम्पिल थाना में बूढी गंगा के कारण राजेपुर में रामगंगा के कारण नियंत्रण संभव नहीं हो पाता। अतः इस समय इन क्षेत्रों में अपराधों को पनपने का अवसर प्राप्त होता है।

10. मानचित्र 8.1 को देखने से स्पष्ट होता है कि पुलिस केन्द्रों की संख्या कम है। इन केन्द्रों को अधिक बड़े क्षेत्र का नियंत्रण

संभालना पड़ता है जो इन की क्षमता के बाहर है अतः समस्त जनपद में 9 स्थान ऐसे प्राप्त हुये हैं जहाँ पुलिस का प्रभाव कम होने से अपराध की समस्या बनी हुयी है।

11. सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात हुआ है कि, सीधे गरीब एवं प्रभावहीन व्यक्तियों की पुलिस रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती है। जिससे वे न्याय से वंचित रह जाते हैं। साथ ही अपराधी वर्ग द्वारा बार–बार पीड़ित किये जाते हैं।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में रिर्पोट लिखते समय काफी हेराफेरी की जाती है। जैसे राहजनी, लूट, डकैती आदि गंभीर अपराधों को साधारण वर्ग के अपराधों में बदलकर लिखा जाता है।

13. सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात हुआ है कि जनपद में जितना आतंक अपराधियों का है उतना ही आतंक खाकी वर्दी का भी व्याप्त है। कुछ पुलिस कर्मी अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं अतः पुलिस एवं जनता के मध्य सम्बन्ध अच्छे नही है। इसका अपराधी वर्ग लाभ उठा रहा है।

14. जनपद के सर्वेक्षण द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि कर्मठ, ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण पुलिसजनों को भी जनता का सहयोग प्राप्त न होने से अपराधों में वृद्धि देखी गयी है।

15. जनपद की ग्रामीण जनता दबंग अपराधियों के प्रभाव में आकर उनको धन देकर, शरण देकर, भोजन आदि देकर सहायता करती रहती है। इससे पुलिस प्रशासन को अधिक बाधाओं का समाना करना पड़ता है।

अपराधों की रोकथाम एवं क्षेत्रीय विकास नियोजन

अपराध निरोधक क्रियायों से तात्पर्य राजकीय संस्थाओं सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों, आर्थिक संगठनों, न्यायिक संगठनों द्वारा किये गये

उन सभी प्रयत्नों से है जिनका उद्देश्य अपराधिता को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था की विषम परिस्थितियों ने समाज को न केवल विभाजित किया है। अपितु समाज के नैतिक मूल्यो का ह्रास भी किया है। अतः जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु दण्ड और उपचार की इस प्रकार व्यवस्था करना जिससे अपराधी व अपराधों को प्रोत्साहित करने वाले दोनों को ही सुधारा जा सके। इस अपराध निरोधक कार्यक्रम के अन्तर्गत हमे उन समस्याओं को हल करना पड़ेगा जो अपराधों को जन्म देती है।[1] इसके अन्तर्गत निम्नांकित प्रयत्न सम्मिलित किये गये हैं–

- घटित अपराधों की जाँच–पडताल, अपराधी की खोज, तथा उसके अपराधी होने में दोष का साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।
- भविष्य में होने वाले तथा वर्तमान में पाये जाने वाले, अपराधों एवं अपराधियों को नियंत्रित करना।
- उन अपराधों की खोजबीन जिनकों करने की तैयारी की जा रही है या जिनके करने के इरादे बनाये जा रहे हैं।
- उन कारकों का नियंत्रण तथा उन दशाओं का सुधार जिनके दबाव में आकर व्यक्ति अपराध करता है।

आज समाज व्यक्तिवाद, भोगवाद, जातिवाद, अर्थवाद, आतंकवाद और निरंकुशवाद की ज्वाला में जल रहा है। इसी का परिणाम है कि समाज अपराधों की एक प्रयोगशाला बन चुका है।[2]

अपराध नियंत्रण के सफल कार्यक्रम हेतु सामान्यतः दो विधियॉ प्रयोग में लायी गयी हैं, पहली – "उपचारात्मक विधि" यह विधि उन व्यक्त्यिों के सुधार एवं चिकित्सा से सम्बन्धित है जो दुबारा अपराध करते हैं। दूसरी "निरोधात्मक विधि" यह विधि उन व्यक्तियों को रोकने से सम्बन्धित है जो पहली बार अपराध करने की संभावना रखते हैं। ये दोनों ही विधियाँ अपराधों की रोक–थाम का उद्देश्य रखती है।[3] आज समाज में सामूहिक

भावना का विलोप हो रहा है। कोई भी किसी की चिन्ता नहीं करता। अपने अधिकारों के लिये कर्तव्यों को पूर्णरूपेण भूल जाने की स्थिति में व्यक्ति अकेला पडता जा रहा है। इसी का परिणाम है, कि अपराधों में वृद्धि हो रही है। यदि हमें अपराधों को रोकना है। समाज को भयमुक्त रखना है। तो हमें व्यक्तिवाद की भावना का परित्याग करके संघवाद को बढ़ावा देना होना क्योंकि संघ की शक्ति अपराधों को नियंत्रित करती है। इसके लिये विभिन्न प्रकार की संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सामाजिक संस्थाओं की भूमिका

जनपद फर्रुखाबद में अपराधिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप सामाजिक स्थायित्व का खतरा बढ़ता जा रहा है। सामाजिक स्थायित्व के बने रहने तथा सामाजिक व्यवस्था के सुचारू रूप से चलते रहने के लिये समाज में एक निश्चित, नियमित एवं सुव्यवस्थित संरचना का होना अनिवार्य है। अतः इस व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में सामाजिक संस्थायें अहम् भूमिका निभा सकती है। जनपद में अनेक सामाजिक कारकों के कारण भी अपराधों में वृद्धि हुयी है। जिसमें प्रमुख रूप से जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि, धर्म तथा चाल, चलन, पारिवारिक परिस्थितियों, व्यवसाय, शिक्षा प्रणाली, मद्यपान बाल श्रम, देह व्यापार, स्वेतवस्त्रापराध आदि प्रमुख कारण है।[5] अपराध वास्तव में मानवशास्त्रीय, भौतिक एवं सामाजिक कारकों के अनेक संमिश्रणों का प्रतिफल है। जिसमें प्रमुख रूप से धर्म, प्रजाति, शहर, देश, जुआ, वेश्यावृत्ति तथा अनुपयुक्त आर्थिक दशाओं को रखा गया है।[6] सामाजिक संस्थाएँ कुछ निश्चित उद्‌देश्यों को प्राप्त करने का आमूर्त साधन होती है। अतः ये विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। अपराधों के नियंत्रण में इन समाजिक संस्थाओं का विशेष योगदान है। जनपद फर्रुखाबाद में इन संस्थाओं के रूप में अनेक क्लब सरकारी एवं गैर सरकारी, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण विभाग नारी निकेतन, बाल सुधार गृह, आंगनबाड़ी आदि

सामाजिक संस्थायें कार्यरत है। इन्हीं संस्थाओ के माध्यम से लोग सुशिक्षित एवं सुसंकृत बनकर अच्छे आचरण एव व्यवहार से अपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये आचरण दुष्प्रवृत्तियों मे परितर्वन लाने में अहम भूमिका अदा करते है। इन्ही सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान के लिये आगर्वन व निमकॉफ ने कहा कि, सामाजिक संस्थायें कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिये संगठित स्थायी प्राणालियों को कहते हैं। ये स्थायें चूंकि सामाजिक होती है। व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती हैं। उनका मार्ग दर्शन करती है। इनका उद्देश्य उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखना, भाई—चारे को बढ़ाव देना को महात्व देकर व्यावहारिक रूप से अपराधों पर नियत्रंण करने हेतु प्रयासरत रहती है।[7] इन सामाजिक संस्थाओं द्वारा मानव में मूल्यों गिरावट को रोका जा सकता है। अनेक पारिवारिक झगड़ों को शान्तपूर्वक ढंग से निपटाया जा सकता है। इससे परिवारिक भरतना सीमित होगी एकांकीपन अपराध को बढ़ावा देता है। अतः संयुक्त परिवारसे अपराधों में सक्रियता पर अंकुश रहेगा, अनाथालयों को चलाकर भी सामाजिक संस्थायें मानवीय विकास को नयी दिशायें दे सकती है। क्योंकि अनाथ होने का निरन्तर मान भी अपराधों को जन्म देता है।[8] किन्तु वर्तमान में कुछ सामाजिक संस्थायें ऐसी है जो अपनी जिम्मेदारियों को तो सफलतापूर्वक नहीं निभा रही है बल्कि असमाजिकतत्व के कुकत्यों में उन्हें सहयेाग प्रदान कर रही है। कुछ संस्थायें पूर्णतः निष्क्रिय हो चुकी है अतः ऐसी मृत्प्रायः सामाजिक संस्थाओं का पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। जिससे वे समाज में व्याप्त बुराइयों दहेज समस्या, बालविवाह, भ्रूण हत्या, पर्यावरण सुरक्षा, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, मद्यपान, चारित्रिक पतन, सांस्कृतिक पतन, बाल श्रम, श्वेतवस्त्र—अपराध जैसी बुराइयों को समाज से निकाल सके एवं मनुष्य को स्वस्थ्य चिन्तन एवं शुद्ध वातावरण दे सके जिससे मानव अपराधिक प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख ही न हो सके।

आर्थिक संस्थाओं की भूमिका

गरीबी समस्त अविकसित एव विकासशील क्षेत्रों की एक ऐसी प्रमुख सामाजिक समस्या है, जिसे अन्य सामाजिक समस्याओं (अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि) की जननी माना जाता है।[9] अतः गरीबी उन्मूलन के द्वारा ही इन अपराधों की बढ़ती प्रवृत्तियों पर अकुश लगाया जा सकता है। गरीबी एक अवधारणा है। जिसमें अंकिचन व्यक्ति वह है जिसके पास जीवन निर्वाह के लिये न्यूनतम साधन भी नहीं है।[10] आर्थिक संस्थायें इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकती है। जनपद फर्रुखाबाद मे राष्ट्रीकृत बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, भूमि सुधार बैंक, दुग्ध समितियाँ, पंजीकृत चिटफण्ड, कृषि ऋण सहकारी समितियाँ, प्राइवेट फाइनेंस कम्पनियॉ जैसी आर्थिक संस्थायें कार्यरत है। जो गरीबी उन्मूलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। किन्तु आज ये अपने उद्देश्य से भटक कर आर्थिक–विषमता को रोकने के बजाय बढ़ावा दे रही है। ऐसी संस्थायें वास्तविक जरूरतमन्दों को धन देने में या तो असफल रहती है या इतनाकम धन देती है कि इनकी आवश्यकता पूरी ही नहीं हो पाती साथ ही ये ऋण के बोझ से दब भी जाती है। इसके अलावा सम्पन्न व्यक्ति इन गरीबों के नाम पर ऋण लेकर अपने कारोबार को बढ़ाते रहते हैं। ये व्यक्तियों को सब्सिडी के प्रलोभन के कारण भी ऋण लेकर उसका अन्यथा उपयोग करते देखे गयें हैं। अतः जब ये ऋण के जाल में उलझते हैं तो अवैध तरीकों द्वारा उससे निकलने का प्रयास करते हैं। अतः अपराधों की वृद्धि होती है।

जनपद में व्यवसायिक बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंक की 29, ग्रामीण बैंक शाखायें 45, सहकारी बैंक शाखायें 10,[11] होने के बाद भी जनपद में आर्थिक विषमता के कारण होने वाले अपराधों पर नियंत्रण अभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आर्थिक प्रगति के समस्त लाभ उन लोगों को मिल रहे हैं जो पहले ही अमीर है।[12] अतः आर्थिक विषमता बढ़ी है। जिसके कारण अपराधों में भी वृद्धि हुयी है। अतः आर्थिक नियोजन के द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में सामाजिक

समस्याओं का निराकरण किया जाना संभव है। जनपद फर्रुखाबाद मे आर्थिक–नियोजन के अन्तर्गत कृषि के पिछड़ेपन को दूर किया जाना आवश्यक है क्योंकि जनपद फर्रुखाबाद की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। अतः यहाँ की समृद्धि हेतु कृषि की दशा सुधारने की आवश्यकता है जिसमें पैदावार की वृद्धि के उपाय, कृषि भूमि का पूरा–पूरा सदुपयोग करना, नवीन सिंचाई साधन, फर्टिलाइजर, कृषियंत्र, एवं बीजों की व्यवस्था करना छोटे जातों के आकार को बढाना, भूमिहीन खेतिहारों की दशा में सुधार आदि किये जाने की आवश्यकता है।

फर्रुखाबाद जनपद में लघु उद्योगों की दशा निरन्तर खराब हो रही है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ का छपाई उद्योग, नमकीन, दालमोठ उद्योग, रेवड़ी एवं बेकरी उद्योग, जारदोजी का काम प्रमुख है। अतः इन्हें ऋण सहायता के द्वारा पुनः समृद्धि किया जाना आवश्यक है क्योंकि इस कार्य में लगे श्रमिक बेरोगार होकर अपराधों की भी उन्मुख हो रहा है।

जनपद ने योजनाबद्ध आर्थिक प्रगति के कार्यक्रमों को सार्वजनिक रूप से प्रचारित करना चाहिये एवं उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए। इन योजनाओं को लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहये जो व्यक्ति आर्थिक तंगी का शिकार है। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद आर्थिक शक्ति का संचय उन्हीं लोगों ने किया है। जिनके पास पहले से ही आर्थिक शक्ति मौजूद थी।[13]

अतः जनपद में अपराधिक पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आर्थिक योजनाओं के द्वारा निम्न कार्य किये जाने आपेक्षित है –

1. गरीबी के समस्त जटिल तथा अन्तनिर्भर कारणों की पहल करना तथा उसके प्रभावों को ठीक से स्पष्ट करना।
2. आर्थिक प्रगति को बढ़ाने हेतु कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों को बढ़ावा देना।

3. आर्थिक प्रगति हेतु सामाजिक—आर्थिक लाभों के वितरण की उचित एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था करना।

4. ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे लोग अपनी गरीबी के बारे में जागृत होकर उससे मुक्ति हेतु प्रयत्नशील हो सके।

5. गरीबों को आर्थिक—सामाजिक विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन मे अर्थपूर्ण ढंग से शामिल करना।

6. सरकारी योजनाओं में गरीबी हटाने का दृढ राजनैतिक निश्चय किया जाना।

अतः आर्थिक संस्थाओं द्वारा, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि एवं लघु उद्योगों की दशा सुधारना आदि कार्यक्रमों के माध्यम से अपराध नियंत्रण किया जा सकता है।

प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका

यदि हम अपराध की घटनाओं को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समुदाय के सामाजिक—आर्थिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि अपराध बिगड़ी हुयी सामाजिक दशाओं का फल है। और अपराधी वही व्यक्ति है जिसकों समाज ने ऐसे अवसर प्रदान कर रखे हैं जिससे वह अपराध की प्रेरणा सरलता से प्रात कर लेता है।[14] अतः इस समस्या के निराकरण में प्रशासनिक भूमिका अपना विशेष महत्व रखती है। जिसके अन्तर्गत यह प्रशासन निम्नलिखित उपाय कर सकती है।

- जनपद के सीमावर्ती थाना क्षेत्र जो अपराधी जनपदों से संयुक्त होने के कारण अपराधों में अधिक सक्रिय हो गये हैं। अतः इन सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में खुफिया पुलिस द्वारा निगरानी अव्यन्त आवश्यक है।

- जनपद की उत्तर एव उ.–पू. सीमा नदियों, बीहड, एव कटरी क्षेत्रों द्वारा निर्धारित होने से यह क्षेत्र निवास के अयोग्य है अतः अपराधी वर्ग यहाँ पनप रहा है अतः इस क्षेत्र मे गस्त आकस्मिक छापा, एवं पुलिस चौकी बनाये जाने की आवश्यकता है।

- जनपद के कम्पिल थाना वाले क्षेत्रो मे एवं उत्तर–पश्चिम वाले क्षेत्रों में परिवहन विकास अत्यन्त पिछडा हुआ है। अतः इन क्षेत्रों में परिवहन की योजनायें क्रियान्वित की जाये जिससे मौके बारदार का तुरन्त मुआयना किया जा सके।

- जनपद में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर अपराधों का मूल कारण है। अतः उन्हे प्रलोभन देकर बदलने की अपेक्षा प्रशासनिक स्तर पर जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए।

- जनपद में विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, आवास सविधा एवं चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता है। जिसके अभाव में अपराधी वर्ग को मनमानी करने की छूट मिलती है।

- बाजार केन्द्रों की दूरी बहुत अधिक होने से भी वापस आते समय लूट, राहजनी आदि होने की सम्भावना रहती है। अतः बाजार केन्द्र प्रत्येक 6 किमी. की दूरी पर होना चाहिये जिससे ग्रामीण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सुरक्षित रूप से कर सकें।

- कम–आयु वर्ग द्वारा किये गये अपराधों पर गंभीर रूप से विचार करते हुये उन्हें सुधारवादी एवं आवश्यक हो तो दण्डात्मक कार्यवाही द्वारा सुधार जाना चाहिए अतः इसके लिये जनपद में बाल–सुधार गृह की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिये।

- प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा की वृद्धि के साथ अपराधों में भी वृद्धि हुयी है। शिक्षण संस्थाओं में भी पर्याप्त

अनुशासन हीनता, शिक्षा स्तर में गिरावट नकल की प्रवृत्ति के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है। अतः इन सस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारियों जैसे – जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राचार्यों, प्राध्यापकों को अपना दायित्व ईमानदारी से पूरा करने की आवश्यकता है।

- जनपद में मादक द्रव्य बिक्री के केन्द्रों पर पूर्ण प्रतिबन्ध संभव नहीं है किन्तु प्रशासन द्वारा 18 साल के कम उम्र के व्यक्ति को इन मादक द्रव्य को देने पर पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिये। जिससे ये इन वस्तुओं के आदी न पड़ जाये इस नीति से और भावी नागरिकता की नस्ल खराब होने से बच सकेंगी।

- जनपद में सर्वाधिक अपराध पिछड़ी जातियों द्वारा हो रहे है इसके नियंत्रण हेतु इस वर्ग की जातियों में जवीन–स्तर को सुधारना, धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाना आपेक्षित है।

- सरकार की शस्त्र लाइसेंस नीति न्यायपूर्ण नहीं है। सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि होती है कि शस्त्र लाइसेंसे अधिकतर उन व्यक्तियों को दिया गया है इसकी आवश्यकता नहीं है या मात्र प्रदर्शन हेतु उन्होंने इसे प्राप्त किया है। अतः इस प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा हेतु लाइसेंसी शास्त्रों की होढ़ जनपद में बढ़ी है जिससे हिंसक अपराधों में वृद्धि हुयी है अतः लाइसेंस नीति को पारदर्शी एवं दोषमुक्त किये जाने की आवश्यकता है। अतः जिन लाइसेंस धारकों के शस्त्रों का प्रयोग अपराधों में होने की पुष्टि हो उनके लाइसेंस पूर्णतः निरस्त करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

- जनपद में पुलिस व्यवस्था जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। अतः अपराधों के नियंत्रण हेतु सिपाहियों, होमगार्डस की संख्या में अधिक वृद्धि की आवश्यकता है। जिससे अपराधी वर्ग को अधिक नियंत्रण में रखा जा सके।

- जनपद में कारागार की व्यवस्था संतोष जनक नहीं है। यहाँ कैदियों के परिजनों एवं छूटे हुये कैदियों से किये गये साक्षात्कार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि, भोजन का स्तर अत्यन्त निम्न है साथ ही खाना भी पेट भर नही दिया जाता, आवास क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था निम्नस्तर की है। जो अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार का प्रतीत है।

- जनपद के कारागार में अधिकतर कैदियों द्वारा अनुशासन हीनता के कार्य सामने आते रहे है। उनके द्वारा भागे जाने के कृत्य भी सामने आये हैं अतः इन अपराधियों द्वारा ऐसे कृत्यों के लिए अधिक कडी दण्डात्मक कार्यवाही एवं सुधारवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

न्यायिक संस्थाओं की भूमिका

कानून सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक साधन है तथा समाज की सम्पूर्ण नियंत्रण व्यवस्था को एक मुख्य भाग है। अतः अपराधों के रोक–थाम हेतु न्यायिक संख्याओं की अहम भूमिका है।

वर्तमानमें अपराधों के बदलते स्वरूप के कारण जाँच, प्रक्रिया एवं कानून व्यवस्था अप्रासांगिक हो चुके हैं। अतः अपराधों के नियंत्रण हेतु दण्ड संहिता एवं अपराध संहिता को भी बदलते परिवेश के अनुरूप परिवर्तित किया जाना चाहिए।

कुछ न्यायालयों में इतने अधिक मामले होते हैं जिन्हें निपटाने में न्यायालयों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही छोटे एवंप्रथम स्तर के न्यायालय सामान्य अपराध ही नहीं बल्कि गंभीर अपराध के मामले भी सुलझाते हैं। अतः इन समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए जिससे अपराधों को शीघ्र व सही रूप से रोका जा सके।

उस समाज में अपराध बढ़ता है। जहाँ पर लोगों में कानून के प्रति आस्था और विश्वास में कमी आ जाती है ऐसा तब होता है जब साधारण व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति को कानून तोड़ते देखता है। वह उसका पकडे जाने पर सरलता से छूट जाना देखता है। अतः न्यायिक व्यवस्था को न्याय पारदर्शिता के माध्यम से जन साधारण में न्या के प्रति आस्था और विश्वास को बनाये रखना होगा जिससे अपराधों का नियंत्रण सभव हो सकेगा।

जब समाज के व्यक्ति यह स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि कानून पालन कराने वाले भ्रष्ट है। अतः कानून की निष्पक्षता को वे स्वीकार नहीं करते हैं। इससे सामाजिक-विघटन की स्थिति उत्पन्न होकर अपराधों में वृद्धि करती है। अतः कानून की निष्पक्षता में सभी को विश्वास करवाना कानूनविज्ञ व न्यायाधीषों का प्रथम कर्तव्य है। न्याय मिलने की प्रक्रिया का लम्बी होना भी समाज में अपराधों को जन्म देती है। अतः न्यायिक कार्य द्रुत गति से करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।

ईमानदार न्यायाधीशों को समय–समय पर सम्मानित करना चाहिये जिससे समाज में एवं ईमानदारी के प्रति जागृति कासंचार होगा। अतः इन चारित्रक गुणों की चेतना के साथ ही अपराधों वर्ग में भय–व्याप्त होगा।

यद्यपि दण्ड की आधुनिक अवधारणा अपराधी सुधार के दर्शन पर आधारित है। किन्तु फिर भी अपराध की वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक है कि दण्ड में कानूनों की कठोरता बनी रहे जिससे अपराध करने के इच्छुक को यह आभास होता रहे कि अपराध से उन्हें लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक संभावना है। दण्ड विधि के भयात्मक होने से अपराध करने में लोग डरेंगे। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायपालिकाओं को कहा है कि, अपराधियों के बारे में गंभीर रूप से विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि ऊँचे ओहदों पर विराजमान व्यक्ति देश के कानून का मजाक न उड़ा सके।

- न्यायालयों द्वारा अपराधों के लिये निर्धरित दण्ड एवं जुर्माने की राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

- कानूनी दाँव–पेंच को कम एवं सरल किया जाना चाहिए जिससे सामान्य व्यक्ति सही माने में लाभ उठा सके।

- न्यायधीशों को न्यायालय की गभीरता एवं पवित्रता पर अधिक बल देना चाहिये।

- न्यायालयों एवं अधिवक्ताओं को अपराधी की जॉच करने वाले केन्द्रों के परामर्श पर विशेष ध्यान देना चाहिये और अपराधी वर्ग के अनुसार उसे दण्ड या उपचार की व्यवस्था देनी चाहिये।

- न्यायालयों को सामान्य अपराधी के लिये सुधारवादी संस्थाओ पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

- जाँच कार्यवाही में आवश्यक गवाहों को पेश किया जाते समये जो गवाह टूट जाते हैं या बदल जाते हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

- अच्छे और ईमानदान न्यायाधीश के विरूद्ध कुछ अधिवक्ता सदैव से आतंक मचाये रहते हैं अतः ऐसे अधिवक्ताओं के लिये आचार संहिता का निर्धारण किया जाना चाहिये।

- अपराधों के संदर्भ में अधिवक्ताओं द्वारा प्रायःकई गवाह प्रस्तुत किये जाते हैं। कुछ व्यक्ति प्रोफेशनल गवाह बन कर हर मामलों में दलाली लेते हैं। अतः गवाहों की फोटो, पता, एवं सम्पत्ति के कागज आदि का विवरण न्यायालयों में सुरक्षित रखना चाहिये ऐसा करने से झूठे मुकद्में बाजी पर रोक लगेगी और न्यायालय मुकदमों के अतरिक्त भार से बच कर अन्य कामों को और सुचारू ढंग से कर सकेंगे।

धार्मिक व यौगिक संस्थाओं की भूमिका

जनपद फर्रुखाबाद में अनेक धार्मिक संस्थाये कार्यरत है। अपराधी वर्ग की जीवन–दिशा परिवर्तित करने में ये संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जिनमें प्रमुख – राधा–माधव सघ, ब्रह्मकुमारी संस्था, श्रीराम चन्द्र मिशन, चिद्‌लिसानंद भाई मिशन, राधा स्वामी पंथ, गायत्री परिवार आदि संस्थाये जनपद में अपनी भूमिका निभा रही है। किन्तु साथ ही धर्म के साथ साथ योग एवं आसनों द्वारा भी व्यक्ति के चित्त को परिवर्तित किया जाना चाहिए जिसके लिये निम्न सुझाव आपेक्षित हैं –

- योग शब्द प्रसंगाधीन अनेक अर्थों में पाया जाता है अतः उसकासांकेतिक अर्थ उचित नहीं। योग शब्द में अनेक मतभेद हैं जैसे – अष्टांयोग, हठयोग, राजयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, प्रेमयोग, सांख्ययोग, संन्यासयोग, समाधियोग, क्रियायोग इत्यादि शतशः नाम है किन्तु योग शब्द त्याग मात्र में पर्यवसित है। इन योगों द्वारा रोगी के अनुसार उपचार किया जाना चाहिये जैसे कि दवा का बीमारी के अनुसार सेवन कराया जाता है। जिससे व्यक्ति एहिक पदार्थों का पाकर भी निर्लिप्त रहे। आज भौतिक पदार्थों के प्रति बढ़ी हुयी आसक्ति ही समस्त अपराधों की जननी बनी हुयी है।

- योग में मनुष्य चार प्रकार के माने गये हैं कर्म प्रधान, भक्ति प्रधान, योग प्रदधान, बुद्धि प्रधान (दार्शनिक) अतः उनकी प्रकृति के अनुकूल मार्ग भी चार है जिसके द्वारा वे अपना उत्थान कर सकते हैं। 'कर्मयोग' से चित्तशुद्धि, मलनाश एवं हस्तकौशल प्राप्त किया जाता है। 'राजयोग' से मन की स्थिरता, एकाग्रता निष्पन्न होती है। 'भक्ति योग' से भ्रम, विक्षेप दूर होता हैं एवं हृदय–पक्ष का विकास होता है 'ज्ञान योग' से अज्ञान का आवरण हटता है

इच्छा एवं बुद्धि का विकास होता है। एवं आत्मसुष्टि की भावना पनपती है।[15]

- इस प्रकार अपराधी जो प्रायः मंद बुद्धि एवं मनोविकृति के होते हैं उनका योग द्वारा सुधार किया जाना सम्भव है। भारत की पहली भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी श्रीमती किरण बेदी ने इन योगों द्वारा उपचार को कारागारों में प्रयोगों के तौर पर लागू किया और उसके सकारात्मक परिणम देखें गये हैं।

- इसी प्रकार आसन, नियमों आदि के द्वारा भी मनुष्य की जीवन शैली में परिवर्तित किये जाने की संभावनायें है। क्योंकि जीवन—शैली व्यक्तित्व को इंगित करती है।[16] अत. 'शीर्षासन' द्वारा एकाग्रता, 'मयूरासन' द्वारा उदरविकास से मुक्ति एवं कफ का नाश, 'सिद्धांसन' द्वारा दृष्टि की पवित्रता, 'सिंहसान' द्वारा मंद बुद्धिता का नाश, 'सर्वांगासन' द्वारा समतस्त शरीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्ति, 'मुक्तासन' द्वारा नाड़ियों की बलिष्ठता आदि उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकती है।[17]

- मनुष्य के सुधार हेतु अथर्ववेद में मान्यता है कि सभी व्यक्तित्व कफ, पित्त, वायु प्रधान हो सकते हैं। जिस व्यक्तित्व में जिस पदार्थ की प्रधानाता है वह लोग उसी प्रकार की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। किन्तु व्यक्तित्व में इन तीनों का सन्तुलन होना ही मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाता है।[18] गीता में भी मानव को सतो—गुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी व्यक्तित्व में विभाजित कर उनके प्रकृति के अनुसार यौगिक निदान की सम्भावनायें प्रस्तुत की गयी है।

- जनपद फर्रुखाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र हैं अतः ग्रामीण जनता की अधिकता है जो धर्म एवं शास्त्रों में अथाह विश्वास एंव आस्था रखती है। अतः इस माध्यम से उनकी अपराधिक वृत्तियों का उपशमन किया जाना अधिक सरल होगा।

शान्ति व्यवस्था एवं विकास नियोजन प्रारूप

वर्तमान समाज जहाँ एक ओर सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों की ओर अग्रसर है वही दूसरी ओर गरीबी, ईर्ष्या, द्वेष, अशिक्षा, कुपोषण और अपराधिक प्रवृत्तियों से भी ग्रस्त है। परिणामस्वरूप समाज की अशान्ति और अस्थिरता विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे बडी बाधा बन रही है। अज्ञानता, अशिक्षा, रूढ़िवादिता से ग्रस्त समाज में लोगों का जीवन स्तर निम्नकोटि का होता है जो कि कलह, मानसिक तनाव, सौहार्द्र की भावना की कमी, तथा निम्न जीवन मूल्यों को स्थापित कर लोगों में असामान्य मानसिक विकृतियों को बढा रही है। समाज के विकास की पूर्वापेक्षा के रूप में जहाँ शान्ति की आवश्यकता है वहीं विकास शान्ति की स्थापना करता है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, घटते हुये संसाधन और अनियन्त्रित औद्योगिक विकास ने पर्यावरण एवं विकास के कारण के साथ ही समाज को अपराधों की शरणस्थली भी बना दिया है। अतः समाज में शान्ति एवं विकास की स्थापना हेतु सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत है।

जातिवाद पर नियंत्रण

समाज में जातिवाद की विषवेल अत्यन्त बढ़ चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। इससे जाति टकरवा की स्थिति उत्पन्न होकर सामाजिक व्यवस्था डगमगाती है। अतः यह समाज विरोधी दृष्टिकोण है। अतः जातिवाद की समस्या के समाधान हेतु निम्न प्रयास किये जा सकते हैं –

1– अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाये ।

2– नाम के साथ जातिसूचक शब्द के लिखने पर रोक लगाई जाये ।

3– समाज मे ऊँच–नीच की भावना समाप्त की जाये ।

4– जातिवाद के दोषो को प्रकट करके उनके विरूद्ध जनमत जगाया जाय तथा व्यापक प्रचार एव प्रसार किया जाये ।

5– संविधान में जातिवाद फैलाने वालों के लिए दण्ड व्यवस्था निर्धारित की जाये ।

3– साम्प्रदायिकता पर नियन्त्रण :

साम्प्रदायिकता का जहर समाज की जड़ो को खोखला कर रहा है । साम्प्रदायिकता ने देश की राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुँचाया है, तथा यह सामाजिक विकास में बाधक सिद्ध हो रही है । साम्प्रदायिकता के कारण ही अनेक स्थानो पर अशान्ति, अव्यवस्था तथा कलह का वातावरण बना रहता है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व तथा राजनेता साम्प्रदायिकता को हवा देकर रक्तपात कराते हैं । उदाहरणार्थ– जनपद मे कई ऐसे हिन्दू और मुस्लिम संगठन हैं जो आए दिन मन्दिर और मस्जिद के नाम पर साम्प्रदायिकता का वातावरण पैदा करते है जिससे आपसी झगड़े होते रहते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं । वर्ष 1992 का रामजन्म भूमि एव बावरी मस्जिद का साम्प्रदायिक दगा इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है जिसने जनपद ही नही अपितु प्रदेश एव देश के अनेक जगहो में साम्प्रदायिकता का जो विषैला बीज रोपा उसके परिणामस्वरूप कई निरपराध एवं निर्दोष व्यक्ति मारे गये । अत सामाजिक विकास हेतु समाज में फैली साम्प्रदायिकता को मिटाना होगा । इसे दूर करने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं –

1– साम्प्रदायिकता की भावना भड़काने वाले सगठनो तथा राजनीतिक दलों पर रोक लगायी जाये ।

2– समाज मे एकता का वातावरण बनाया जाये ।

3– साम्प्रदायिकता के विरूद्ध प्रबल जनमत का निर्माण किया जाये ।

4– नागरिकों में "सर्व–धर्म–समभाव" की भावना जागृत की जाये जिससे वे साम्प्रदायिकता की भावना से ऊपर उठ सकें ।

5– शिक्षा का प्रसार किया जाये जिससे लोगो का दृष्टिकोण व्यापक हो ।

6– राष्ट्रीय त्यौहार सामूहिक रूप से मनाये जाये, जिसमे सभी सम्प्रदायों के व्यक्ति भाग लें ।

7- साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के लिए अधिनियम बनाकर इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया जाये ।

8- रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं धर्म निरपेक्षता के कार्यक्रम प्रसारित किये जायें ।

4- अन्धविश्वास पर नियन्त्रण :

अन्धविश्वास सामाजिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है । बहुत से लोग आज भी अपनी गरीबी, बेरोजगारी, शोषण तथा अत्याचार के लिए अपने भाग्य को दोषी मानते हैं । उनका यह विश्वास है कि पूर्व जन्म में हमने बुरे कर्म किये है जिनका फल हमें इस जन्म मे मिल रहा है । वे यह जानने का प्रयास नही करते हैं कि इन बुराइयो की जड़ क्या है और इन बुराइयो को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए । अन्धविश्वास से आशय उस कार्य से है जिस पर बिना किसी वैज्ञानिक आधार के ऑख बन्द कर विश्वास कर लिया जाता है । सन्तान न होने पर जादू टोने कराना, नरबलि देना, पशुबलि देना, पूजा के नाम पर एकान्त मे ओझाओं द्वारा अपना यौन शोषण करवाना, इन्ही अन्धविश्वास के उदाहरण हैं जो अपराधों की श्रेणी मे आते हैं । अन्धविश्वास के कारण व्यक्तियो में अकर्मण्यता आ जाती है और वह अपने कर्तव्य को भूल जाते है । अन्धविश्वासो से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए निम्न उपाय किये जा सकते है --

1- शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी का विकास किया जाये ।

2- औद्योगीकरण तथा यन्त्रीकरण पर बल दिया जाये ।

3- परम्परागत दूषित रूढ़ियो और प्रथाओं के विरूद्ध जनमत तैयार किया जाये ।

4- प्राचीन अन्धविश्वासों के विरूद्ध रेडियो, दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों के माध्यमों से व्यापक प्रचार किया जाये ।

5- जनता मे अन्धविश्वासो के प्रति अरूचि उत्पन्न की जाये और जनता में नये क्रान्तिकारी तथा वैज्ञानिक विचार उत्पन्न किये जाये ।

6- समाज मे अन्धविश्वासो को दूर करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक बुराइयो पर रोक लग सके ।

5– **बेरोजगारी पर नियन्त्रण :**

बेरोजगारी की समस्या तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसख्या एवं सीमित संसाधनों के सन्दर्भ मे एक असाध्य रोग बनती जा रही है जो आर्थिक सामाजिक विकास में दीवार बनकर खड़ी है तथा अपराधो को जन्म देने मे सर्वोपरि है । अतः बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते है --

1– बेकार शिक्षितों को अपने उद्योग–धन्धे स्थापित करने के लिए आसान शर्तो पर ऋण दिये जाये ।

2– लघु एवं कुटीर उद्योगो का सुनियोजित ढंग से विकास किया जाये ।

3– उद्योगों का सुनियोजित रूप से विस्तार किया जाये और स्वतः उद्योग धन्धों को स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जाये ।

4– उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों में श्रम की भावना विकसित की जाये ।

5– औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाये ।

6– रोजगार सम्बन्धी योजनाओ को अधिक प्रभावशाली बनाया जाये ।

6– **पुलिस व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव :**

पुलिस को खाकी वर्दी इसलिए दी जाती है कि वह जनता की सुरक्षा करे, झगड़ो का निबटारा करे, अपराधियो पर अंकुश लगाये तथा निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे । लेकिन यदि वही पुलिस खाकी वर्दी पहनकर जनता का उत्पीड़न करे, झगड़े फसाद कराये, अपराधियो को शह देकर लोगों को असुरक्षा के माहौल में धकेल दे और बेईमानी पर उतरकर अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख हो जाये एवं हिटलरशाही पर उतरकर आम जनता पर अपना भय जमाने लगे तो यह लोकतत्र के लिए बड़े शर्म की बात है । पुलिस महकमा ही ऐसा है जहॉ समस्या सुलझने के बजाय दोगुनी हो जाती है । लोगो को उत्पीड़ित करना, अपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट न लिखना, समस्या सुनने के बजाय पीड़ित को दुत्कार कर भगा देना, निर्दोषो को अभियुक्त घोषित कर देना, जनता के साथ मारपीट व गाली–गलौच करना, हफ्ता वसूलना, भ्रष्टाचार व असुरक्षा फैलाना, विदेशी सैलानियों को बेवजह परेशान करना, पुलिस की हिटलरशाही के आम उदाहरण है । ऐसी घटनायें आये दिन घटती रहती है जो पुलिस महकमे की निष्पक्ष व कर्तव्यनिष्ठ कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है । अतः पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रित करने हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते है –

1– पुलिस एवं जनता के मध्य उत्पन्न वैचारिक दूरी अथवा आम जनता का खाकी वर्दी के प्रति भय एव पुलिस का आतंक अनेक नये अपराधियों को जन्म देता है । अत इस समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि क्षेत्रीय जनता के मध्य विभिन्न प्रमुख स्थानो पर सार्वजनिक सभायें आयोजित की जाये ताकि जनता और पुलिस के बीच विचारो का आदान–प्रदान हो सके । साथ ही साथ पुलिस जनो को समय–समय पर व्यवहारिक प्रशिक्षण एव निर्देश मिलते रहने की आवश्यकता है ।

2– जनपद में जनसंख्या के अनुसार पुलिस बल की कमी है अत. अपराधों पर नियन्त्रण हेतु सिपाहियो की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है ।

3– पुलिस को जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाओ मे जबकि पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियो की घेराबन्दी की जाती है तब जनता उनको छुपा लेती है । इस प्रकार की अथवा सामान्य स्थितियों मे भी जनता के सहयोग के बिना पुलिस अपराधो को नियन्त्रित नहीं कर सकती । इस निराकरण हेतु अपराधी तत्वो को छुपाने वाले व्यक्तियो अथवा उससे सम्बन्धित जनो को दण्डित करना आवश्यक है ।

4– पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप सहन नहीं करना चाहिए इसलिए उन्हे अच्छी जगहों, अच्छे थानों के लालच में चाटुकारिता की प्रवृत्ति को त्यागना होगा और जहाँ कहीं भी स्थानान्तरण हो उसके लिए तैयार रहना चाहिये ।

5– प्राय यह देखा गया है कि अपराधो मे सीमा विवाद हो जाता है ऐसी स्थिति मे दोनो थानों की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए ।

6– प्राय यह देखा गया है कि पुलिस के व्यवहार से कुपित कोई भी सज्जन व्यक्ति थानों मे जाने से कतराता है । अत पुलिस को सहयोग प्राप्त करने के लिए समाज के सभ्रान्त और बुद्धिजीवी व्यक्तियों के साथ विशेष रूप से सद्व्यवहार करना चाहिए और उनके विचारों को अपराध नियन्त्रण में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली मे प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए ।

7– पुलिस को झूठे मुकद्मे दायर करने की परम्परा का परित्याग करना चाहिए । अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए लेकिन अमानवीय व्यवहार नही करना चाहिए ।

8– अपराधियों को श्रेणीबद्ध करके अपराध को जनमानस तक पहुँचाना चाहिए । साथ ही साथ पुलिस की सहायता करने वालो के नाम एव पते गुप्त रखे जाने चाहिए ।

9- प्राय रात्रि के गश्त के समय पुलिसकर्मी शराब पीकर सो जाते हैं और वारदाते होती रहती है । ऐसी अवस्था मे अधिकारियो को पेट्रोलिग करना चाहिए ।

10- रात्रि मे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कानवाय" की व्यवस्था है लेकिन पुलिस बिना वजह वाहनो को घन्टो रोके रखती है और उनसे अवैध वसूली करती है । ऐसी दशा मे बड़े अधिकारियो को निगरानी रखनी चाहिए और ऐसे मामलो मे जनता के बीच यदि कोई शिकायत करता है तो तथ्यो के आधार पर सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी को दण्डित किया जाना चाहिए ।

11- प्राय यह देखा गया है कि बिना ड्यूटी के पुलिसकर्मी अपनी खाकी वर्दी पहनकर वाहनो पर बिना पैसे की यात्रा करते हैं । वाहन चालको से अवैध वसूली करते है । अतः ड्यूटी के बाद पुलिस कर्मियो को खाकी वर्दी पहनने की इजाजत नही दी जानी चाहिए ।

12- यह आम शिकायत है कि अपराधो के अल्पीकरण हेत पुलिस अपराधो को पंजीकृत नही करती । परिणामस्वरूप अपराधों को छिपाने से अपराधो में बढ़ोत्तरी होती है । अत छोटे से छोटे अपराध को पजीकृत किया जाना चाहिए ।

13- पुलिस को बिना छानबीन किये किसी व्यक्ति को अभियुक्त घोषित नही करना चाहिए ।

14- जिन लोगो पर अपराध का आरोप लगाया जाता है उनकी सुरक्षा का पूरा इन्तजाम किया जाना चाहिए ।

15- पुलिस को कानून द्वारा बनाये गये नियमों को भंग नहीं करना चाहिए ।

16- पुलिस को "अपराधी को छोड़ो नहीं, शरीफ को छेड़ो नही" का सिद्धान्त अपनाना चाहिए ।

17- पुलिस कर्मियो को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सेना के सैनिको की भाँति शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे शारीरिक रूप से सक्षम होकर अपराधियो को पकड़ने में सफल हो सके क्योकि प्रायः यह देखा और सुना जाता है कि अपराधी पुलिस के चंगुल से भाग गया या पुलिस अपराधी को पकड़ने मे असफल रही ।

18- ईमानदार एव कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियो को भ्रष्ट नेताओ या किसी सामाजिक, साम्प्रदायिक या जातीय और राजनैतिक सगठन के दबाव में आकर स्थानान्तरित या दण्डित नही किया जाना चाहिए बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

7- न्यायिक व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव :

न्याय का अपराध से घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाता है ।

न्यायालय मे जज, अभियोक्ता, जूरी, वकील एक प्रकार की नाटकीय भूमिका अदा करते है । इन्हे इसीलिए न्यायालय के नाटक करने वाले अभिनेता माना जाता है । लेकिन आजकल न्याय न्यायधीशो द्वारा धन के बदले में मिलता है । अगर धन है तो न्याय उनके पक्ष मे होगा । अगर धन नही है तो न्याय विपक्ष की तरफ चला जाता है जिससे न्याय पक्षपातपूर्ण होता है । न्यायालय अपराधी के दृष्टिकोण तथा प्रवृत्तियों को ज्यो का त्यों रखने, उसे बिगाड़ सकने अथवा सुधार देने मे किसी भी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके एक औपचारिक नियन्त्रण साधन बनते हैं । अतः न्यायिक व्यवस्था द्वारा अपराध कम करने हेतु निम्नाकित सुझाव दिये जा सकते हैं –

1– न्यायधीशों को न्यायालय की गम्भीरता तथा पवित्रता पर अधिक बल देना चाहिए ।

2– न्याय प्रक्रिया मे विलम्ब होने से अपराधी तत्वों का मनोबल ऊँचा होता है । अतएव अपराध संख्या के अनुपात मे आवश्यक न्यायधीशों की नियुक्ति की जाये । शीघ्र न्याय (वर्ष के अन्दर) तथा न्याय की अवधि तक अपराधी की जमानत पर लगे प्रतिबन्ध से निश्चित ही अपराधो पर नियन्त्रण लग सकेगा ।

3– न्यायालयो द्वारा वास्तविक तथा निश्चित नियमों के अधीन समानतापूर्ण तथा औचित्यपूर्ण न्याय प्रदान करना चाहिये ।

4– कानून के सामने सभी को समानता प्रदान की गई है अर्थात् लिंग, सामाजिक, वर्ग, धर्म, प्रजाति इत्यादि के आधार पर न्याय में भेदभाव नहीं करना चाहिए ।

5– निर्भीक तथा कुशल और भ्रष्टाचार से मुक्त न्यायालय संगठित अपराधो को काफी सीमा तक कम कर सकते हैं ।

6– न्यायालयों तथा अभियोक्ताओं को अपराधी की जॉच करने वाले केन्द्रो के परामर्श पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपराधियों को दण्डित करने की अपेक्षा उनके उपचार पर बल देना चाहिए ।

7– अपराधियों को दिये जाने वाले दण्ड को न्यायालयो के द्वारा यथासम्भव टालना नहीं चाहिए ।

8– न्यायालयो को अपराधी की सुधारवादी सस्थाओ पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

9– जॉच कार्यवाही में आवश्यक गवाहों को ही पेश किया जाना चाहिए । किसी कारण जो गवाह टूट जाते हैं या बदल जाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

10– प्राय यह देखा गया है कि अधिवक्ता वर्ग अपने काले कोट का दुरूपयोग करता है । आये दिन किसी के मकान पर कब्जा करने, किसी की सम्पत्ति पर कब्जा करने और किसी व्यक्तिगत रजिश के कारण पुलिस पर दबाव बनाकर परेशान करने की प्रवृत्ति तथा न्यायाधीशो के निर्णयो को प्रभावित करने के लिए सामूहिक दबाव, सरकारी ऋणो की वसूली न करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव और उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट न्यायालय मे लिखाने जैसे कृत्य करते हैं । परिणामस्वरूप कई जगहो पर इन अधिवक्ताओं के आतंक के कारण न्यायाधीश अपनी नियुक्ति होने पर भी अमुक स्थान पर जाने से कतराते हैं । अत अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया जाना चाहिए और उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए ।

11– अपराधों के सन्दर्भ में अधिवक्ताओ द्वारा प्राय फर्जी गवाह प्रस्तुत किये जाते है । कुछ लोग प्रोफेशनल गवाह बनकर हर मामलो में दलाली लेते हैं । अतः गवाहो की फोटो, उनका पता, उनकी सम्पत्ति के कागज आदि का विवरण न्यायालय मे सुरक्षित रखा जाना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक गवाह केवल एक ही मामले में गवाही दे सकता है । ऐसा होने पर झूठे मुकदमें दायर करने या कराने की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी ।

8– कारागार व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव :

कारागार जो कि अपराधी की स्वतन्त्रता को समाप्त कर देता है अपने आप मे स्वयं एक दण्ड है । लेकिन आजकल कारागार कुछ कैदियो का घर बन गया है । कारागार में कुछ अपराधियो को राजनीतिक आश्रय प्राप्त होने के कारण जेलर तथा सिपाहियों की मिलीभगत से वह सामान मुहैया कराया जाता है जिनका कारागार मे आने पर पाबन्दी होती है । वही दूसरी ओर जो अपराधी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनसे ज्यादा कार्य लिया जाता है । अत कारागार जहाँ बड़े अपराधियों के लिए ऐशगाह होते है वहीं मध्यम और निम्न श्रेणी के अपराधियो के लिए कष्टदायक हो जाते है । अतः कारागार व्यवस्था सम्बन्धी हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते हैं –

1– कैदियो की दिन प्रतिदिन की दशाओ जैसे भोजन, वस्त्र तथा लेटने, सोने इत्यादि के लिए बिस्तरो इत्यादि में सुधार किया जाना चाहिये ।

2- कारागारो में कैदियो के इलाज या उपचार के लिए डाक्टरों तथा दवाइयो इत्यादि का प्रबन्ध होना चाहिये ।

3- कारागार मे गम्भीर अपराधियों वाले कैदियो के लिए एकान्तवास या बिल्कुल पृथक्करण का जीवन व्यतीत करने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

4- कारागार मे कैदियो को आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यताये प्रदान की जानी चाहिए ।

5- कारागार में सभी कैदियों को समान समझा जाना चाहिये ।

6- बाल तथा किशोर कैदियो की शिक्षा की भी आवश्यक तथा उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

7- कारागार मे सामान्य कैदियों को पृथक-पृथक नही रखा जाना चाहिए, क्योकि उन्हे एक साथ रहने देने से उनमे भाई-चारे की भावना जागृत होगी ।

8- कारागार में कैदियों से परिश्रम लेने का उद्देश्य सुधारवादी होना चाहिए ।

9- कैदियों को कठोर तथा शारीरिक कष्ट देने वाली प्राचीन विधियो जैसे कोड़े लगाना, बाल खीचना इत्यादि जैसी सजा नहीं दी जानी चाहिए ।

10- कारागार में कैदियों के संरक्षण हेतु सुयोग्य, प्रशिक्षित तथा अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए । इस हेतु पुलिस तथा सेना विभागो के प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियो को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

9- अन्य सुझाव :

1- जनपद में सर्वाधिक अपराध पिछड़े वर्ग की जातियो द्वारा किये जाते हैं इनके नियन्त्रण हेतु इस वर्ग की जातियों के आर्थिक, सामाजिक एव शैक्षिक स्तर का गहन सर्वेक्षण करके इस सम्बन्ध मे प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए ।

2- मादक द्रव्यो की बिक्री से सरकार को पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति होती है । अत इनकी समाप्ति का सुझाव व्यर्थ है किन्तु इनके विक्रय स्थलों की बढ़ती सख्या मे होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को समाप्त करके इनकी बिक्री कुछ निश्चित केन्द्रो पर हो और इनका उपभोग करने वालो पर टैक्स लगना चाहिए एवं खुलेआम दुकानों के समीप इनके उपभोग पर रोक लगानी चाहिए ।

3– विद्युत आपूर्ति, कमी एव उसके समय मे अनियमितताये अक्षम एवं भ्रष्ट अधिकारियो के कुकृत्य हैं । विद्युत आपूर्ति ठीक होनी चाहिए जिससे अपराधी तत्त्व अप्रत्याशित अन्धेरे का लाभ नही उठा सके ।

4– शिक्षा में वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि एक आश्चर्य है किन्त जनपद मे इस सत्यता से स्पष्ट होता है कि शिक्षण सस्थाओ मे पर्याप्त अनुशासनहीनता, शिक्षा के स्तर मे गिरावट एव नकल जैसे अपराधों की प्रवृत्ति मे हुई अत्यधिक वृद्धि से युवा पीढ़ी का ज्ञान संकुचित हो जाने से अपराधो मे निरन्तर वृद्धि हो रही है । अतः सम्बन्धित अधिकारियों जैसे जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राचार्यो, प्राध्यापको एवं अध्यापको के दायित्व को अनिवार्य रूप से पूरा कराने की आवश्यकता है । आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित छात्रों को पुलिस प्रशासन की कार्यवाही मे देकर अनुशासनहीनता पर अकुश लगाना चाहिए ।

5– जिन क्षेत्रों मे लाइसेंस धारकों की सख्या अधिक है उन क्षेत्रों मे अपराध अधिक होते हैं । अत एक बार समस्त लाइसेंस शस्त्र धारको की आर्थिक, सामाजिक एवं स्थानीय परिस्थितियों का गहन सर्वेक्षण करके आवश्यकतानुसार अनावश्यक लाइसेंस निरस्त कर देने चाहिए ।

6– गम्भीर अपराधो का प्रारम्भ 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियो द्वारा किया जाता है । अत इस आयु वर्ग के लोग चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो को रोजगार सम्बन्धी सुविधा एव उनकी गतिविधियों पर प्रौढ़ वर्ग द्वारा पूर्ण चौकसी तथा उनके अपराधी कृत्यो पर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए । ताकि वे अपने जीवन के प्रारम्भ से ही एक अच्छे नागरिक का जीवन जी सकें ।

7– जिन क्षेत्रों में जघन्य अपराध होते हैं उस क्षेत्र मे वरिष्ठ कर्मठ एवं ईमानदार अधिकारियो की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे अपराध नियन्त्रित हो सकें ।

8– प्राय नाटको तथा सिनेमाओ में अपराध करने की नई–नई तकनीको को दिखाया जाता है जिससे अपराधी उनको देखकर उसी तरह से अपराध करने की कोशिश करते है । प्रशासन को इस तरह के नाटको तथा सिनेमाओं में दिखायें जाने वाले दृश्यों पर रोक लगानी चाहिए जिससे अपराध नियन्त्रित हो सकें ।

9– प्राय यौन अपराध (छेड़खानी, अश्लील बातें, बलात्कार, शारीरिक सम्पर्क इत्यादि) अधिकतर कम उम्र के लोगों द्वारा की जाती है । अतः यौन अपराधो के शारीरिक कुप्रभावों को देखते हुए

शिक्षण सस्थाओ मे यौन शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए ।

10– अपराधियो का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए यदि वह बार–बार अपराध करता है और अपने को सुधारने मे किसी भी प्रकार का नैतिक साहस नहीं जुटा पाता ।

संदर्भ

1. रमले क्लार्क – क्राइम इन अमेरिका, पूर्वोल्लिखित, पृ 5–7
2. प्रश्न कुमार – जनपद बदाँयु में अपराधों का भौगोलिक अध्ययन, 2000, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, पृ. 177
3. डॉ. एस. पी. श्रीवास्तव – भारतीय सामाजिक समस्याये समाजकार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, 1978, पृ. 57
4. हालकाट पार्सस – दि पोजीशन ऑफ सोशियोलाजिकल थ्योरी, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू, 13, 156–174, अप्रैल, 1948
5. इनरिको फेरी – क्रिमिनल सोश्योलॉजी, न्यूयार्क, 1866, पृ. 530
6. गुस्टाव ऐश्फेन वर्ग – क्राइम एण्ड इट्स रिप्रशेन, बोस्टन, 1913
7. आर्गवर्न एण्ड निमकॉफ – सोसल थॉट, एकेस स्टडी ऑ यू.पी.
8. हैस वॉन हेंडिंग – क्राइम काजेज एण्ड कन्डीशंस, न्यूयार्क, 1947, पृ. 25
9. डॉ. एस.पी. श्रीवास्तव – भारतीय सामाजिक समस्यायें, समाजकार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, पृ. 336
10. योगेश अटल – रोल ऑफ बैलेज एण्ड इस्टीच्यूशेंस इन चैलेंज ऑफ पावर्टी इन इण्डिया (इङ्) ए.जे. फोनसेका, नई दिल्ली, 1971, पृ. 72
11. सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फर्रुखाबाद, 1996
12. के. एम. पाणिकर – हिन्दु सोसायिटी ऐट क्रास रोड्स, बम्बई, 1955, पृ. 83
13. रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन डिस्ट्रब्यूशन ऑफ इनकम एण्ड लेवेल्स ऑफ लिविंग, पृ. 43
14. फैंक टेटनबाम – क्राइम एण्ड दि कम्युनिटी, न्यूयार्क, 1957,पृ. 25
15. स्वामी शिवानंदजी – योग की भूमिका, 1935, गीता प्रेस गोरखपुर
16. एडलर – पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 1957, पृ. 64
17. स्वामी श्री कृष्णानंदजी – यौगिक आयाम, गीता प्रेस गोरखपुर, 1938
18. अथर्ववेद मण्डल – 7, पृ. 364–400

निष्कर्ष

अन्त मे निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि जनपद फर्रुखाबाद में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यम स्तर का है। किन्तु इस जनपद मे पजीकृत अपराधों पर यदि दृष्टि डालें तो विदित होता हैं कि यहाँ प्रतिवर्ष हत्या के 118 मामले, प्रकाश में आयें। दहेज हत्या के 33 मामले प्रकाश में आये, बलात्कार के 3 मामले प्रतिवर्ष की दर से प्रकश में आयें हैं। आर्थिक अपराध के दृष्टि से प्रतिवर्ष 325 अपराध की घटनायें सामने आयी हैं। किन्तु समाचार पत्र अन्य सूचना माध्यमों से प्राप्त घटनाओं एवं मौखिक साक्ष्यों पर विश्वास करे तो स्पष्ट होता है कि जनपद में प्रतिवर्ष 1100 हत्यायें, 3400 दहेज हत्याओं, 4000 बलात्कार, एवं 330800 चोरी की घटनायें सामने आयी हैं इन बडी हुयी घटनाओ के पंजीृत न होने का कारण या तो पुलिस द्वारापंजीकृत नहीं करने या कमजोर एवं गरीब वर्ग मं पुलिस भय होने के कारण, या रिश्वतखोरी या दबंगई के कारण होना स्पष्ट होता है।

सर्वेक्षणों द्वारा जनपद के अपराधों के सम्बन्ध में कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आये हैं कि अपराधों के लये जनपद की सामाजिक, आर्थिक एव राजनीतिक परिस्थितियों से कहीं बढकर पुलिस की कार्य प्रणाली ज्यादा जिम्मेदार है। पुलिस का व्यवहार अपराधियों से नरम एवं सभ्य व्यक्तियों से सख्त रहता है। दूसरें धनाढ्य वर्ग से भी पुलिस का व्यवहार नरम रहता हैं जबकि मध्यम वर्ग अपराधियों के विषय में अधिक जानकारी देने में समर्थ है किन्तु मध्यमवर्ग में पुलिस के प्रति विश्वास में कमी के कारण पुलिस जनपद के नागरिकों का सहयोग अपराध उन्मूलन हेतु प्राप्त कर पा रही हैं इस प्रकार पुलिस व्यवस्था अपने उद्देश्य से अभी कोसों दूर है। दूसरे वे अपराधी जो बड़ी

मुश्किल से आम नागरिक के सहयोग से पुलिस की गिरफ्त में आते हैं परन्तु उन्हें तुरन्त जमानत दे देना, बाइज्जत बरी कर देना आदि कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ाने सें सहायक सिद्ध हुये हैं।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जनपद की भौगोलिकता सम्बन्धी हैं जिसके कारण आज भी अपराध निर्बाध रूप से पनप रहा है। फर्रुखाबाद जनपद की चारों ओर की सीमायें अन्य अपराधी जनपदों से मिली हुयी है। अतः समस्त अपराधी वर्ग आपस में एक संगठन सा बनाये हुये हैं जिसे तोड़ना पुलिस के लिये अत्यन्त दुरूह कार्य है। यातायात के साधनों ने अपराधियों के अपराध क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। अतः एक जनपद में अपराधी का दूसरे जनपद में प्रवेश करना पुलिस विभाग के कार्य को पेचीदा बना देता हैं जिससे अपराध उन्मूलन में सफलता नहीं मिल पा रही है।

अतः निष्कर्ष रूप से सामाजिक मानसिकता, राजनैतिक हस्तक्षेप, पुलिस कार्य प्राणाली एवं न्यायिक प्रक्रिय ऐसी व्यवस्थायें है जो भौगोलिक वातावरण के साथ–साथ अपराधों की पृष्ठभूमि तैयार करने में आज भी संलग्न है।

परिशिष्ट – 1

(1) पुलिस अधिकारी का पद (2) थाना (3) सर्किल (4) जनपद

(5) आप मुरादाबाद मे निम्नलिखित परिस्थितियो मे अपराध के लिए कौन सी परिस्थितियो को उत्तरदायी मानते है ?

(अ) भौगोलिक (ब) सामाजिक (स) आर्थिक (द) राजनैतिक

(6) आपकी दृष्टि में भौगोलिक परिस्थितियों के अन्तर्गत निम्नलिखित कौन सी परिस्यितियॉ अपराधो को सर्वाधिक और क्यों प्रभावित करती है ?

(अ) शीत ऋतु (ब) ग्रीष्म ऋतु (स) वर्षा ऋतु (द) उपजाऊ मिट्टियो के मैदान

(य) ऊसर, बजर तथा कटरी क्षेत्र (र) जल प्रवाह (ल) वनस्पति सघन क्षेत्र

(व) पशु प्रधान क्षेत्र (स) अन्य

(7) आपकी दृष्टि मे निम्न मे से अपराधो के लिए सर्वाधिक पृष्ठभूमि कहाँ तैयार होती है ?

(अ) लघु ग्रामो मे (ब) बड़े ग्रामों में (स) कस्बा क्षेत्र मे (द) शहरी क्षेत्र में

(8) अपराध की दृष्टि मे कौन सा भौगोलिक कारण अपराधो को अधिक प्रेरित करता है ?

(अ) सघन जनसंख्या (ब) विरल जनसख्या (स) लिगानुपात की असमानता (1) पुरूषो का अधिक होना (2) स्त्रियो का अधिक होना (द) जातीय समीकरण (य) धार्मिद उन्माद

(र) आर्थिक विषमता (ल) शिक्षा (व) बेरोजगारी (स) सस्कृति

(9) निम्नाकित स्थानो मे किस प्रकार के अपराध अधिक होते है ?

(अ) बाजार केन्द्र (ब) सिनेमा स्थानो के पास (स) मादक द्रव्यो के ठेको पर (द) निश्चित वार्षिक मेलो मे (य) अपराध उजाले मे अधिक होते है या अंधेरे में

(10) आपकी दृष्टि मे पुलिस विभाग अपराधो को रोकने मे सक्षम है या नही ?

(11) प्रथम दृष्ट्या आप अपराधी को किस रूप में लेते है ?

(1) निर्दोष है (2) दोषी है (3) कुछ भी हो सकता है

(12) प्राय थानो मे गरीबो की प्राथमिक रिपोर्ट नही लिखी जाती है इससे आप सहमत है ?

(13) अपराधियो एवं पुलिस का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है क्या आप इससे सहमत हैं ?

(14) क्या आप अपराधो को छुपाने पर विश्वास रखते है ? हाँ/नही

(15) पुलिस का जनता मे आतक/भय रहता है विशेषकर भोले एव भले व्यक्तियो के मस्तिष्क मे ऐसा क्यो ?

(16) आप अपराधों के लिए किसे जिम्मेदार समझते है ?

(1) राजनेताओ को (2) आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोगो को (3) पुलिस को

(17) अपराधियो को बचाने में आप सबसे अधिक किसे प्राथमिकता देते है ?

(1) राजनैतिक दबाव को (2) रिश्वत को (3) ईमानदारी को

(18) कभी–कभी आप निर्दोष को फसा देते है क्यो ?

(1) रिश्वत के कारण (2) राजनैतिक दबाव के कारण (3) उच्च अधिकारी के कहने पर (4) भय के कारण

(19) क्या आप रिश्वत लेते है यदि हॉ तो क्यो ?

(1) वेतन कम होने के कारण (2) आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कारण (3) अपने उच्च अधिकारियो को पैसा देने के कारण (4) राजनेताओ को खुश करने के कारण ताकि पदोन्नति हो सके ।

(20) यदि आपको रिश्वत दी जाये तो किसे पसन्द करेगे ?

(1) धन (2) औरत (3) अल्कोहल

(21) यदि अपराधी आपके सामने है तो सबसे पहले आप क्या करते हे ?

(1) उसकी वास्तविकता जानते हैं (2) उससे पैसा लेना चाहते है (3) सर्वप्रथम उसको अपराधी जानकर उसे अनसुना करते है ।

(22) आप अपराधो के लिए पुलिस विभाग को जिम्मेदार मानते है – (1) हॉ (2) नहीं

(23) यदि हॉ तो पुलिस मे किस प्रकार के अपराध अधिक होते है ?

(1) आर्थिक (2) शारीरिक (3) ईर्ष्या (4) कोई नहीं

(24) यदि आप अपराध कम करना चाहते है तो निम्न मे किसे प्राथमिकता देंगे ?

(1) जनता से मानवीय व्यवहार को (2) बुद्धिजीवियों की सलाह को (3) उच्च अधिकारियों की सलाह को

(25) अपराधो के लिए आप साक्ष्य को किस रूप मे देखते हैं ?

(26) पुलिस विभाग मे अनुशासनहीनता क्यो है ?

(1) आरक्षण के कारण (2) जातिवाद के कारण (3) राजनैतिक पहुँच के कारण

(4) स्वाभिमान मे खतरे के कारण

(27) पुलिस को समाज का रक्षक कहा जाता है । क्या आप इससे सहमत है ?

(28) पुलिस ही समाज मे घटित अपराधो की जिम्मेदार है । क्या आप इस बात से सहमत है ?

(29) कैदी प्राय पुलिस की हिरासत से भाग जाते है । इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते है ?

(1) पुलिस की लापरवाही को (2) पुलिस के लालच को (3) कैदियो की पहुँच को

(4) कैदियो का अपेक्षाकृत ज्यादा फुर्तीला होने को

(30) आप प्रत्येक थाने/चौकी मे जनता दरबार के पक्षधर है कि नही ?

(31) क्या आप इस बात से सहमत है कि पुलिस को अपराधो और अपराधियो की पूर्व सूचना होती है ?

(32) पुलिस कुख्यात अपराधियो से डरती है ऐसा क्यो ?

साहस की कमी/अस्त्र शस्त्रों की कमी/ऊपरी दबाव के कारण

(33) क्या आपकी दृष्टि मे कानून प्रिय और अच्छे नागरिको की अलग पहचान है या नही ?

(34) प्राय सभ्य एवं कानून प्रिय लोग पुलिस वालो को पसन्द नही करते है क्यो ?

(35) क्या यह सत्य है कि पुलिस की सज्ञान मे अपराध होते रहते है एव पुलिस मौन रहती है ?

(36) सफेदपोश अपराधियो के सम्बन्ध मे आपका क्या विचार है इनमे किस वर्ग के लोग अधिक आते है ?

नेता/पूँजीपति/अधिकारी/अध्यापक/पुलिस/अन्य

(37) टॉप टेन या टॉप फाइव की विचारधारा से क्या आप सहमत है ?

(38) क्या गुण्डे कथित अपराधी सदिग्ध अपराधियो के नाम पुलिस की काली सूची (ब्लैक लिस्ट) मे अकन से ही अपराध नियन्त्रण सम्भव है ?

(39) थानो की सयुक्त सीमापर घटने वाले अपराधियो के बारे मे आपके क्या विचार है ?

(40) कितनी आबादी पर थाना अथवा चौकी होनी चाहिए ?

(41) क्या कभी आपने आत्मग्लानि अनुभव की है ?

(42) क्या आपने कभी अपनी पदोन्नति हेतु किसी राजनेता का सहारा लिया है ?

(43) अपराध नियन्त्रण के सन्दर्भ मे आपके क्या विचार है ?

(44) यदि आपको प्रदेश/जिला का पुलिस प्रमुख बना दिया जाये तो आप अपराधो को नियन्त्रित करने के लिए क्या करेगे ?

(45) क्या साक्षात्कार मे आपका नाम व पद प्रकाशित करवाया जाये ?

हॉ/नही

यदि हॉ तो कृपया अपना पूर्ण विवरण देने की कृपा करे ।

परिशिष्ट – 2

अपराधों के सम्बन्ध मे न्यायाधीशों से साक्षात्कार की प्रश्नावली

1– मुकदमे मे न्याय इतना विलम्ब से क्यो होता है ?

(1) न्यायालयो की कमी (2) कानूनी प्रक्रिया (3) न्यायाधीशो की मानसिकता

2-- क्या विलम्बित न्याय से वादी के मस्तिष्क में कानून के प्रति अनास्था होती है ? हॉ/नही

3– आपकी दृष्टि में मुकदमो का निर्णय शत–प्रतिशत सही होता है अथवा नही ?

4– आप अपना निर्णय देने मे देरी करते है अथवा नही ?

5– शीघ्र निर्णय के लिए आपके क्या विचार हैं ?

6– आपकी दृष्टि मे लगभग कितने प्रतिशत गलत मुकदमे छूट जाते है ?

7– मुकदमे से छूट जाने पर क्या दोषी व्यक्ति का मनोबल ऊॅचा नहीं होता ?

8– क्या आप मुकदमा छोडने के लिए विवश किए जाते है ? हॉ/नहीं

9– यदि विवश किए जाते है तो कैसा दबाव पड़ता है ?

(1) राजनैतिक (2) आर्थिक (3) भय

10– आप मुकदमे मे लिखाये गये वादी एव प्रतिवादी मे दोषी और निर्दोष को किस प्रकार पहचानते है ?

11– क्या आप एक ही मुकदमे में लिप्त अपराधियो को अलग–अलग प्रकार की सजा देते है ? यदि हॉ तो उसका आधार क्या है ?

12– क्या आप अपराधियो को दण्ड देने में अपने कर्म व धर्म का निर्वाह सही प्रकार से कर पाते हैं यदि हॉ नो फिर अपराध दिन–प्रतिदिन क्यों बढ रहे है ?

13– अपराध नियन्त्रण में आपके क्या प्रमुख विचार है ?

परिशिष्ट – 3

अपराधो के सम्बन्ध मे वकीलों से साक्षात्कार की प्रश्नावली

1– शिक्षा एम0कॉम0, एम0ए0, एल0एल0बी0 वकालत करने की अवधि 5–4–99

2– आपकी दृश्टि मे अपराध क्या है ?

प्रत्येक मनुष्य द्वारा किया गया अपराध, अपराध माना जाता है । चाहे वह मनुष्य के प्रति हो या जीव जन्तु के प्रति हो, अपराध ही माना जायेगा ।

3– आपकी दृष्टि मे कानून क्या है ?

कानून व्यक्तियों को गलत कार्य करने से रोकता है ।

4– आपकी दृष्टि मे सामान्य नागरिक न्यायिक समस्याओ को किस रूप मे लेता है ?

सही/गलत

5– आप वकालत करते समय किन बातो का ध्यान रखते है ?

(1) अपराधी को सजा दिलाने के लिए (2) निर्दोष को बचाने के लिए (3) पैसे के लिए

6– आपकी दृष्टि मे अध्यादेश (एक्ट) किस प्रकार प्रभावी किये जाते है ?

गजट होने के तत्काल बाद लागू होते है ।

7– क्या पुलिस द्वारा लगाई गई मुकदमे मे धाराये उचित होती है ? हॉ/नही

हॉ

8– यदि पुलिस रिपोर्ट नही लिखती है तो उसे आप कैसे लिखते है ?

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से लिखाते है या अदालत के आदेश से ।

9– आपकी दृष्टि मे गवाही का मूल्य क्या है ?

साक्षियक मूल्य गवाही ही है ।

10– क्या प्रत्यक केरा मे आप गवाहा को अनिवार्य समझते है ?

प्रत्येक केस मे अनिवार्य ।

11– मौके के गवाह द्वारा गवाही देने पर केस क्यो छूट जाता है ?

सन्देह का लाभ पाते हुए अभियुक्त छूट जाते है ।

12- आप मुकदमे को लम्बा क्यो खीचते है ?

अपने व्यवसाय को चलाने के लिए

13- सामान्य नागरिक न्यायालयो से क्यो डरते है ?

कानून का ज्ञान न होना एवम् समय, पैसा बर्बाद करना नही चाहते ।

14- यदि गवाही झूठी है तो वादी अथवा गवाह को क्या सजा मिल सकती है ?

धारा 182 सी आर पी सी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

15- मुकदमा लेने से पहले आप समझ लेते है कि अमुक व्यक्ति दोषी है, तब भी उसे छुड़ाने का पूर्ण प्रयास करते है, क्यो ?

अपने व्यापार के प्रति कर्मठता

16- वर्तमान कानून बदलती हुई सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियो के अनुकूल है अथवा नहीं ?

अनुकूल है

17- क्या वर्तमान कानूनो मे सुधार की आवश्यकता है यदि हॉं तो कैसे ?

वर्तमान मे सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है । सशोधन के जरिये ही हो सकता है ।

18- यदि वादी पक्ष वकील है फिर भी उसे न्याय नही मिल पाता, तब आपको कैसा लगता है ?

वकील होने का अर्थ यह नही कि उसे उसके प्रत्येक वादी पक्ष वकील होने के कारण उसके पक्ष मे न्याय ही मिले ।

19-- जिस प्रकार एक डाक्टर चाहता है कि बीमारियॉं बढे ताकि उसे पैसा मिलता रहे । क्या आप भी चाहते है कि समाज मे अपराध बढे ?

बीमारियॉं व अपराध अलग–अलग पहलू है । हम नही चाहते कि अपराध बढ़े ।

20- यदि आप अपराधो के बढ़ने के खिलाफ है तो उनके नियन्त्रण में आप क्या सुझाव देना चाहेगे ?

(1) शिक्षा का होना ।

(2) स्वास्थ्य सेवाओ का होना ।

(3) मनोरजन के पर्याप्त साधन ।

(4) सरकार द्वारा कठोर कानून का लागू होना ।

परिशिष्ट – 4

अपराधी (कैदी) से साक्षात्कार की प्रश्नावली जिला जेल,

(1) नाम उम्र जाति

(2) पता गॉव/मो० पोस्ट थाना जनपद

(3) शिक्षण (1) शिक्षित (2) अशिक्षित (3) स्तर

(4) व्यवसाय

(5) परिवार मे अन्य सदस्यों का विवरण

(6) (1) शाकाहारी (2) मांसाहारी (3) मादक द्रव्य

(7) अपराध की परिस्थितियॉ

(8) (1) किस धारा मे सजा पाई (2) उसका विवरण

(9) कैद का समय कितना शेष रहा

(10) क्या आप अपराध मे शामिल थे

(11) क्या इससे पहले जेल हुई ? कितनी वार कितनी

(12) दोबारा अपराध्र न करने के लिए सरकार से क्या सुविधा चाहेगे ?

(1) जमीन (2) नोकरी (3) कुछ भी नही

(13) यहॉ से जाने के बाद क्या करेगे ?

(1) शान्तिपूर्वक व्यतीत करेगे (2) व्यवसाय करेगे (3) कृषि करेगे (4) अपराध करेंगे

(14) आपके क्या विचार हैं ?

(1) कानून के प्रति (2) सरकार के प्रति (3) पुलिस के प्रति (4) जेल अधिकारी के प्रति

(5) कैदी साथियो के प्रति (6) अपने परिचितों के प्रति

(15) ईश्वर के प्रति विश्वास रखते है ?

(1) हॉ (2) नही (3) कुछ--कुछ

(16) यहॉ से जाने के वाद वादी के प्रति विचार

(1) सहिष्णुता (2) बदला (3) कुछ भी नही

(17) वादी का नाम उम्र जाति

(18) पता ग्राम/मौ0 पोस्ट थाना जनपद

(19) वादी की शैक्षिक स्थिति

(1) शिक्षित (2) अशिक्षित (3) यदि शिक्षित तो उसका स्तर

(20) वादी का मौलिक व्यवसाय

(21) क्या वादी आपसे सम्पन्न है ? (1) हॉं (2) नही

(22) वादी तथा आपके मध्य सम्बन्ध (1) जाति (2) रिश्तेदारी

(23) वादी के किस कारण से अपराध के लिए विवश हुए ?

(1) शोषण (2) मानहानि (3) अचानक

(24) आपके साथ कौन लोग अपराध मे शामिल हैं ?

(1) पिता/भाई/बहिन (2) गॉंव या मौहल्ले के दवग लोग (3) मित्र (4) अन्य कुख्यात अपराधी

(25) क्या आपको किसी ने अपराध के लिए प्रेरित किया ?

(1) पुलिस (2) राजनेता (3) बाहुबली (4) अन्य

(26) आपके दृष्टिकोण मे अपराध को कौन बढ़ावा देता है ?

(1) समाज (2) पुलिस (3) राजनेता

(27) आपको किसने संरक्षण दिया ?

(1) नेता (2) पुलिस (3) सम्पन्न व्यक्ति (4) किसी ने नही

(28) आपके दृष्टि मे पुलिस की भूमिका ?

(1) ईगानदार एव कर्तव्यनिष्ठ (2) घूसखोर एव लापरवाह (3) कुछ ईमानदार एवं कुछ कर्तव्यनिष्ठ

(29) जेल मे आपको निर्धारित सुविधाये मिलती है ?

(1) हॉं (2) नही

(30) यदि नही तो आप अपनी मनपसन्द की चीजें कहॉं से मंगाते हैं ?

(1) जेल कर्मचारियो से (2) रिश्तेदारो से

परिशिष्ट – 5

जनपद 'फर्रुखाबाद में पुलिस द्वारा अपराधों के लिए आई0पी0सी0 के अन्तर्गत धाराओं/शब्दों के प्रयोग का क्रमवार विवरण

धारा (दफा) सख्या	अपराध
109	अपराधों के लिए उकसाना/मदद करना
110	उकसाने के अतिरिक्त भी कार्य करना
120	षडयन्त्र रचना
129	सरकारी कर्मचारी द्वारा जान--बूझकर कैदी को छुड़ाने का प्रयास
143	अवैध भीड़ एकत्रित करना
153	जानबूझकर बलवे को उत्तेजित करना
160	दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शान्ति भंग करना
161	सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध ढग से धन वर्जित करना
170	नकली सरकारी कर्मचारी बनकर सरकारी कार्य करना
121	चुनाव मे जुर्म
182	किसी सरकारी कर्मचारी को झूठी सूचना देना
186	सरकारी कर्मचारी के कार्य मे बाधा पहुँचाना
188	सरकारी कर्मचारी द्वारा विविध आदेशो का उल्लंघन
193	जानबूझकर झूठी गवाही/प्रमाण न्यायिक
197	झूठे प्रमाण पत्रो पर अपने हस्ताक्षर करना/देना जो सबूत में ग्राह्य हैं
198	झूठे प्रमाण--पत्र सत्य की भाँति जानबूझकर प्रयोग करना
201	सबूत को नष्ट करना/जलाना/फाड़ना
202	उपरोक्त मे सजा
211	झूठे आरोप लगाना चोट पहुँचाने के लिए
216	अपराधी/डकैतो को सहयोग/शरण देना
218	सरकारी कर्मचारी द्वारा गलत रिकार्ड तैयार करना
223	सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने (कैदी) अभिरक्षा से भगा देना
224	किसी अपराधी को अभिरक्षा से छुडाना/बाधा पहुँचाना
225	अपराधी व्यक्ति जो कि वैधानिक अभिरक्षा में है को छुडाना अथवा प्रतिरोध
272	खाद्य पदार्थ में हानिकारक पदार्थ मिलाना हारिकारक पदार्थ को खाद्य पदार्थ मे मिलान के लिए कहना/बेचना

279	किसी वाहन को जानबूझकर सार्वजनिक स्थान पर तेजी से चलाना जिससे मानव को खतरा हो
280	पानी के वाहन को तेजी से चलाना/खतरा
281	क्षतिग्रस्त/अधिक भार लेकर पानी के वाहन द्वारा मानव जीवन को खतरा
286	विस्फोटक पदार्थ को बिना सुरक्षा के ले जाना जिससे मानव जीवन को खतरा
289	पालतू पशु को लापरवाही से रखना जिससे खतरा
294	सार्वजनिक स्थान पर गन्दे/भद्दे/अश्लील शब्दों का प्रयोग, गाना आदि
295	किसी पूजा/धार्मिक स्थान को नष्ट करना/नुकसान जिससे धर्म का अपमान हो
299	ऐसा कृत्य जिससे किसी की मृत्यु हो जावे
302	मृत्यु के लिए सजा
304	मृत्यु हो जाये किन्तु जान से मारने का उद्देश्य न था
306	ऐसी परिस्थिति बनाना/हतोत्साहित करना जिससे व्यक्ति आत्महत्या कर ले
307	जान से मारने का इरादा
308	खतरनाक हथियार का प्रयोग जिससे गभीर चोट आ जावे जिससे मृत्यु हो सकती है
309	आत्महत्या का प्रयास
317	गर्भवती स्त्री को तग करना/अत्याचार
318	किसी बच्चे की लाश को छुपाना/फेंकना/गाढ़ना जिससे उसके जन्म का पता न चले
323	साधारण चोट झगड़े से पहुँचाना
324	गम्भीर हथियार द्वारा साधारण चोट
325	साधारण हथियार द्वारा गम्भीर चोट
326	खतरनाक हथियार से गम्भीर चोट
328	जहरीला पदार्थ/जहर खिलाना चोट पहुँचाना
332	सरकारी कर्मचारी को मारपीट कर/चोट देकर सरकारी कार्यो मे बाधा पहुँचाना
336	ऐसा कृत्य करना जिससे व्यक्ति/मानव जीवन को खतरा हो
337	उपरोक्त कार्य से साधारण चोट
338	उपरोक्त कार्य से गम्भीर चोट
341	अवैध रूप से जबरदस्ती रोकना

342	अवैध रूप से जबरदस्ती बन्द कर लेना
343	अवैध रूप से जबरदस्ती 309 दिन तक बन्द रखना
344	अवैध रूप से जबरदस्ती 10 दिन या अधिक दिन तक बन्द रखना
352	मारने के लिए दौड़ना/अपराधी बनकर प्रयोग
353	सरकारी कर्मचारी को सरकारी कार्य करने मे आक्रमण/बल का प्रयोग जिससे सरकारी कार्य मे बाधा
354	किसी औरत को बेइज्जत करने के लिए आक्रमण/बल का प्रयोग
356	चोरी के समय आक्रमण/बल का प्रयोग
357	अवैध रूप से बन्द करने के लिए आक्रमण/बल प्रयोग
363	विधिपूर्ण संरक्षता मे से किसी नाबालिग का अपहरण
364	किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए अपहरण
365	किसी व्यक्ति का अपहरण/छुपाना/बन्द करना
366	किसी औरत की शादी/सहवास के लिए इच्छा विरूद्ध अपहरण
368	अपहरित व्यक्ति को छुपाना/बन्द करना
374	किसी व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध श्रम करवाना
376	बलात्कार
377	समलैगिक सहवास
379	चोरी
380	घर में चोरी
382	चोरी के उद्देश्य से पहले से ही चोट पहुँचाने की तैयारी द्वारा/ धमकाकर वस्तु/पैसा लेना
383	डरा/धमकाकर वस्तु/पैसा लेना
384	डरा/धमकाकर वस्तु/सजा
385	चोट पहुँचाने का भय दिखाकर वस्तु/पैसा लेना
387	मृत्यु का भय दिखाकर/गभीर चोट का भय दिखाकर वस्तु/पैसा लेना
392	राहजनी चार व्यक्ति मिलकर
394	राहजनी के समय चोट पहुँचाना चार व्यक्ति मिलकर
395	डकैती पॉच व्यक्ति मिलकर
396	डकैती के वक्त किसी व्यक्ति को मार देना
397	डकैती के वक्त खतरनाक हथियारों का प्रयोग
398	राहजनी/डकैतो मे खतरनाक हंथियारों का प्रयोग
399	डकैती की तैयारी
400	किसी गैंग का संचालन/सदस्य
401	चोरी के गैंग मे सजा
402	5 या अधिक डकैती की योजना/एकत्रित होना

406	अमानत मे खयानत/न्यास भंग
408	प्राइवेट नौकर द्वारा न्यास गैग/अमानत में खयानत
409	सरकारी कर्मचारी द्वारा न्यास भग/अमानत मे खयानत
411	जानबूझकर डकैती का माल रखना
419	ठगना/घोखाघड़ी/छलकर
420	ठगना/घोखाघड़ी/छलकर/सजा
427	50 रूपये या अधिक का नुकसान
428	किसी पक्षी/जानवर को मार देना कीमत 10 रूपया
429	किसी पक्षी/जानवर को मार देना कीमत 50 रूपया
430	सिंचाई के साधन में नुकसान/गलत मोड़/खीची
435	विस्फोटक पदार्थ से आग लगाना जिससे 100 रूपये तक का नुकसान हो
436	किसी के घर में आग लगाना
404	मृत्यु/चोट का भय दिखाकर सम्पत्ति का नुकसान पहुँचाना
441	किसी व्यक्ति की सम्पत्ति/स्थान मे अनाधिकार प्रवेश करना
447	अनाधिकार जगह पर कब्जा की सजा
448	अनाधिकार रूप से किसी के घर मे घुसना
452	अनाधिकार घर मे घुसना चोट के उद्देश्य से
456	अनाधिकार घर मे घुसना जुर्म/ताला तोड़ना रात्रि में
457	उपरोक्त की सजा
461	किसी बन्द सामान/बॉक्स आदि को तोड़कर सामान निकालना
464	झूठे अभिलेख तैयार करना
467	झूठे अभिलेख बनाना/फर्जी बैनामा/गलत गोदनामा
468	धोखा देने के लिए जालसाज अभिलेख का प्रयोग
489	किसी सम्पत्ति का चिन्ह/निशान मिटाना जिससे दूसरे की दृष्टि न पहुँचे
491	विधि द्वारा बाधा होने पर भी अक्षम व्यक्ति की आवश्यकताओ की पूर्ति न करना
494	एक पति/पत्नी होते हुए दूसरी शादी करना
497	एक पति/पत्नी से सहवास
498	दूसरे पति/पत्नी को सजा
503	किसी अधिकारी के विरूद्ध हानि के उद्देश्य से झूठे प्रकाशन
506	जानमाल की धमकी देना
509	ऐसे हावभाव जिससे किसी औरत की बेइज्जती
511	जुर्म का प्रयास

उपर्युक्त समस्त शब्दों तथा धाराओ के अन्तर्गत अपराधों का वर्गीकरण

क्रमाक	अपराध वर्ग	धारायें एव प्रयुक्त शब्द
1–	व्यक्ति के विरूद्ध अपराध	299, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 318, 364, 396, 211, 282, 313, 317, 323, 324, 325, 326, 328, 332, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 352, 353, 354, 356, 357, 363, 365, 366, 376, 377, 452
2–	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध	लूट, गैंग, डकैती, राहजनी – 382, 383, 387, 392, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 402 नकवजनी, चोरी माल, पशु साइकिल तार, ट्रासफार्मर, प्राइवेट ट्यूबवैल, सरकारी ट्यूबवैल मूर्ति, फसल, 379, 308, 456, 457, 461, 109, 110, 406, 408, 409, 411, 412, 419, 420, 427, 428, 429, 435, 436, 440, 441, 447, 448, 479, 489
3–	व्यवस्था के विरूद्ध अपराध	मुठभेड़, चोरी बिजली – 129, 170, 171, 182, 186, 188 193, 197, 198, 201, 202, 216, 218, 223, 224, 225, 261, 264, 267, 268, आबकारी एक्ट, अफीम, विदेशी पासपोर्ट, पुलिस, होमगार्ड रेलवे, डी0आई0आर0 सीमा, जगल मोटर, कोल्ड स्टोरेज, जगली पशु पक्षी, बिजली पचायतराज जमीदारी, गौवध, ट्रेड तथा मार्क, टेलीग्राफ, प्रेस परिषद, भार – मानक, बलवा – 160, 161, 272, 273, 279, 280, 281 286, 289, 294, 295, 368, 374, 430, 494, 497, 498, एक्ट जुआ, आवश्यक खाद्य पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, सिनेमा, यू0पी0 गुण्डा, छुआछूत, बंधुआ मजदूरी, दहेज, दस्यु प्रभावित, भ्रष्टाचार निराकरण – 109, 110, 120, 143, 153 277, 448, 505, 506, शस्त्र अधिनियम